सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ✦ COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

झारखण्ड सरकार GOVERNMENT OF JHARKHAND

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा
पर प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

विषय-सूची

		संदर्भित	
		कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन			iii
विहंगावलोकन			
अध्याय 1	**विहंगावलोकन**		1
निष्पादन लेखापरीक्षा			
नगर विकास एवं आवास विभाग			
अध्याय 2	**'74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता' पर निष्पादन लेखापरीक्षा**		19
अनुपालन लेखापरीक्षा			
अध्याय 3	**'राँची शहर में मल एवं जल-निकास व्यवस्था के प्रबंधन' पर लेखापरीक्षा**		65
अध्याय 4	**'हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण' पर लेखापरीक्षा**		101
ऊर्जा विभाग			
अध्याय 5	**'झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) में सामग्री प्रबंधन एवं वस्तु-सूची नियंत्रण' पर लेखापरीक्षा**		159
लेखापरीक्षा कण्डिकाएं			
अध्याय 6: *पथ निर्माण विभाग*			
बकाया और जुर्माने की राशि की वसूली न किया जाना		6.1	205
अव्यवहृत पुल के निर्माण पर निष्फल व्यय		6.2	210
निष्फल व्यय		6.3	212

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट सं.	विवरणी	संदर्भित	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
1.1	महालेखाकार झारखण्ड के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन विभागों और स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों/ कंपनियों की सूची	1.2	217
2.1	नमूना-जाँचित शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान	2.4.7	223

	जल उपयोक्ता शुल्क की माँग एवं संग्रहण का विवरण		
3.1	मल एवं जल निकास परियोजना के तहत क्रियान्वित किए जाने वाले घटक	3.1	225
3.2	संविदा समाप्त होने के बाद संवेदक से कम वसूली की गणना	3.2.3.2 & 3.2.3.3	226
3.3	नए संवेदक के लिए मैसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा अनुशंसित मूल्य विभाजन के आधार पर रूपांकन एवं रेखांकन के लिए घटक-वार राशि	3.2.3.4	228
4.1	तीन संस्थाओं द्वारा जाँच (अनुमोदन) का विवरण	4.5	230
4.2	प्रवेशिका 1 और 1ए के लिए एसटीपी की क्षमता की गणना और 14 प्रमुख प्रवेशिकाओं के माध्यम से उत्पन्न शिखर सीवेज (नोट-1)	4.5.2 & 4.5.3.1	233
4.3	निष्पादन और परिचालन चरणों की दरों एवं संवेदकों को किए गए भुगतानों के बीच अंतर	4.6.5	235
4.4	हरमू नदी के तट पर वृक्षारोपण कार्यों का विवरण	4.6.6	236
4.5	हरमू नदी के तट पर तुलनात्मक वनों की कटाई (वर्ष 2009 और 2022 के बीच) का विवरण	4.6.6	238
5.1	वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान प्रमुख सामग्री के क्रय का विवरण	5.1	241
5.2	संगठनात्मक चार्ट (जेबीवीएनएल)	5.2	242
5.3	ट्रांसफॉर्मर तेल की कम वसूली दर्शाने वाली विवरणी	5.9.6	243
5.4	आरएपीडीआरपी-बी योजना के तहत छः ईएससी से जारी अतिरिक्त मात्रा दिखाने वाला विवरण	5.10.3	244
6.1.1	प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा निर्णय, इकरारनामों तथा अंतिम विपत्रों का विवरण	6.1	245

प्राक्कथन

प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार के अंतर्गत राज्य-सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वैसे हैं जो 2020-21 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे और साथ ही साथ वैसे जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए थे परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टान्त भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों और लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियमों के अनुरूप आयोजित की गई है।

अध्याय 1

विहंगावलोकन

अध्याय 1: विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के कुछ विभागों और उनके स्वायत्त निकायों के निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा में उद्धृत मामले शामिल हैं। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधायिका के समक्ष रखना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के साथ-साथ ऐसी नीतियों एवं निर्देशों के निर्माण में सक्षम होने की उम्मीद है, जिससे बेहतर प्रशासन में योगदान देने वाले संगठनों के वित्तीय प्रबंधन और कुशल होंगे।

प्रतिवेदन को निम्नानुसार छः अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है:

अध्याय 1 में लेखापरीक्षिती विभागों की रूपरेखा के साथ विगत पाँच वर्षों के व्यय की संक्षिप्त रूपरेखा, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार, लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन, विभिन्न लेखापरीक्षा परिणामों यथा निरीक्षण प्रतिवेदन, पृथक अवलोकन/कंडिकाएँ, निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.), विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.अ.ले.), लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई आदि एवं इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन हैं।

अध्याय 2 में '74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन शामिल हैं।

अध्याय 3 में 'राँची शहर में मल एवं जल निकास व्यवस्था के प्रबंधन' पर अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन शामिल हैं।

अध्याय 4 में 'हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण' पर अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन शामिल हैं।

अध्याय 5 में 'झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) में सामग्री प्रबंधन एवं वस्तु-सूची नियंत्रण' पर अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन शामिल हैं।

अध्याय 6 में अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित तीन पृथक अवलोकन/ कण्डिकाएँ शामिल हैं।

1.2 लेखापरीक्षिती विभागों एवं लेखापरीक्षा क्षेत्र की रूपरेखा

I. बजट के अनुसार, झारखण्ड सरकार ने अपने विभिन्न विभागों से संबंधित 60 अनुदानों (2020-21 के दौरान) के अंतर्गत निधियाँ जारी की। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड के अंतर्गत लेखापरीक्षा क्षेत्र में 60 अनुदानों से संबंधित

विभिन्न स्तरों की 5,797 इकाइयाँ शामिल हैं। झारखण्ड सरकार में 34 विभाग हैं जो प्रधान महालेखाकार के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आते हैं। इनमें 76 निकाय/प्राधिकरण भी शामिल हैं, जो या तो काफी हद तक राज्य की संचित निधि से वित्तपोषित हैं अथवा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जिनकी लेखापरीक्षा सरकार द्वारा सौंपी गई है।

II. इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में झारखण्ड सरकार की सरकारी कंपनियाँ और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ हैं। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एसपीएसई) को वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को चलाने तथा राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एसपीएसई) में वैसी सरकारी कंपनियाँ जिनमें झारखण्ड सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियाँ शामिल हैं। झारखण्ड में कोई भी सांविधिक निगम नहीं है।

झारखण्ड में 31 मार्च 2021 को 31 एसपीएसई (तीन निष्क्रिय एसपीएसई सहित) थे। नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक, कार्यशील एसपीएसई ने ₹ 5,103.43 करोड़ रुपये, अर्थात् 2019-20[1] की तुलना में 2020-21 में 0.09 प्रतिशत की कमी, का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2020-21 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 3,17,079 करोड़) के 1.61 प्रतिशत के बराबर था। नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यशील एसपीएसई को ₹ 2,649.97 करोड़ की हानि हुई। यहाँ तीन निष्क्रिय[2] एसपीएसई हैं जिनमें पूँजी (₹ 1.10 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹ 50.41 करोड़) के साथ ₹ 51.51 करोड़ का निवेश है जो अक्रियाशील है क्योंकि ये एसपीएसई राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, दो एसपीएसई को ख़त्म करने की प्रक्रिया की शुरुआत उनके मंडलों[3] द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

प्रधान महालेखाकार के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विभागों और स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों/कंपनियों की सूची ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाई गई है।

---

1 *दिसंबर 2021 तक के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, कार्यरत एसपीएसई का कारोबार ₹ 5,626.05 करोड़ था।*

2 *कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड (केईएल), पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल) एवं झारबिहार कोलियरी लिमिटेड (जेसीएल)*

3 *केईएल: 5वीं एजीएम (15 सितंबर 2017), जेसीएल: 15वीं बैठक (15 मई 2016) और 16वीं बैठक (2 फरवरी 2018)*

प्रधान महालेखाकार के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान प्रमुख विभागों में व्यय की प्रवृत्ति **तालिका 1.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.1: ₹ 100 करोड़ से अधिक वार्षिक व्यय वाले विभागों के व्यय का रूझान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	वित्त	10,483.99	13,626.92	14,003.18	15,660.37	15,686.99
2	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास	6,672.94	6,490.86	6,392.84	7,864.45	8,304.41
3	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	3,993.96	5,129.55	5,632.55	6,502.39	7,216.87
4	ऊर्जा	3,017.15	6,345.77	4,155.2	3,148.42	6,846.78
5	ग्रामीण विकास	4,000.74	3,836.63	4,708.14	4,868.98	6,018.08
6	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	2,468.93	2,847.19	3,382.55	3,128.30	4,061.85
7	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	2,531.64	2,539.69	2,582.92	3,912.46	3,777.78
8	पथ निर्माण	4,521.03	5,328.10	4,098.29	3,921.38	3,491.79
9	शहरी विकास एवं आवास	2,878.86	3,028.35	1,986.42	2,559.20	2,912.09
10	पंचायती राज	1,674.67	1,578.46	875.27	2,482.11	1,857.49
11	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	1,331.88	1,681.00	1,583.84	1,918.40	1,665.10
12	ग्रामीण कार्य	3,660.17	2,737.81	4,323.44	2,525.28	1,663.49
13	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	2,245.54	2,022.42	1,667.69	2,611.77	1,646.90
14	जल संसाधन	1,840.13	2,094.91	1,883.63	1,722.65	1,421.55
15	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	1,171.29	944.16	1,030.86	1,134.72	1,380.71
16	पेयजल एवं स्वच्छता	1,526.82	2,055.91	1,765.30	1,180.18	1,278.86
17	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,581.35	1,357.11	1,547.94	1,378.32	1,188.34
18	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	496.04	591.21	525.07	714.44	725.80
19	विधि	308.34	377.33	440.66	458.52	446.42
20	श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	194.93	168.22	179.84	161.24	294.26
21	भवन निर्माण	540.41	637.05	496.32	549.55	256.68
22	उद्योग	297.64	248.78	314.59	276.47	220.09
23	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा मामले	207.66	217.08	249.09	212.43	179.90

क्र. सं.	विभाग का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
24	सूचना एवं जन-संपर्क	139.05	194.75	170.77	201.18	130.79
25	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-प्रशासन	150.38	74.25	145.48	153.57	122.51
26	योजना एवं विकास	273.12	346.53	559.87	270.39	108.25
27	अन्य[4]	249.72	267.25	331.00	580.47	359.41
कुल		58,458.38	66,767.29	65,032.75	70,097.64	73,263.19

स्रोत: 2016-17 से 2020-21 के विनियोग लेखे

1.3 लेखापरीक्षा-प्राधिकार

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से उद्धृत है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डीपीसी अधिनियम की धारा[5] 13 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक स्वायत्त निकायों का एकमात्र लेखापरीक्षक है जिनकी लेखापरीक्षा डीपीसी अधिनियम की धारा 19 (2), 19 (3)[6] और 20 (1)[7] के अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा समुचित वित्तपोषित अन्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डीपीसी अधिनियम की धारा[8] 14 के अंतर्गत करती है।

पुनश्च, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों के, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाली किसी अन्य कंपनी का लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा के लिए, सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रासंगिक प्रावधानों

[4] *अन्य में (i) कैबिनेट निर्वाचन विभाग (ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग तथा (iii) कैबिनेट सचिवालय एवं सतर्कता विभाग शामिल हैं।*

[5] *(i) राज्य की संचित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं सार्वजनिक खातों से संबंधित सभी लेनदेन तथा (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ एवं हानि खाते, बैलेंस-शीट तथा अन्य सहायक खातों की लेखापरीक्षा।*

[6] *संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार अथवा जनहित में राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य विधानमंडल द्वारा या उसके द्वारा निर्मित विधि के तहत स्थापित निगमों (जो कंपनियां नहीं हैं) के खातों की लेखापरीक्षा।*

[7] *नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा सरकार के बीच तय नियमों एवं शर्तों पर राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी निकाय अथवा प्राधिकरण के खातों की लेखापरीक्षा।*

[8] *कई गैर-वाणिज्यिक स्वायत्त / अर्ध-स्वायत्त निकाय जो रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, साक्षरता का प्रसार, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण आदि की योजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित हैं तथा सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं उनकी लेखापरीक्षा अनुच्छेद 14 के तहत होती है।*

द्वारा शासित होती है। आगे, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो, धारा 139 की उप-धारा 5 या उप-धारा 7 के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनी के मामले में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा कर सकती है। ऐसी लेखापरीक्षा पर डीपीसी अधिनियम की धारा 19अ के प्रावधान लागू होंगे। 31 मार्च 2014 तक के वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होता रहेगा।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 तथा लेखापरीक्षा मानकों में वर्णित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

जैसा विहित है, सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) या 139(7) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो अधिनियम की धारा 143(5) के तहत कंपनी के वित्तीय विवरण के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। अधिनियम की धारा 143(6) के प्रावधानों के तहत प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर इन वित्तीय विवरणों की संपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है।

1.4 लेखापरीक्षा-योजना एवं संचालन

निष्पादन लेखापरीक्षा/विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा/पृथक अनुपालन लेखापरीक्षाएँ वार्षिक लेखापरीक्षा योजना (ए.ए.पी.) के अनुरूप की जाती हैं। पृथक अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन शीर्ष इकाइयों, लेखापरीक्षा इकाइयों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें उनके वित्तीय महत्व के मामले, सामाजिक प्रासंगिकता, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ, पूर्व में दुर्विनियोग, गबन, कपट इत्यादि के मामलों के साथ-साथ पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के परिणाम शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। प्राप्त जवाब के आधार पर लेखापरीक्षा अवलोकनों का या तो निपटान किया जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई की सलाह दी जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को पृथक अवलोकनों / कंडिकाओं के रूप में

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए आगे परिष्कृत किया जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा/ विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ महत्वपूर्ण मुद्दों पर तैयार की जाती हैं। मुद्दों का चयन उपरोक्त सादृश्य के अनुसार किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु सामग्रियों को अंतिम रूप देते समय विभागों द्वारा प्रस्तुत औपचारिक जवाबों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा '74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, 'राँची शहर में मल एवं जल-निकास व्यवस्था के प्रबंधन' तथा 'हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण' (शहरी विकास एवं आवास विभाग) पर दो अनुपालन लेखापरीक्षाएं तथा 12 विभागों के अंतर्गत 112 इकाइयों का पृथक अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा 'सामग्री प्रबंधन एवं वस्तु-सूची नियंत्रण' पर भी एक अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

1.5 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

लेन-देन में नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की जाँच तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाओं तथा अन्य अभिलेखों के रखरखाव में नियमितता के सत्यापन के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड सरकारी विभागों की लेखापरीक्षा करता है। इन लेखापरीक्षाओं के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.), निरीक्षित कार्यालय के प्रमुखों को एवं इसकी प्रतियाँ अगले उच्च अधिकारियों को जारी की जाती हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताएँ एवं अन्य बिंदु, जो मौके पर निस्तारित नहीं किये जा सके, निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल किए जाते हैं। गंभीर अनियमितताओं को प्रधान महालेखाकार के कार्यालय द्वारा सरकार के संज्ञान में लाया जाता है।

लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 के अनुसार, लेखापरीक्षित इकाई के प्रभारी अधिकारी, निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर इसका जवाब भेजेंगे। प्रधान महालेखाकार द्वारा किसी बड़ी अनियमितता की सूचना पर सरकार प्रथम दृष्टया तथ्यों का सत्यापन करेगी एवं सूचना प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर तथ्यों की पुष्टि या खंडन करते हुए प्रधान महालेखाकार को

प्रारंभिक प्रतिवेदन भेजेगी। प्रारंभिक प्रतिवेदन में सरकार द्वारा गंभीर अनियमितता[9] के तथ्य का खंडन नहीं किए जाने की दशा में सरकार प्रारंभिक प्रतिवेदन के दो महीनों के भीतर इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई तथा चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को बताते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार को भेजेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रधान महालेखाकार द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन पर त्वरित प्रतिक्रिया हेतु झारखण्ड सरकार के वित्त-विभाग ने ससमय सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभागों को दिशा-निर्देश भी जारी किया।

विचाराधीन निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की निगरानी एवं उनके निपटान को सुलभ बनाने हेतु संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव को निरीक्षण प्रतिवेदनों को लंबित दिखाती हुई एक छः माही प्रतिवेदन भेजी जाती है।

मार्च 2021 तक 29 विभागों को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि 4,937 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 33,654 कण्डिकाएँ उपयुक्त अनुपालन के अभाव में 31 मार्च 2022 को लंबित थीं। इनमें से 3,698 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 26,615 कण्डिकाओं के प्रारंभिक जवाब भी प्राप्त नहीं हुए थे।

तालिका 1.2: 31 मार्च 2022 को (31 मार्च 2021 तक निर्गत) लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कण्डिकाएँ

क्र.सं.	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या
1	2020-21	148	1,365
2	1 वर्ष से 3 वर्ष	722	5,509
3	3 वर्ष से 5 वर्ष	1,343	7,190
4	5 वर्ष से अधिक	2,724	19,590

प्रधान सचिव/सचिव या/एवं प्रशासनिक विभागों के किसी नोडल अधिकारी तथा लेखापरीक्षा के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी लेखापरीक्षा समिति पारस्परिक सहूलियत के आधार पर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/ कंडिकाओं के शीघ्र निपटान हेतु

[9] गंभीर अनियमितता का अर्थ है (अ) संदिग्ध सामग्री धोखाधड़ी या मिलीभगत या भ्रष्टाचार का एक मामला जो लेखापरीक्षा में सामने आया हो, अथवा (ब) गंभीर प्रकृति की अनियमितता जिसमें सार्वजनिक धन, विशेष रूप से कुप्रबंधन, हानि, बर्बादी, व्यर्थ व्यय या राजस्व की हानि, गंभीर खराबी/आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन आदि शामिल हैं।

समय-समय पर बैठक करती है। हालाँकि, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान किसी भी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को (i) निर्धारित समय-सारणी के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई, (ii) हानियों/बकाया-अग्रिमों/अधिक भुगतानों आदि की समयबद्ध तरीके से वसूली तथा (iii) प्रत्येक विभाग के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक के आयोजन के लिए एक प्रक्रिया की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए।

1.6 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 निर्धारित करता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर समर्पित की जानी चाहिए।

प्रारूप कण्डिकाएँ एवं निष्पादन लेखापरीक्षा/विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कण्डिकाएँ, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करते हुए संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ-साथ वित्त विभाग को अग्रेषित किए जाते हैं। उनके व्यक्तिगत ध्यान में यह भी लाया जाता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जो विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, में इन कंडिकाओं के शामिल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

इस प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप कण्डिकाएँ एवं निष्पादन लेखापरीक्षा/विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कण्डिकाएँ, संबंधित विभागों तथा वित्त विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को उनके नाम से संबोधित कर आधिकारिक/अर्ध-सरकारी पत्रों के माध्यम से जनवरी 2022 एवं मई 2022 के बीच अग्रेषित किए गए थे। संबंधित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सात पृथक/विस्तृत अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा कण्डिकाओं में से चार पर जवाब दिए गए थे। विभाग/लेखापरीक्षित इकाइयों की प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ प्रारंभिक लेखापरीक्षा पृच्छाओं के जवाब, जहाँ भी प्राप्त हुए, प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से समाहित किए गए हैं।

लेखाओं के लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

वर्ष 2020-21 की लेखाओं को सभी एसपीएसई द्वारा 30 सितंबर 2021 तक प्रस्तुत करना आवश्यक था। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दायरे में आने वाले 31 (08 ऊर्जा क्षेत्र एवं 23 गैर-ऊर्जा क्षेत्र) एसपीएसई में से तीन[10] एसपीएसई ने वर्ष 2020-21 की अपनी लेखाएँ 31 दिसंबर 2021 तक प्रस्तुत कीं। इनमें से केवल एक एसपीएसई ने 30 सितंबर 2021 को या उससे पहले अपनी लेखाएँ जमा की थी तथा दो एसपीएसई ने 01 अक्टूबर 2021 एवं 31 दिसंबर 2021 के बीच अपनी लेखाएँ, लेखापरीक्षा के लिए जमा की।

एसपीएसई द्वारा लेखाएँ तैयार करने में समयबद्ध

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए अनुवर्ती वर्ष के 30 सितंबर तक एसपीएसई द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.3: कार्यरत एसपीएसई द्वारा लेखाओं की प्रस्तुतीकरण से संबंधित स्थिति

क्र. सं.	ब्यौरे	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	एसपीएसई की संख्या	27	29	30	31	31
2	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए लेखाओं की संख्या	32	28	21	23	27
3	चालू वर्ष के लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले एसपीएसई की संख्या	4	4	3	1	3
4	चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या	28	24	18	22	24
5	बकाया लेखाओं वाले एसपीएसई की संख्या	23	25	27	30	28
6	बकाया लेखाओं की संख्या	69	68	77	84	88
7	बकाया की सीमा (वर्षों में)	1 से 08 वर्ष	1 से 09 वर्ष	1 से 09 वर्ष	1 से 10 वर्ष	1 से 11 वर्ष

स्रोत: *जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान प्राप्त एसपीएसई के लेखाओं के आधार पर*

01 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान, एसपीएसई ने 27 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया था जिनमें 2020-21 की तीन लेखाएँ और पिछले वर्षों की 24 लेखाएँ शामिल थीं। इस प्रकार, 28 एसपीएसई की 88 लेखाएँ बकाया थीं। प्रशासनिक विभागों पर इन संस्थाओं की गतिविधियों की देखरेख करने

---

[10] *(i) झारखण्ड पुलिस आवास निगम लिमिटेड; (ii) झारबिहार कोलियरी लिमिटेड; एवं (iii) पतरातू एनर्जी लिमिटेड*

एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन एसपीएसई द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा अपनाया जाए। बकाया लेखाओं के बारे में झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव को अवगत कराया जाता है।

वर्ष 2020-21 के साथ-साथ पिछले वर्षों की लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने तथा 28 एसपीएसई के 88 लेखाओं की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका कि क्या निवेश एवं किए गए व्यय का उचित लेखा संधारण किया गया था तथा निवेश के उद्देश्य की प्राप्ति हुई थी। अतः इन एसपीएसई में सरकारी निवेश, उस सीमा तक, राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहे।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा:

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकारी नियमों की प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उद्धृत सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रशासनिक विभागों द्वारा एकतरफा कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा इनको जाँच के लिए लिया गया हो अथवा नहीं। लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँचित कृत-कार्यवाई टिप्पणी (कृ.का.टि.) विभाग को प्रस्तुत करना था, जिसमें उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई अथवा प्रस्ताव को दर्शाया गया हो। सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के वर्ष 2008-09 से 2018-19 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 215 लंबित कंडिकाएँ हैं। लोक लेखा समिति ने इनमें से 73 कंडिकाओं को परिचर्चा हेतु लिया तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-09 की कंडिका 1.3.6.1 के संबंध में एक अनुशंसा की। हालांकि, इस उप-कंडिका पर कोई कृ.का.टि नहीं प्राप्त हुई है।

इसके अतिरिक्त, 2000-01 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभागों पर छोड़े गए थे, में 201 लंबित कंडिकाएं थीं, जिनमें से 94 कंडिकाएँ लोक लेखा समिति द्वारा परिचर्चा के लिए गए थे। इसके विरुद्ध, लोक लेखा समिति ने सात कंडिकाओं तथा आठ उप-कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ की थीं, जिनमें से दो कंडिकाओं और छह उप-कंडिकाओं के संबंध में कृ.का.टि प्राप्त हुई थी, जैसा कि **तालिका 1.4** में वर्णित है:

तालिका 1.4: लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा-कंडिकाओं पर परिचर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2007-08 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)	वर्ष 2008-09 से 2018-19 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)
लंबित लेखापरीक्षा-कंडिकाओं की संख्या	201	215
लो. ले. स. द्वारा परिचर्चा के लिए ली गई	94	73
लो. ले. स. द्वारा परिचर्चा के लिए नहीं ली गई	107	142
लो. ले. स. द्वारा की गई अनुशंसाएँ	07 कंडिकाएं एवं 08 उप - कंडिकाएं	01 उप-कंडिका
प्राप्त कृ.का.टि.	02 कंडिकाएं एवं 06 उप - कंडिकाएं	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	02 कंडिकाएं एवं 06 उप - कंडिकाएं	शून्य

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर परिचर्चा

अगस्त 2018 में आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं की लंबितता से सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) को अवगत कराया गया था। इसके अतिरिक्त, कोपू ने अपनी तीन बैठकों (2018-19 में) में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2008-09, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 से संबंधित पाँच कंडिकाओं पर परिचर्चा किया; दो बैठकों (2019-20 में) में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2005-06, 2008-09, 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 से संबंधित सात कंडिकाओं पर परिचर्चा किया; तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2007-08, 2008-09 एवं 2011-12 से संबंधित तीन कंडिकाओं पर 2020-21 में चर्चा की गई थी।

लोक लेखा समिति /कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11 एवं 2012-13 के पाँच कोपू प्रतिवेदन, जो 2013-21 के दौरान राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए थे, में चार विभागों अर्थात (i) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन; (ii) खान एवं भूतत्व; (iii) गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन; तथा (iv) उद्योग से संबंधित कंडिकाओं पर नौ अनुसंशाओं के विरुद्ध राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों(एसपीएसई) से तब से कोई कृ.का.टि प्राप्त नहीं हुए थे।

1.8 इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिका, तीन विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं एवं अनुपालन लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न तीन पृथक अवलोकन/ कंडिकाएँ निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण अवलोकनों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

निष्पादन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता

'***74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता***' पर 2016-17 से 2020-21 की अवधि को आच्छादित करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, जिससे अधोलिखित अवलोकन सामने आए:

15 श.स्था.नि. में 18 से 50 महीने से अधिक समय से चुनाव लंबित थे और प्रशासक या विशेष अधिकारी इन श.स्था.नि. के कार्यों का निष्पादन कर रहे थे।

(कंडिका 2.2.2)

दो नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में स्थायी समिति का गठन ही नहीं किया गया था जबकि चार चयनित श.स्था.नि. में एक कार्यकाल के लिए इसका गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में स्थायी समिति के गठन में असामान्य विलम्ब हुआ था। नमूना-जाँचित 10 में से छः शहरी स्थानीय निकायों के 131 वार्डों में वार्ड समिति गठित नहीं किए गए थे। नमूना-जाँचित चार नगर निगमों में से किसी में भी विषय समिति गठित नहीं किए गए थे।

(कंडिका 2.2.5)

नमूना-जाँचित श.स्था.नि. के जिलों की जिला योजना समितियों द्वारा प्रारूप विकास योजना तैयार नहीं की गई थी।

(कंडिका 2.2.6)

राज्य वित्त आयोगों का गठन विलंब से हुआ तथा पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी से इसका कार्यकाज बाधित हुआ। चार राज्य वित्त आयोगों में से केवल एक अपनी अनुसंशाएं प्रस्तुत कर सका।

(कंडिका 2.2.7)

दिसंबर 2021 तक उनकी अधिसूचना (अगस्त 2016 एवं सितंबर 2018 के बीच) के 39 से 64 महीनों के बाद भी सात श.स्था.नि. के लिए कार्यशील पद सृजित नहीं किए गए थे। आगे, मार्च 2021 में नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में 421 (47 प्रतिशत) रिक्त पद थे।

(कंडिका 2.2.8)

श.स्था.नि. को हस्तांतरित किए गए 18 कार्यों में से 10 कार्य पूरी तरह से श.स्था.नि. द्वारा निष्पादित किये जा रहे थे, छः कार्य आंशिक रूप से निष्पादित किये जा रहे थे जबकि शेष दो कार्यों के निष्पादन में श.स्था.नि. की कोई भूमिका नहीं थी।

(कंडिका 2.3.1)

श.स्था.नि. अपने संचालन के लिए केंद्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर थे क्योंकि उनके अपने राजस्व का हिस्सा उनके कुल प्राप्ति की तुलना में कम था। 10 श.स्था.नि में से केवल पाँच ही अपने स्थापना-व्यय को स्वयं के राजस्व से पूरा कर सके।

(कंडिका 2.4.1)

विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

राँची शहर में मल एवं जल निकास व्यवस्था का प्रबंधन

जून 2006 से 2020-21 की अवधि को आच्छादित करते हुए ***'राँची शहर में मल एवं जल निकास व्यवस्था के प्रबंधन'*** पर अनुपालन लेखापरीक्षा से अधोलिखित अवलोकन सामने आए:

जून 2005 में शुरू की गई राँची शहर में मल एवं जल निकास परियोजना, 17 से अधिक (अगस्त 2022) वर्षों में पूरी नहीं की जा सकी और पूरा करने की समय सीमा सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक और उसके बाद जनवरी 2023 तक बढ़ा दी गई, जिससे परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य विफल हो गया। विभाग ने भी निविदा की शर्तों का उल्लंघन कर एक अनुभवहीन एवं अपात्र संवेदक को काम दे दिया, जिससे परियोजना की मुश्किलें और बढ़ गईं।

(कंडिका 3.1 एवं 3.2.3.1)

सलाहकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए भुगतान की गई ₹ 16.04 करोड़ की परामर्शी लागत बेकार साबित हुई क्योंकि डीपीआर ने परियोजना के क्षेत्र-I में इच्छित उद्देश्य को पूरा नहीं किया चूँकि नए संरेखण (नए अनुमानों के साथ) के निर्धारण के लिए एक नया सर्वेक्षण करना पड़ा। शेष तीन क्षेत्रों में किसी भी कार्य को लेने के लिए भी डीपीआर का उपयोग नहीं किया गया है तथा डीपीआर के अद्यतन/नए सर्वेक्षण के लिए निविदा प्रक्रियाधीन थी।

(कंडिका 3.2.1)

परियोजना के लिए राँची नगर निगम (राँ.न.नि.) की निविदा ने संवेदक (मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड (प्रमुख भागीदार) और मेसर्स विभोर वैभव प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम(जेवी)) हेतु पक्ष लिया। संवेदक के प्रमुख भागीदार के पास निविदा पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुभव एवं वित्तीय क्षमता नहीं थी और उसने निविदा की अर्हता प्राप्त करने के लिए जाली तथा मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

कार्य के निष्पादन के दौरान, संवेदक कार्य स्थल पर आवश्यक जनशक्ति और मशीनरी उपलब्ध कराने में विफल रहा, धीमी प्रगति की तथा दो बार (सितंबर 2018 और मार्च 2019) समय विस्तार दिए जाने के बावजूद एकपक्षीय रूप से काम बंद कर दिया। परिणामतः राँ.न.नि. ने अक्टूबर 2019 में अनुबंध समाप्त कर दिया।

(कंडिका 3.2.3.1)

संवेदक को 5 प्रतिशत के प्रावधान के विरुद्ध 15 प्रतिशत की दर से मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.93 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। मोबिलाइजेशन अग्रिम की ₹ 18 करोड़ की एक किश्त, बैंक गारंटी (बीजी)/अन्य दस्तावेज से सुरक्षित किए बिना प्रदान की गई। इस किश्त की बीजी संवेदक द्वारा अग्रिम भुगतान के 10 महीने बाद जमा की गई थी।

अन्य दो किश्तों की ₹ 36 करोड़ की राशि उन बीजी के एवज में दी गई जो एक ऐसी संस्था द्वारा जारी की गई थी जो बीजी जारी करने के लिए अधिकृत अनुसूचित या राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं था।

(कंडिका 3.2.3.3)

निष्पादन चरण के दौरान राँ.न.नि. ने संवेदक को अधिक भुगतान किया। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (₹ 4.22 करोड़) के सभी घटकों के रूपांकन एवं संरेखण जमा किए बिना चरणबद्ध भुगतान का पालन किए बिना सीवेज पम्पिंग स्टेशन (₹ 75.40 लाख) के लिए एकमुश्त भुगतान एवं नाली के काम (₹ 1.98 करोड़) के मदों के बढ़े हुए माप के कारण किए गए थे।

वर्षा जल नालों के आंशिक निष्पादन पर ₹ 47.93 लाख का व्यय व्यर्थ था क्योंकि खंड-खंड में निर्मित नालियों के हिस्से किसी भी नाली नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं थे और ये सेप्टिक टैंकों के अपशिष्ट जल से भरे हुए पाए गए। इन नालों का निर्माण सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूपांकन के अनुमोदन के बिना शुरू किया गया था और इन्हें तब से छोड़ दिया गया था।

(कंडिका 3.2.3.4)

हरमू नदी का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण

जून 2014 से मार्च 2022 की अवधि को आच्छादित करते हुए ***'हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण'*** पर अनुपालन लेखापरीक्षा से अधोलिखित अवलोकन सामने आए:

आईआईटी, मुंबई की सलाह के बावजूद राज्य सरकार ने परियोजना की योजना राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के दिशा-निर्देशों (जैसे, शहर स्वच्छता योजना की तैयारी, सीवेज उत्पादन की मात्रा आदि) के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं बनाई थी। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने एनआरसीपी के तहत केंद्रीय वित्त-पोषण के लिए राज्य के अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसकी राशि ₹ 55.03 करोड़ थी जिससे राज्य परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता से वंचित हो गया।

(कंडिका 4.2 एवं 4.2.1)

विभिन्न स्थानों पर हरमू नदी में समाप्त होने वाले 14 प्रमुख प्रवेशिकाओं के विरुद्ध केवल नौ प्रवेशिकाएँ सीवर नेटवर्क से जुड़ी थीं। दोषपूर्ण रूपांकन के कारण, शुष्क मौसम के दौरान भी सीवेज ले जाने वाले जुड़े प्रवेशिकाओं से प्रवाह नदी में गिरता पाया गया। शेष पाँच असंबद्ध प्रवेशिकाएँ सीधे नदी में सीवेज का निर्वहन कर रही थीं। इसके अलावा, सीवर नेटवर्क से जुड़े 56 छोटी प्रवेशिकाएँ भी नदी में सीवेज का निर्वहन कर रही थीं।

(कंडिका 4.4.1 एवं 4.5.2)

सीवरेज नेटवर्क केवल 22.15 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज को चैनलाइज़ करने के लिए रूपांकित किया गया था जबकि अनुमानित सीवेज उत्पादन (वर्ष 2048) 47.12 एमएलडी था जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई थी।

(कंडिका 4.5.2)

केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) संहिता का उल्लंघन करते हुए परियोजना को नदी के 22.59 वर्ग किमी के कुल जलग्रहण क्षेत्र के मुकाबले 8.49 वर्ग किमी के कम जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर रूपांकित किया गया था। अतिरिक्त जलग्रहण क्षेत्र से उत्पन्न अतिरिक्त सीवेज के उपचार के लिए आवश्यक 10.5 एमएलडी क्षमता के अतिरिक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण भूमि की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका।

(कंडिका 4.5.1 एवं 4.5.3)

11.50 एमएलडी की कुल क्षमता वाले स्वीकृत आठ एसटीपी के मुकाबले, 10 एमएलडी की कुल क्षमता वाले केवल सात एसटीपी, 10 एमएलडी की स्थापित क्षमता के बजाय प्रति दिन 2.898 एमएलडी सीवेज का संचालन एवं प्रसंस्करण कर रहे थे।

(कंडिका 4.6.2)

नदी के अनुप्रस्थ-काट को 100 साल के बजाय 25 साल की वापसी अवधि के लिए बाढ़ के निर्वहन के आधार पर अपवाह के गुणांक के कम मूल्य के साथ (15.45 मी^{2} और 33.25 मी^{2} के बीच) रूपांकित किया गया था। हालाँकि बाद में 50 वर्षों की वापसी अवधि के लिए बाढ़-प्रवाह के आधार पर कई अनुप्रस्थ-काट को चौड़ा किया गया (23.18 मी^{2} और 49.43 मी^{2} के बीच) परंतु नदी के प्रवाह-रूपांकन (मुक्तिधाम और सुवर्णरेखा नदी के साथ मिलन बिंदु के बीच) को वास्तविक प्रवाह की तुलना में कम करके आँका गया था। इसमें वास्तविक बाढ़-प्रवाह की स्थिति में नदी के संपूर्ण अनुप्रस्थ-काट को भारी क्षति का जोखिम है।

(कंडिका 4.5.4)

नदी के दोनों किनारों पर (10.4 कि॰मी॰) वर्षा जल निकास प्रणाली के निर्माण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था। नालों को गाद, मिट्टी एवं ठोस जमा आदि से अवरुद्ध किया गया था तथा ये नाले नदी में (अमरावती पुल और एसटीपी -5 के बीच) सीवेज का निर्वहन करते हुए पाए गए थे।

(कंडिका 4.6.3)

स्वच्छ जल के साथ नदी को एक जीवंत जल संपत्ति में बदलने का परियोजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। परियोजना के पूरा होने के बाद संवेदक द्वारा किए गए पानी की गुणवत्ता के परीक्षण से संकेत मिलता है कि नदी में सीवेज का पानी बह रहा था। मेकॉन लिमिटेड के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा आयोजित (अप्रैल 2022) हरमू नदी में बहने वाले पानी के गुणवत्ता परीक्षण से अन्य प्रदूषकों के बीच फ़िकल कोलीफॉर्म की उपस्थिति का पता चला।

(कंडिका 4.6.5)

परिचालन एवं अनुरक्षण (परि. एवं अनु.) गतिविधियों की सततता के उपायों की योजना नहीं बनाई गई थी। सात एसटीपी (कुल क्षमता 10 एमएलडी) के लिए सीवेज उठाने वाले पंपों के दैनिक संचालन के लिए आवंटित ₹ 6 लाख प्रति वर्ष के मुकाबले, जुडको प्रति वर्ष लगभग ₹ 33 लाख की दर से विद्युत शुल्क का व्यय कर रहा था। इसने अतिरिक्त सरकारी वित्तपोषण के बिना, परियोजना के परि. एवं अनु. को

असतत बना दिया। एनआरसीपी दिशा-निर्देशों में परिकल्पित परियोजना की सततता सुनिश्चित करने के लिए परि. एवं अनु. लागतों को पूरा करने के लिए राजस्व सृजन का पता नहीं लगाया गया था तथा यह मौजूद नहीं था।

(कंडिका 4.7)

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में सामग्री प्रबंधन एवं वस्तु-सूची नियंत्रण

2017-18 से 2020-21 की अवधि को आच्छादित करते हुए ***'झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में सामग्री प्रबंधन एवं वस्तु-सूची नियंत्रण'*** पर अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अवलोकन सामने आए:

वार्षिक बजट की समय पर तैयारी तथा अनुमोदन के संबंध में कार्य एवं क्रय नियमावली के प्रावधानों का कंपनी द्वारा पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निधियों के जारी करने एवं उपयोग में कमी आई। इस प्रकार जेबीवीएनएल उन कार्यों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सका जो राज्य में विद्युत वितरण के लिए सृजित परिसम्पत्तियों का उन्नयन करते।

(कंडिका 5.7.1)

कंपनी ने निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी की तथा क्रय-प्रक्रिया में झारखण्ड क्रय नीति (झा.क्र.नी.) के प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए यह स्थानीय एमएसई को लाभ नहीं दे सकी। अकुशल डीटी तथा उच्च हानि वाले डीटी की खरीद, नामांकन के आधार पर खरीद तथा परीक्षण एवं निरीक्षण किए बिना ही एसीएसआर कंडक्टर तथा पोल के क्रय से क्रय-प्रक्रिया प्रभावित हुई।

(कंडिका 5.8)

कंपनी ने भण्डारों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक पृथक चिन्हित भण्डार सुनिश्चित नहीं किया तथा भण्डारों का वार्षिक सत्यापन नहीं किया। वस्तु-सूची के लेखांकन में त्रुटियाँ थीं तथा विघटित सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण दोषपूर्ण थे। ट्रांसफार्मर मरम्मत वर्कशॉप के कार्य भी दोषपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने ट्रांसफार्मर के तेल तथा ख़राब हो चुके कॉइल का वसूली मानक सिद्धान्तों के अनुरूप सुनिश्चित नहीं किया। कंपनी स्क्रैप के निपटान तथा वस्तु-सूची के कुशल निरीक्षण एवं प्रबंधन हेतु एमआईएस विकसित करने में भी विफल रही।

(कंडिका 5.9)

पीएसएस के निर्माण कार्य अधूरे थे तथा इनके लिए क्रयित/जारी सामग्रियाँ बेकार पड़ी रहीं। कंपनी ख़त्म किए गए इकरारनामों से संबंधित सामग्रियों के वसूली एवं प्रयोग तथा जारी किए गए सामग्रियों का क्रियान्वित मात्रा से मिलान करने में विफल रही।

(कंडिका 5.10)

पृथक अवलोकन/कंडिकाएँ

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, राँची ने संवेदक को अंतरिम भुगतान करते समय समायोजन एवं वसूली करने में इकरारनामा की शर्तों का पालन नहीं किया। सुरक्षा जमा की ₹ 3.95 करोड़ की राशि समय से पूर्व वापस कर दिया गया तथा ₹ 11.17 करोड़ की राशि की वसूली/समायोजन, कार्य पूर्ण होने के पाँच वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं की जा सकी।

(कंडिका 6.1)

पहुँच पथ के लिए भूमि-अधिग्रहण किए बिना ही कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, राँची (ग्रामीण) द्वारा बुंडू-राहे मार्ग के भोरोंगडीह नाला पर पुल का काम शुरू करने के परिणामस्वरूप निर्मित पुल छः साल से अधिक समय से बेकार पड़ा रहा जिससे ₹ 1.24 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(कंडिका 6.2)

मुख्य अभियंता, केंद्रीय रूपांकन संगठन, पथ निर्माण विभाग ने मूल आकलन में शामिल किए जाने के बावजूद प्रारंभ में भूमि अधिग्रहण के प्रावधान को मंजूरी नहीं दिया। बाद में, विभागीय अभियंताओं ने संशोधित प्राक्कलन के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन में विलंब किया, जिससे बक्सा नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल-निर्माण आठ वर्ष से अधिक समय से अपूर्ण रहा एवं ₹ 97.04 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

(कंडिका 6.3)

अध्याय 2

'74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता'

पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2

नगर विकास एवं आवास विभाग

"74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और नगरपालिकाओं को शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने के लिए राज्य विधानसभाओं को अधिकृत किया, ताकि वे स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। अधिनियम ने राज्य विधानसभाओं को श.स्था.नि. को सौंपे जाने वाले 18 विशिष्ट कार्यों के संबंध में शक्तियों और उत्तरदायित्व के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करने के लिए भी अधिकृत किया।

'74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (74वें सं.सं.अ.) के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.) यह निर्धारित करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या: (i) श.स्था.नि. को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से सशक्त किया गया था (ii) अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए श.स्था.नि. के पास उपयुक्त संस्थागत तंत्र उपलब्ध थे और (iii) सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए श.स्था.नि. के पास पर्याप्त संसाधन थे।

झारखण्ड में 50 श.स्था.नि. थे (31 मार्च 2021 तक), जिनमें से निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए 10 श.स्था.नि. का चुनाव किया गया। 74वें सं.सं.अ. के अनुपालन में, तत्कालीन बिहार से विभाजन (नवंबर 2000) के बाद राज्य सरकार द्वारा चार राज्य वित्त आयोगों (रा.वि.आ.) का गठन किया गया था। पहले तीन रा.वि.आ. में, अध्यक्ष का पद 95 से 594 दिनों की अवधि के लिए रिक्त था, जबकि चौथे रा.वि.आ. (जुलाई 2019 में गठित) के अध्यक्ष की नियुक्ति (अक्टूबर 2022 तक) नहीं की गई थी। आगे, राज्य सरकार ने स्वीकृत पदों के अनुसार नियमित कार्यालय कर्मचारियों की पदस्थापना सुनिश्चित नहीं की थी। परिणामस्वरूप, दो रा.वि.आ. अर्थात, दूसरा रा.वि.आ. (जनवरी 2009 से जनवरी 2014 की अवधि के लिए) और तीसरा रा.वि.आ. (जनवरी 2014 से जनवरी 2019 की अवधि के लिए), 10 वर्षों की अवधि में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत नहीं कर सका। पहले रा.वि.आ. (जनवरी 2004 में गठित) की अनुशंसा (अप्रैल 2009) के आधार

पर, राज्य सरकार ने फरवरी 2012 में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम (झा.न.अ.), 2011 को अधिनियमित किया, जिसने नगरपालिकाओं को 18 निर्दिष्ट कार्यों को करने का अधिकार दिया। एक सहकार्यकारी निकाय यथा झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) की स्थापना भी शहरी बुनियादी ढाँचों के विकास के लिए जुलाई 2013 में की गई थी।

हालाँकि झा.न.अ., 2011 को अधिनियमित किया गया था, परंतु यह सभी कार्यों के हस्तांतरण और उपयुक्त संस्थागत तंत्र के निर्माण द्वारा समर्थित नहीं था। श.स्था.नि., 18 कार्यों में से 10 कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार थे जबकि मानवबल, तकनीकी विशेषज्ञता और अन्य संसाधनों की कमी के कारण दो कार्यों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और छः कार्यों में आंशिक भूमिका थी। 15 श.स्था.नि. में (i) उनके पर्षद को भंग करने या (ii) राज्य सरकार द्वारा श.स्था.नि. के गठन की अधिसूचना जारी करने के बाद भी 18 से 50 महीनों तक चुनाव नहीं कराए गए थे। 2015-16 से 2019-20 के दौरान चार से 14 शहरी स्थानीय निकाय उन शहरी स्थानीय निकायों में समय पर चुनाव नहीं कराए जाने के कारण 14वें वित्त आयोग के ₹ 253.46 करोड़ के अनुदान से वंचित हो गए। नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. में से क्रमशः दो और छः श.स्था.नि. में स्थायी समिति एवं वार्ड समिति का गठन नहीं किया गया था। नमूना-जाँचित चार नगर निगमों में विषय समितियों का भी गठन नहीं किया गया था। यद्यपि जिला योजना समितियों का गठन किया गया था, इसने श.स्था.नि. से सूचनाएँ प्राप्त कर प्रारूप विकास योजनाएँ तैयार नहीं की, जैसा कि परिकल्पित था। श.स्था.नि. कर्मचारियों की भारी कमी का भी सामना कर रहे थे। सहकर्यकारी निकाय झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) ने शहरी बुनियादी ढाँचों के निर्माण के लगभग 98 प्रतिशत विकास निधि सीधे नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), झारखण्ड सरकार से प्राप्त किया और इस तरह जुडको द्वारा क्रियान्वित कार्यों के वित्तपोषण और निगरानी में श.स्था.नि. की अधिक भूमिका नहीं थी।

श.स्था.नि. के संसाधनों में वृद्धि के लिए झा.न.अ. के तहत उल्लिखित नौ प्रकार के करों में से श.स्था.नि. केवल तीन प्रकार के करों का संग्रह कर रहे थे क्योंकि राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाने में विफल रही। श.स्था.नि. ने मार्च 2021 तक करों और उपयोगकर्ता शुल्क की दरों में संशोधन नहीं किया था, हालाँकि झा.न.अ, 2011 के अनुसार तीन से पाँच वर्ष के भीतर इन्हें संशोधित किया जाना था।वे अपने स्थापना संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए भी काफी हद तक केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता पर निर्भर थे। आगे, वे या तो वार्षिक बजट तैयार किए बगैर

या अवास्तविक बजट तैयार कर व्यय कर रहे थे क्योंकि वास्तविक प्राप्तियाँ एवं व्यय, बजट प्राप्तियाँ एवं व्यय की तुलना में क्रमश: 72 प्रतिशत और 67 प्रतिशत कम थीं। वे अपने पास उपलब्ध निधि का केवल 24 से 47 प्रतिशत ही उपयोग कर सके। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान 10 नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में संपत्ति कर और जल उपयोगकर्ता शुल्क की संग्रहण क्षमता कुल माँग की तुलना में क्रमशः 23 और आठ प्रतिशत थी। नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. में एकत्रित ठोस अपशिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क और जल उपयोगकर्ता शुल्क परिचालन एवं अनुरक्षण/संग्रह लागत को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यद्यपि श.स्था.नि. के लेखों की जाँच और लेखापरीक्षा के लिए नवंबर 2014 में स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के निदेशक का कार्यालय स्थापित किया गया था, कर्मचारियों की कमी तथा विशिष्ट नियमों एवं विनियमों के अभाव के कारण यह उचित रूप से कार्य नहीं कर सका।

इस प्रकार, 74वें सं.सं.अ. के उद्देश्य, अर्थात सौंपे जाने वाले 18 चिन्हित कार्यों के संबंध में शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना की प्राप्ति नहीं हुई थी।

जवाब में, सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए गए मुद्दों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (सं.सं.अ.) में परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय शुरू किए जाएंगे।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि:

- *श.स्था.नि. का चुनाव यथाशीघ्र आयोजित किया जा सकता है और प्रमुख समितियों जैसे वार्ड समितियों, स्थायी समितियों और विषय समितियों का गठन सुनिश्चित किया जा सकता है*

- *जिला योजना समितियाँ, श.स्था.नि. के मंतव्यों के साथ, मसौदा विकास योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित कर सकती हैं*

- *राज्य वित्त आयोग को पूर्णकालिक अध्यक्ष, सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ मजबूत किया जा सकता है*

- *श.स्था.नि. को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता जैसे, कुशल मानवबल और अन्य संसाधन प्रदान की जा सकती है*

- *सभी प्रकार के नगरपालिका करों के आरोपण एवं संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियम बनाए जा सकते हैं*
- *श.स्था.नि. के लिए अलग लेखों का संकलन और सभी श.स्था.नि. द्वारा वास्तविक बजट तैयार करना सुनिश्चित किया जा सकता है*
- *सरकार को उपयोगकर्ता शुल्कों के सुचारू संग्रहण के साथ श.स्था.नि के संसाधनों को बढ़ाने के लिए करों और उपयोगकर्ता शुल्कों की दरों में संशोधन सुनिश्चित करना चाहिए; तथा*
- *निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा श.स्था.नि. का नियमित लेखापरीक्षा किया जा सकता है।*

2.1 परिचय

2.1.1 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम

संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 (74वाँ सं.सं.) जो 1 जून 1993 को लागू हुआ, द्वारा संविधान में एक नया भाग अर्थात भाग IX अ (नगरपालिकाएँ) को शामिल कर शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि) को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों तथा 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों, जहाँ श.स्था.नि को सौंपे जाने वाले 18 विशिष्ट कार्यों का विवरण है जैसा कि ***कंडिका 2.3.1*** में चर्चा की गई है, के संबंध में शक्तियों तथा जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू ने राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने के लिए अधिकृत किया।

2.1.2 झारखण्ड में शहरीकरण की प्रवृत्ति

2011 की जनगणना के अनुसार, झारखण्ड में शहरी क्षेत्रों में 79.33 लाख लोग (कुल जनसंख्या 3.29 करोड़ का 24 प्रतिशत) रहते हैं। 2001-2011 के दशक में शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर 32.36 प्रतिशत थी। आगे, वर्ष 2011-21 के दशक में, जनगणना के जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार राज्य की शहरी आबादी, 25.27 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मार्च 2021 तक 99.38 लाख अनुमानित थी। इस परिदृश्य में, शहरी झारखण्ड के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलापूर्ति, गरीबी उन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर श.स्था.नि की महत्वपूर्ण भूमिका है।

2.1.3 शहरी स्थानीय निकाय की रूपरेखा

झारखण्ड में 31 मार्च 2021 को उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत 50 श.स्था.नि थे जैसा कि **तालिका 2.1** में दिखाया गया है।

तालिका 2.1: झारखण्ड में श्रेणीवार श.स्था.नि

श्रेणी	नामकरण		जनसंख्या	श.स्था.नि. की संख्या
वृहद् शहरी क्षेत्र	नगर निगम (न.नि.)		1.5 लाख एवं अधिक	09
लघु शहरी क्षेत्र	नगर परिषद (न.प.)	वर्ग 'अ'	एक लाख एवं अधिक तथा 1.5 लाख से कम	01
		वर्ग 'व'	0.40 लाख एवं अधिक तथा एक लाख से कम	19
परिवर्ती क्षेत्र	नगर पंचायत (न.पं.)		0.12 लाख एवं अधिक तथा 0.40 लाख से कम	20
	अधिसूचित क्षेत्र समिति			01
कुल				**50**

स्रोत: *झा.न.अ, 2011 तथा न.वि. एवं आ.वि. का वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21*

श.स्था.नि झारखण्ड नगर अधिनियम (झा.न.अ.), 2011 द्वारा शासित होते हैं। प्रत्येक श.स्था.नि को वार्डों में विभाजित किया गया है, जिन्हें पार्षदों के चुनाव के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर को छोड़कर सभी श.स्था.नि का एक निकाय यानि परिषद है, जो पार्षद और अन्य सदस्य से मिलकर बनता है। जमशेदपुर में अ.क्षे.स. का दैनिक संचालन नगर विकास और आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), झारखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष पदाधिकारी द्वारा देखा जाता है। इसके अलावा, गोमिया नगर परिषद को सितंबर 2018 में अधिसूचित किया गया था एवं दिसंबर 2020 में इसकी अधिसूचना रद्द किए जाने तक यह कार्यशील रहा।

2.1.4 संगठनात्मक संरचना

श.स्था.नि. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। नगर प्रशासन निदेशालय (न.प्र.नि) न.वि. एवं आ.वि. और श.स्था.नि के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में सुधार के लिए मई 2008 में गठित राज्य नगरीय विकास एजेंसी (सुडा) वर्तमान में कुछ केन्द्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन, घरों का सर्वेक्षण, संपत्ति कर, जल उपयोगकर्ता शुल्क एवं अन्य नगरपालिका करों का आकलन और संग्रहण करती है।

नगर निगम में नगर आयुक्त और नगर परिषद तथा नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और उनके पास झा.न.अ., 2011 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन श.स्था.नि के प्रशासन को चलाने के लिए कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं।

जनता द्वारा निर्वाचित मेयर/अध्यक्ष परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्य में श.स्था.नि के कार्यकाज के संबंध में संगठनात्मक संरचना को **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: संगठनात्मक संरचना / संगठनात्मक-चित्र

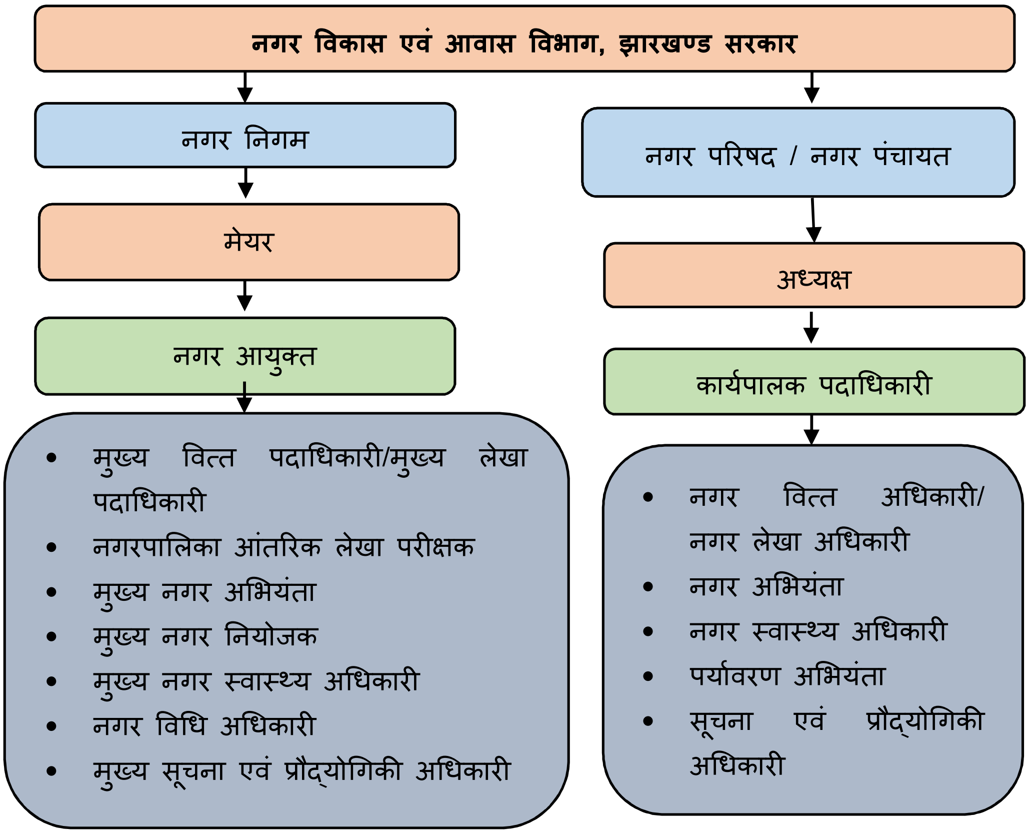

इसके अलावा, जुलाई 2013 में स्थापित झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) एक सहकार्यकारी संस्था है जो शहरी बुनियादी ढाँचों के निर्माण में न.वि. एवं आ.वि. को सुविधा प्रदान करता है।

2.1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.) का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- क्या राज्य सरकार द्वारा श.स्था.नि को उपयुक्त रूप से गठित संस्थानों/संस्थागत तंत्रों की स्थापना के माध्यम से अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने का अधिकार दिया गया है;
- कथित रूप से सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में श.स्था.नि. की प्रभावशीलता विकसित की गई है; तथा
- क्या श.स्था.नि. को कथित रूप से सौंपे गए कार्यों के निर्वहन हेतु पर्याप्त संसाधनों तक पहुँच के लिए सशक्त किया गया है।

2.1.6 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- संवैधानिक (चौहत्तरवाँ) संशोधन अधिनियम, 1992 (74वाँ सं.सं.अ.);
- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम (झा.न.अ.) 2011;
- झारखण्ड नगरपालिका लेखा नियमावली (झा.न.ले.नि.), 2012 और उसके तहत प्रावधान;
- झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012
- केंद्रीय/राज्य वित्त आयोगों के प्रतिवेदन; तथा
- समय-समय पर जारी किए गए राज्य सरकार के आदेश, अधिसूचनाएँ, परिपत्र और निर्देश।

2.1.7 लेखापरीक्षा का क्षेत्र, विस्तार एवं कार्यप्रणाली

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए, अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान, न.वि. एवं आ.वि. तथा चयनित श.स्था.नि में "74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (सं.सं.अ.) के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.) आयोजित की गई। 50 श.स्था.नि. में से 10 श.स्था.नि. अर्थात नौ नगर निगमों में से चार[1], 20 नगर परिषदों में से तीन[2] और 20 नगर पंचायतों में से तीन[3] का चयन 2011 की जनगणना के जनसंख्या के आधार पर सरल याद्दच्छिक नमूनाकरण विधि से किया गया। प्रश्नावली एवं प्रारूप जारी कर तथा संचिका के अध्ययन के माध्यम से साक्ष्य एकत्र किए गए। लेखापरीक्षा पद्धति में दस्तावेजों का विश्लेषण और लेखापरीक्षा पृच्छाओं के उत्तर शामिल थे।

शक्तियों के हस्तांतरण की स्थिति की समीक्षा करने हेतु संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 कार्यों में से, दो कार्यों अर्थात (i) जल आपूर्ति तथा (ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का चयन श.स्था.नि द्वारा इन कार्यों की जिम्मेवारी के निर्वहन करने हेतु श.स्था.नि के संसाधनों तथा क्षमताओं की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए किया गया था। केंद्रीय वित्त आयोग (के.वि.आ.)/राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन तथा झा.न.अ., 2011 के प्रावधानों का विश्लेषण भी श.स्था.नि के पास उपलब्ध

---

1 *देवघर, धनबाद, मेदिनीनगर एवं राँची।*

2 *गोड्डा, फुसरो एवं सिमडेगा।*

3 *बासुकीनाथ, हुसैनाबाद एवं खुँटी।*

नगरपालिका के स्रोतों यथा नगरपालिका कर और उपयोगकर्ता शुल्क का आकलन के लिए करने किया गया।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. के साथ 31 अगस्त 2021 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के क्षेत्र, कार्यप्रणाली, उद्देश्य और मापदंड पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा अवलोकनों पर चर्चा करने के लिए सचिव, न.वि. एवं आ.वि. के साथ 22 अगस्त 2022 को एक निकास सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। निकास सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा व्यक्त किए गए विचार, अगस्त 2022 में प्रस्तुत उत्तरों के साथ, प्रतिवेदन में उपयुक्त रुप से शामिल किए गए हैं।

2.2 शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत तंत्र

राज्य सरकार ने फरवरी 2012 में झा.न.अ., 2011 को अधिनियमित करते हुए 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 कार्यों को करने के लिए नगरपालिकाओं को अधिकार दिया। इन कार्यों का निर्वहन तभी प्रभावी हो सकता है जब उपयुक्त संस्थान स्थापित हों। 74वें सं.सं.अ. ने नगरपालिकाओं की संरचना और संस्थागत तंत्र के संबंध में कुछ प्रावधान तय किए। राज्य सरकार ने इन प्रावधानों को झा.न.अ., 2011 के अंतर्गत लाया जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: 74 वें सं.सं.अ. के प्रावधानों के साथ राज्य स्तरीय विधानों की तुलना

74वें सं.सं.अ के तहत किए गए प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आवश्यकता	झा.न.अ., 2011 में समान प्रावधान
अनुच्छेद 243क्यू	<u>नगरपालिकाओं का गठन</u>: तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ अर्थात् परिवर्ती क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, एक लघु शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद और एक वृहद् शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम।	धारा 3
अनुच्छेद 243आर	<u>नगरपालिकाओं की संरचना</u>: नगरपालिका में सभी सीट प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाते हैं और नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति सरकार द्वारा नामित। किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा, संसद और विधान सभा के सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र में स्थित हैं और राज्य परिषद और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो शहर के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं, को प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकते हैं।	धारा 15, 16 तथा 26
अनुच्छेद 243एस	<u>वार्ड समिति का गठन और संरचना</u>: यह तीन लाख या उससे अधिक की आबादी वाली सभी नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान करती है।	धारा 34
अनुच्छेद 243टी	<u>सीटों का आरक्षण</u>: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें सीधे चुनाव द्वारा भरे जाने हैं।	धारा 16
अनुच्छेद 243यू	<u>नगरपालिकाओं की अवधि</u>: नगरपालिका की पहली बैठक की तारीख से पाँच साल का एक निश्चित कार्यकाल है और कार्यकाल के समाप्ति के छः महीने के भीतर फिर से चुनाव होना है।	धारा 20
243आई के साथ पठित अनुच्छेद 243वाई	<u>वित्त आयोग</u>: राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए वित्त आयोग का गठन करेगी: नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और ऐसे कदम उठाने जो नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करें। राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले करों, शुल्कों, टोल और शुल्कों की शुद्ध	धारा 97

74वें सं.सं.अ के तहत किए गए प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आवश्यकता	झा.न.अ., 2011 में समान प्रावधान
	आय का राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण करना। राज्य की संचित निधि से राज्य में नगर निकायों को निधियों का आवंटन।	
	राज्यपाल इस अनुच्छेद के तहत आयोग द्वारा की गई प्रत्येक अनुशंसा पर कृत कार्रवाई को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के रूप में राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे।	झा.न.अ., 2011 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
अनुच्छेद 243 जेडडी	जिला योजना के लिए समिति: जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन। जिला योजना समितियों की संरचना। विकास योजना का प्रारूप तैयार कर सरकार को अग्रसारित किया जाना।	धारा 383
अनुच्छेद 243जेडई	महानगरीय योजना समिति: 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में महानगरीय योजना समिति (म.यो.स.) के गठन का प्रावधान।	धारा 384

स्रोत: 74वां सं.सं.अ तथा झा.न.अ., 2011

74वें सं.सं.अ और झा.न.अ., 2011 में उद्धृत प्रावधानों तथा झारखण्ड में नगरपालिकाओं के संस्थागत तंत्र की तुलनात्मक चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.2.1 नगरपालिकाओं का गठन

संविधान के अनुच्छेद 243क्यू के तहत शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.) को एक स्वशासकीय संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। झा.न.अ., 2011 की धारा 3 के अनुसार, राज्य सरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, ऐसे क्षेत्र में कृषि गतिविधियों के इतर रोजगार का प्रतिशत, ऐसे क्षेत्र का आर्थिक महत्व आदि को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र[4] को एक वृहद् शहरी क्षेत्र (नगर निगम), या एक छोटा शहरी क्षेत्र (नगर परिषद), या एक परिवर्ती क्षेत्र (नगर पंचायत) घोषित कर सकती है। झा.न.अ., 2011 की धारा 14 के तहत, राज्य सरकार आवश्यकतानुसार मौजूदा नगरपालिकाओं की समीक्षा करेगी और परिनगरीय क्षेत्रों और मौजूदा श.स्था.नि. की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनका उन्नयन करेगी।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने दो नगर परिषदों (गिरिडीह और मेदिनीनगर) और एक अधिसूचित क्षेत्र समिति (मानगो) को नगर निगमों (अगस्त 2017 और सितंबर 2017 के बीच) के रूप में, मौजूदा जुगसलाई

[4] *बशर्ते कि स्थानीय क्षेत्र ने महत्व तथा शहरी विशेषताओं जैसे बाजार सुविधाओं की उपलब्धता, स्थापित उद्योग या उद्योगों या वाणिज्य या शिक्षा को आकर्षित करने की क्षमता को अर्जित कर लिया हो। स्वास्थ्य देखभाल या आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए ऐसी अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी विचार किया जा सकता है।*

नगरपालिका को नगर परिषद (अगस्त 2017) के रूप में तथा सात[5] नये नगर पंचायतों (अगस्त 2016 से सितंबर 2018 के बीच) को अधिसूचित किया।

2.2.2 चुनाव एवं परिषदों का गठन

झा.न.अ 2011 की धारा 20 के साथ पठित 74वें सं.सं.अ. का अनुच्छेद 243यू (3)(ए) नगरपालिकाओं के लिए अपनी पहली बैठक की तारीख से पाँच साल का एक निश्चित कार्यकाल निर्धारित करता है। नए श.स्था.नि. की अधिसूचना और मौजूदा श.स्था.नि. के विघटन के मामले में ऐसी अधिसूचना या विघटन की तारीख से छः महीने के भीतर चुनाव होंगे।

- राज्य निर्वाचन आयोग (रा.नि.आ.) ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान महापौरों, उप-महापौरों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों के लिए चुनाव करवाया (मार्च और अप्रैल 2018) और 34 श.स्था.नि.[6] में परिषदों का गठन किया।

- एक नव निर्मित (29 अगस्त 2016) नगर पंचायत (बरहरवा) में चुनाव अधिसूचना की तारीख से छः महीने के भीतर कराने के बजाय 18 महीने बाद (अप्रैल 2018) कराया गया।

- आठ श.स्था.नि.[7] जिनका कार्यकाल जून 2020 में समाप्त होना था, में चुनाव मई-जून 2020 में प्रस्तावित थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रा.नि.आ. द्वारा चुनाव स्थगित (मई 2020) कर दिया गया । इस प्रकार, इन श.स्था.नि. में चुनाव दिसंबर 2021 तक 18 महीने से अधिक समय से लंबित थे। इन श.स्था.नि. में, नगर आयुक्तों / कार्यकारी अधिकारियों को झा.न.अ, 2011 के धारा 16 (8) के तहत श.स्था.नि., की शक्ति और कार्यों का प्रयोग करने के लिए प्रशासक के रूप में अधिसूचित (जून 2020) किया गया था ।

- पाँच[8] नवसृजित (अप्रैल 2018 और सितंबर 2018 के बीच) नगर पंचायतों में, चुनाव उनकी अधिसूचना की तारीख से दिसंबर 2021 तक 39 से 44 महीनों से अधिक समय से लंबित थे। इन श.स्था.नि. के लिए चुनाव मई-जून 2020 में प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रा.नि.आ. द्वारा स्थगित (मई 2020) कर दिए गए। हाँलाकि, महामारी के पहले चुनाव संपन्न नहीं कराने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

---

[5] *बचरा, बड़की सरैया, बड़हरवा, धनवार, डोमचांच, हरिहरगंज एवं महगामा*

[6] *पाँच नगर निगम, 16 नगर परिषद एवं 13 नगर पंचायत*

[7] *तीन नगर निगम (चास, देवघर और धनबाद), तीन नगर परिषद (बिश्रामपुर, चक्रधरपुर और झुमरी तिलैया) और दो नगर पंचायत (कोडरमा और मझियाओं)*

[8] *बचरा, बड़की सरैया, धनवार, हरिहरगंज और महगामा।*

- दो श.स्था.नि. मानगो और जुगसलाई को क्रमशः नगर निगम और नगर परिषद के रूप में अधिसूचित (अगस्त 2017) किया गया था, लेकिन दिसंबर 2021 तक 50 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं करवाए जा सके क्योंकि आरक्षित सीटों की पहचान के लिए इन श.स्था.नि. में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, अनुदान विधिवत रूप से गठित श.स्था.नि., यानि जहाँ चुनाव हुए थे तथा निर्वाचित निकाय मौजूद थे, को ही जारी किया जाना था। अनुदान शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या (90 प्रतिशत) और क्षेत्रफल (10 प्रतिशत) के अनुपात में जारी किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान चार से 14 श.स्था.नि. 14वें वित्त आयोग के ₹ 253.46 करोड़[9] के राशि के अनुदान से वंचित हो गए, क्योंकि इन श.स्था.नि. में चुनाव नहीं हुए थे।

इस प्रकार, 15 श.स्था.नि. में चुनाव, 18 से 50 महीने से अधिक समय से लंबित थे तथा प्रशासक या विशेष अधिकारी इन श.स्था.नि. के कार्यों को देख रहे थे। इसके अतिरिक्त, समय पर चुनाव नहीं कराए जाने के कारण शहरी स्थानीय निकाय 14वें वित्त आयोग के ₹ 253.46 करोड़ के राशि के अनुदान से वंचित हो गए।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा (अगस्त 2022) कि 15 श.स्था.नि. में जल्द चुनाव के लिए विभाग/रा.नि.आ. द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।

2.2.3 नगरपालिकाओं की संरचना

झा.न.अ., 2011 की धारा 15 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243 आर के अनुसार, एक नगरपालिका में निर्वाचित पार्षद, सह-चयनित सदस्य[10] और पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्य (विधायक) एवं संसद सदस्य (सांसद) शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. में पार्षदों ने नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले सदस्यों और अल्पसंख्यक समुदाय से

---

[9] *2015-16: 4 श.स्था.नि. - ₹ 28.61 करोड़, 2016-17: 8 श.स्था.नि. - ₹ 46.03 करोड़, 2017-18: 9 श.स्था.नि. - ₹ 50.16 करोड़, 2018-19: 14 श.स्था.नि. - ₹ 63.61 करोड़, 2019-20: 8 श.स्था.नि. - ₹ 65.05 करोड़, (जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर संगणित)*

[10] *नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले महिला सहित सदस्य तथा परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को वरीयता के साथ महिला सहित सदस्य, पार्षदों द्वारा सह-चयनित किया जाता है। सह-चयनित सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता।*

संबंधित सदस्यों का सह-चयन, जैसा कि झा.न.अ., 2011 में उल्लिखित है, नहीं किया।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा (अगस्त 2022) कि नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले सदस्यों और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सदस्यों का सह-चयन के लिए श.स्था.नि. को निर्देशित किया जाएगा।

2.2.4 चुनाव में सीटों का आरक्षण

संविधान के अनुच्छेद 243टी में प्रत्यक्ष चुनावों में अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), महिला और पिछड़ा वर्ग (पि.व.) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली (जेएमइए), 2012 के नियम 5 के साथ पठित झा.न.अ., 2011 की धारा 16 में प्रावधान है कि प्रत्येक परिषद में, जितना निकटतम संभव हो सके जो कुल निर्वाचित सदस्यों के सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, अ.जा., अ.ज.जा पि.व. एवं महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। आरक्षण उस नगरपालिका में अ.जा., अ.ज.जा और पि.व. की आबादी के आधार पर दिया जाना था। सीटों के आरक्षण में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकता क्रमशः अ.जा., अ.ज.जा. और पिछड़ा वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना था, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए शामिल हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पार्षदों के चुनाव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व सहित आरक्षण मानदंड का पालन किया गया था। उदाहरण के लिए, अप्रैल 2018 में हुए चुनाव में सिमडेगा के 20 वार्डों में से अ.जा. के लिए 4.48 प्रतिशत आबादी के विरुद्ध एक सीट/वार्ड आरक्षित थी, जबकि अ.ज.जा. के लिए 46.39 प्रतिशत की आबादी के विरुद्ध महिलाओं के लिए चार सीटें/वार्ड सहित कुल नौ सीटें/वार्ड आरक्षित थीं और शेष 10 सीटें अन्य (अनारक्षित) के लिए थे, जिनमें से महिलाओं के लिए पाँच सीटें/वार्ड शामिल थे। पि.व. के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं हुई क्योंकि अ.जा. और अ.ज.जा. को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय प्राथमिकता देते हुए 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पूरी हो गई थी।

2.2.5 प्रमुख समितियाँ

2.2.5.1 स्थायी समिति

झा.न.अ., 2011 की धारा 24 के अनुसार, श.स्था.नि. को स्थायी समिति गठित करने की आवश्यकता है जिसमें (अ) नगर निगम के मामले में महापौर, उप महापौर

और क्षेत्रीय समितियों[11] के अध्यक्ष (ब) नगर परिषद के मामले में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और परिषद द्वारा चुने जाने वाले पाँच निर्वाचित पार्षद और (स) नगर पंचायत के मामले में अध्यक्ष; उपाध्यक्ष और परिषद द्वारा चुने जाने वाले तीन निर्वाचित पार्षद शामिल होते हैं। समिति के कार्यों में बजट के साथ-साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उन पर कृत कार्रवाई पर विचार करना शामिल है। महापौर/अध्यक्ष स्थायी समिति के पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य करेंगे और नगर आयुक्त/कार्यपालक अधिकारी समिति के प्रस्तावों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

लेखापरीक्षा ने 10 नमूना-जाँचित श.स्था.नि में स्थायी समितियों का गठन नहीं किया जाना अथवा गठन में विलम्ब पाया जैसा कि **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: स्थायी समितियों के गठन की स्थिति

क्र. सं	श.स्था.नि का नाम	बोर्ड की अवधि	स्थायी समिति के गठन की तिथि	वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान बैठकों की संख्या
1	देवघर न.नि.	2015-16 से 2019-20	09/04/2016	07
2	धनबाद न.नि.	2015-16 से 2019-20	01/07/2015	31
3	खूँटी, न.प.	2013-14 से 2017-18	गठित नहीं	
		2018-19 से 2022-23	12/02/2021	01
4	मेदनीनगर न.नि.	2013-14 से 2017-18	गठित नहीं	
		2018-19 से 2022-23	01/03/2019	05
5	फुसरो न.परि.	2013-14 से 2017-18	तिथि उपलब्ध नहीं	11
		2018-19 से 2022-23	01/07/2019	
6	राँची न.नि.	2013-14 से 2017-18	02/12/2013	04
		2018-19 से 2022-23	10/09/2018	05
7	सिमडेगा न.परि.	2013-14 से 2017-18	गठित नहीं	
		2018-19 से 2022-23	30/07/2018	02
8	हुसैनाबाद न.पं.	2013-14 से 2017-18	गठित नहीं	
		2018-19 से 2022-23	26/06/2021	शून्य
9	बासुकीनाथ न.पं.	2013-14 से 2017-18 एवं	गठित नहीं	
10	गोड्डा न.परि.	2018-19 से 2022-23		

***स्रोत:** नमूना-जाँचित श.स्था.नि.द्वारा प्रदत्त सूचना*

तालिका 2.3 से यह देखा जा सकता है कि स्थायी समिति का गठन दो श.स्था.नि (बासुकीनाथ और गोड्डा) में बिल्कुल नहीं किया गया था, जबकि चार श.स्था.नि (खूँटी, मेदिनीनगर, सिमडेगा और हुसैनाबाद) में एक कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए इनका गठन नहीं किया गया था। वित्तीय वर्षों 2018-19 से

[11] झा.न.अ. 2011 की धारा 49 के तहत सरकार द्वारा क्षेत्रीय समितियों का गठन किया जाना है, जिसमें नगर निगम के भीतर जितने वार्ड अधिसूचित हैं उनके प्रादेशिक क्षेत्र शामिल होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय समिति में कम से कम पाँच निकटवर्ती वार्ड शामिल होंगे। क्षेत्रीय समितियों की शक्ति और कार्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

2022-23 के कार्यकाल के लिए दो श.स्था.नि (खूँटी और हुसैनाबाद) में स्थायी समिति के गठन में 32 से 37 माह की देरी भी देखी गई। नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में स्थायी समिति के न होने की दशा में उनके कार्य नगरपालिका बोर्ड के द्वारा किये जा रहे थे।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा (अगस्त 2022) कि श.स्था.नि. को स्थायी समिति के गठन हेतु निर्देशित (जून 2022) किया गया था।

2.2.5.2 वार्ड समिति

संविधान का अनुच्छेद 243एस तीन लाख या अधिक की आबादी वाली नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान करता है। हालाँकि, झा.न.अ, 2011 की धारा 34 के अनुसार, नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए वार्ड समिति[12] का गठन किया जाना है, जो परिषद की कार्यकाल अवधि के साथ सह-कार्यकारी होगी। झा.न.अ., 2011 की धारा 381 के तहत, समितियों को अनुमानित व्यय दिखाते हुए वार्षिक विकास योजना तैयार करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में से दो (धनबाद एवं राँची) की जनसंख्या तीन लाख से अधिक थी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के कार्यावधि के लिए धनबाद के 55 वार्डों में से चार में वार्ड समितियों का गठन किया गया था, जबकि 2013-14 से 2017-18 तथा 2018-19 से 2022-23 के कार्यावधि के लिए राँची में, जहाँ 53 वार्ड थे, ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई थी । इसके अलावा, 56 वार्डों वाले दो नमूना-जाँचित श.स्था.नि. (देवघर: 36 और सिमडेगा: 20) में 41 वार्ड समितियों (देवघर: 36 और सिमडेगा: 5) का गठन किया गया था, जबकि नमूना-जाँचित छ:[13] श.स्था.नि. के 131 वार्डों में कोई वार्ड समिति नहीं थी। इस प्रकार, स्थानीय शासन में सामुदायिक भागीदारी उद्देश्य विफल हो गया। नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में वार्ड समितियों के कार्यों का संचालन पार्षदों द्वारा किया जा रहा था।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि श.स्था.नि. को वार्ड समितियों का गठन करने के लिए निर्देशित (जून 2022) किया गया था।

---

[12] *वार्ड के पार्षद, क्षेत्र सभा प्रतिनिधि और परिषद द्वारा नामित वार्ड से नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले दस से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हों, से मिलकर बना हो।*

[13] *बासुकीनाथ: 12, गोड्डा: 21, खूँटी: 19, हुसैनाबाद: 16, मेदिनीनगर: 35 और फुसरो: 28।*

2.2.5.3 विषय समिति

झा.न.अ., 2011 की धारा 46 के अनुसार, एक नगर निगम या एक वर्ग-ए नगर परिषद[14], समय-समय पर, निर्वाचित पार्षदों[15] से मिलकर बने हुए विषय समितियों का गठन (क) जलापूर्ति (ख) जल निकासी एवं सीवरेज (ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (घ) शहरी पर्यावरण प्रबंधन और भूमि उपयोग नियंत्रण (च) गरीबी और स्लम सेवाएँ (छ) शिक्षा और स्वास्थ्य और (ज) अनु.जाति, अनु.जनजाति, पिछड़ी जाति, महिलाओं और बच्चों के कल्याण से संबंधित मामलों के निपटान के लिए कर सकती है। प्रत्येक विषय समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जाँचित चार नगर निगमों (धनबाद, देवघर, मेदिनीनगर एवं राँची) में से किसी में भी विषय समितियों का गठन नहीं किया गया था। ऐसी समितियों के अभाव में नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में इन विषयों पर निर्णय नगर निगम बोर्ड द्वारा लिए गए थे।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि श.स्था.नि. को विषय समितियों का गठन करने के लिए निर्देशित (जून 2022) किया गया था।

2.2.6 जिला और महानगर योजना समिति

संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी और 243 जेडई के अनुसार, राज्य सरकार को जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति (जि.यो.स.) का गठन करना है ताकि जिले में स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित किया जा सके और पूरे जिले के लिए एक प्रारुप विकास योजना (प्रा.वि.यो.) तैयार की जा सके। महानगरीय क्षेत्र के लिए एक प्रा.वि.यो. तैयार करने के लिए प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति (म.यो.स.) का गठन करना भी आवश्यक है। झा.न.अ., 2011 की धारा 383 और 384 में कहा गया है कि जि.यो.स और म.यो.स पंचायत और नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हित[16] के मामलों के संबंध में एक व्यापक प्रा.वि.यो तैयार करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि नमूना-जाँचित श.स्था.नि. से संबंधित सभी जिलों में जि.यो.स. मौजूद थी, परन्तु उन्होंने समेकित प्रा.वि.यो. बनाने के लिए संबंधित

---

[14] *स्थानीय निकाय जिसकी जनसंख्या एक लाख एवं अधिक तथा एक लाख पचास हजार से कम हो।*

[15] *नगर निगम के मामले में सात सदस्य और वर्ग 'ए' नगर परिषद के मामले में पाँच सदस्य।*

[16] *स्थानिक योजना; पानी और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बँटवारा; बुनियादी ढाँचों का एकीकृत विकास; पर्यावरण संरक्षण; और उपलब्ध संसाधनों की सीमा और प्रकार, चाहे वित्तीय हो या अन्य।*

श.स्था.नि. से योजना समर्पित करने को नहीं कहा था। इसके अलावा, नमूना-जाँचित दो श.स्था.नि. (धनबाद और राँची) की आबादी दस लाख से अधिक थी जो एक महानगरीय शहर की स्थिति को दर्शाती है। हालाँकि, इन दोनों को म.वि.यो. के गठन के लिए महानगर के रूप में अभी तक अधिसूचित किया जाना बाकी था।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि जि.यो.स./श.स्था.नि. को म.वि.यो. के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। हालाँकि, राँची और धनबाद नगर निगमों के लिए म.वि.यो. की अधिसूचना जारी करने पर बाद में विचार किया जाएगा।

2.2.7 राज्य वित्त आयोग

संविधान के अनुच्छेद 243 वाई में प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल, अधिनियम के लागू होने से एक वर्ष के भीतर और उसके पश्चात, प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए तथा राज्य एवं श.स्था.नि. के बीच करों, शुल्कों आदि के वितरण, करों, शुल्कों आदि के निर्धारण, श.स्था.नि. को सहायता अनुदान और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में राज्यपाल को अनुशंसाएँ करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। आगे, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) ने राज्य वित्त आयोगों (रा.वि.आ.) के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने हेतु दिशा-निर्देश (अप्रैल 2009) जारी किए थे। इसके अलावा, 14वें वित्त आयोग ने रा.वि.आ. के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रशासनिक सहायता और पर्याप्त संसाधनों के साथ उनके सुदृढ़ीकरण की अनुशंसा (दिसंबर 2014) की थी।

लेखापरीक्षा ने रा.वि.आ. के गठन में विलंब एवं अंतराल के साथ-साथ उन्हें प्रशासनिक सहायता उपलब्ध नहीं कराया जाना पाया, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.2.7.1 राज्य वित्त आयोगों के गठन में विलम्ब

पूर्ववर्ती बिहार से झारखण्ड राज्य के विभाजन (नवंबर 2000) के पश्चात, झारखण्ड में चार रा.वि.आ. का गठन किया गया था, प्रत्येक में एक अध्यक्ष, दो अन्य सदस्य और एक पदेन सचिव शामिल थे। रा.वि.आ. की कार्यावधि का विवरण **तालिका 2.4** में दिखाया गया है।

तालिका 2.4: झारखण्ड में रा.वि.आ. का गठन

रा.वि.आ.	पहले रा.वि.आ. के संदर्भ में रा.वि.आ. के गठन की नियत तिथि	रा.वि.आ. की गठन की तिथि	रा.वि.आ. के गठन में विलंब	आच्छादित अवधि
पहला	लागू नहीं*	28/01/2004	----	28/01/2004 से 27/01/2009
दूसरा	28/01/2009	19/12/2009	10 माह	28/01/2009 से 27/01/2014
तीसरा	28/01/2014	08/04/2015	14 माह	28/01/2014 से 27/01/2019
चौथा	28/01/2019	23/07/2019	5 माह	28/01/2019 से 27/01/2024

स्रोत: *रा.वि.आ. द्वारा प्रदत्त आंकड़े*

**झारखण्ड राज्य का निर्माण बिहार से विभाजन के पश्चात 15 नवम्बर 2000 को हुआ था।*

तालिका 2.4 से यह देखा जा सकता है कि पहले रा.वि.आ. का गठन राज्य के गठन के तीन साल बाद किया गया था तथा बाद के रा.वि.आ. का गठन पिछले रा.वि.आ की अवधि समाप्त होने की तारीख से पाँच से 14 महीने के अंतराल के बाद किया गया था।

2.2.7.2 अध्यक्ष, सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति

लेखापरीक्षा ने देखा कि रा.वि.आ. के अध्यक्षों के पद लंबे समय तक खाली रहे, जैसा कि **तालिका 2.5** में दिखाया गया है।

तालिका 2.5: रा.वि.आ. हेतु नियुक्त अध्यक्षों की संख्या और पद की रिक्त अवधि

रा.वि.आ.	नियुक्त अध्यक्षों की कुल संख्या	पद रिक्त रहने की अवधि	दिनों में रिक्त अवधि
पहला रा.वि.आ.	7	01/10/2004 से 15/07/2005	288
		17/08/2007 से 02/03/2008	199
		17/07/2008 से 31/10/2008	107
		कुल	**594**
दूसरा रा.वि.आ.	5	01/09/2009 से 24/10/2009	54
		01/07/2011 से 10/08/2011	41
		कुल	**95**
तीसरा रा.वि.आ.	4	02/04/2018 से 27/01/2019	**301**
चौथा रा.वि.आ.	रिक्त	28/01/2019 से 31/12/2021	**1,069**

स्रोत: *योजना एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ*

तालिका 2.5 से यह देखा जा सकता है कि पहले तीन रा.वि.आ. में अध्यक्ष का पद 95 से 594 दिनों तक रिक्त था। चौथे रा.वि.आ. के अध्यक्ष को दिसंबर 2021 तक नियुक्त नहीं किया गया था। चार रा.वि.आ. में से किसी में भी दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि कोई हो, के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली।

आगे, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि राज्य सरकार ने 12 अस्थायी पदों को दो वर्षों के लिए स्वीकृत (सितम्बर एवं नवम्बर 2004) किया था, जिसे 27 जनवरी 2009 तक बढ़ाया गया था। हालाँकि, दो वर्षों के लिए 15 पद (जून 2015) तथा सात महीने के लिए 15 पद स्वीकृत (सितंबर 2019) किए गए थे। इस प्रकार, राज्य ने राज्य वित्त आयोगों के कार्यालय के संचालन के लिए नियमित कार्यालय कर्मचारियों के पदों को सुनिश्चित नहीं किया। स्वीकृत पद के अनुसार नियमित कार्यालय कर्मचारियों की पदस्थापना भी सुनिश्चित नहीं की गई थी क्योंकि अप्रैल 2009 तक केवल तीन कर्मचारियों[17] की पदस्थापना की गई थी और एक लेखा लिपिक को जून 2011 में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया था। कर्मचारियों की स्थिति (दिसंबर 2021 तक) के संबंध में जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। विभिन्न रा.वि.आ के अध्यक्षों ने रा.वि.आ. के अप्रभावी कार्यकाज एवं प्रतिवेदन तैयार नहीं करने के कारण के रूप में कर्मचारियों की कमी को इंगित (नवंबर 2013, मई 2015 और दिसंबर 2017) किया।

इस प्रकार, अध्यक्ष का पद लंबे समय तक रिक्त रहने तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण झारखण्ड में गठित रा.वि.आ को अपने कार्यकाज में बाधाओं का सामना करना पड़ा।

2.2.7.3 राज्य वित्त आयोग की कार्यप्रणाली

संविधान के अनुच्छेद 243आई के साथ पठित अनुच्छेद 243वाई के अनुसार, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक अनुशंसा को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ, कृत कार्रवाई के रूप में, राज्य की विधायिका के समक्ष रखवाएंगे।

तीन रा.वि.आ. ने जनवरी 2004 से जनवरी 2019 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। हालाँकि, केवल पहले रा.वि.आ. ने राज्यपाल को अपनी अनुशंसा (अप्रैल 2009) सौंपी। अनुशंसाओं और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण **तालिका 2.6** में दिखाया गया है।

तालिका 2.6: प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ एवं कृत कार्रवाई

क्र.सं.	अनुशंसाएँ	राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1.	नए झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम का अधिनियमन जिसमें 'नगरपालिका वित्तीय अनुसूची' नगरपालिकाओं को सौंपे गए विभिन्न कार्यों को सूचीबद्ध करने वाली एक अनुसूची के सम्मिलित हों।	झा.न.अ. 2011, धारा 455 की अनुसूची के तहत, श.स्था.नि. को सौंपी गई 197 गतिविधियों / कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए अधिनियमित (फरवरी 2012) किया गया था।

[17] *एक निजी सहायक (31 मार्च 2009 को सेवानिवृत्त), एक सहायक, और एक टंकक-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर (आउटसोर्स किया गया लेकिन जून 2017 से रिक्त)।*

क्र.सं.	अनुशंसाएँ	राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
2.	श.स्था.नि. के लिए 90 दिनों के भीतर एक उपयुक्त संरचना और कर्मचारी ढांचा का विकास।	नगरपालिका संवर्ग मई 2010 में सृजित किया गया था। इसके अलावा, राज्य नगर नियोजन सेवा नियम एवं झारखण्ड नगरपालिका सेवा नियम, विभिन्न पूलों में मानवीय-प्रबंधन के लिए बनाए (मार्च 2014) गए थे ।
3.	श.स्था.नि. के लिए प्रशासनिक, लेखा और अभियान्त्रिकी कर्मियों का एक अलग पूल बनाया जाना।	
4.	नगरपालिका वित्तीय अनुसूची के निर्माण तक, श.स्था.नि. के साथ निर्धारित और साझा नहीं किए गए करों के बदले में वित्तीय वर्ष 2009-10 में ₹ 375 प्रति व्यक्ति का मूल नगरपालिका सेवा अनुदान उपबंध का प्रावधान, साथ ही अगले चार वर्षों तक इसमें 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि किया जाना।	राज्य सरकार आबादी और क्षेत्रों के आधार पर 90:10 के अनुपात में श.स्था.नि. को विकास अनुदान जारी करती है। इसके अलावा, राज्य वेतन के लिए 40 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान जारी करता है।
5.	एक मंत्री और एक प्रधान सचिव के साथ स्थानीय स्वशासन का एक विभागीय ढाँचा बनाया जाना।	शहरी विकास/स्थानीय स्वशासन के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में न.वि. और आ.वि. है।
6.	शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं के लिए; झारखण्ड शहरी विकास निधि बनाया जाना।	वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान झारखण्ड राज्य विकास निधि हेतु ₹ एक करोड़ के वार्षिक बजट का प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखण्ड राज्य आधारभूत संरचना विकास निधि के लिए ₹ 50 करोड़ का प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तथापि, बजट प्रावधान अव्ययित रहें।

यह देखा गया कि न.वि एवं आ.वि. ने अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन राज्य के विधानमंडल के समक्ष नहीं रखा, क्योंकि यह प्रावधान झा.न.अ., 2011 में शामिल नहीं किया गया था। आगे, संबंधित नियमों के अस्तित्व में नहीं होने के कारण श.स्था.नि. द्वारा सौंपी गई सभी गतिविधियाँ लागू नहीं की गई, जैसा कि ***कंडिका 2.3.1*** में चर्चा की गई है। नगरपालिका द्वारा करों के आरोपण एवं संग्रहण के संबंध में नियम नहीं बनाने के कारण, वे काफी हद तक राज्य सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर थे, जैसा कि ***कंडिका 2.3.2*** में चर्चा की गई है।

रा.वि.आ. के गठन, इसके अध्यक्ष, सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और रा.वि.आ. के कामकाज में देरी के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकनों के जवाब में, सचिव ने कहा (अगस्त 2022) कि ये मुद्दे वित्त विभाग से संबंधित थे। तथापि, तथ्य यह है कि रा.वि.आ. के समय पर गठन और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने वित्त विभाग के साथ समन्वय स्थापित नहीं किया।

2.2.8 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मानव-शक्ति

2.2.8.1 पदों का सृजन

राज्य सरकार ने जनसंख्या के आधार पर श.स्था.नि. के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन किया और 43 श.स्था.नि. के लिए 11 संवर्गों[18] के तहत 2,608 पदों का सृजन (मई 2010 और सितंबर 2018 के बीच) किया, जैसा कि **तालिका 2.7** में दिखाया गया है।

तालिका 2.7: मार्च 2021 तक सृजित नगरपालिका संवर्गों के पद

क्र. सं.	संवर्ग का नाम	जमशेदपुर अ.क्षे.स. सहित 10 नगर निगमों के लिए	20 नगर परिषदों के लिए	13 नगर पंचायतों के लिए	कुल
1.	प्रशासन	60	40	13	113
2.	अभियांत्रिकी	268	160	78	506
3.	लोक स्वास्थ्य	274	320	154	748
4.	राजस्व	141	109	39	289
5.	लेखा	85	77	26	188
6.	उद्यानिकी	18	00	00	18
7.	जनसंपर्क	15	00	00	15
8.	विधि	25	20	13	58
9.	कार्यालय प्रबंधन	216	160	52	428
10.	नगर नियोजन	94	78	37	209
11.	पशुचिकित्सा	36	00	00	36
कुल		**1,232**	**964**	**412**	**2,608**

स्रोत: *नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े*

तालिका 2.7 से देखा जा सकता है कि उद्यानिकी, जनसम्पर्क एवं पशु चिकित्सा संवर्ग में नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के लिए कोई पद सृजित नहीं किया गया था। इसके अलावा, सात[19] श.स्था.नि. (अगस्त 2016 और सितंबर 2018 के बीच अधिसूचित) के लिए उनके सृजन के 39 से 64 महीने (दिसंबर 2021 तक) के बाद भी कोई पद सृजित नहीं किया गया था।

न.वि. और आ.वि. के सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (अगस्त 2022) कि उल्लिखित श.स्था.नि. के लिए पदों का सृजन प्रक्रियाधीन था।

2.2.8.2 कर्मचारियों की कमी

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि नियमित मानवबल की कमी और श.स्था.नि. के कार्यभार में वृद्धि के कारण, न.प्र.नि. ने शुरू में अनुबंध के आधार पर तीन साल के

---

18 *जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा, राज्य संवर्ग, राज्य लेखा परीक्षा सेवा और नगरपालिका संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।*

19 *बचरा, बड़की सरैया, बरहरवा, धनवार, डोमचांच, हरिहरगंज एवं महगामा।*

लिए नगर प्रबंधक के 134 पद सृजित (फरवरी 2010 और मार्च 2019 के बीच) किए। चयनित 10 श.स्था.नि. में 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत पदों के विरूद्ध नगर प्रबंधकों सहित उपलब्ध मानवबल **तालिका 2.8** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.8: नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में स्वीकृत बल एवं रिक्तियाँ

क्र.सं.	श.स्था.नि. का नाम	मानव संसाधन (31/03/2021 के अनुसार)				रिक्ति
		स्वीकृत बल[20]	कार्यरत बल			
			स्थायी	अनुबंधित/प्रतिनियुक्ति	कुल	
1.	बासुकीनाथ न.पं.	34	5	2	7	27
2.	देवघर न.नि..	119	97	17	114	5
3.	धनबाद न.नि.	230	124	45	169	61
4.	गोड्डा न.परि.	50	12	11	23	27
5.	हुसैनाबाद न.पं.	34	6	6	12	22
6.	खूँटी न.पं.	23	0	7	7	16
7.	मेदनीनगर न.नि.	54	12	14	26	28
8.	फुसरो न.परि.	51	6	12	18	33
9.	राँची न.नि.	243	53	21	74	169
10.	सिमडेगा न. परि.	50	1	16	17	33
कुल		**888**	**316**	**151**	**467**	**421**

स्रोत: *श.स्था.नि.द्वारा प्रदत्त आँकड़े*

तालिका 2.8 से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2021 को 421 (47 प्रतिशत) पद रिक्त थे।

अग्रत्तर, झारखण्ड नगरपालिका लेखा नियम, 2012 के नियम 2 के साथ पठित झा.न.अ., 2011 की धारा 55 के अनुसार, नगर निगम का मुख्य लेखा अधिकारी (मु.ले.अ.) महालेखाकार के कार्यालय का कोई अधिकारी अथवा राज्य सरकार के वित्त या लेखा विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। इसी प्रकार, सरकार को नगर परिषदों (न.परि.) एवं नगर पंचायतों (न.पं.) में लेखा अधिकारी (ले.अ.) नियुक्त करना चाहिए। मु.ले.अ./ले.अ. श.स्था.नि. के लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं एवं श.स्था.नि. की आय एवं व्यय तथा संपत्ति एवं देनदारियों के लेखांकन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मु.ले.अ./ले.अ. को दैनिक आधार पर रोकड़-बही में प्रविष्टियों तथा अंतिम शेष का परीक्षण एवं सभी विपत्रों की जाँच करना होता है।

सरकार ने प्रत्येक नगर निगम के लिए एक मु.ले.अ. तथा एक ले.अ. एवं प्रत्येक न.परि./ न.प. के लिए एक ले.अ. का पद स्वीकृत (सितंबर 2018) किया। तथापि, मार्च 2021 तक तीन नगर निगमों सहित नमूना-जाँचित 10 शहरी स्थानीय निकायों में ये पद रिक्त थे। स्थायी मु.ले.अ./ले.अ. के न होने की दशा में नमूना-जाँचित

[20] *स्वीकृत पदों में नगर प्रबंधक के पद भी शामिल हैं (धनबाद नगर निगम एवं राँची नगर निगम में प्रत्येक में आठ, देवघर नगर निगम.एवं मेदिनीनगर में प्रत्येक में पाँच एवं शेष नमूना-जाँचित श.स्था.नि में प्रत्येक में दो)*

श.स्था.नि. के लेखे नगर-निगमों में उप-नगरीय आयुक्त तथा न.परि./ न.पं. में अनुबंध के आधार पर रखे गए लेखाकारों द्वारा संधारित किए जा रहे थे।

इस प्रकार, श.स्था.नि. कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहे थे और इसके कारण कार्यों का हस्तांतरण अप्रभावी रहा।

सचिव, न.वि. और आ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के 50 श.स्था.नि. में 1300 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी (जुलाई 2022) किया था।

2.2.9 सहकार्यकारी एवं इसके कार्य

श.स्था.नि. के केंद्रीयकृत निर्माण, निष्पादन और योजनाओं के रखरखाव में तकनीकी दक्षता की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचों की योजना, निष्पादन और निगरानी के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) नामक एक सहकार्यकारी को अधिसूचित (जुलाई 2013) किया गया था। प्रधान सचिव, न.वि. और आ.वि., झा.स., जुडको के पदेन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं।

शहरी बुनियादी ढाँचों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य, जैसे नालियों के साथ सड़कें, जल आपूर्ति और मलप्रवाह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.अ.प्र.) परियोजनाएँ, सार्वजनिक पार्कों सहित सार्वजनिक सुविधाएं, शहरी हरियाली, जल निकायों का संरक्षण और शहरी क्षेत्रों में आवास जिनमें शहरी गरीबों के आवास भी शामिल हैं, जुडको को सौंपे गए थे। इन विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार जुडको को या तो सीधे या श.स्था.नि. के माध्यम से निधि जारी करती है। ₹ 50 लाख से अधिक की लागत वाली योजनाएँ जिनके लिए श.स्था.नि को निधि उपलब्ध कराया गया था, की निगरानी से संबंधित कार्य,जुडको को सौंपा(नवंबर 2015) गया था । कार्यों के पूरा होने के बाद इस प्रकार सृजित संपत्ति को जुडको को श.स्था.नि. को स्थानांतरित करना है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवधि के दौरान, जुडको ने राज्य योजना के तहत 29 विकास कार्य[21], विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक कार्य (जल आपूर्ति) और केंद्रीय योजनाओं के तहत 32 कार्य[22] करने का जिम्मा लिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि

---

[21] *16 शहरी जलापूर्ति एवं 13 भवन निर्माण*

[22] *अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की 12 योजनाएँ, प्रधानमंत्री आवास योजना की 13 योजनाएँ एवं नमामी गंगे परियोजना की सात योजनाएँ।*

के दौरान जुडको को श.स्था.नि. के माध्यम से ₹ 43.56 करोड़ (दो प्रतिशत) और सीधे न.वि. और आ.वि. से ₹ 2,240.25 करोड़ (98 प्रतिशत) की निधि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, जुडको द्वारा निष्पादित कार्यों के वित्त-पोषण और निगरानी में श.स्था.नि. की अधिक भूमिका नहीं थी।

निष्कर्ष

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर श.स्था.नि. को अधिसूचित/विघटित किए जाने के बावजूद, 18 से 50 महीनों से अधिक समय से 15 श.स्था.नि. में चुनाव लंबित थे। 2015-16 से 2019-20 के दौरान चार से 14 शहरी स्थानीय निकायों में समय पर चुनाव नहीं कराए जाने के कारण 14वें वित्त आयोग के ₹ 253.46 करोड़ के अनुदान से वंचित हो गए। नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. में से क्रमशः दो और छः श.स्था.नि. में कोई स्थायी एवं वार्ड समितियां नहीं थीं। नमूना-जाँचित चार नगर निगमों में भी विषय समितियों का गठन नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने जनवरी 2004 से जनवरी 2019 की अवधि में तीन राज्य वित्त आयोगों (रा.वि.आ.) का गठन किया था। हालाँकि, जनवरी 2009 से जनवरी 2019 तक की अवधि को आच्छादित करने वाली दो रा.वि.आ. ने प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी के कारण राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत नहीं कीं। हालाँकि जिला योजना समितियों का गठन किया गया था पर उन्होंने श.स्था.नि. के आगतों के साथ प्रारुप विकास योजना तैयार नहीं की थी। कार्यों के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने में श.स्था.नि. को कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। सहकार्यकारी निकाय जुडको, को शहरी बुनियादी ढाँचों के निर्माण के लिए लगभग 98 प्रतिशत विकास निधि सीधे न.वि. और आ.वि. से प्राप्त हुआ और इस तरह श.स्था.नि. की जुडको द्वारा निष्पादित विकास कार्यों के वित्तपोषण और निगरानी में अधिक भूमिका नहीं रही।

अनुशंसाएँ

- *श.स्था.नि. के चुनाव जल्द से जल्द आयोजित किए जा सकते हैं और प्रमुख समितियों जैसे वार्ड समितियों, स्थायी समितियों और विषय समितियों का गठन सुनिश्चित किया जा सकता है;*
- *जिला योजना समितियां श.स्था.नि. के सहयोग के साथ, प्रारुप विकास योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित कर सकती हैं;*
- *पूर्णकालिक अध्यक्ष, सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करके राज्य वित्त आयोगों को मजबूत किया जा सकता है;*
- *श.स्था.नि. में पर्याप्त मानवबल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए।*

2.3 कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति

74वें सं.सं.अ. ने शक्तियों के हस्तांतरण की सीमा को राज्य विधानमंडलों पर छोड़ दिया था। हस्तांतरण के मुख्य तत्व श.स्था.नि को कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों का हस्तांतरण है।

श.स्था.नि. के सशक्तिकरण की सीमा और विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति, करों का आरोपण एवं संग्रहण और उनके द्वारा किए जाने वाले जलापूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की सीमा पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.3.1 कार्यों के निर्वहन में श.स्था.नि. की स्वायत्तता

74वें सं.सं.अ. ने अनुच्छेद 243डब्ल्यू और 243एक्स के द्वारा नगरपालिकाओं को स्वशासन की शक्तियों के संबंध में प्रावधान लाया। राज्य सरकार ने झा.न.अ., 2011 के माध्यम से इसी तरह के प्रावधान लाया, जैसा कि **तालिका 2.9** में वर्णित है।

तालिका 2.9: 74वें सं.सं.अ. के प्रावधानों की तुलना में राज्य विधान

74वें सं.सं.अ. के अधीन प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार आवश्यकता	झा.न.अ., 2011 में समान प्रावधान
अनुच्छेद 243डब्ल्यू	*नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार एवं उत्तरदायित्व:* सभी नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियों से सशक्त किया जाएगा जो उन्हें स्वशासन के प्रभावी संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। राज्य सरकार नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार सौंपेगी जो उन्हें 12वीं अनुसूची के संबंध में उत्तरदायित्वों को पूरा करने में समर्थ बनाएँगी।	धारा 25, 34, 46, 70, 383 और 384
अनुच्छेद 243एक्स	*नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और नगरपालिकाओं की निधि:* नगरपालिकाओं को कर, फीस, शुल्क आदि आरोपित एवं एकत्र करने का शक्ति होगी। राज्य के बजट से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान दिया जाएगा। नगरपालिका द्वारा धन जमा करने और निकालने के लिए निधियों का गठन।	धारा 98, 152, 154-159

आगे, झा.न.अ., 2011 की धारा 590 के अनुसार, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। धारा 592 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नगरपालिका समय-समय पर ऐसे नियम बना सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने श.स्था.नि. को झा.न.अ., 2011 की धारा 70 के अधीन सभी 18 कार्यों के निर्वहन के लिए सशक्त किया था, जैसा कि 74वें सं.सं.अ. की 12वीं अनुसूची में उद्धृत था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने अन्य सरकारी विभागों/ एजेंसियों को इन कार्यों/ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पाया जिन्हें श.स्था.नि. को सौंपे जाने थे जैसा कि **तालिका 2.10** में वर्णित है।

तालिका 2.10: श.स्था.नि. द्वारा कार्यों के निर्वहन पर स्वायत्तता की सीमा

क्र.सं.	कार्य	गतिविधियाँ	कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति
		कार्य जहाँ श.स्था.नि. के पास पूर्ण अधिकार क्षेत्र है	
1.	कब्रिस्तान और कब्रिस्तान मैदान, श्मशान, श्मशान घाट और विद्युत शवदाह गृह।	श्मशान घाटों और शमशान घाटों और विद्युत शवदाहगृहों का निर्माण और परिचालन एवं अनुरक्षण (परि. एवं अनु.)।	श.स्था.नि. इन सभी गतिविधियों का निर्वहन कर रहे थे।
2.	स्लम सुधार एवं उन्नयन	लाभार्थियों की पहचान	श.स्था.नि. किफायती आवास एवं आवासों के निर्माण/उन्नयन हेतु लाभार्थियों की पहचान कर इन सभी गतिविधियों का निर्वहन कर रहे थे।
		किफायती आवास उपलब्ध कराना	
		मकानों का उन्नयन	
3.	बूचड़खानों और चर्म शोधनशालाओं का नियमन	पशुओं और माँस की गुणवत्ता सुनिश्चित करना	श.स्था.नि. बूचड़खानों को लाइसेंस जारी करने, निर्माण और उनमें अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन के माध्यम से इन सभी गतिविधियों का निर्वहन कर रहे थे।
		कचरे का निपटान	
		बूचड़खानों का परिचालन एवं अनुरक्षण (परि. एवं अनु.)	
4.	मवेशी खाना, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम	आवारा पशुओं को पकड़ना और रखना	श.स्था.नि. इन सभी गतिविधियों का निर्वहन कर रहे थे।
		नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण	
		पशु सुरक्षा सुनिश्चित करना	
5.	शहरी सुविधाओं और साधनों का प्रावधान जैसे पार्कों, बगीचों, खेल के मैदान	पार्कों और बगीचों का निर्माण	श.स्था.नि पार्कों और उद्यानों के निर्माण और संचालन के माध्यम से इन दोनों गतिविधियों का निर्वहन कर रहे थे।
		परिचालन एवं अनुरक्षण (परि. एवं अनु.)	
6.	शहरी गरीबी उन्मूलन	लाभार्थियों की पहचान	श.स्था.नि. लाभार्थियों की पहचान और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से इन सभी गतिविधियों का निर्वहन कर रहे थे।
		आजीविका और रोजगार	
		रेहड़ी पटरी वालों के लिए विक्रय क्षेत्र बनाना	
7.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े	सूचना प्राप्त करने के लिए अस्पतालों/श्मशान आदि के साथ समन्वय करना	श.स्था.नि. जन्म और मृत्यु के डेटाबेस संधारित कर रहे थे और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे।
		इस संबंध में डेटाबेस को बनाए रखना और अद्यतन करना।	
8.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस	स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन एवं रखरखाव	इन सभी गतिविधियों का निर्वहन श.स्था.नि. कर रहे थे।

क्र.सं.	कार्य	गतिविधियाँ	कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति
	स्टॉप और सार्वजनिक साधनों सहित सार्वजनिक सुविधाएं	बस मार्ग निर्धारण एवं संचालन पार्किंग स्थल का निर्माण और रखरखाव सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं रखरखाव	
9.	शहरी नियोजन, नगर नियोजन सहित	मास्टर योजना/विकास योजनाऐं/क्षेत्रीय योजनाएँ मास्टर योजना विनियमों को लागू करना भवन उपनियमों और लाइसेंसों को लागू करना	न.वि एवं आ.वि. मास्टर योजना और संबंधित विनियमों को अनुमोदित कर रहा था और श.स्था.नि. उन्हें लागू कर रहे थे।
10.	भूमि उपयोग का नियमन एवं भवनों का निर्माण	भूमि उपयोग का नियमन भवन नक्शों/उच्च भवनों का अनुमोदन अवैध भवनों को गिराना	श.स्था.नि इन सभी गतिविधियों का निर्वहन कर रही थी।
श.स्था.नि. और राज्य सरकार के विभागों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले कार्य			
11.	सड़कें और पुल	सड़कों का निर्माण और रखरखाव पुलों, नालियों, फ्लाईओवरों और फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव	*<u>श.स्था.नि:</u>* श.स्था.नि के अधिकार क्षेत्र के भीतर सड़कों, पुलों, नालियों, फ्लाईओवर और फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव। *<u>सड़क निर्माण विभाग:</u>* श.स्था.नि. के भीतर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के रखरखाव सहित सड़क कार्यों के लिए जिम्मेदार।
12.	विकलांग एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना	लाभार्थियों की पहचान करना तिपहिया साइकिल जैसे उपकरण/लाभ प्रदान करना आवास कार्यक्रम छात्रवृत्ति	*<u>समाज कल्याण विभाग:</u>* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति विकास से संबंधित समाज कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन। *<u>श.स्था.नि.:</u>* विकलांग और मानसिक रूप से मंद सहित शहरी गरीबों के लिए आवास और कल्याण से संबंधित केंद्र और राज्य की योजनाओं का कार्यान्वयन।
13.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नियोजन	आर्थिक गतिविधियों हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन	*<u>श.स्था.नि.:</u>* आवास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी आवश्यकताओं की योजनाओं का कार्यान्वयन। *<u>समाज कल्याण विभाग:</u>* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों की सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नति के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन।

क्र.सं.	कार्य	गतिविधियाँ	कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति
14.	घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जलापूर्ति	पानी का वितरण संपर्क उपलब्ध कराना परिचालन और अनुरक्षण प्रभारों का संग्रह	*पेयजल और स्वच्छता विभाग (पे.ज. एवं स्व.वि):* श.स्था.नि. के भीतर पानी की आपूर्ति के अलावा जल आपूर्ति परियोजनाओं का निर्माण और उनका संचालन और रखरखाव। *श.स्था.नि:* जलापूर्ति संयोजन का प्रावधान और जल शुल्क का संग्रह।
15.	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	अस्पतालों, औषधालयों का अनुरक्षण प्रतिरक्षण/टीकाकरण जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संक्रामक रोगों से प्रभावित इलाकों की सफाई और कीटाणुशोधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सार्वजनिक बाजार का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण	*स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग:* अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रावधान। *श.स्था.नि:* प्रतिरक्षण/टीकाकरण कार्यक्रम चलाने में स्वास्थ्य विभाग की सहायता करना; संक्रामक रोगों से प्रभावित इलाकों की सफाई और कीटाणुशोधन; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; और सार्वजनिक पार्कों का नियंत्रण।
16.	सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना	स्कूल और शिक्षा मेले और त्यौहार	(i) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और (ii) पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग इन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं।
		सांस्कृतिक भवन/संस्थान, विरासत	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग, श.स्था.नि. के साथ इन गतिविधियों का संचालन करता है।
		सार्वजनिक स्थान सौंदर्यीकरण	श.स्था.नि. यह गतिविधि कर रहे थे।
ऐसे कार्य जिनमें श.स्था.नि. की कोई भूमिका नहीं है			
17.	शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना	वानिकीकरण हरितीकरण जागरूकता अभियान पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल निकायों आदि का रखरखाव।	इन गतिविधियों को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को निहित किया गया था।
18.	अग्निशमन सेवाएँ	अग्निशमन दल की स्थापना और रखरखाव। गगनचुंबी इमारतों के संबंध में अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रदान करना	यह कार्य गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को निहित किया गया था।

स्रोत: *न.वि एवं आ.वि. द्वारा प्रदत्त जानकारी*

जैसा कि **तालिका 2.10** में दिखाया गया है 74वें सं.सं.अ. की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित 18 कार्यों में से 10 कार्य पूरी तरह से श.स्था.नि. द्वारा किए जा रहे थे,

छः कार्य आंशिक रूप से किए जा रहे थे और शेष दो कार्यों को करने में श.स्था.नि. की कोई भूमिका नहीं थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि इन 18 कार्यों में से केवल 'जल आपूर्ति' को विभागीय अधिसूचना के माध्यम से श.स्था.नि. को हस्तांतरित किया गया था। श.स्था.नि., अन्य कार्य जो उन्हें सौंपे (पूर्ववर्ती बिहार से विभाजन से पहले) गए थे, बिहार और उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 के अंतर्गत कर रहे थे। नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. के संबंध में स्थिति समान थी, हालाँकि जलापूर्ति परियोजनाओं का परिचालन एवं अनुरक्षण नमूना-जाँचित दो शहरी स्थानीय निकायों (देवघर और सिमडेगा) द्वारा किया जा रहा था।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार (अगस्त 2022) किया और विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों/विभागों को इन कार्यों/गतिविधियों के प्रत्यायोजन के कारणों के रूप में न.वि. एवं आ.वि./ श.स्था.नि. के पास जनशक्ति, तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी को उत्तरदायी ठहराया। तथापि, तथ्य यह है कि झा.न.अ., 2011 के अधिनियमन के दस वर्षों के बाद भी विभाग पर्याप्त जनशक्ति, विशेषज्ञता और संसाधनों की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं था।

2.3.2 अमृत में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका

भारत सरकार ने शहरों में नागरिकों, खासकर गरीब और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए और बुनियादी सेवाएँ जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन प्रदान करने लिए अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का शुभारंभ (जून 2015) किया। अमृत के तहत झारखण्ड के सात[23] शहरों को शामिल किया गया।

अमृत के तहत, वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2019-20 के बीच ₹ 1,591.05 करोड़ की अनुमानित लागत से 46 योजनाएँ[24] शुरू की गईं। 46 योजनाओं में से 34 पार्कों का निर्माण ₹ 52.73 करोड़ की अनुमानित लागत से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया गया था। जुडको को राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,538.32 करोड़ पर अनुमानित शेष 12 योजनाओं को आवंटित किया गया था। मार्च 2021 तक, 12 योजनाओं में से एक योजना पूर्ण थी जबकि ₹ 1534.81 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 11 योजनाएँ प्रगति पर थीं जिन पर ₹ 545.30 करोड़ का व्यय हुआ था।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने कहा (अगस्त 2022) कि जुडको, श.स्था.नि. और अन्य हितधारकों के समन्वय के साथ जलापूर्ति, सीवरेज और मल की विभिन्न योजनाओं

---

[23] *आदित्यपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और राँची।*

[24] *शहरी जलापूर्ति से संबंधित छः योजनाएँ, सीवरेज से संबंधित एक, सेप्टेज से संबंधित चार और 35 पार्क।*

का नियमित रूप से निगरानी से कर रहा था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि जुडको द्वारा निष्पादित कार्यों के वित्त-पोषण और निगरानी में श.स्था.नि की बहुत अधिक भूमिका नहीं थी जैसा कि ***कंडिका 2.2.9*** में चर्चा की गई है।

2.3.3 स्मार्ट सिटी मिशन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका

स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं तथा अपने नागरिकों को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण जीवन एक स्वच्छ एवं सतत वातावरण और बेहतर संसाधनों का प्रयोग प्रदान करते हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमे भारत सरकार एवं राज्य को 50:50 के अनुपात में निधि साझा करना है। स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना, मूल्यांकन, अनुमोदन, धन जारी करने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के नामितों वाले एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना की जानी है।

इस मिशन के तहत, झारखण्ड में राजधानी राँची को चुना गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ₹ 200 करोड़ की अंश-पूँजी के साथ एक एसपीवी, राँची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएससीसीएल) का गठन (अगस्त 2016) किया गया था। एसपीवी के संकल्प के अनुसार, झा.न.अ., 2011 में वर्णित स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से संबंधित राँची नगर निगम (आरएमसी) की सभी शक्तियों और राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग आरएससीसीएल द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरएससीसीएल ने भूमि विकास, परिवहन सुविधा, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, अपशिष्ट जल प्रबंधन, नागरिक और कमांड सेंटर आदि की ₹ 934.51 करोड़ लागत वाली 12 परियोजनाएँ शुरू की और इन परियोजनाओं पर ₹ 798.34 करोड़ का व्यय किया (जनवरी 2023 तक)। इन 12 परियोजनाओं में से चार परियोजनाएँ पूर्ण थीं और शेष परियोजनाएँ 92 से 98 प्रतिशत के बीच भौतिक प्रगति के साथ पूर्णता के कगार पर थीं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, पार्क एवं रिवर फ्रंट विकास की ₹ 148.03 करोड़ की लागत वाली छः परियोजनाएँ या तो डीपीआर चरण में थीं या मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद शुरू की जानी थीं।

2.3.4 जलापूर्ति

झा.न.अ., 2011 की धारा 70 के अनुसार घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जलापूर्ति श.स्था.नि का एक प्रमुख कार्य है। 14वें वित्त आयोग ने अनुशंसा (दिसंबर 2014) की थी कि सभी को पीने योग्य जल सहित जल और स्वच्छता से जुड़ी बुनियादी सेवाएँ मुहैया कराई जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पे.ज.एवं स्व.वि.) मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए उत्तरदायी था। तथापि, 50 श.स्था.नि में से 16 में पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध नहीं थी। मार्च 2021 तक 7.80 लाख शहरी मकानों में से केवल 1.80 लाख (23 प्रतिशत) को पाइप से जलापूर्ति की गई थी। जलापूर्ति वाले 1.80 लाख घरों में से 29,798 (17 प्रतिशत) संयोजन मीटरीकृत थे।

नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि में पाइप से जलापूर्ति का विस्तार छः से 48 प्रतिशत के बीच था। इनमें से चार[25] श.स्था.नि में विस्तार 10 प्रतिशत से कम था। आगे, नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. में 21,497 मीटर संपर्क के विरूद्ध 21,481 संपर्क राँची में थे।

इस प्रकार, श.स्था.नि. द्वारा अधिक संख्या में घरों में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना बाकी था। इसके अलावा, जुडको और पे.ज. एवं स्व.वि. ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान क्रमश: 23 और सात जल आपूर्ति परियोजनाएँ शुरू की थीं जो दिसंबर 2021 तक प्रगति पर थीं।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने कहा (अगस्त 2022) कि विभाग ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से घरों में जलापूर्ति के शत-प्रतिशत विस्तार के लिए कार्रवाई की थी। भले ही लेखापरीक्षा अवलोकन जुडको और पे.ज. एवं स्व.वि. द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित था, फिर भी उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह संदर्भित योजनाओं का विवरण उल्लिखित नहीं करता है। अन्य एजेंसियों को जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल नहीं पाया गया।

2.3.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

झा.न.अ., 2011 की धारा 251 के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्र के अधीन, नगरपालिका, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए और नगरपालिका के ठोस कचरे के प्रबंधन और विनियमितिकरण करने और ठोस कचरे के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान के लिए किसी भी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार होगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य में 50 श.स्था.नि. में से 45 में शुरू (मार्च 2017 से अगस्त 2020) की गई 36 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.अ.प्र.) परियोजनाएँ: (i) 28 श.स्था.नि. में प्रगति में (ii) सात श.स्था.नि. में निविदा की प्रक्रिया में iii) सात श.स्था.नि. में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) चरण में हैं। इसके अलावा,

[25] *देवघर, गोड्डा, फुसरो और सिमडेगा।*

तीन श.स्था.नि. के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किए गए थे।

इस प्रकार, नगरपालिका अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान के लिए अपेक्षित ठो.अ.प्र. परियोजनाएं किसी भी श.स्था.नि. में क्रियाशील नहीं थीं। नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. में, श.स्था.नि. घर-घर जाकर कचरे का संग्रहण कर रहे थे तथा इस उद्देश्य के लिए चिन्हित खुले स्थानों में कचरे को एकत्रित कर रहे थे। हालाँकि, कचरे का पृथक्करण नहीं किया जा रहा था। यह भी देखा गया कि श.स्था.नि. जैव चिकित्सा अपशिष्ट एकत्र नहीं कर रहे थे। कुछ अधूरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं एवं खुले में एकत्रित स्थलों की तस्वीरें नीचे दी गई हैं:

चित्र 2.1: अधूरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएँ तथा खुले में एकत्रित स्थल

झिरी, राँची में अपूर्ण संपीडित बायोगैस संयंत्र

देवघर में अधूरा ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र

झिरी, राँची में नगरपालिका के अपशिष्ट का एकत्रित स्थल

मेदिनीनगर में नगरपालिका के अपशिष्ट का एकत्रित स्थल

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि विभाग द्वारा सभी श.स्था.नि. में ठो.अ.प्र. परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्रवाई की गई थी।

निष्कर्ष

राज्य सरकार ने 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने और श.स्था.नि. को स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम (झा.न.अ.), 2011 को अधिनियमित किया। हालाँकि, झा.न.अ. को विशेष रूप से सभी कार्यों के हस्तांतरण

और उपयुक्त संस्थागत तंत्र के निर्माण द्वारा समर्थित नहीं किया गया था। हस्तांतरित किए जाने वाले आवश्यक 18 कार्यों में से श.स्था.नि. केवल 10 कार्यों के लिए ही जिम्मेदार थे; दो कार्यों में कोई भूमिका नहीं थी और छः कार्यों में उनकी आंशिक भूमिका थी। झा.न.अ., 2011 के तहत वर्णित नौ प्रकार के करों जिनका उद्देश्य श.स्था.नि. के संसाधनों में वृद्धि करना था, में से केवल तीन का संग्रह श.स्था.नि. कर रहे थे क्योंकि राज्य सरकार ने आवश्यक नियम नहीं बनाए थे। कुल शहरी परिवारों में से केवल 23 प्रतिशत को पाइप से जलापूर्ति प्रदान की जा रही थी। किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएँ चालू नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप कचरे को बिना पृथक्करण के खुले स्थानों में निस्तारित किया जा रहा था।

अनुशंसाएँ:

- *सौंपे गए कार्यों को करने में श.स्था.नि. स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समर्थन जैसे पर्याप्त और कुशल मानवबल और अन्य संसाधन उन्हें उपलब्ध कराए जा सकते हैं; और*
- *श.स्था.नि. द्वारा सभी प्रकार के नगरपालिका करों का आरोपण और संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियम बनाए जा सकते हैं।*

2.4 शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

श.स्था.नि. के वित्तीय संसाधनों में राजस्व, अनुदान और ऋण शामिल हैं जैसा कि नीचे **चार्ट. 2.2** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.2: शहरी स्थानीय निकायों का वित्तपोषण

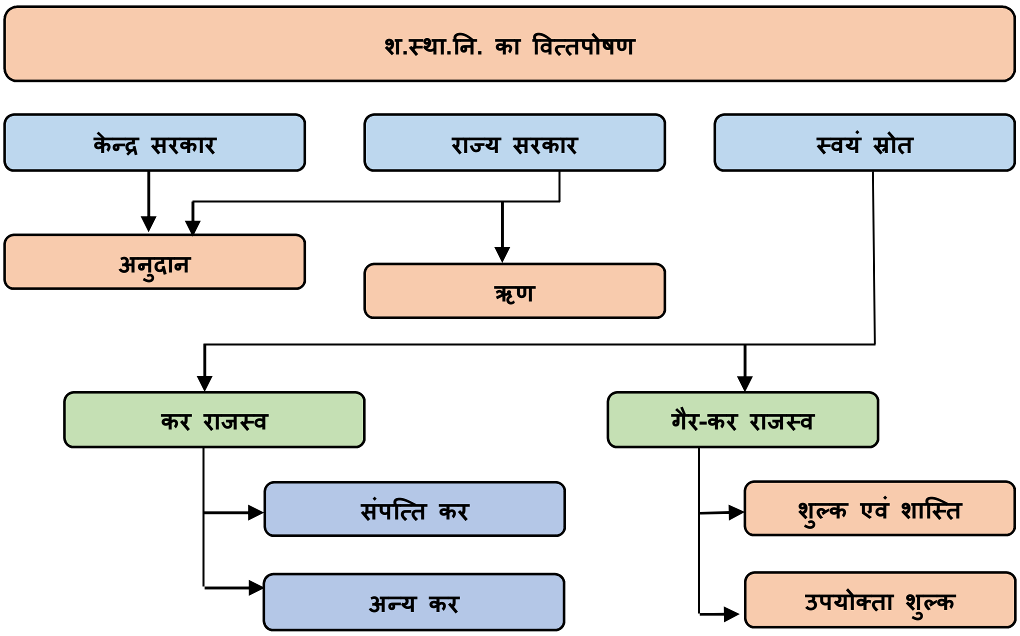

2.4.1 शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

राज्य सरकार को श.स्था.नि. को वेतन के लिए आवर्ती ऋण और अनुदान प्रदान करती है और विकास संबंधी व्यय के लिए अनावर्ती अनुदान भी प्रदान करती है। न. वि. एवं आ. वि. ने. श.स्था.नि. को अनुदान और ऋण के अलावा अपने स्वयं के बजट से शहरी आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए व्यय किया। तथापि, न. वि. एवं आ. वि. ने श.स्था.नि. को दिए गए अनुदानों और ऋणों के प्रति व्यय को दर्शाने वाले अलग-अलग लेखों का संकलन नहीं किया। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान श.स्था.नि. को दिए गए अनुदान और ऋण सहित बजट आवंटन और व्यय, एवं इनके विरुद्ध बचत भी **तालिका 2.11** में दी गई है।

तालिका 2.11 श.स्था.नि. का बजट आवंटन, व्यय और बचत

(₹ करोड़ में)

विवरण		वित्तीय वर्ष					कुल
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
बजट आवंटन	स्थापना	436.71	192.03	157.20	215.69	226.36	1,227.99
	विकास	2,705.11	3,108.57	2,912.74	2,956.84	2,948.61	14,631.87
कुल		**3,141.82**	**3,300.60**	**3,069.94**	**3,172.53**	**3,174.97**	**15,859.86**
व्यय	स्थापना	275.01	178.31	129.89	187.33	192.61	963.15
	विकास	2,567.23	2,853.73	2,351.16	2,733.58	2,948.61	13,454.31
कुल		**2,842.24**	**3,032.04**	**2,481.05**	**2,920.91**	**3,141.22**	**14,417.46**
बचत	स्थापना	161.70	13.72	27.31	28.36	33.75	264.84
	विकास	137.88	254.83	561.58	223.26	0.00	1,177.56
कुल		**299.58**	**268.55**	**588.89**	**251.62**	**33.75**	**1,442.40**

स्रोत: *न.वि एवं आ.वि. द्वारा प्रदत्त आँकड़े*

नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 5,450.86 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरूद्ध ₹ 5,243.69 करोड़ का व्यय किया जैसा कि **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: नमूना जाँचित श.स्था.नि. में कुल प्राप्तियों के साथ स्वयं के राजस्व की तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श.स्था.नि. का नाम	स्वयं का राजस्व	कुल प्राप्ति	स्थापना पर व्यय	कुल व्यय	कुल प्राप्तियों में स्वयं के राजस्व का प्रतिशत	स्थापना व्यय में स्वयं के राजस्व का प्रतिशत
1.	बासुकीनाथ न.पं.	22.59	126.49	29.70	135.31	17.86	76.06
2.	धनबाद न.नि.	130.51	1289.47	186.16	1035.02	10.12	70.11
3.	देवघर न.नि.	64.77	505.20	108.45	481.12	12.82	59.72
4.	गोड्डा न.परि.	12.74	184.92	11.77	172.16	6.89	108.24
5.	हुसैनाबाद न.पं.	2.32	62.07	2.72	56.38	3.74	85.29
6.	खूँटी न.पं.	8.53	105.38	6.68	89.26	8.09	127.69
7.	मेदनीनगर न.नि.	22.48	177.82	22.36	114.68	12.64	100.54

क्र.सं.	श.स्था.नि. का नाम	स्वयं का राजस्व	कुल प्राप्ति	स्थापना पर व्यय	कुल व्यय	कुल प्राप्तियों में स्वयं के राजस्व का प्रतिशत	स्थापना व्यय में स्वयं के राजस्व का प्रतिशत
8.	फुसरो न.परि.	6.89	111.15	10.47	84.49	6.20	65.81
9.	राँची न.नि.	427.27	2759.11	264.61	2973.38	15.49	161.47
10.	सिमडेगा न.परि.	14.05	129.25	13.67	101.89	10.87	102.78
कुल		712.15	5,450.86	656.59	5,243.69	13.06	108.46

स्रोत: *नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े*

तालिका 2.12 से देखा जा सकता है कि:

• स्वयं के राजस्व का प्रतिशत कुल प्राप्तियों के चार से 18 प्रतिशत (लगभग) के बीच था।

• नमूना-जाँचित 10 में से केवल पाँच श.स्था.नि. अपने स्थापना व्यय को स्वयं के राजस्व से पूरा कर सके।

• केवल राँची नगर निगम ही अपने स्वयं के राजस्व से विकास सम्बन्धी व्यय में पर्याप्त योगदान कर सका।

इस प्रकार, श.स्था.नि. अपने संचालन के लिए केंद्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर थे क्योंकि उनके अपने राजस्व का हिस्सा उनके कुल प्राप्ति की तुलना में कम था।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि श.स्था.नि. को दिए गए अनुदान और ऋण के विरुद्ध व्यय दिखाने वाले लेखों के संकलन के लिए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि विकास सम्बन्धी व्यय में योगदान देने के लिए श.स्था.नि. के अपने स्रोतों से राजस्व में वृद्धि की जाएगी।

2.4.2 केंद्रीय अनुदान

संविधान का अनुच्छेद 280 (3)**(**सी) केंद्रीय वित्त आयोग (के.वि.आ.) को संबंधित रा.वि.आ. की अनुशंसा के आधार पर नगरपालिकाओं के संसाधनों के वृद्धि के लिए राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के उपायों की अनुशंसा करने के लिए निर्दिष्ट करता है।

चौदहवें वित्त आयोग (14वें वि.आ.) ने विभाज्य पूल[26] खाते के प्रतिशत के रूप में श.स्था.नि. को सामान्य बुनियादी अनुदान (बु.अ.) और सामान्य निष्पादन अनुदान (नि.अ.) की अनुशंसा की। 14वें वि. आ. के अनुदान (वित्तीय वर्ष 2015-16 से

[26] *'विभाज्य पूल' केंद्र सरकार के करों जिन्हें वित्त आयोगों की अनुशंसा के अनुरूप इसे राज्य सरकारों के साथ साझा करना चाहिए ,को संदर्भित करता है ।*

वित्तीय वर्ष 2019-20 तक) का आवंटन तथा जारी की गई निधि **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान 14वें वि.आ. के अनुदानों का आवंटन तथा जारी गई निधि

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आवंटन			जारी की गई निधि			कमी
	बु.अ.	नि.अ.	कुल	बु.अ.	नि.अ.	कुल	
2015-16	183.74	0.00	183.74	169.62	0.00	169.62	14.12
2016-17	254.42	75.09	329.51	222.41	69.85	292.26	37.25
2017-18	293.95	84.97	378.92	237.83	67.97	305.80	73.12
2018-19	340.05	96.50	436.55	280.04	0.00	280.04	156.51
2019-20	459.48	126.35	585.83	378.38	0.00	378.38	207.45
कुल	1,531.64	382.91	1,914.55	1,288.28	137.82	1,426.10	488.45

***स्रोत:** न. वि. एवं आ. वि. एवं द्वारा प्रदत्त आँकड़े*

तालिका 2.13 से यह देखा जा सकता है कि ₹ 245.09 करोड़ के नि.अ. सहित ₹ 488.45 करोड़ की राशि का अनुदान कम जारी किया गया था। अनुदान की कम प्राप्ति का कारण अभिलेख में नहीं पाया गया। यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से बकाया अनुदान जारी करने का अनुरोध (अगस्त 2020) किया था।

2.4.3 श.स्था.नि. द्वारा बजट अनुमान

झा.न.अ., 2011 की धारा 108 से 111, यह परिकल्पना करती है कि एक श.स्था.नि. के कार्यकारी प्रमुख आगामी वर्ष के लिए एक बजट अनुमान तैयार करेंगे। महापौर/अध्यक्ष को स्थायी समिति की स्वीकृति हेतु प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से पहले बजट अनुमान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात, परिषद को प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक बजट अनुमान पर विचार करना और मंजूरी देना है और बजट को नगरपालिका प्रशासन निदेशालय (नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मामले में) और राज्य सरकार (नगर निगमों के मामले में) को अग्रेषित करना है। राज्य सरकार या न.प्र.नि. द्वारा प्राप्त बजट अनुमान, राज्य सरकार द्वारा अनुदान से संबंधित प्रावधानों के संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के वर्ष के 31 मार्च से पहले श.स्था.नि. को लौटाए जाने हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि न.वि. एवं आ.वि. का बजट श.स्था.नि. को जारी किए जाने वाले अनुदानों को अलग से दर्शाए बिना योजनावार तैयार किए गए थे। यह भी देखा गया कि नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. ने या तो बजट तैयार नहीं किया या अवास्तविक बजट तैयार किया जैसा कि आगे के कंडिकाओं में बताया गया है।

2.4.3.1 बजट अनुमान तैयार नहीं किया गया

झारखण्ड नगरपालिका लेखा नियमावली (झा.न.ले.नि.), 2012 के नियम 45 के अनुसार, नगरपालिका निधि से कोई व्यय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक व्यय को बजट अनुदान के अधीन न किया गया हो।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. में से पाँच ने कुछ वित्तीय वर्षों में बजट अनुमान तैयार किए बिना व्यय किया था, जैसा कि **तालिका 2.14** में वर्णित है।

तालिका 2.14: बजट अनुमान तैयार न करना और किए गए व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श.स्था.नि. का नाम	वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट तैयार नहीं किया गया	बजट प्रावधान के बिना व्यय
1.	सिमडेगा. न.परि.	2016-17	16.54
2.	खूंटी न.पं.	2016-17 एवं 2020-21	25.41
3.	फुसरो न.परि.	2016-17	9.55
4.	हुसैनाबाद न.पं.	2016-17, 2019-20 एवं 2020-21	34.38
5.	बासुकीनाथ न.पं.	2016-17	9.90
कुल			**95.78**

स्रोत: *नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े*

जैसा कि **तालिका 2.14** से देखा जा सकता है कि पाँच शहरी स्थानीय निकायों ने बिना बजट के ₹ 95.78 करोड़ का व्यय किया था। यह दर्शाता है कि राज्य ने श.स्था.नि. द्वारा तैयार किए बजट को सुनिश्चित किये बिना अनुदान जारी किया था। इस प्रकार, राज्य सरकार या श.स्था.नि. द्वारा उचित बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि कहा (अगस्त 2022) कि श.स्था.नि को प्रत्येक वर्ष बजट तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए जाएँगे।

तथापि, तथ्य यह है कि नमूना-जाँचित पाँच शहरी स्थानीय निकायों ने झा.न.ले.नि., 2012 का उल्लंघन कर ₹ 95.78 करोड़ का व्यय किया था।

2.4.3.2 अवास्तविक बजट

बजट एक वित्तीय योजना है जिसमें प्रस्तावित व्यय और उसके वित्तपोषण के साधनों का वर्णन होता है। इसमें वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियाँ एवं व्यय शामिल होती हैं। इसके अलावा, यह वास्तविक एवं पिछले वर्षों के रुझानों के करीब होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. के बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में व्यापक अंतर पाया जैसा कि **तालिका 2.15** में दिखाया गया है।

तालिका 2.15: नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में बजट अनुमानों और वास्तविक में अंतर

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श.स्था.नि. का नाम	वित्तीय वर्ष	प्राप्तियाँ				व्यय			
			बजट	वास्तविक	अंतर	प्रतिशत अंतर	बजट	वास्तविक	अंतर	प्रतिशत अंतर
1.	बासुकीनाथ न.पं.	2017-18 से 2020-21	167.23	113.97	53.26	31.85	146.90	125.40	21.50	14.64
2.	देवघर न.नि.	2016-17 से 2020-21	2,345.68	505.20	1,840.48	78.46	2,327.91	481.12	1,846.79	79.33
3.	धनबाद न.नि..	2016-17 से 2020-21	5,313.84	1,289.47	4,024.37	75.73	5,053.53	1,035.02	4,018.51	79.52
4.	गोड्डा न.परि.	2016-17 से 2020-21	241.17	185.53	55.64	23.07	217.83	142.62	75.21	34.53
5.	हुसैनाबाद न.पं.	2017-18 से 2018-19	44.89	19.67	25.22	56.18	44.61	31.25	13.36	29.95
6.	खूँटी न.पं.	2017-18 से 2019-20	82.99	69.85	13.14	15.83	82.17	63.85	18.32	22.30
7.	मेदनीनगर न.नि.	2016-17 से 2020-21	515.02	177.81	337.21	65.48	383.03	125.59	257.44	67.21
8.	फुसरो न.परि.	2017-18 से 2020-21	102.23	95.43	6.80	6.65	124.08	74.93	49.15	39.61
9.	राँची न.नि.	2016-17 से 2020-21	10,368.81	2,759.11	7,609.70	73.39	7,242.51	2,973.39	4,269.12	58.95
10.	सिमडेगा न.परि.	2017-18 से 2020-21	282.08	215.11	66.97	23.74	259.71	176.61	83.10	32.00
कुल			19,463.90	5,431.15	14,032.79	72.10	15,882.28	5,229.78	10,652.50	67.07

स्रोत: *नमूना जाँच की गई श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े*

तालिका 2.15 से यह देखा जा सकता है कि वास्तविक, प्राप्तियों के मामले में 72 प्रतिशत तथा व्यय के मामले में 67 प्रतिशत तक कम थे क्योंकि किए गए अनुमान वास्तविक नहीं थे। बजट से संबंधित कार्य-पत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, लेखापरीक्षा अवास्तविक बजट अनुमान तैयार करने के कारणों का विश्लेषण नहीं कर सका।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि वास्तविक बजट तैयार करने के लिए श.स्था.नि. को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.4.3.3 निधियों का कम उपयोग

नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. द्वारा कुल उपलब्ध निधियों, मार्च 2016 तक ₹ 1,381.31 करोड़ की अव्ययित शेष राशि सहित के विरुद्ध किए गए कुल व्यय की तुलना यह दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान श.स्था.नि. द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध निधियों का औसतन लगभग 40 प्रतिशत ही उपयोग कर पाया था जैसा कि **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. की कुल उपलब्ध राशि एवं कुल व्यय

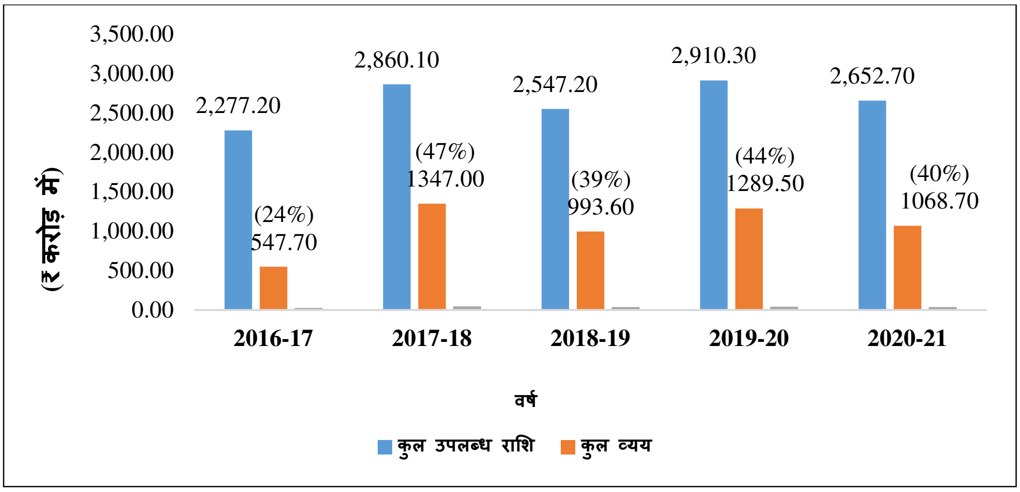

स्रोत: नमूना-जाँचित श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

चार्ट 2.3 से यह देखा जा सकता है कि 10 नमूना-जाँचित किए गए श.स्था.नि. में, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय का प्रतिशत उपलब्ध राशि के 24 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के बीच था। यह भी देखा गया कि मार्च 2021 तक अव्ययित शेष राशि ₹ 1,583.95 करोड़ थी।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि श.स्था.नि. को निर्देशित किया जाएगा कि वे उपलब्ध धन का उचित प्रयोग करते हुए अपनी अव्ययित शेष राशि को न्यूनतम करें।

2.4.4 श.स्था.नि. का स्वयं का राजस्व

झा.न.अ. 2011 की धारा 152 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243एक्स ने श.स्था.नि. को अपने स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए 13 प्रकार के कर[27] लगाने और संग्रह करने का अधिकार दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि झा.न.अ., 2011 में किए गए संशोधन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015-16 से जल कर को समग्र संपत्ति कर में, टोल टैक्स और मनोरंजन कर पर अधिभार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में शामिल किया गया था तथा व्यापार और पेशा कर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संग्रह किया जा रहा था।

---

[27] *1. भूमि और भवनों पर संपत्ति/जोत कर (उपकर सहित) 2. खाली भूमि पर कर 3. भूमि और भवनों के हस्तांतरण पर अधिभार 4. किसी गैर-आवासीय भवन में पार्किंग स्थलों की कमी पर कर 5. जल कर 6. अग्नि कर 7. समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावा विज्ञापनों पर कर 8. मनोरंजन कर पर अधिभार 9. नगरपालिका क्षेत्र के भीतर बिजली के उपभोग पर अधिभार 10. सभाओं पर कर 11. तीर्थयात्रियों और पर्यटकों पर कर 12. टोल कर 13. व्यापार और पेशे पर कर।*

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा शेष नौ प्रकार के करों में से छः प्रकार के कर[28] के आरोपण एवं संग्रहण के संबंध में नियम न बनाये जाने के कथित (नवम्बर 2021) कारण से नमूना-जाँचित श.स्था.नि. केवल तीन करों[29] को आरोपित एवं वसूल कर रहे थे।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि शेष करों के संग्रहण हेतु नियम बनाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

2.4.5 संपत्ति कर

झा.न.अ., 2011 की धारा 153 के अनुसार, (i) राज्य में नगरपालिकाओं में सभी संपत्तियों की गणना या गणना किए जाने और एक डेटाबेस विकसित करने (ii) संपत्ति कर प्रणाली की समीक्षा करने और संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त आधार सुझाने (iii) संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए रूपांकन और पारदर्शी प्रक्रिया तैयार करने (iv) मूल्यांकन प्रक्रिया आदि में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक झारखण्ड संपत्ति कर बोर्ड बनाया जाना था। 13वें के.वि.आ. ने भी संपत्ति कर का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने में नगरपालिकाओं की सहायता करने के लिए राज्य-स्तरीय संपत्ति कर बोर्ड की स्थापना की अनुशंसा (दिसंबर 2009) की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि न.वि. एवं आ.वि. ने 'झारखण्ड संपत्ति कर बोर्ड का गठन और अपील नियम, 2013' अधिसूचित (मई 2014) किया था। हालाँकि, बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। न.वि. एवं आ.वि. ने कहा (जनवरी 2021) कि झारखण्ड संपत्ति कर बोर्ड से संबंधित प्रावधान को अधिनियम में संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। आगे, झारखण्ड नगरपालिका संपत्ति कर (आकलन, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली, 2013 को नगरपालिकाओं के अधीन स्थित संपत्तियों पर वार्षिक किराया निर्धारित करने तथा विभिन्न प्रकार की संपत्तियों (आवासीय, गैर-आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक) पर संपत्ति-कर लगाने के लिए अधिसूचित (फरवरी 2014) किया गया था। नियम 6 के अनुसार, नगरपालिकाओं को राज्य सरकार के अनुमोदन से मकानों का प्रति वर्ग फुट किराया उनकी अवस्थिति, ढाँचों के प्रकार आदि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है।

---

[28] *1. भूमि और भवनों के हस्तांतरण पर अधिभार 2. किसी गैर-आवासीय भवन में पार्किंग स्थलों की कमी पर कर 3. अग्नि कर 4. नगरपालिका क्षेत्र के भीतर बिजली की खपत पर अधिभार 5. सभाओं पर कर और 6. तीर्थयात्रियों और पर्यटकों पर कर।*

[29] *1. भूमि और भवनों पर संपत्ति / जोत कर (उपकर सहित) 2. खाली पड़ी भूमि पर कर और 3. समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावा विज्ञापनों पर कर।*

हालाँकि यह देखा गया कि इन नियमों के अस्तित्व में होने के बावजूद श.स्था.नि. इन क्रियाकलापों को संपन्न नहीं कर सके तथा संपत्ति-कर के आकलन, संग्रहण और वसूली एवं इन कार्यों को निजी अभिकरणों के माध्यम से करवाने के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) जिम्मेवार बना रहा।

2.4.5.1 संपत्ति कर का संग्रह

झा.न.अ, 2011 की धारा 152 (8) के अनुसार, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से नगरपालिकाओं को पाँच साल में एक बार या उससे पहले, वार्षिक किराया मूल्य (एआरवी) पर कर की दर को संशोधित करना चाहिए। पुनश्च, 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, संपत्ति कर की संग्रहण दक्षता निर्धारणीय संपत्तियों पर उठाई गई माँगों की कम से कम 85 प्रतिशत तक होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि झारखण्ड नगरपालिका संपत्ति कर (आकलन, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली, 2013 तथा झा.न.अ, 2011 में प्रावधानों के बावजूद नगरपालिकाओं ने मार्च 2021 तक, अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्तियों के वार्षिक किरायों में संशोधन नहीं किया था और न ही एआरवी पर कर की दर में छः से दस से अधिक वर्षों से संशोधन किया था।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के बीच श.स्था.नि. में संपत्ति कर की वर्षवार माँग एवं संग्रहण की स्थिति **तालिका 2.16** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.16: वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संपत्ति कर की माँग एवं संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	श.स्था.नि. की संख्या	माँग	संग्रहण	संग्रहण *प्रतिशत*
2016-17	41	404.61	76.42	18.90
2017-18	41	435.51	98.22	22.60
2018-19	41	454.77	100.06	22.00
2019-20	42	478.43	108.18	22.60
2020-21	50	169.44	64.81	38.20
कुल		**1,942.76**	**447.69**	**23.04**

स्रोत: *सुडा द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े*

तालिका 2.16 से यह देखा जा सकता है कि कुल संग्रहण, माँग का 23 प्रतिशत था संग्रहण दक्षता में पिछले कुछ वर्षों में सुधार देखा जा रहा है। हालाँकि, यह अनुशंसित संग्रह क्षमता 85 प्रतिशत से काफी कम था।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि श.स्था.नि. को संपत्ति कर के संग्रह को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाएगा, ताकि 85 प्रतिशत की अनुशंसित संग्रहण दक्षता को प्राप्त किया जा सके।

2.4.6 निर्दिष्ट राजस्व

झा.न.अ, 2011 की धारा 162 के अनुसार: (i) राज्य सरकार नगरपालिका क्षेत्र में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क लगा सकती है तथा (ii) एक नगरपालिका की सीमा के भीतर अवस्थित अचल संपत्ति का बिक्री, उपहार और बंधक पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा लगाया गया शुल्क, संपत्ति के मूल्य एवं भोग बंधक[30] पर सुरक्षित राशि[31] के मामले में दो प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। उक्त वृद्धि से होने वाली समस्त वसूली आकस्मिक व्ययों की कटौती के बाद नगरपालिका निधि में जमा की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नगरपालिका क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति के हस्तांतरण पर दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क जो पहले वसूल किया जा रहा था, को राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग (रा.पं. एवं भू.सु.वि.) द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से समाप्त (मई 2004) कर दिया गया था । तथापि झा.न.अ, 2011 में प्रावधान के बावजूद, राज्य सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर बिक्री, उपहार और बंधक पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की कार्रवाई शुरू नहीं की।

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने कहा (अगस्त 2022) कि मौजूदा प्रावधान में संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने झा.न.अ, 2011 में प्रावधानों के बावजूद अतिरिक्त शुल्क लगाने की कार्रवाई शुरू नहीं की।

2.4.7 जल उपयोक्ता शुल्क

झा.न.अ, 2011 की धारा 154 (i) के अनुसार, श.स्था.नि. को जल उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और वसूलने का अधिकार है। न.वि. एवं आ.वि. ने एक प्रस्ताव (मई 2016) के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के लिए झारखण्ड जल उपयोगकर्ता शुल्क नीति, 2016 को लागू किया। नीति के अनुसार, उपभोक्ताओं से वसूले गए जल उपयोगकर्ता शुल्क से उत्पन्न राजस्व, सेवा की वित्तीय लागत के बराबर होना चाहिए ताकि श.स्था.नि. को जलापूर्ति पर अन्य सेवाओं या क्षेत्रों के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को स्थानांतरित या उपभोग करने के लिए हतोत्साहित किया जा सके। पुनश्च, राज्य सरकार ने जल उपयोक्ता शुल्क को लागू करने, संग्रहण तथा दरों के निर्धारण हेतु झारखण्ड जल उपयोगकर्ता प्रभार नीति, 2016 तैयार किया (मई 2016)।

---

[30] *भोग बंधक एक प्रकार का बंधक है, जहां बंधककर्ता संपत्ति का कब्ज़ा और उससे होने वाली आय का आनंद लेने का अधिकार बंधकग्राही को देता है।*

[31] *सुरक्षित राशि भोग बंधक के संदर्भ में बंधकग्राही द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर बंधककर्ता को देय बंधक धन है।*

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 तक जल उपभोक्ता शुल्क की दरों को संशोधित नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान 34 श.स्था.नि. में, जहाँ पाइप से पानी की आपूर्ति मौजूद थी, जल उपभोक्ता शुल्क की माँग एवं संग्रहण की स्थिति **तालिका 2.17** में दी गई है।

तालिका 2.17: वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान जल उपयोक्ता शुल्क की माँग एवं संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	माँग	संग्रहण	माँग का संग्रहण *प्रतिशत*
2016-17	108.45	9.79	9.0
2017-18	126.14	10.32	8.2
2018-19	143.54	12.88	9.0
2019-20	154.50	11.99	7.8
2020-21	174.55	10.28	5.9
कुल	**707.18**	**55.26**	**7.8**

स्रोत: *सूडा द्वारा प्रदान किये गये आँकड़े*

तालिका 2.17 से देखा जा सकता है कि माँग की तुलना में संग्रहण बहुत कम था। नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. में, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 531.05 करोड़ की माँग के विरुद्ध संग्रहण ₹ 46.21 करोड़ (नौ प्रतिशत) था। इसके अलावा, संग्रह, परिचालन एवं अनुरक्षण (परि. एवं अनु.) की लागत ₹ 78.64 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.1)*** का 59 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि सेवा की वित्तीय लागतों को एकत्रित राजस्व से पूरा नहीं किया जा सकता था।

सचिव**,** न.वि. एवं आ.वि. ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि श.स्था.नि. को जल आपूर्ति सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए जल उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

2.4.8 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगिता शुल्क

झा.न.अ, 2011 की धारा 154 (ii), नागरिक सेवाओं के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.अ.प्र.), यानि ठोस कचरे के संग्रह, परिवहन एवं निपटान हेतु उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का प्रावधान करती है। झा.न.अ, 2011 की धारा 252 के अनुसार, ठो.अ.प्र. उपयोगकर्ता शुल्क ठो.अ.प्र. के परि. एवं अनु. लेखे की लागत को पूरा करने के लिए हैं। पुनश्च, राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता शुल्क, जिसे प्रत्येक तीन वर्षों में 10 प्रतिशत बढ़ाया जाना था, को लागू करने, संग्रहण तथा दरों के निर्धारण हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली, 2016 तैयार किया (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा मार्च 2021 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता शुल्क की दरों को संशोधित नहीं किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट उपयोक्ता शुल्क संग्रहण की स्थिति **तालिका 2.18** में दी गई है।

तालिका 2.18: वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान श.स्था.नि. द्वारा ठोस अपशिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण

वित्तीय वर्ष	मौजूद श.स्था.नि. की संख्या	ठोस अपशिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह करने वाले श.स्था.नि की संख्या	ठोस अपशिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह नहीं करने वाले श.स्था.नि की संख्या	संग्रहित राशि (₹ करोड़ में)
2016-17	45	02	43	0.14
2017-18	45	12	33	5.47
2018-19	51[32]	24	27	6.02
2019-20	51	25	26	5.35
2020-21	51	26	25	7.50
कुल				**24.48**

स्रोत: *सूडा द्वारा प्रदान किये गये आँकड़े*

तालिका 2.18 से यह देखा जा सकता है कि ठो.अ.प्र. उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण में श.स्था.नि. के विस्तार में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। तथापि, राज्य में 50 में से 24 (गोमिया को छोड़कर) शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किए जाने के बावजूद उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण अभी प्रारंभ किया जाना बाकी था। इस प्रकार, ये श.स्था.नि. राजस्व के स्रोत से वंचित थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. में ठो.अ.प्र. उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण, परि. एवं. अनु. लागत से बहुत कम था, जैसा कि **तालिका 2.19** में दिखाया गया है।

तालिका 2.19: वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2020-21 के बीच, नमूना-जाँचित श.स्था.नि. में परि. एवं. अनु. लागत और ठो.अ.प्र. उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
कुल संग्रहण	2.02	4.60	5.07	6.51	5.25	**23.45**
परि. एवं अनु. लागत	15.72	46.31	54.89	58.26	55.11	**230.29**
परि. एवं अनु. लागत की तुलना में कुल संग्रह (प्रतिशत में)	12.85	9.93	9.24	11.17	9.53	**10.18**

स्रोत: *श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध प्रदत्त आँकड़े*

तालिका 2.19 से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान परि. एवं अनु. लागत का औसत संग्रहण केवल लगभग 10 प्रतिशत था। उपयोक्ता प्रभारों के कम संग्रहण के कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए।

[32] *जिसमें गोमिया नगर परिषद भी शामिल है, जिसकी अधिसूचना दिसंबर 2020 में रद्द कर दी गई थी।*

सचिव, न.वि. एवं आ.वि. विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2022) कि सभी श.स्था.नि. को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए अपने संग्रहण को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

2.4.9 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा

झारखण्ड के राज्यपाल ने, 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में, नि. एवं ले.प. को प्राथमिक बाह्य लेखापरीक्षकों (इस मामले में, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (नि.,स्था.नि.ले.प.) वित्त विभाग, झा.स. के अंतर्गत) को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (त.मा. एवं स.) प्रदान करने तथा स्थानीय निकायों (स्था.नि.) के लेखों की नमूना जाँच करने का जिम्मा सौंपा (अक्टूबर 2011)। इसके अलावा, झारखण्ड स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 4 के अनुसार, नि.एवं म.ले.प. को स्था.नि. के लेखों के उचित रखरखाव और उसके लेखापरीक्षा पर त.मा.एवं स. प्रदान करना है। अधिनियम की धारा 4, निदेशक,स्था.नि.ले.प द्वारा, अपने लेखापरीक्षकों के माध्यम से या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के माध्यम से स्था.नि. के लेखों की जाँच और लेखापरीक्षा के लिए भी प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने नि.,स्था.नि.ले.प. के कार्यालय के लिए 22 पद[33] सृजित किए थे (मार्च 2013) और नवंबर 2014 में नि., स्था.नि.ले.प. को स्थानीय निकायों के लिए प्राथमिक बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार सृजित पदों में लेखापरीक्षकों के पद शामिल नहीं थे। तथापि, वित्त विभाग के 10 लेखापरीक्षकों को स्था.नि. की लेखापरीक्षा करने के लिए नि.,स्था.नि.ले.प. के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया (अगस्त 2016) था। नि.,स्था.नि.ले.प. ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 40 श.स्था.नि. और वित्तीय वर्ष 2020-21 में छः श.स्था.नि. का लेखा परीक्षा किया। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षकों की कथित कमी के कारण कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई। इसके अलावा, स्वीकृत किए गए 22 पदों के विरुद्ध मार्च 2022 तक नि.,स्था.नि.ले.प. के कार्यालय में केवल दो कर्मचारी (निदेशक और एक सहायक) कार्यरत थे। आगे, यह देखा गया कि इस लेखापरीक्षा को करने के लिए नियम एवं विनियम, साथ ही स्था.नि. की लेखापरीक्षा के लिए त.मा. एवं स. नियमावली भी राज्य सरकार द्वारा बनाई जानी

---

[33] *निदेशक (1), संयुक्त निदेशक (2), अनुभाग अधिकारी (2), निजी सचिव (1), सहायक (4), निजी सहायक (2), कंप्यूटर ऑपरेटर (3), लिपिक (2), चालक (3) और चपरासी (2)।*

बाकी थी (जुलाई 2022)। इस प्रकार, स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा कार्यों को करने के लिए नि.,स्था.नि.ले.प. का कार्यालय पूरी तरह कार्यात्मक नहीं था।

निष्कर्ष

न.वि. एवं आ.वि. ने श.स्था.नि. के लिए अलग-अलग खातों का संकलन नहीं किया था। श.स्था.नि. अपने स्थापना के खर्चों को पूरा करने के लिए भी, केंद्र और राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता पर काफी हद तक निर्भर थे। वे या तो वार्षिक बजट तैयार किए बिना व्यय कर रहे थे या अवास्तविक बजट तैयार कर रहे थे क्योंकि बजट के प्राप्ति एवं व्यय की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ 72 प्रतिशत और वास्तविक व्यय 67 प्रतिशत कम था। इसके अलावा, वे अपने पास उपलब्ध धन का केवल 24 से 47 प्रतिशत ही उपयोग कर सके। नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. में उठाई गई कुल माँग की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान संपत्ति कर और जल उपयोगकर्ता शुल्क की संग्रहण दक्षता क्रमशः केवल 23 प्रतिशत और आठ प्रतिशत थी। नमूना-जाँचित 10 श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क और जल उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण परिचालन एवं अनुरक्षण/संग्रहण लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके बावजूद, श.स्था.नि ने करों एवं उपयोगकर्ता शुल्क की दरों को संशोधित नहीं किया था (मार्च 2021 तक), जबकि झा.न.अ., 2011 के अनुसार तीन से पाँच साल के अंतराल पर इन्हें संशोधित किया जाना था। यद्यपि नवंबर 2014 में नि.स्था.नि.ले.प. का कार्यालय श.स्था.नि. के लेखों की जाँच और लेखापरीक्षा के लिए बनाया गया था लेकिन कर्मचारियों की कमी और विशिष्ट नियमों और विनियमों की अनुपलब्धता के कारण यह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सका।

अनुशंसाएँ

- ***सरकार को श.स्था.नि. के लिए अलग-अलग खातों का संकलन और सभी श.स्था.नि. द्वारा वास्तविक बजट तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए।***
- ***सरकार को उपयोगकर्ता शुल्कों के सुचारू संग्रहण के साथ श.स्था.नि के संसाधनों को बढ़ाने के लिए करों एवं उपयोगकर्ता शुल्कों की दरों में संशोधन सुनिश्चित करना चाहिए।***
- ***नि.,स्था.नि.ले.प. को श.स्था.नि. का नियमित लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना चाहिए।***

अध्याय 3

‘राँची शहर में मल एवं जल निकास व्यवस्था के प्रबंधन’ पर लेखापरीक्षा

अध्याय 3
नगर विकास एवं आवास विभाग

'राँची शहर में मल एवं जल निकास व्यवस्था के प्रबंधन' की लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

नगर विकास और आवास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राँची शहर में एक मल एवं जल निकास व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक परियोजना की योजना बनाई गई थी जिसका उद्देश्य मौजूदा सड़क नालियों के माध्यम से होने वाले अनुपचारित घरेलू सेप्टिक टैंक के बहिःस्राव का अवरोधन और उसका शहर के चारों ओर के तालाबों, नालों और नदियों में सीधे प्रवाह को रोकना था। इस पद्धति के एक बार स्थापित किए जाने पर, नगरपालिका क्षेत्र में भूजल और सतह के पानी के संदूषण और प्रदूषण को सीमित करने के लिए रूपांकित किया गया था।

परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक देरी और इस संबंध में लगातार मीडिया प्रतिवेदनों को देखते हुए परियोजना की लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई कि क्या: (i) मल एवं जल निकास परियोजना का चयन और अनुमोदन शहर के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया था (ii) परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन, मितव्ययता से, संहिता के प्रावधानों के अनुसार गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कर्मकौशल और समयबद्धता से किया गया था और (iii) परियोजना के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिये विभिन्न स्तरों पर निगरानी और निरीक्षण आयोजित किए गए थे।

जून 2006 से मार्च 2021 तक की अवधि की लेखापरीक्षा शहरी विकास एवं आवास विभाग तथा राँची नगर निगम (राँ.न.नि.) में अभिलेखों की जाँच द्वारा मार्च 2021 से जनवरी 2022 के बीच की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राँची शहर में जून 2005 में शुरू की गई मल एवं जल निकास परियोजना 17 साल से अधिक (अगस्त 2022) में पूरी नहीं की जा सकी और इसे पूरा करने की समय सीमा सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक और इसके बाद जनवरी 2023 तक बढ़ा दी गई थी। इसने परियोजना के प्राथमिक उद्देश्य को विफल कर दिया।

यद्यपि सर्वेक्षण कार्य वित्तीय वर्ष 2006-07 में किया गया था और डीपीआर दिसंबर 2007 में अनुमोदित किया गया था, राज्य सरकार ने तीन साल से अधिक समय बाद परियोजना को निष्पादित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2011) और वह भी, धन के स्रोत की पहचान किए बिना। सितम्बर 2014 में परियोजना स्वीकृति

केवल क्षेत्र-I के लिए दी गई थी तथा कार्य सितम्बर 2015 में प्रारंभ हुआ। इस प्रकार, विभाग को क्षेत्र-I में कार्य प्रारंभ करने में सर्वेक्षण की तिथि से लगभग आठ वर्ष लग गए।

चरणों में आवश्यक स्वीकृतियों के कारण परियोजना में अड़चनें आईं क्योंकि बीच की अवधि में, नई सड़कों, भवनों के निर्माण, जमीनी स्तर में बदलाव, स्थानीय निवासियों द्वारा अनुमोदित संरेखण के रास्ते के अधिकार के अतिक्रमण, नई बस्तियों आदि के उद्भव के कारण परियोजना संरेखण का मूल सर्वेक्षण वस्तुतः बेमानी हो गया था। इसने क्षेत्र-I के लिए परियोजना की पूर्णता अवधि को लगभग दो दशकों तक बढ़ा दिया। शेष तीन क्षेत्रों में, परियोजना को नहीं लिया गया था।

परामर्शी (मेसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड) को डीपीआर तैयार करने के लिये ₹ 16.04 करोड़ की राशि का परामर्शी शुल्क का भुगतान निष्फल हो गया क्योंकि नए संरेखण (नए अनुमानों के साथ) के निर्धारण के लिए एक नए सर्वेक्षण के बाद डीपीआर ने क्षेत्र-I में परियोजना के अभीष्ट उद्देश्य को पूरा नहीं किया। शेष तीन जोनों में डीपीआर का उपयोग कोई कार्य करने के लिए नहीं किया गया था और नए सर्वेक्षण/डीपीआर को अद्यतन करने के लिए निविदा मांगी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने राँची सीवरेज और ड्रेनेज (2006) परियोजना की डीपीआर को अद्यतन/संशोधित करने सहित राँची सीवरेज क्षेत्र-I कार्य के साथ एकीकरण के लिए सलाहकार के चयन के लिए ₹ 31.17 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की थी।

राँ.न.नि. की निविदा ने परियोजना के लिए संवेदक (मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड (प्रमुख भागीदार) और मेसर्स विभोर वैभव प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम) के लिये पक्षपात किया। संवेदक के प्रमुख भागीदार के पास निविदा पात्रता के शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुभव और वित्तीय क्षमता नहीं थी और उसने निविदा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। कार्य के निष्पादन के दौरान, संवेदक कार्य स्थल पर आवश्यक जनशक्ति और मशीनरी उपलब्ध कराने में विफल रहा, धीमी प्रगति और दो बार (सितंबर 2018 और मार्च 2019) समय विस्तार देने के बावजूद एकतरफा काम बंद कर दिया। राँ.न.नि. ने अक्टूबर 2019 में अनुबंध समाप्त कर दिया।

जेएमएएम 2012 के उल्लंघन में, संवेदक को 5 प्रतिशत के प्रावधान के विरुद्ध 15 प्रतिशत की दर से मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.93 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। मोबिलाइजेशन अग्रिम की एक किश्त ₹ 18 करोड़ बिना बैंक गारंटी (बीजी)/अन्य दस्तावेज से सुरक्षित किए प्रदान की गई। इस किश्त की बीजी संवेदक द्वारा अग्रिम भुगतान के 10 महीने बाद जमा की गई थी। अन्य दो किश्तों की राशि ₹ 36 करोड़ "चार्टर्ड मर्केंटाइल

एमबी लिमिटेड, लखनऊ" द्वारा जारी बीजी के एवज में दी गई थी। लेखापरीक्षा ने सत्यापन के लिए इन बीजी की प्रतियाँ आरबीआई को भेजीं। आरबीआई ने सूचित किया (दिसंबर 2021) कि उनके पास उक्त बीजी जारी करने वाली इस संस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार, यह न तो अनुसूचित या राष्ट्रीयकृत बैंक था जो परियोजना कार्य के लिए बीजी जारी करने के लिए अधिकृत था।

निष्पादन चरण के दौरान राँ.न.नि. ने संवेदक को अधिक भुगतान किया। यह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (₹ 4.22 करोड़) के सभी घटकों के रूपांकन एवं रेखांकन जमा किए बिना, और चरणबद्ध भुगतान का पालन किए बिना सीवेज पम्पिंग स्टेशन (₹ 75.40 लाख) के लिए एकमुश्त भुगतान और नाली के काम (₹ 1.98 करोड़) के मदों के बढ़े हुए माप के कारण किए गए थे।

वर्षा जल नालों के आंशिक निष्पादन पर ₹ 47.93 लाख का व्यय व्यर्थ था क्योंकि खंड-खंड में निर्मित नालियों के हिस्से किसी भी नाली नेटवर्क से जुड़े नहीं थे और सेप्टिक टैंकों के अपशिष्ट जल से भरे हुए पाए गए थे। इन नालों का निर्माण सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूपांकन के अनुमोदन के बिना शुरू किया गया था और तब से छोड़ दिया गया था।

अनुशंसाएँ

1. विभाग समयबद्ध तरीके से परियोजना मूल्यांकन, अनिवार्य मंजूरी और मंजूरी प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर सकता है।

2. क्षेत्र II, III और IV के लिए डीपीआर का प्रसंस्करण और क्षेत्र-I में चल रही परियोजना के साथ इसका एकीकरण उच्च प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए।

3. विभाग को कार्य के लिए संयुक्त उपक्रम के प्रमुख भागीदार (मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड) जो कि निविदा के लिए अन्यथा अयोग्य था, के पक्ष में निविदा निष्पादन करने में अनियमितता के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

4. विभाग को संवेदक (मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ निविदा प्राप्त करने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज जमा करने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

5. संवेदक को मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने की जाँच की जानी चाहिए और इस संबंध में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

निकास सम्मेलन में सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को स्वीकार किया (अगस्त 2022)।

3.1 प्रस्तावना

झारखण्ड सरकार (झा.स.), नगर विकास एवं आवास विभाग (विभाग), ने राँची शहर में मल एवं जल निकास व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) सेवाएँ प्रदान करने सहित इंजीनियरिंग रूपांकन और निर्माण पर्यवेक्षण के लिए सलाहकार के चयन के लिए एक निविदा आमंत्रित की (जून 2005)। परियोजना में ट्रंक एवं शाखा सीवरों[1] के एक नेटवर्क के माध्यम से घरों से एक कुशल एवं प्रभावी सीवेज संग्रह तंत्र, उपचार और निपटान प्रणाली जो वर्षा जल नालियों के एक जाल द्वारा पूरक होगी, की परिकल्पना की गई थी।

प्रणाली की स्थापना का उद्देश्य शहर में मौजूदा सड़क नालियों के माध्यम से होने वाले अनुपचारित घरेलू सेप्टिक टैंक के बहिःस्राव का अवरोधन और उसका शहर के चारों ओर के तालाबों, नालों और नदियों जैसे जुमार, हरमू, स्वर्णरेखा और उनकी सहायक नदियों में सीधे प्रवाह को रोकना था। इस पद्धति के एक बार स्थापित किए जाने पर, नगरपालिका क्षेत्र में भूजल और सतह के पानी के संदूषण और प्रदूषण को सीमित करने के लिए रूपांकित किया गया था।

परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक देरी और इस संबंध में लगातार मीडिया प्रतिवेदनों को देखते हुए परियोजना की लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई कि क्या: (i) मल एवं जल निकास परियोजना का चयन और अनुमोदन शहर के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया था (ii) परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन, मितव्ययता से, कोड के प्रावधानों के अनुसार गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कर्मकौशल और समयबद्धता से किया गया था और (iii) परियोजना के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिये विभिन्न स्तरों पर निगरानी और निरीक्षण आयोजित किए गए थे।

विभागीय सचिव, राँची नगर निगम (राँ.न.नि.) द्वारा परियोजना के सम्पूर्ण निष्पादन के लिये उत्तरदायी थे। जून 2006 से मार्च 2021 तक की अवधि की लेखापरीक्षा शहरी विकास एवं आवास विभाग तथा राँची नगर निगम (राँ.न.नि.) में अभिलेखों की जाँच द्वारा मार्च 2021 से जनवरी 2022 के बीच की गई।

प्रवेश सम्मेलन विभागीय सचिव के साथ आयोजित किया गया (अगस्त 2021) जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मापदंड[2], कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। एक निकास सम्मेलन विभागीय सचिव के साथ किया गया (अगस्त 2022) में

---

[1] *पार्श्व, कलेक्टर और उप-ट्रंक सीवर*

[2] *(i) झारखण्ड नगरपालिका लेखा संहिता (जे एम ए एम), 2012, (ii) झारखण्ड लोक कार्य लेखा एवं विभागीय कोड (iii) केंद्रीय सार्वजानिक स्वास्थ्य और अभियंत्रण संगठन (सीपीएचईईओ) द्वारा जारी सीवरेज और ड्रेनेज संहिता (iv) केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी निर्देशिका (v) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत जारी निर्देशिका और (vi) केंद्रीय/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जारी निर्देश*

किया गया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर चर्चा की गई। सचिव लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सहमत थे और उन्होंने सभी लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को स्वीकार किया सिवाय परियोजना के शेष कार्य की निविदा देने में शामिल अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से संबंधित अनुशंसाएँ जो कि इस आधार पर कि निविदा के निपटान में अनियमितताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई कर ली गई थी।

परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान हुए घटनाक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा जब से यह परिकल्पित की गई थी, अनुवर्ती कंडिकाओं में दी गई है।

विभाग ने मेसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड को सीवेज प्रणाली की स्थापना के परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) की सेवाएँ, ₹ 21.40 करोड़[3] के परामर्श शुल्क पर जिसे संशोधित कर ₹ 17.56 करोड़[4] किया गया था (दिसंबर 2015), प्रदान करने के लिए नियुक्त किया (जून 2006)। लेखापरीक्षा निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता और सलाहकार के चयन का मूल्यांकन नहीं कर सका क्योंकि निविदा मूल्यांकन दस्तावेज माँगे जाने पर भी (जुलाई 2021 और दिसंबर 2021) लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया (दिसम्बर 2021) कि परामर्शी के चयन हेतु निविदा एवं संबंधित संचिकाएँ परामर्शी के चयन में कथित अनियमितताओं की जाँच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सौंप दिया गया था (दिसंबर 2020)। एसीबी ने इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की थी (फरवरी 2022)।

परामर्शी ने मल एवं जल निकास व्यवस्था को स्थलाकृतिक मापदंडों[5] के आधार पर चार क्षेत्र (I, II, III और IV) में विभाजित करके एक डीपीआर प्रस्तुत की (दिसंबर 2007), जिसकी परियोजना लागत ₹ 1,649.82 करोड़ रुपये थी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत, राँ.न.नि. के माध्यम से परियोजना का निर्माण शुरू करने के कैबिनेट निर्णय (जुलाई 2011) के आधार पर, राज्य सरकार[6] ने शहरी विकास मंत्रालय (श.वि.मं.), भारत सरकार (भा.स.) को परियोजना प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भेजा (फरवरी 2012)। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ), श.वि.मं, भा.स. द्वारा

---

[3] *रूपांकन चरण के लिए परामर्शी शुल्क: ₹ 16.04 करोड़ (जिसमें स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, मृदा जाँच, डीपीआर तैयार करना, विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइनिंग, लागत अनुमान, बोली प्रबंधन कार्य जैसे बोली दस्तावेज तैयार करना, निविदा का मूल्यांकन आदि शामिल है) और निर्माण चरण के लिए ₹ 5.36 करोड़ (जिसमें माप/मात्रा का प्रमाणीकरण, कार्य का पर्यवेक्षण, गुणवत्ता आश्वासन और परियोजना का समय पर निष्पादन शामिल था)*

[4] *चारों जोन के स्थान पर केवल जोन-I में निर्माण पर्यवेक्षण उपलब्ध कराने हेतु*

[5] *ढलान, जल निकाय और उपचार/अंतिम निपटान बिंदु का स्थान*

[6] *जेएनएनयूआरएम के तहत राज्य स्तरीय संचालन समिति*

एक मूल्यांकन टिप्पणी के आलोक में ₹ 1,519.25 करोड़ की परियोजना की पुष्टि (जनवरी 2013) की गई।

तथापि, भारत सरकार ने झारखण्ड के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के भीतर ₹ 302.26 करोड़ की लागत पर केवल क्षेत्र I में परियोजना कार्य को मंजूरी दी (जनवरी 2014)। राज्य सरकार ने शेष तीन क्षेत्रों (II, III और IV) में ₹ 1,216.99 करोड़ की लागत की परियोजना बाहरी सहायता प्राप्त निधियों के माध्यम से लेने का निर्णय लिया (जनवरी 2014)।

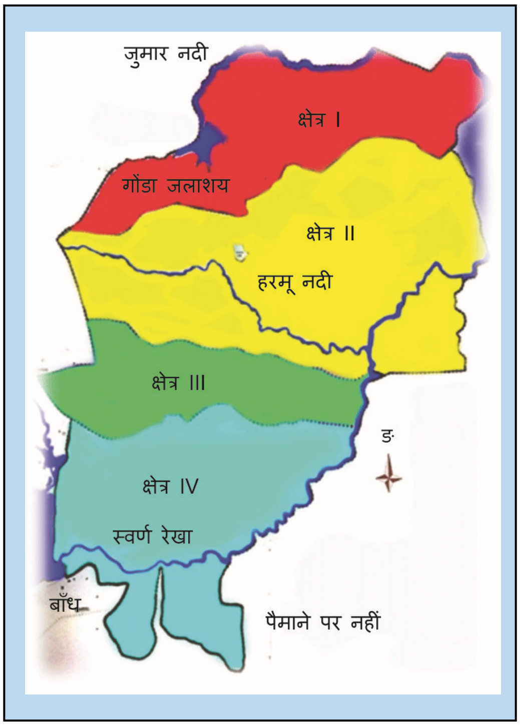

वित्तीय वर्ष 2006-07 में किए गए पुराने संरेखण/सर्वेक्षण के आधार पर और परियोजना के निष्पादन की संभावनाओं पर लगभग आठ वर्षों में शहर के तेजी से हुए शहरीकरण के संभावित प्रभावों को बिना ध्यान में रखे क्षेत्र I में निर्माण कार्य की निविदा की गई (मार्च 2015) और एक संवेदक (मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स विभोर वैभव इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम (जेवी)) को ₹ 359.25 करोड़ में दिया गया (अक्टूबर 2015)। कार्य में एक सीवर नेटवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), सीवेज पम्पिंग स्टेशन (एसपीएस), वर्षा जल नालियों का निर्माण और पाँच साल के लिए एसटीपी और एसपीएस का संचालन और रखरखाव शामिल था ***(परिशिष्ट 3.1)***।

नगर आयुक्त, राँ.न.नि. और जेवी संवेदक के बीच सितंबर 2017 तक परियोजना को पूरा करने के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया था (अक्टूबर 2015)। इसे बाद में मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया था (अगस्त 2018)। राँ.न.नि. ने संवेदक द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण अनुबंध समाप्त कर दिया (अक्टूबर 2019)। अनुबंध की समाप्ति (अक्टूबर 2019) के समय ₹ 84 करोड़ मूल्य का केवल 23 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया था।

कार्य का दायरा कम कर दिया गया था और शेष कार्य मार्च 2023 तक पूरा करने के लिए ₹ 218.87 करोड़ की लागत पर एक अन्य संवेदक (मेसर्स एलसी इंफ्रा प्राइवेट

लिमिटेड) को दिया गया था (फरवरी 2021)। हालाँकि, यह देखा गया कि फरवरी 2022 तक ₹ 24 करोड़ मूल्य का केवल 11 प्रतिशत कार्य निष्पादित किया गया था।

परियोजना के अक्टूबर 2015 से सितंबर 2017 तक के निर्माण चरण का पर्यवेक्षण मेसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था जिसके लिए राँ.न.नि. ने ₹ 1.05 करोड़ का भुगतान किया। परामर्शी द्वारा पर्यवेक्षण की लागत में वृद्धि के कारण पर राँ.न.नि. ने सितंबर 2017 से आगे पीएमसी सेवा का विस्तार नहीं किया। राँ.न.नि. ने निर्माण कार्यों की पर्यवेक्षण सेवाओं के लिये फिर से निविदा आमंत्रित की (दिसंबर 2017) और फरवरी 2018 से जनवरी 2020 तक दो साल के लिए ₹ 1.46 करोड़[7] में एक अन्य सलाहकार (मेसर्स वैपकोस लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम) को काम दिया (जनवरी 2018)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2 परामर्शी सेवाएँ

3.2.1 परामर्शी सेवाओं पर ₹ 16.04 करोड़ का निष्फल व्यय

मेसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2006-07 में परियोजना का सर्वेक्षण किया और परियोजना के डीपीआर को चार क्षेत्रों (I, II, III और IV) में विभाजित करके प्रस्तुत किया (दिसंबर 2007)। विभाग के मुख्य अभियंता ने डीपीआर का अनुमोदन किया (दिसम्बर 2007) तथा राज्य सरकार ने जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु भा.स. को अग्रेषित किया (फरवरी 2012)। भारत सरकार ने परियोजना के केवल क्षेत्र-I भाग को मंजूरी दी (जनवरी 2013)।

क्षेत्र-I में परियोजना के निष्पादन के लिए, विभाग ने सर्वेक्षण के वर्ष (वित्तीय वर्ष 2006-07 में किए गए) से कार्य प्रारंभ करने में लगभग आठ वर्ष (अक्टूबर 2015) लिए। हालाँकि, इन बीच के वर्षों में शहर का त्वरित शहरीकरण (जिसमें जनसंख्या में वृद्धि, नई बस्तियों का उदय आदि देखा गया) और पुराने संरेखण के आधार पर परियोजना को क्रियान्वित करने की व्यवहार्यता को नहीं देखा गया। विभाग ने सीपीएचईईओ की सलाह पर, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या अनुमानों को संशोधित करने के अलावा परामर्शी को नगरपालिका क्षेत्र का कोई नया सर्वेक्षण और भू-तकनीकी जाँच करने के लिए भी नहीं कहा।

---

[7] *पीएमसी सेवाओं के लिए वैपकोस लिमिटेड की परामर्श शुल्क दरें ₹ 62.95 लाख और जीएसटी @18 प्रतिशत प्रति वर्ष थीं।*

परिणामस्वरूप, संवेदक, जिसे परियोजना के निष्पादन का काम दिया गया था, डीपीआर के आँकड़ों (सलाहकार- मेसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया) को नए सड़कों, भवनों के निर्माण, जमीन के स्तरों में परिवर्तन, स्थानीय निवासियों द्वारा स्वीकृत संरेखण के रास्ते के अधिकार का अतिक्रमण, नई बस्तियों का उदय इत्यादि के कारण वास्तविक जमीनी परिस्थितियों के साथ मिलान करने में असमर्थ था। इसलिए, विभाग संवेदक को नए सिरे से सर्वेक्षण करने और सीवरेज नेटवर्क को फिर से रुपांकन करने के लिए, सौंपने को मजबूर होना पड़ा।

राँ.न.नि. ने संवेदक (मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स विभोर वैभव इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का जेवी) के साथ सीवर के संशोधित सर्वेक्षण और पुनर्रचना के लिए ₹ 1.41 करोड़ मूल्य का एक पूरक समझौता निष्पादित किया (अप्रैल 2018)। संवेदक को सर्वेक्षण और पुनर्रचना से संबंधित कार्य के लिए ₹ 1.21 करोड़ का भुगतान किया गया (अप्रैल 2018) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीवरेज नेटवर्क का 280 किमी तक विस्तार शामिल है, जो पहले 192 किमी की लंबाई तक स्वीकृत था।

यद्यपि राज्य सरकार ने बाहरी सहायता प्राप्त निधियों के माध्यम से तीन शेष क्षेत्रों (II, III और IV) में परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया (जनवरी 2014), इन तीन क्षेत्रों में एक नया सर्वेक्षण करने और डीपीआर को अद्यतन करने के लिए एक परामर्शी के चयन के लिए निविदाएँ लगभग सात वर्षों के बाद (दिसंबर 2021) आमंत्रित किए गए थे। लेखापरीक्षा पूर्ण होने तक (फरवरी 2022) इन क्षेत्र में कोई कार्य नहीं लिया गया था।

इस प्रकार, डीपीआर (मेसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार) ने परियोजना के क्षेत्र-I में इच्छित उद्देश्य को पूरा नहीं किया था क्योंकि नए संरेखण (नए आकलनों के साथ) के लिए एक नया सर्वेक्षण करना पड़ा। डीपीआर का उपयोग शेष तीन जोनों में किसी भी कार्य को लेने के लिए नहीं किया गया है और डीपीआर के नए सर्वेक्षण/अद्यतन करने के लिए निविदा प्रक्रियाधीन थी (अगस्त 2022)। राज्य मंत्रिमंडल ने राँची मल एवं जल निकास (2006) परियोजना के डीपीआर को अद्यतन/संशोधित करने के लिए, जिसमें राँची सीवरेज क्षेत्र-I कार्य के साथ एकीकरण शामिल है, परामर्शी के चयन के लिए ₹ 31.17 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की थी (14 सितंबर 2022)। अत: डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शी शुल्क पर किया गया ₹ 16.04 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (जून 2022) और कहा कि परियोजना के क्षेत्र II, III और IV के डीपीआर को तैयार कराने, क्षेत्र-I के साथ एकीकरण के लिए विभाग की एक अन्य एजेंसी (जुडको लिमिटेड[8]) द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

अनुशंसा 1: *विभाग समयबद्ध तरीके से परियोजना मूल्यांकन, अनिवार्य मंजूरी और मंजूरी प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर सकता है ।*

3.2.2 डीपीआर तैयार करना

(i) मल उत्पादन का कम अनुमान

मल उत्पादन का अनुमान जनसंख्या अनुमानों के आधार पर किया जाता है। सीपीएचईईओ संहिता का कंडिका 2.6.2 निर्धारित करता है कि जनसंख्या का पूर्वानुमान किसी भी उपयुक्त विधि जैसे कि अंकगणितीय या ज्यामितीय प्रगति पद्धति, चित्रमय प्रक्षेपण या वृद्धिशील वृद्धि विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के बीच जनसंख्या का घनत्व/वितरण, नगर नियोजन प्राधिकरणों द्वारा तैयार किए गए शहर के मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार की सापेक्ष संभावना के आधार पर निकाला जाता है।

डीपीआर में, परामर्शी (मेसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड) ने वर्ष 2046 तक 230 एमएलडी मल के उत्पादन (जनगणना 2011 के आधार पर) का आकलन[9] किया था जबकि 2012 में तैयार किये गए राँची मास्टर प्लान में वर्ष 2037 तक 391.55 एमएलडी सीवेज (जनगणना 2011 के आधार पर) का उत्पादन (अवधि 2012-2037 के लिए) अनुमानित था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि परामर्शी ने जनसंख्या प्रक्षेपण के लिए अपनाई गई विधि का उल्लेख नहीं किया था, जिसके आधार पर मल उत्पादन की गणना[10] की गई थी। इसके अलावा, डीपीआर ने मल उत्पादन के आँकड़े निकालने में, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिए फर्श क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर[11]) के

---

[8] *झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको लिमिटेड) - शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत एक राज्य पीएसयू*

[9] *2013 में, सीपीएचईईओ ने राज्य सरकार को 2011 की जनगणना के आधार पर अनुमानों को अद्यतन करने का निर्देश दिया*

[10] *135 एलपीसीडी के साथ 5 प्रतिशत रिसाव की दर से 80 प्रतिशत जलापूर्ति*

[11] *एफएआर उस क्षेत्र के बीच संबंध को संदर्भित करता है जिस पर एक इमारत का निर्माण किया जाता है और भवन का फर्श क्षेत्र जो प्रयोग करने योग्य है या उपयोग करने की अनुमति है। एफएआर की गणना कुल भवन फर्श क्षेत्रफल/ कुल प्लॉट क्षेत्रफल के रूप में की जाती है। राँची मास्टर प्लान (2012-37) में नगरपालिका क्षेत्रों के लिए एफएआर का अधिकतम मान 2.5 और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 3 निर्धारित किया गया था।*

आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित जनसंख्या के वितरण को आकलित नहीं किया था जैसा कि राँची मास्टर प्लान (2012-37) में वर्णित है। परिणामस्वरूप, शहर के मास्टर प्लान की तुलना में डीपीआर में मल उत्पादन का कम अनुमान (41 प्रतिशत तक) था।

विभाग ने सितंबर 2014 में परियोजना (क्षेत्र I में) को प्रशासनिक स्वीकृति देने से पहले परामर्शी को मास्टर प्लान के साथ इन अंतरों का समाधान करने का निर्देश नहीं दिया। यह जोखिम से भरा है कि क्षेत्र-I के लिए सीवर लाइन, पम्पिंग स्टेशन और एसटीपी की क्षमता मध्यवर्ती वर्ष 2031 में ही उत्पन्न मल को निपटाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि पीएमसी के कार्यक्षेत्र में संवेदक के रूपांकन एवं रेखांकन की जाँच शामिल थी और मामले की जाँच परामर्शी से की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने परियोजना को तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति देने से पहले, सीपीएचईईओ संहिता के अनुसार राँची मास्टर प्लान के आँकड़ों के साथ अनुमानित मल उत्पादन में अंतर का समाधान नहीं किया था और कम मल उत्पादन के प्रक्षेपण के आधार पर कार्य को आगे बढ़ाया था।

(ii) आवश्यकता से कम क्षमता वाले मल पंपिंग स्टेशन

सीपीएचईईओ संहिता के पैरा 2.5 के अनुसार, सीवेज पम्पिंग स्टेशन (एसपीएस) की रूपांकन अवधि आधार[12] वर्ष से 30 वर्ष होनी चाहिए।

डीपीआर में परामर्शी ने 10.2 एमएलडी क्षमता के एसपीएस की स्थापना की अनुशंसा की थी (दिसम्बर 2007)। राँ.न.नि. ने ₹ 5.80 करोड़ की लागत (टर्नकी आधार पर) से 10.2 एमएलडी क्षमता के एसपीएस के निर्माण के लिए संवेदक के साथ एक इकरारनामा निष्पादित किया (सितंबर 2015)। वार्ड 32 से 35 के नगरपालिका क्षेत्रों से आने वाले सीवेज को मुख्य ट्रंक लाइन की ओर उठाने के लिए एसपीएस का निर्माण किया जाना था।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि वार्ड 32 से 35 के जनसंख्या अनुमानों (परामर्शी द्वारा किए गए) के आधार पर एसपीएस की आवश्यक क्षमता कम से कम 14.91 एमएलडी होनी चाहिए जैसा कि **तालिका 3.1 और 3.2** में दिखाया गया है:

[12] *'आधार वर्ष' उस वर्ष को संदर्भित करता है जिसमें व्यवस्था चालू हो जाएगा*

तालिका 3.1: वार्ड 32 से 35 के लिए जनसंख्या अनुमान

जनसंख्या	वर्ष 2016 (आधार वर्ष)	वर्ष 2031 (मध्यवर्ती वर्ष)	वर्ष 2046 (रूपांकन वर्ष)
वार्ड 32 से 35	95,572	1,13,299	1,31,463

एसपीएस की आवश्यक क्षमता की गणना **तालिका 3.2** में दिखाई गई है

तालिका 3.2: एसपीएस की आवश्यक क्षमता की गणना

रूपांकन वर्ष (आधार वर्ष 2016 से 30 वर्ष)	2,046
जनसंख्या	1,31,463
जलापूर्ति की दर	135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
प्रतिदिन कुल जलापूर्ति (वार्ड 32 से 35 में)	1,77,47,505 लीटर /दिन
औसत सीवेज उत्पादन[13] (जलापूर्ति का 80 प्रतिशत)	1,41,98,004 लीटर /दिन
कुल सीवेज उत्पादन (पाँच प्रतिशत रिसाव के साथ)	1,49,07,904 लीटर /दिन
इस प्रकार, एमएलडी में एसपीएस की आवश्यक क्षमता	14.91 एमएलडी

संवेदक ने एसपीएस का सिविल कार्य पूरा किया और ₹ 3.89 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया (फरवरी 2022)। इस प्रकार, निर्मित एसपीएस की क्षमता आवश्यक क्षमता से 4.71 एमएलडी कम थी जिसके परिणामस्वरूप जब भी इसे उपयोग में लाया जायेगा तो व्यवस्था खराब हो सकता है।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि रूपांकित प्रतिवेदन में एसपीएस की क्षमता 15.776 एमएलडी (औसत प्रवाह) और 34.496 एमएलडी (अधिकतम प्रवाह) रखी गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संवेदक के साथ शेष कार्य के अनुबंध (फरवरी 2021) में एसपीएस की क्षमता 10.2 एमएलडी बताई गई। इसलिए, 15.776 एमएलडी (औसत प्रवाह पर) और 34.496 एमएलडी (अधिकतम प्रवाह पर) के लिए रूपांकित प्रतिवेदन अप्रासंगिक थी क्योंकि एसपीएस का कार्य केवल 10.2 एमएलडी की क्षमता के निष्पादन के लिए लिया गया।

(iii) जलमग्न क्षेत्रों में मुख्य ट्रंक लाइन का गलत खाका (लेआउट)

डीपीआर में, परामर्शी (मेसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड) ने जुमार नदी के साथ-साथ 11.736 किमी[14] की मुख्य ट्रंक लाइन के संरेखण को रूपांकित किया। स्वीकृत डीपीआर में मुख्य ट्रंक व नेटवर्क लाइन का ले-आउट शासकीय भूमि पर दर्शाया गया था। मुख्य अभियंता (राँ.न.नि.) ने तकनीकी स्वीकृति देने से पहले कार्य स्थल के साथ मुख्य ट्रंक और नेटवर्क लाइनों के रूपांकन एवं रेखांकन खाका (लेआउट) की दोबारा जाँच नहीं की।

---

[13] *स्वीकृत डीपीआर में, प्रति व्यक्ति अपशिष्ट जल प्रवाह को जल आपूर्ति (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) का 80 प्रतिशत माना गया था।*

[14] *1000 एमएम और 1200 एमएम व्यास के एनपी3 आरसीसी पाइप*

नए परामर्शी (वैपकोस लिमिटेड) ने इंगित किया (मई 2020) कि बरसात के मौसम में ट्रंक लाइन नदी के पानी में डूब सकती है और सुझाव दिया कि पानी के डूबने और ट्रंक लाइन बेड कटाव से बचाने के लिए ट्रंक लाइन के मार्ग को बदलने के लिए एक सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि ट्रंक लाइन के मार्ग को बदलने के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण आवश्यक था। हालाँकि, (लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार) ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि स्वीकृत डीपीआर में न तो इस तरह के अधिग्रहण का प्रावधान किया गया था और न ही आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी।

लेखापरीक्षा ने, राँ.न.नि. के अधिकारियों के साथ, कार्य स्थलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया (20 अक्टूबर 2021) और देखा कि आठ किलोमीटर के दायरे में मुख्य ट्रंक लाइन नहीं बिछाई गई थी। कार्य स्थल पर पाइप बेकार पड़े पाए गए **(चित्र 3.1)**। इस प्रकार, सीवरेज नेटवर्क का लगभग 115 किमी (कुल 192 किमी के नेटवर्क का 60 प्रतिशत) एसटीपी से नहीं जुड़ेगा।

चित्र 3.1: लेम-बड़गाई पुल जुमार नदी के पास अधूरी मुख्य ट्रंक लाइन(20 अक्टूबर 2021)

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2022) और कहा कि ट्रंक लाइन के जलमग्न होने से निपटने के लिए अतिरिक्त संरचनाओं के आकलन के साथ-साथ शेष ट्रंक लाइन बिछाने के लिए आवश्यक भूमि की गणना की जा रही थी।

(iv) परामर्शी द्वारा अपर्याप्त सर्वेक्षण करना

डीपीआर में, राँची के कुछ बिखरे हुए क्षेत्रों/पॉकेटों को निचले इलाकों के रूप में चिन्हित किया गया था। मुख्य सीवर लाइनों के प्रस्तावित स्तर की तुलना में इन क्षेत्रों के जमीनी स्तर को कम (चार से पाँच मीटर तक परिवर्तनीय) बताया गया था। परामर्शी ने उल्लेख किया कि सीवर लाइन को अत्यधिक गहरा करने या सीवर की गहराई का मुकाबला करने के लिए कई इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन (आईपीएस)

लगाने से बचने के लिए इन छोटे समूहों को मुख्य सीवर लाइनों से नहीं जोड़ा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परामर्शी ने इन निचले इलाकों के सटीक स्थान और प्रस्तावित सीवरेज नेटवर्क से बाहर किए जाने वाले घरों की संख्या का उल्लेख नहीं किया। डीपीआर ने इन क्षेत्रों के घरों के लिए, सीवरेज प्रणाली के दायरे से बाहर करते हुए ऑनसाइट सैनिटेशन (सोखने वाले गड्ढों के साथ सेप्टिक टैंक) प्रस्तावित किया।

आगे, कार्य के निष्पादन (अगस्त 2021) के दौरान, संवेदक ने अतिरिक्त छः आईपीएस की आवश्यकता बताई थी। उनके स्थान, क्षमता, हाइड्रोलिक रूपांकन, आवश्यक भूमि के क्षेत्र आदि के बारे में विवरण, माँगें जाने के बावजूद (दिसंबर 2021) लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, शर्तों के साथ तैयार किये गए डीपीआर ने पूरे शहर के लिए मल एवं जल निकास व्यवस्था स्थापित करने के समग्र उद्देश्य को सीमित कर दिया।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि परियोजना एक पुराने डीपीआर (2006-07) के आधार पर शुरू की गई थी और निष्पादन के दौरान पुनर्सर्वेक्षण किया गया था तथा आईपीएस प्रदान किया गया था। हालाँकि, तथ्य यह है कि राँची शहर के निचले इलाकों का विवरण और इन क्षेत्रों में घरों को क्षेत्र-I की सीवरेज प्रणाली से जोड़ने की पद्धति को डीपीआर में शामिल नहीं किया गया था।

अनुशंसा 2: *क्षेत्र II, III और IV के लिए डीपीआर का प्रसंस्करण और क्षेत्र-I में चल रही परियोजना के साथ इसका एकीकरण उच्च प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए।*

3.2.3 परियोजना का कार्यान्वयन

3.2.3.1 निविदा

निविदा दस्तावेजों के अनुसार, संवेदक, या तो एकल या संयुक्त उपक्रम (जेवी), जो परियोजना के लिए बोली लगाना चाहते हैं, को अन्य बातों के साथ-साथ (i) कम से कम 150 कि.मी. लंबाई में सीवरेज/वर्षा जल पाइपलाइन बिछाने का अनुभव होना आवश्यक था (ii) एक अनुबंध में ₹ 100 करोड़ के न्यूनतम मूल्य के समान कार्य किए हो (iii) एक ही अनुबंध में 30 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के रूपांकन, निर्माण और प्रवर्तन में अनुभव रखते हो और (iv) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ₹ 302 करोड़ औसत का वित्तीय कारोबार हो।

निविदा का मूल्यांकन क्रय समिति[15] (क्र.स.) द्वारा किया जाना था जिसमें अध्यक्ष के रूप में मेयर और सदस्य के रूप में नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, उप नगर आयुक्त और मुख्य लेखा अधिकारी शामिल थे।

क्रय समिति ने 10 इच्छुक बोलीदाताओं के साथ एक पूर्व-बोली बैठक आयोजित की (अप्रैल 2015), जिसमें पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत वित्तीय कारोबार की सीमा को ₹ 302 करोड़ से घटाकर ₹ 242 करोड़ कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार[16] फर्मों ने निविदा में भाग लिया था। समिति ने तकनीकी बोलियों को खोला (मई 2015) और तुलनात्मक विवरणों के मूल्यांकन और तैयारी के लिए उन्हें पीएमसी (मेसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड) को भेज दिया। पीएमसी ने राय दी (मई 2015) कि सभी चार फर्में तकनीकी रूप से योग्य थीं लेकिन इंगित किया कि एक फर्म[17] ने किसी भी सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में डाले जाने की स्थिति पर अनिवार्य जानकारी का खुलासा नहीं किया था। क्र.स. ने उक्त फर्म को अयोग्य घोषित कर दिया (जून 2015) और शेष तीन फर्मों (सभी जेवी) को तकनीकी रूप से अनुपालन करने वाली घोषित कर दिया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि क्रय समिति ने वित्तीय बोलियों को खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इन तीन फर्मों के दस्तावेजों को विभाग को अग्रेषित किया। विभाग के तकनीकी प्रकोष्ठ ने संचालन एवं अनुरक्षण में एक वर्ष का अनुभव न होने के आधार पर तीन फर्मों में से एक[18] को अयोग्य घोषित कर दिया। परिणाम स्वरुप निविदा में सिर्फ दो फर्म ही रह गईं।

(i) अपात्र एवं अनुभवहीन संवेदक को निविदा प्रदान करना

क्रय समिति ने दो फर्मों की वित्तीय बोली खोली (जुलाई 2015) और मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्रा. लिमिटेड और मेसर्स विभोर वैभव प्रा. लिमिटेड (जेवी) द्वारा दी गई दर को सबसे कम बताया। नगर आयुक्त, राँ.न.नि. ने जेवी को ₹ 359.25 करोड़ (परिमाण विपत्र से 18.85 प्रतिशत अधिक) पर निविदा प्रदान की (जुलाई 2015) और 24 माह (अर्थात् सितम्बर 2017 तक) में कार्य पूरा करने के लिए एक इकरारनामा निष्पादित (सितंबर 2015) किया।

---

15 *झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011/जेएमएएम, 2012 के अनुसार स्थापित*

16 *(1) मेसर्स एलएंडटी- इको प्रोटेक्शन इंजीनियर्स (जेवी) (2) मेसर्स सिम्पलेक्स-जीईसीपीएल (जेवी) (3) मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक-विभोर वैभव इंफ्रा प्रा. लिमिटेड (जेवी) और (4) मेसर्स एसएसजी इंफ्राटेक-अभ्युदय हाउसिंग (जेवी)*

17 *मेसर्स सिम्पलेक्स-जीईसीपीएल (जेवी)*

18 *मेसर्स एसएसजी इंफ्राटेक-अभ्युदय हाउसिंग (जेवी)*

निविदा संचिकाओं की लेखापरीक्षा जाँच से निम्न का पता चला:

- मेसर्स विभोर वैभव प्रा. लिमिटेड (जेवी साथी) ने नगर आयुक्त, राँ.न.नि. को सूचित किया (अगस्त 2019) कि मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्रा. लिमिटेड (प्रमुख भागीदारी) ने उनकी फर्म के जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज जमा करके जेवी के नाम से निविदा प्राप्त की थी क्योंकि उन्होंने न तो काम के लिए निविदा में भाग लिया था और न ही उनका राँची के लिए मल एवं जल निकास परियोजना से कोई संबंध था।

- जेवी के प्रमुख भागीदारी ने मेसर्स विभोर वैभव प्रा. लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उपक्रम इकरारनामा (दिनांक 25 अप्रैल 2015 का) निविदा में भाग लेने के लिए जमा किया था। उक्त समझौते के कागजात में, दोनों व्यक्तिगत फर्मों के महाप्रबंधकों (जीएम) ने हस्ताक्षर किए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि मेसर्स विभोर वैभव इंफ्रा प्रा. लिमिटेड के निदेशक के हस्ताक्षर, जिसने कथित तौर पर संयुक्त उपक्रम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने जीएम को एक प्राधिकार पत्र जारी किया था, फर्म की बैलेंस शीट (वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए) में दर्ज उनके हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता था। ये कागजात बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न पाए गए थे, लेकिन निविदा का मूल्यांकन करते समय क्रय समिति/पीएमसी द्वारा अनदेखा कर दिए गए थे।

- जेवी के नाम पर काम सौंपे जाने के बाद फर्मों द्वारा न तो जेवी समझौते की पंजीकृत प्रति और न ही कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी के रूप में जेवी के निगमन की प्रति प्रस्तुत की गई। राँ.न.नि. ने इकरारनामा के निष्पादन से पहले इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया था।

- यद्यपि निविदा जेवी को प्रदान की गई थी, ₹ 3.02 करोड़ की बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में बोली गारंटी, जेवी के बजाय मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्रा. लिमिटेड द्वारा जमा की गई (अप्रैल 2015)। इसके अलावा, बीजी के रूप में ₹ 14.94 करोड़ मूल्य की निष्पादन प्रतिभूतियाँ भी संयुक्त उपक्रम के बजाय मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्रा. लिमिटेड द्वारा जमा की गई थी।

- मेसर्स विभोर वैभव इंफ्रा प्रा. लिमिटेड के जीएम के पहचान दस्तावेजों (जैसे कर्मचारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि), जिसने जेवी समझौते पर कथित तौर पर हस्ताक्षर किए थे, बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न नहीं पाए गए । इस प्रकार, जेवी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की पहचान सरकारी अभिलेखों से सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी।

- मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्रा. लिमिटेड के पास एक इकरारनामा में 30 एमएलडी क्षमता के एसटीपी को रूपांकन, निर्माण और चालू करने का अपेक्षित अनुभव नहीं था जबकि मेसर्स विभोर वैभव इंफ्रा प्रा. लिमिटेड ने 56 एमएलडी का एसटीपी स्थापित किया था। इस प्रकार, मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्रा. लिमिटेड जेवी साझीदार के बल पर तकनीकी मूल्यांकन में पात्र हुआ।

- सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ₹ 242 करोड़ के औसत वित्तीय टर्नओवर की आवश्यकता के मुकाबले मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्रा. लिमिटेड का औसत वित्तीय टर्नओवर केवल ₹ 157.11 करोड़ था। फर्म ने मेसर्स विभोर वैभव इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के औसत वित्तीय कारोबार जो कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ₹ 88.32 करोड़ था, के बल पर निविदा में अर्हता प्राप्त की थी (दोनों को मिलाकर ₹ 245.43 करोड़ हो गए थे)।

- परियोजना के निष्पादन के लिए समझौते पर नगर आयुक्त, राँ.न.नि. द्वारा जेवी संवेदक के कथित प्रतिनिधि के साथ हस्ताक्षर किए गए थे (सितंबर 2015)। हालाँकि, न तो इस व्यक्ति के लिए, जेवी की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए, कार्य की निविदा संचिका में कोई प्राधिकार पाया गया था, न ही इसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था।

जेवी के प्रमुख भागीदार द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेजों में ये कमियाँ प्रमुखता से दिखाई दे रही थीं। हालाँकि, क्रय समिति और पीएमसी ने इन मुद्दों को विभाग को, एक सूचित निर्णय लेने और निविदा को निष्पक्ष रूप से निपटाने के लिए इंगित नहीं किया। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि निविदा को संवेदक के पक्ष में फर्जी दस्तावेजों के बल पर प्रबंधित किया गया था जो अन्यथा अपात्र, अनुभवहीन था और निविदा आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता था।

कार्य निष्पादन के चरण में, संवेदक कार्य स्थल पर आवश्यक जनशक्ति और मशीनरी उपलब्ध कराने में विफल रहा, धीमी प्रगति की और दो बार (सितंबर 2018 और मार्च 2019) समय विस्तार देने के बावजूद एकतरफा काम बंद कर दिया। परिणामस्वरूप, राँ.न.नि. ने अक्टूबर 2019 में अनुबंध समाप्त कर दिया।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि बोली दस्तावेजों, बोली मूल्यांकन प्रतिवेदन और समझौते के दस्तावेजों को तैयार करने की जिम्मेदारी पीएमसी (मेसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड) की थी और क्रय समिति ने तदनुसार इसे काम सौंप दिया था।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि पीएमसी और क्रय समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से एक अपात्र और अनुभवहीन संवेदक के पक्ष में अपने साथी के निविदा दस्तावेजों के आधार पर निविदा का फैसला किया जिसने ऐसे कागजात जमा करने से इनकार कर दिया था। इसलिए, क्रय समिति के सदस्यों को नियम प्रावधानों के अनुसार नहीं होने वाले तरीके से निविदा पर निर्णय लेने में उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

अनुशंसा 3: *विभाग को कार्य के लिए संयुक्त उपक्रम के प्रमुख भागीदार (मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड) जो कि निविदा के लिए अन्यथा अयोग्य था, के पक्ष में निविदा निष्पादन करने में अनियमितता के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।*

अनुशंसा 4: *विभाग को संवेदक (मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड) के विरूद्ध निविदा प्राप्त करने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज जमा करने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।*

(ii) शेष कार्य के लिए निविदा का अनुचित आवंटन

राँ.न.नि. ने परियोजना के शेष कार्य के लिए ₹ 209.05 करोड़[19] के लागत को मंजूरी दी (अप्रैल 2020) और इसे मई 2020 में निविदा के लिए रखा। चूँकि केवल एक ही बोली प्राप्त हुई थी, सितंबर 2020 में कार्य का फिर से निविदा किया गया।

निविदा दस्तावेज़ के अनुसार, निविदा के लिए आवेदन करने वाले किसी भी संवेदक (एकल या संयुक्त उपक्रम) को: (i) एक एकल अनुबंध में 30 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी को रूपांकन करने, निर्माण करने और चालू करने का अनुभव होना चाहिए और (ii) कम से कम एक वर्ष के लिए किसी भी आधुनिक तकनीक पर आधारित न्यूनतम 20 एमएलडी के एसटीपी का सफलतापूर्वक संचालन और रखरखाव किया हो। भाग लेने वाले संवेदक के जेवी फर्म होने की स्थिति में, प्रमुख सदस्य के पास एसटीपी के लिए आवश्यक अनुभव होना चाहिए, जिसमें विफल होने पर जेवी के भागीदार को एकल अनुबंध में आवश्यक अनुभव होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो संवेदकों (एक जेवी- मेसर्स एलसी इंफ्रा-एसएनईटी राँची जेवी के रूप में और दूसरा- मेसर्स ईगल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड) ने निविदा में भाग लिया था। क्रय समिति (जो नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता और राँ.न.नि. के मुख्य लेखा अधिकारी से बनी थी) ने तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन (दिसंबर 2020) किया और दोनों को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया। इन दोनों

---

[19] *वर्षा जल नालों के शेष कार्य को छोड़कर*

संवेदकों की बोलियों के साथ संलग्न दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जाँच में निम्न का पता चला:

- मेसर्स एलसी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड, अहमदाबाद ने एक फर्म मेसर्स एस एन एनवैरो टेक प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ एक जेवी[20] समझौते (सितंबर 2020) के आधार पर निविदा में भाग लिया जिसमें जेवी का नाम मेसर्स एलसी इन्फ्रा-एसएनईटी राँची था।

- ₹ 2.10 करोड़ (बीजी द्वारा) की बोली सुरक्षा मेसर्स एलसी इंफ्रा-एसएनईटी राँची जेवी के नाम से जमा की गई।

- न तो जेवी के प्रमुख भागीदार (मेसर्स एलसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड) के पास एक अनुबंध में 30 एमएलडी क्षमता के एसटीपी को रूपांकन करने, निर्माण करने और चालू करने का अनुभव था ना ही इसने न्यूनतम 20 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का सफलतापूर्वक संचालन और रखरखाव किया था। दूसरे जेवी भागीदार के पास आवश्यक अनुभव था जो उसे निविदा की शर्तों के अनुसार योग्य बनाता था।

- क्रय समिति द्वारा (15 अक्टूबर 2020) तैयार किए गए तुलनात्मक विवरण (सीएस) में दोनों संवेदकों (मेसर्स एलसी इंफ्रा-एसएनईटी राँची जेवी और मेसर्स ईगल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड) को योग्य बताया गया था। हालाँकि, तकनीकी मूल्यांकन की कार्यवाही में (दिसंबर 2020), क्रय समिति ने केवल जेवी के प्रमुख भागीदार अर्थात् मेसर्स एल सी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड को मेसर्स ईगल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ निविदा के लिए योग्य होना दर्ज किया।

- राँ.न.नि. ने भ्रामक विवरण (अर्थात् जेवी के स्थान पर प्रमुख भागीदार का सफल होना) को निदेशक, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा[21]), श.वि. और आ.वि., झा.स. को अनुमोदन के लिए अग्रेषित (21 दिसंबर 2020) किया।

- हालाँकि ये अनियमितताएँ संलग्न अभिलेखों (सीएस दस्तावेज; निविदा के लिए जेवी का आवेदन, लेकिन केवल प्रमुख भागीदार के नाम को अग्रसारित किया जाना) से स्पष्ट थीं, निदेशक, सूडा ने राँ.न.नि. द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन को अनुमोदित (दिसंबर 2020) किया।

---

[20] *संयुक्त उपक्रम में पहली पार्टी मेसर्स एल सी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड 80 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रमुख भागीदार था और दूसरी पार्टी मेसर्स एस एन एनवैरो टेक प्रा. लिमिटेड, 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ जेवी सदस्य था*

[21] *केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार को नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए विभाग के एक संकल्प के तहत स्थापित (मई 2008)*

- राँ.न.नि. ने वित्तीय बोलियाँ खोली (दिसंबर 2020) और पाया कि जेवी (मेसर्स एलसी इंफ्रा-एसएनईटी राँची जेवी) द्वारा उद्धृत दर सबसे कम है। हालाँकि, वित्तीय मूल्यांकन प्रतिवेदन के कार्यवृत्त में, राँ.न.नि. ने केवल जेवी के प्रमुख भागीदार का नाम (मेसर्स एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड) कम कीमत उद्धृत करने वाले के रूप में दर्ज किया।

- राँ.न.नि. ने अनुमोदन के लिए निदेशक, सूडा को जेवी के प्रमुख भागीदार के पक्ष में निविदा की सिफारिश (दिसंबर 2020) की।

- निदेशक, सूडा, जिसने राँ.न.नि. की वित्तीय मूल्यांकन प्रतिवेदन की जाँच और सत्यापन करने का दावा किया, ने जेवी (मेसर्स एलसी इन्फ्रा-एसएनईटी राँची जेवी) जिसने निविदा में भाग लिया था, के बजाय सफल बोलीदाता के रूप में प्रमुख भागीदार (मेसर्स एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड) के चयन को मंजूरी दी (जनवरी 2021)।

- राँ.न.नि. ने एक इकरारनामा, ₹ 218.87 करोड़ के लिए, मेसर्स एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड (जेवी के स्थान पर) से किया (फरवरी 2021)।

- बीजी के रूप में ₹ 4.38 करोड़ की प्रदर्शन गारंटी अकेले प्रमुख भागीदार के नाम पर जमा की गई थी न कि जेवी के।

इस प्रकार, परियोजना के शेष कार्य की निविदा जेवी के अपात्र प्रमुख भागीदार के पक्ष में दिया गया था, न कि स्वयं जेवी को, जो निविदा शर्तों के अनुसार पात्र था।

लेखापरीक्षा (दिसंबर 2021) द्वारा इंगित किए जाने पर, राँ.न.नि. ने एक शुद्धिपत्र जारी किया (मार्च 2022), जिसमें कहा गया कि मेसर्स एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड (प्रमुख भागीदार) को समझौते (फरवरी 2021) में मेसर्स एलसी इन्फ्रा-एसएनईटी राँची (जेवी) के रूप में संशोधित किया गया। इसके आधार पर, विभाग ने कहा कि टंकण त्रुटि के कारण निविदा समिति की कार्यवाही में जेवी के स्थान पर केवल प्रमुख भागीदार के नाम का उल्लेख किया गया था, जिसे ठीक कर लिया गया था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) केवल मुख्य भागीदार का नाम सभी दस्तावेजों में जैसे तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, कार्य आदेश और संवेदक के साथ समझौते में उल्लिखित किया गया था।

(ii) समझौते की तारीख (फरवरी 2021) पर, जेवी अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि इसे समझौते के एक साल बाद और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद 25 मार्च 2022 को ही निगमित किया गया था। इसलिए, एक गैर-मौजूद इकाई को भूतलक्षी प्रभाव से (त्रुटि के बहाने) काम देने को सही ठहराने के लिए केवल एक शुद्धिपत्र जारी करना सही नहीं था।

(iii) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद जेवी का जीएसटी पंजीकरण और पैन प्राप्त किया गया था।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) में विभाग के सचिव ने आश्वासन दिया कि शासन स्तर पर, तत्काल जेवी संवेदकों को दी गई निविदाओं को विनियमित करने के लिए परिपत्र जारी किया जायेगा । सचिव ने यह भी आश्वासन दिया कि परिपत्र सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों/निविदा निपटान समितियों/समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि दी की गई निविदाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले जेवी को सभी प्रकार से विधिवत रूप से निगमित और पंजीकृत किया गया हो और साथ ही उचित रूप से दस्तावेज में दर्ज किया गया हो।

3.2.3.2 संवेदक के साथ इकरारनामा का निष्पादन

जेएमएएम[22] 2012 के नियम 89 के अनुसार, संविदा की शर्तें सटीक और निश्चित होनी चाहिए और इसमें अस्पष्टता या गलत धारणा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी संभव हो, संविदा के मानक रूपों (जैसे एफ-2 संविदा, एसबीडी) को अपनाया जाना चाहिए, अन्यथा, संविदा में जाने से पहले, प्रारूपित संविदाओं में कानूनी और वित्तीय सलाह ली जानी चाहिए।

संवेदक के पक्ष में इकरारनामा

लेखापरीक्षा ने जेएमएएम, 2012 के प्रावधानों के साथ परियोजना के इकरारनामा के प्रावधान की तुलना की और **तालिका 3.3** में वर्णित संवेदक के पक्ष में मानदंडों में महत्वपूर्ण विचलन देखा गया:

---

[22] *नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना 604 दिनांक 08 अक्टूबर 2012 के तहत झारखण्ड के सभी शहरी स्थानीय निकाय में लागू*

तालिका 3.3: जेएमएएम, 2012 के प्रावधानों और इकरारनामा की शर्तों के बीच तुलना

क्रम. सं.	जेएमएएम 2012 के प्रावधान	इकरारनामा के प्रावधान दिनांक 30 सितंबर 2015	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
1.	**पारा 4.8.6 (सी) निष्पादन सुरक्षा जमा** कार्य निष्पादन सुरक्षा की राशि संविदा के मूल्य का पाँच प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में नगर निगम आयुक्त के पक्ष में देय होगी जो लागू दोष दायित्व अवधि की समाप्ति की तिथि के 28 दिनों के बाद तक वैध होगी।	**निविदा की सामान्य स्थिति** राँची में देय राँची नगर निगम के पक्ष में आहरित राष्ट्रीयकृत बैंक के डीडी/पे ऑर्डर/बैंक गारंटी के रूप में दो प्रतिशत की दर से प्रारंभिक सुरक्षा जमा राशि का भुगतान किया जाना है।	आरंभिक जमानत राशि का तीन प्रतिशत कम प्रावधान संवेदक के पक्ष में था।
2.	**पारा 4.8.6 (डी) रोक कर रखी गई राशि** प्रत्येक बिल से छः प्रतिशत की दर से राशि की कटौती की जाएगी यह अंतिम संविदा मूल्य के अधिकतम पाँच प्रतिशत के अधीन होगा। 50 प्रतिशत राशि का भुगतान सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने पर संवेदक को दिया जायेगा और शेष 50 प्रतिशत दोष दायित्व अवधि की समाप्ति पर भुगतान किया जायेगा, बशर्ते अभियंता ने प्रमाणित किया हो कि अभियंता द्वारा अधिसूचित सभी कमियों को ठीक कर लिया गया है।	**निविदा की सामान्य स्थिति** बाद के विपत्रों से निविदा मूल्य के तीन प्रतिशत की दर से सुरक्षा जमा की कटौती की जाएगी।	विपत्रों से दो प्रतिशत तक सुरक्षा जमा का कम प्रावधान संवेदक के पक्ष में किया गया था।
3.	**पारा 4.8.6 (एच) मोबिलाइजेशन अग्रिम** ₹ 45 लाख से अधिक के निविदा के संबंध में, एक अनुसूचित बैंक से समान राशि की बैंक गारंटी के विरुद्ध सिविल कार्यों के लिए उपकरण और सामग्री के लिए अनुबंध मूल्य के पाँच प्रतिशत की दर से मोबिलाइजेशन अग्रिम देय होगा।	**निविदा की सामान्य स्थिति** नियोक्ता प्रारंभिक खर्चों को चुकाने में सहायता के लिए संवेदक को ब्याज मुक्त, निविदा मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान करेगा जो अनिवार्य रूप से अग्रिम भुगतान के बराबर राशि में राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी जमा करने पर, कार्य के मोबिलाइजेशन और रूपांकन के लिए संवेदक के द्वारा खर्च किया जाएगा।	मोबिलाइजेशन अग्रिम के 10 प्रतिशत अधिक प्रावधान के परिणामस्वरूप संवेदक को अनुचित लाभ दिया गया ।
4.	**पारा 4.8.6 (आई) निष्कासन पर देयता** सवेदक द्वारा निविदा के मौलिक उल्लंघन के कारण निष्कासन की स्थिति में, कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत का प्रावधान	संविदा की समाप्ति की स्थिति में, केवल सुरक्षा जमा की जब्ती का प्रावधान किया गया था। शेष कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं किया	कार्य की पूर्णता के लिए अतिरिक्त लागत की वसूली का प्रावधान निविदा में शामिल नहीं था यद्यपि

क्रम. सं.	जेएमएएम 2012 के प्रावधान	इकरारनामा के प्रावधान दिनांक 30 सितंबर 2015	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
	संवेदक के अंतिम भुगतान से समायोजित किए जाने वाले अनिष्पादित कार्यों का 20 प्रतिशत होगा। **जेएमएएम, 2012 का नियम 86** संविदा निरस्त होने की स्थिति में समस्त जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।	गया था।	संवेदक द्वारा निविदा का उल्लंघन करने की स्थिति में आरएमसी/सरकार के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। इसमें विफलता प्रावधान को कमजोर कर दिया और इसके परिणामस्वरूप संवेदक को अनुचित लाभ हुआ।

जेएमएएम की शर्तों को कमजोर करने के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- ₹ 35.93 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान संवेदक को स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया था, कोड के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए, जैसा कि ***कंडिका 3.2.3.3*** में चर्चा की गई है।

- शेष कार्य (मूल अनुबंध की निष्कासन के बाद) के लिए एक अन्य अनुबंध के निष्पादन पर, चूककर्ता संवेदक से ₹ 73.81 करोड़ की राशि ***(परिशिष्ट 3.2*** में विस्तृत) वसूल नहीं की जा सकी। इनमें से ₹ 69.40[23] करोड़ की बढ़ी हुई लागत को राँ.न.नि. द्वारा समायोजित किया जा सकता था अगर अनुबंध की निष्कासन की स्थिति में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत की वसूली का प्रावधान अनुबंध के नियमों और शर्तों में शामिल किया गया होता।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि डीपीआर को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और मसौदा इकरारनामा का राँ.न.नि. के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा पुनरीक्षण किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेएमएएम, 2012 में किए गए प्रावधानों, जिनका अनिवार्य रूप से राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुपालन किया जाना था, से काफी हटकर संवेदक के पक्ष में समझौते के प्रावधान तैयार किए गए थे।

[23] *नाली कार्य को छोड़कर कार्य की स्वीकृत लागत= ₹ 230.15 करोड़; संवेदक द्वारा किया गया वास्तविक कार्य= ₹ 80.68 करोड़; शेष कार्य की लागत, नाली कार्य को छोड़कर= ₹ 149.47 करोड़; नए संवेदक के साथ शेष कार्य का स्वीकृत मूल्य= ₹ 218.87 करोड़; शेष कार्य की बढ़ी हुई लागत= ₹ 69.40 करोड़*

3.2.3.3 मोबिलाइजेशन अग्रिम का अस्वीकार्य अनुदान

जेएमएएम, 2012 के कंडिका 4.8.6 (एच) में ₹ 45 लाख से ऊपर के निविदा के लिए अनुसूचित बैंक से समान राशि (मोबिलाइजेशन अग्रिम के मूल्य के बराबर) की बैंक गारंटी (बीजी) जमा करने के एवज में निविदा के मूल्य के पाँच प्रतिशत की दर से मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान निर्धारित करता है।

आगे, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (अप्रैल 2007) ने भी संवेदक को मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे ये निम्नानुसार हैं:

- ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन, यदि प्रबंधन विशिष्ट मामलों में इसकी आवश्यकता महसूस करता है तो इसे निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और इसकी वसूली समयबद्ध होनी चाहिए और कार्य की प्रगति से जुड़ी नहीं होनी चाहिए।

- मोबिलाइजेशन अग्रिम के विरुद्ध अग्रिम की वसूली की प्रत्येक किश्त की राशि के बराबर बीजी, भागों में ली जानी चाहिए।

- मोबिलाइजेशन अग्रिम, प्राथमिकतः किश्तों में दिया जाना चाहिए एवं पिछली किश्तों के लिए संवेदक से संतोषप्रद उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही अगली किश्तें जारी की जानी चाहिए।

- निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से मोबिलाइजेशन अग्रिम की राशि पर लगने वाला ब्याज, यदि कोई हो, इसकी वसूली अनुसूची और कोई अन्य प्रासंगिक विवरण निर्धारित किया जाना चाहिए।

- बीजी जमा करने के लिए प्रासंगिक प्रारूप निविदा दस्तावेज में प्रदान किया जाना चाहिए और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ऐसे बीजी की प्रामाणिकता संबंधित संगठन द्वारा गोपनीय और स्वतंत्र रूप से जारीकर्ता बैंक से अनिवार्य रूप से सत्यापित की जानी चाहिए।

संवेदक के साथ राँ.न.नि. द्वारा इकरारनामा (सितंबर 2015) निष्पादित किया गया जिसमें (i) मोबिलाइजेशन और रूपांकन व्यय चुकाने के लिए निविदा मूल्य के 15 प्रतिशत की दर पर संवेदक को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान और (ii) राँची स्थित राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से जारी मोबिलाइजेशन अग्रिम की राशि के बराबर बीजी जमा करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राँ.न.नि. ने संवेदक को मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने में जेएमएएम, 2012, सीवीसी मार्गदर्शिका और समझौते की शर्तों के प्रावधानों का उल्लंघन किया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) स्वीकार्य प्रावधानों के विपरीत, राँ.न.नि. ने ₹ 53.89 करोड़ (अक्टूबर 2015 और दिसंबर 2015 के बीच) की राशि के 15 प्रतिशत की दर से मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान तीन किश्तों[24] में, संवेदक को पिछली किश्तों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ही दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप संवेदक को ₹ 35.93 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम का अधिक भुगतान हुआ।

(ii) संवेदक के साथ इकरारनामा के अनुसार, अग्रिम की वसूली की समय सीमा संवेदक द्वारा किए गए कार्य की प्रगति से जुड़ी थी। वसूली केवल 15 प्रतिशत कार्य के निष्पादन के बाद शुरू होनी थी और 70 प्रतिशत कार्य पूरा होने तक (अर्थात् जनवरी 2017 तक) समाप्त हो जानी थी। तथापि, जनवरी 2017 तक, केवल ₹ 10 लाख के मोबिलाइजेशन अग्रिम को संवेदक को प्रथम चल-लेखा (आरए) विपत्र के भुगतान के विरुद्ध समायोजित किया गया था।

- जनवरी 2017 में, ₹ 53.79 करोड़ की असमायोजित अग्रिम राशि की वसूली के लिए राँ.न.नि. ने बीजी को नहीं भुनाया, हालाँकि यह समझौते के अनुसार किया जाना था।

- अक्टूबर 2019 में, संवेदक द्वारा संविदा के मौलिक उल्लंघन के कारण राँ.न.नि. ने इकरारनामा को निलंबित कर दिया। तब तक, ₹ 53.89 करोड़ में से ₹ 17.88 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम संवेदक से वसूल किया जा चुका था। ₹ 36.01 करोड़ का शेष मोबिलाइजेशन अग्रिम समायोजित/वसूली नहीं किया जा सका।

(iii) मोबिलाइजेशन अग्रिम को सुरक्षित करने के लिए राँ.न.नि. ने संवेदक से बीजी ली जैसा कि **तालिका 3.4** में दिखाया गया है:

तालिका 3.4: मोबिलाइजेशन अग्रिम को सुरक्षित करने के लिए ली गई बीजी

क्र. सं.	जारीकर्ता बैंक	बीजी सं.	राशि (₹ में)	जारी करने की तिथि
1.	चार्टर्ड मर्केंटाइल एम बी लिमिटेड लालबाग, लखनऊ	2745/ सीएमबी/2016-17	18,00,00,000	उल्लेख नहीं है
2.	चार्टर्ड मर्केंटाइल एम बी लिमिटेड लालबाग, लखनऊ	2746/ सीएमबी/2016-17	18,00,00,000	उल्लेख नहीं है
3.	इंडियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली	274571116000021	18,00,00,000	25/11/2016
		कुल	54,00,00,000	

[24] *16 अक्टूबर 2015 को ₹ 18 करोड़, 4 दिसंबर 2015 को ₹ 18 करोड़ और 31 दिसंबर 2015 को ₹ 17.89 करोड़*

लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित का पता चला:

- नवंबर 2016 में इंडियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली द्वारा ₹ 18 करोड़ की बीजी जारी की गई थी, यानी मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान के 10 महीने से अधिक समय के बाद। इस प्रकार, राँ.न.नि. ने जेएमएएम 2012, सीवीसी मार्गदर्शिका और इकरारनामा की धारा का उल्लंघन करते हुए, बिना किसी बीजी द्वारा इसे सुरक्षित किए अग्रिम प्रदान किया था।

- कुल ₹ 36 करोड़ की दो बीजी, संवेदक द्वारा प्रस्तुत और राँ.न.नि. द्वारा स्वीकार की गई, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी नहीं की गई थी, बल्कि एक संस्था, "चार्टर्ड मर्केंटाइल एम बी लिमिटेड, लालबाग, लखनऊ" द्वारा जारी की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इन बीजी की जाँच से पता चला कि:

✓ बीजी जारी करने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पदनाम और पहचान संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था;

✓ बीजी की जारी करने की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था;

✓ बीजी के सत्यापन के लिए नियंत्रक कार्यालय के नाम और संपर्क विवरण का उल्लेख नहीं किया गया था;

✓ जारी करने वाली शाखा की आधिकारिक ई-मेल आईडी और टेलीफोन नंबर का उल्लेख नहीं किया गया था; और

✓ राँ.न.नि. ने सहिता के प्रावधानों और इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, उन्हें स्वीकार करने से पहले बैंक से बीजी सत्यापित नहीं किया था, जिन्होंने कथित तौर पर इन्हें जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने उनकी प्रमाणिकता को सत्यापित करने के लिए बीजी की प्रतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को भेजीं। आरबीआई ने लेखापरीक्षा (दिसंबर 2021) को सूचित किया कि उनके अभिलेख के अनुसार उनके पास बीजी जारी करने वाले इकाई के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार, "चार्टर्ड मर्केंटाइल एम बी लिमिटेड लालबाग, लखनऊ", आरबीआई के अभिलेख के अनुसार, बैंक या वित्तीय संस्थान नहीं होने के नाते, किसी भी बीजी को जारी करने के लिए अधिकृत नहीं था इसलिए संस्था द्वारा जारी किए गए बीजी नकली थे। संवेदक द्वारा नकली बीजी प्रस्तुत करने और राँ.न.नि. द्वारा उनकी स्वीकृति के परिणामस्वरूप, ₹ 6.30 करोड़ (संवेदक की सभी जमा राशियों के

समायोजन के बाद) अनुबंध की समाप्ति (अक्टूबर 2019) पर संवेदक से वसूल नहीं किया जा सका ***(परिशिष्ट 3.2)***

विभाग ने कहा (जून 2022**)** कि चार्टर्ड मर्कैंटाइल एमबी लिमिटेड के बीजी संवेदक को वापस कर दिए गए थे और मेसर्स बॉम्बे मर्कैंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा जारी छः अन्य बीजी संवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जिसे ई-मेल के माध्यम से राँ.न.नि. ने सत्यापित किया था (दिसंबर 2015)। विभाग ने यह भी कहा कि ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम, यद्यपि अनुबंध में प्रदान किया गया था, ₹ 5.74 करोड़ की अतिरिक्त राशि की वसूली द्वारा समायोजित किया गया था, परियोजना के निष्पादन में देरी के लिए मोबिलाइजेशन अग्रिम के ब्याज के रूप में रखा गया था।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है**:**

- इन छः बीजी की प्रतियाँ न तो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई थीं और न ही इन्हें उत्तर के साथ संलग्न किया गया था। निकास सम्मेलन (22 अगस्त 2022) के दौरान विभाग के सचिव को भी इस बात से अवगत कराया गया।
- कार्य की भुगतान संचिकाओं की जाँच में पाया गया (फरवरी 2018) कि राँ.न.नि. ने संवेदक को किए गए कार्य के लिए भुगतान (आरए बिल) करते समय चार्टर्ड मर्कैंटाइल एमबी लिमिटेड**,** लखनऊ द्वारा जारी बीजी के बारे में उल्लेख किया था जो कि भुगतान के लिए मोबिलाइजेशन अग्रिम के सुरक्षा के रूप में था।
- राँ.न.नि. द्वारा संविदा समाप्त करने पर**,** संवेदक (ज्योति बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड) ने राहत के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का रुख किया था। राँ.न.नि. द्वारा तैयार उत्तर याचिका (मार्च 2020**)** के नोट्स में चार्टर्ड मर्कैंटाइल एमबी लिमिटेड**,** लखनऊ द्वारा जारी बीजी का संदर्भ था।
- मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली जनवरी 2017 तक पूरी की जानी थी। कार्य के निष्पादन में देरी के कारण नगर आयुक्त (आरएमसी) ने सावधि जमा पर बैंकों द्वारा देय दर पर ब्याज लगाया (मई 2017**)** और संवेदक को भुगतान किए गए बिलों से ₹ 5.74 करोड़ की वसूली की। यह ब्याज राशि राँ.न.नि. का राजस्व था और इसे मोबिलाइजेशन अग्रिम की बकाया मूल राशि के खिलाफ समायोजन के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इसलिए, नकली बीजी पर संवेदक को मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान और बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के उन बीजी को नए के साथ बदलने के राँ.न.नि. के बाद के कदम पर आगे की जाँच की आवश्यकता है।

अनुशंसा 5: *मानदंडों के उल्लंघन कर संवेदक को अतिरिक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने की जाँच की जानी चाहिए और इस संबंध में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।*

3.2.3.4 कार्य का निष्पादन

इकरारनामा के अनुसार, निर्माण कार्य सितंबर 2015 में शुरू हुआ और राँ.न.नि. द्वारा अक्टूबर 2019 में समाप्त कर दिया गया। कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं:

(i) एसटीपी एवं एसपीएस कार्यों पर ₹ 4.97 करोड़ का अधिक भुगतान

राँ.न.नि. और संवेदक[25] के बीच समझौते से संबंधित परियोजना दस्तावेजों की जाँच से पता चला कि कार्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, टर्नकी आधार पर 37 एमएलडी क्षमता के एक एसटीपी और 10.2 एमएलडी क्षमता के एक एसपीएस का निर्माण शामिल है, जैसा कि विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है:

तालिका 3.5: मल एवं जल निकास परियोजना के तहत क्रियान्वित किए जाने वाले घटक

क्र. सं.	घटक	इकरारनामा का कुल मूल्य (₹)	टिप्पणी
1	आधुनिक तकनीक पर आधारित 37 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का रूपांकन, आपूर्ति, निर्माण और प्रवर्तन	42.00 करोड़	टर्नकी आधार पर
2	एसटीपी का पाँच साल का परिचालन एवं अनुरक्षण	4.21 करोड़	टर्नकी आधार पर
3	10.2 एमएलडी क्षमता के सीवेज पंपिंग स्टेशन (एसपीएस) का रूपांकन, आपूर्ति, निर्माण, परिनिर्माण, प्रवर्तन	5.80 करोड़	टर्नकी आधार पर
4	एसपीएस का पाँच साल का परिचालन एवं अनुरक्षण	0.28 करोड़	टर्नकी आधार पर

एसटीपी से संबंधित कार्य के निष्पादन के लिए ₹ 18.08 करोड़ (43 प्रतिशत) और एसपीएस से संबंधित कार्य के निष्पादन के लिए ₹ 3.89 करोड़ (67 प्रतिशत) के भुगतान के बाद राँ.न.नि. ने विस्तृत माप मापी-पुस्तिका में दर्ज किए बिना अनुबंध को समाप्त कर दिया (अक्टूबर 2019)। इन आउटफ्लो में सर्वेक्षण और मिट्टी की जाँच के लिए भुगतान, साथ ही एसटीपी और एसपीएस के रूपांकानों को जमा करना और अनुमोदन शामिल था।

[25] *मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्रा. लि और और मेसर्स विभोर वैभव इंफ्रा प्रा लि. का संयुक्त उद्यम।*

पीएमसी (मेसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड) ने भुगतान के लिये एक चरणबद्ध की सिफारिश की थी (सितंबर 2017) जिसके आधार पर राँ.न.नि. ने संवेदक को भुगतान किया था जैसा कि विवरण में **तालिका 3.6** दिया गया है।

तालिका 3.6: संवेदक को किए गए प्रावधानों और वास्तविक भुगतान के बीच तुलना

घटक	पीएमसी द्वारा भुगतान की अनुशंसित अनुसूची (प्रतिशत में)	अक्टूबर 2019 तक एमबी के अनुसार संवेदक को भुगतान की गई राशि	
		प्रतिशत में	राशि ₹ में
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट			
सर्वेक्षण एवं मृदा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	5	12.5	5,25,00,000
रूपांकन की प्रस्तुति और अनुमोदन	5		
वस्तु की आपूर्ति करना	25	शून्य	शून्य
उत्खनन का कार्य पूरा करना	5	5	2,10,00,000
कमज़ोर कंक्रीट और राफ्ट	25	24.75	10,39,50,000
दीवारों की ढलाई	20	0.8	33,60,000
छत का स्तर	5	शून्य	शून्य
परीक्षण और प्रवर्तन पर	5	शून्य	शून्य
प्रवर्तन के एक महीने बाद	5	शून्य	शून्य
कुल	**100**	**43.05**	**18,08,10,000**

लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- कुल इकरारनामा मूल्य के 10 प्रतिशत का एकमुश्त भुगतान के अनुशंसा (पीएमसी द्वारा) के विपरीत, एसटीपी के लिए रूपांकन प्रस्तुत करने और अनुमोदन हेतु राँ.न.नि. ने 12.5 प्रतिशत का भुगतान किया, जिसकी राशि ₹ 5.25 करोड़ थी।

- पीएमसी ने एसटीपी के प्रत्येक घटक के रूपांकन के लिए मूल्य विभाजन का उल्लेख नहीं किया जिसमें सिविल कार्य (मुख्य पम्पिंग स्टेशन के लिए हाइड्रोलिक के साथ-साथ संरचनात्मक रूपांकन, प्राथमिक उपचार इकाई, एसबीआर बेसिन, क्लोरीन संपर्क टैंक, क्लोरीनीकरण कक्ष, स्लज पंप हाउस, स्लज सम्प, सेंट्रीफ्यूज कक्ष, ब्लोअर कक्ष, आंतरिक सड़कें, परिसर की दीवार आदि शामिल है) और विद्युत्-यांत्रिकी कार्य शामिल है।

- संवेदक ने केवल हाइड्रोलिक फ्लो डायग्राम, प्लांट लेआउट और पाइपिंग/ इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम प्रस्तुत किया। इन्हें मुख्य अभियंता, राँ.न.नि. द्वारा अनुमोदित (मई 2017) किया गया था।

- संवेदक ने सिविल कार्यों[26] (एसबीआर बेसिन को छोड़कर) या विद्युत्-यांत्रिकी कार्यों के रूपांकन और चित्र प्रस्तुत नहीं किए। यह तथ्य मेसर्स वैपकोस लिमिटेड (पीएमसी) द्वारा अनुबंध की समाप्ति पर बचे हुए कार्य के लिए बीओक्यू की तैयारी के समय (अप्रैल 2020) भी बताया गया था। राँ.न.नि. ने फिर से नए संवेदक[27] को रूपांकन का काम (फरवरी 2021) सौंप दिया।

- शेष कार्य के लिए इकरारनामा में, मेसर्स वैपकोस लिमिटेड (पीएमसी) ने टर्नकी आधार पर एसटीपी (रूपांकन कार्य सहित) से संबंधित कार्य के निष्पादन के लिए घटक-वार मूल्य विभाजन (प्रतिशत में) का उल्लेख किया (मई 2021)।

- हालाँकि, संवेदक (मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड) ने एसटीपी के कुछ घटकों के लिए रूपांकन प्रस्तुत किया था और उसके लिए भुगतान प्राप्त किया था, लेखापरीक्षा मूल अनुबंधों के तहत किए गए अतिरिक्त भुगतानों की गणना नहीं कर सका क्योंकि पीएमसी ने एसटीपी के रूपांकन के लिए घटक-वार मूल्य विभाजन का उल्लेख नहीं किया था। हालाँकि, पिछले इकरारनामा में वैपकोस द्वारा उसी एसटीपी को रूपांकन करने के लिए निर्धारित प्रतिशत को लागू करते हुए लेखापरीक्षा ने पाया कि दोषी संवेदक (मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक प्रा. लि.) एसटीपी को रूपांकन करने के लिए ₹ 5.25 करोड़ के बजाय एक घटक (एसबीआर बेसिन) के लिए केवल ₹ 1.03 करोड़ पात्र था ***(परिशिष्ट 3.3)***। इस प्रकार, संवेदक को ₹ 4.22 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया, जो वसूली योग्य है। इसके अलावा, बिल पास करने और संवेदक को भुगतान जारी करने में शामिल अधिकारियों की भूमिका की जाँच की जानी चाहिए।

- एसपीएस कार्यों के निष्पादन के लिए, पीएमसी द्वारा तैयार किए चरणबद्ध भुगतान और संवेदक को किए गए वास्तविक भुगतान **तालिका 3.7** में दिखाए गए हैं।

तालिका 3.7: संवेदक को चरणबद्ध भुगतान की तुलना में वास्तविक भुगतान

घटक	पीएमसी द्वारा भुगतान की अनुशंसित अनुसूची (प्रतिशत में)	अक्टूबर 2019 तक एमबी के अनुसार संवेदक को भुगतान की गई राशि	
		(प्रतिशत में)	राशि ₹ में
सीवेज पंपिंग स्टेशन			
सर्वेक्षण एवं मृदा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	5	7	40,60,000
रूपांकन की प्रस्तुति और अनुमोदन	5		

[26] *मुख्य पम्पिंग स्टेशन के लिए, प्राथमिक उपचार इकाई, क्लोरीन संपर्क टैंक, क्लोरीनीकरण कक्ष, स्लज पंप हाउस, स्लज सम्प, सेंट्रीफ्यूज कक्ष, ब्लोअर कक्ष, आंतरिक सड़क, परिसर की दीवार आदि।*

[27] *मेसर्स एलसी इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड*

घटक	पीएमसी द्वारा भुगतान की अनुशंसित अनुसूची (प्रतिशत में)	अक्टूबर 2019 तक एमबी के अनुसार संवेदक को भुगतान की गई राशि	
		(प्रतिशत में)	राशि ₹ में
उत्खनन का कार्य पूरा करना	5	2	11,60,000
वस्तु की आपूर्ति करना	25	शून्य	शून्य
कमज़ोर कंक्रीट और राफ्ट	20	24	1,39,20,000
ऊपर तक दीवारों का निर्माण	25	34	1,97,20,000
स्लैब ढालने पर	5	शून्य	शून्य
परीक्षण और प्रवर्तन पर	5	शून्य	शून्य
प्रवर्तन के एक महीने बाद	5	शून्य	शून्य
कुल	**100**	**67**	**3,88,60,000**

लेखापरीक्षा ने देखा कि राँ.न.नि. ने संवेदक को 'कमज़ोर कंक्रीट और राफ्ट' कार्यों के लिए 20 प्रतिशत के बजाय 24 प्रतिशत का भुगतान किया। इसी तरह, 'शीर्ष तक दीवारों के निर्माण' के लिए, कुल लागत के 25 प्रतिशत के बजाय 34 प्रतिशत का भुगतान बिना किसी माप और औचित्य के किया गया था। इसके परिणामस्वरूप संवेदक को ₹ 75.40 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि टर्नकी परियोजनाओं हेतु भुगतान करने के लिए माप दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। एसटीपी और एसपीएस के लिए विपत्रों का भुगतान विभिन्न घटकों के प्रतिशत के आधार पर किया गया था जो पीएमसी द्वारा सत्यापन के बाद पत्र संख्या एमएसपीएल/एसएंडडी/आरएएन 47 दिनांक 01 दिसंबर 2016 में प्रदान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एमबी में पत्र संख्या[28] एमएसपीएल/एसएंडडी/आरएएन 231 दिनांक 06 सितंबर 2017 को विभिन्न घटकों के संबंध में भुगतान करने के लिए दर्ज किया गया था। इस पत्र में 'कमज़ोर कंक्रीट और राफ्ट' घटक के लिए कुल एकमुश्त लागत का 20 प्रतिशत और 'शीर्ष तक दीवारों के निर्माण' घटक के लिए कुल एकमुश्त लागत का 25 प्रतिशत उल्लेख किया गया है, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है। इसलिए, अतिरिक्त भुगतान वसूली योग्य है।

(ii) नाली के कार्यों पर ₹ 1.98 करोड़ का अधिक भुगतान

वर्षा जल नालियों के निर्माण के लिये प्राक्कलन में निष्पादन हेतु 'पीसीसी एम 15 नाली और पुलिया के लिए नींव में सामान्य मिश्रण में स्टोन चिप्स की अनुमोदित

[28] पीएमसी (मेसर्स मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड) ने एसटीपी और एसपीएस के विभिन्न घटकों के लिए भुगतान के लिए चरण निर्धारित करने के लिए राँ.न.नि. को यह पत्र जारी किया था (सितंबर 2017)। संवेदक को भुगतान करते समय, राँ.न.नि. अभियंताओं ने माप-पुस्तिकाओं में इस पत्र का संदर्भ दिया।

गुणवत्ता और शटरिंग सहित साफ मोटे बालू के साथ आदि' का आकलन किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संवेदक ने 1.49 किलोमीटर की लंबाई में नाली निर्माण कार्य निष्पादित किया था जिसमें ₹ 5,000 प्रति घन मीटर की दर से इस मद का 99.38 घन मीटर का कार्य सम्मलित था। इसके विरूद्ध बिना किसी औचित्य या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के माप-पुस्तिका में 3,957.59 घन मीटर मद (आरए बिल संख्या 11 से 14 और 17 में) दर्ज किया गया था।

नाली मद के 3,957.59 घन मीटर (99.38 घन मीटर की स्वीकृत मात्रा से अधिक) के बढ़े हुए माप दर्ज करने के परिणामस्वरूप संवेदक को ₹ 1.98 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जो वसूली योग्य है। बिल पास करने और संवेदक को भुगतान जारी करने में शामिल अधिकारियों की भूमिका की जाँच की जानी चाहिए।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि सभी भुगतान मु.अभि., राँ.न.नि. द्वारा अनुमोदित किए गए थे, जो परियोजना के अंतर्गत विचलन स्वीकृत करने के लिए सक्षम थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि: (i) वर्षा जल नालियों का भाग जहाँ इन अतिरिक्त मात्राओं का उपयोग किया गया, का उल्लेख नहीं किया गया था, न ही इसे लेखापरीक्षा के समक्ष उपलब्ध कराया गया था और (ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त मात्रा अनुमोदन की संचिका, यदि कोई है तो, लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था।

(iii) वर्षा जल नालों पर ₹ 47.93 लाख का व्यर्थ व्यय

इकरारनामा के अनुसार, 129.10[29] करोड़ की लागत से 207 किमी वर्षा जल नालों के साथ ही पुलियों का निर्माण किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- संवेदक ने सात[30] स्थानों पर 207 किमी में से केवल 1.49 किमी का एल सेक्शन रूपांकन प्रस्तुत किया (नवंबर 2018), जिसे मु.अभि, राँ.न.नि. द्वारा भी अनुमोदित नहीं किया गया था। अनुमोदन नहीं करने का कोई कारण संचिका में उपलब्ध नहीं था या लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था।
- संवेदक ने सात स्थानों पर 1.49 किमी की कुल लंबाई में वर्षा जल नालों का निर्माण किया (नवंबर 2018) और राँ.न.नि. से ₹ 47.93 लाख का भुगतान प्राप्त किया। नालों के ये खंडित भाग, जो विभिन्न स्थानों पर 34.5 मीटर और 596 मीटर

---

[29] *वर्षा जल नालियों के निर्माण के लिए: ₹120.38 करोड़, पाइप: ₹1.65 करोड़ और पुलिया: ₹7.07 करोड़*

[30] *राधा नगर (पंचसिल नगर)-194 मी.; इंदिरा नगर -76.15 मीटर; तेतर टोली, बरियातु-34.5 मीटर; एकता नगर-178 मी; बूटी बस्ती - 596 मी; हरिहर सिंह रोड-360 मीटर और विद्यापति नगर-49.5 मीटर*

के बीच थे, किसी भी बड़े नाली नेटवर्क से जुड़े नहीं थे और इस प्रकार ये कोई उद्देश्य पूरा नहीं करते थे।

- लेखापरीक्षा ने (अक्टूबर 2021 और नवंबर 2021) सात में से दो स्थानों[31] पर 956 मीटर (1490 मीटर की कुल निर्मित लंबाई में से) नालों का संयुक्त भौतिक सत्यापन (राँ.न.नि. के अधिकारियों के साथ) किया और निम्नलिखित पाया:

➢ हरिहर सिंह रोड पर, 360 मीटर की लंबाई में प्री-कास्ट नाली को (अक्टूबर 2021) ध्वस्त कर दिया गया था क्योंकि उसी साइट में ₹ 1.35 करोड़ की लागत से नालों के सुधार और निर्माण का एक नया कार्य राँ.न.नि. द्वारा किया जा रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा पूछताछ किये जाने पर उक्त नए नाले के कार्य के संवेदक ने बताया कि पूर्व में निर्मित नाला (लंबाई 360 मीटर) नए कार्य में किसी काम का नहीं था।

चित्र 3.2: हरिहर सिंह रोड स्थित ध्वस्त वर्षा जल नाला (20 अक्टूबर 2021)

➢ बूटी बस्ती में, बरसाती पानी के नाले में ठोस कचरे के लिए कोई पूर्व-जाँच की व्यवस्था नहीं पाई गई और नाले के सिरों पर जल जमाव देखा गया। इसके अलावा, यह नाला किसी भी नाली नेटवर्क से जुड़ा नहीं था और सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी, वर्षा जल की खुली नालियों में बह रहा था जिससे वे प्रदूषित हो रहे थे। इस प्रकार ये नाली न केवल सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी थी बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरा थी।

चित्र 3.3 और 3.4: बूटी बस्ती में तूफानी जल निकासी संरचना और नाले के किनारे बिखरा हुआ ठोस कचरा (22 नवंबर 2021)

---

[31] *हरिहर सिंह रोड और बूटी बस्ती*

- संविदा की समाप्ति (अक्टूबर 2019) के बाद, राँ.न.नि. ने मल एवं जल निकासी परियोजना के तहत शेष कार्य के निष्पादन के लिए एक नए संवेदक के साथ एक नया इकरारनामा (फरवरी 2021) किया लेकिन वर्षा जल निकासी का गैर-निष्पादित भाग कार्य में शामिल नहीं था।

इस प्रकार, वर्षा जल नालों के आंशिक निष्पादन पर किया गया ₹ 47.93 लाख का व्यय बेकार था क्योंकि निर्मित नालों के खंडित भाग किसी भी नाली नेटवर्क से जुड़े नहीं थे और वे सेप्टिक टैंकों के गन्दे पानी से भरे हुए पाए गए थे। इन नालों का निर्माण सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूपांकन के अनुमोदन के बिना किया गया था और तब से उन्हें अधूरा छोड़ दिया गया था।

विभाग ने बताया (जून 2022) कि अन्य विभागों (जैसे पथ निर्माण, जिला परिषद आदि) द्वारा नालों के निर्माण के कारण रा.न.नि. ने जल-भराव से प्रभावित स्थानों पर ही नालों का निर्माण करने का निर्णय लिया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूरे भाग में निर्माण के लिए ली गई नालियाँ, सात खंडित भागों में बनाई गई थीं और बाद में शेष कार्य के निष्पादन के लिए किए गए अनुबंध में शामिल नहीं की गई थीं। आगे, अन्य विभागों द्वारा ऐसे किसी नाला निर्माण कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में अभिलेख में कुछ भी नहीं था।

(iv) सीवर नेटवर्क के हाइड्रोलिक रूपांकन में कमियाँ

सीपीएचईईओ संहिता के कंडिका 3.15 के अनुसार, सीवर में वेग ऐसा होना चाहिए कि सीवेज में निलंबित सामग्री न बैठे यानी वेग के वजह से स्वचालित स्व-सफाई हो। यदि जमाव होता हैं और उन्हें हटाया नहीं जाता है तो मुक्त प्रवाह बाधित हो जाएगा जिससे आगे जमाव के कारण सीवर पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण सीवर में सुनिश्चित किए जाने वाले रूपांकित वेगों का विवरण **तालिका 3.8** में दिखाया गया है:

तालिका 3.8: गुरुत्वाकर्षण सीवर के लिए रूपांकन वेग

क्र. सं.	मानदंड	मान
1	प्रारंभिक अधिकतम प्रवाह पर न्यूनतम वेग	0.6 मीटर/सेकंड
2	अंतिम अधिकतम प्रवाह पर न्यूनतम वेग	0.8 मीटर/सेकंड
3	अधिकतम वेग	3.0 मीटर/सेकंड

अप्रैल 2016 में क्षेत्र-I के खंड में 3.8 किलोमीटर के दायरे में प्रायोगिक नेटवर्किंग परियोजना की गई थी। 3.8 किमी के इस खंड के हाइड्रोलिक रूपांकन की लेखापरीक्षा समीक्षा में पता चला कि 3.173 किमी (3.8 किमी खंड में से) में 124 मैनहोलों को

जोड़ने वाले 150 मिमी, 200 मिमी और 250 मिमी व्यास वाले डीडब्ल्यूसी पाइप शामिल थे जिसमें सीवेज का वास्तविक वेग 0.42 मीटर/सेकंड और 0.58 मीटर/सेकंड के बीच था। जो सीवर की स्वत: सफाई के लिए आवश्यक 0.6 मीटर/सेकंड के न्यूनतम वेग से कम था।

इसके अलावा, राँ.न.नि. इस प्रायोगिक परियोजना की नेटवर्किंग के पूरा होने के बाद किए गए किसी भी हाइड्रोलिक परीक्षण का कोई सबूत (जैसे साइट ऑर्डर बुक आदि) प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार, निलंबित सामग्री की सिल्टिंग और इस खंड में सीवर प्रवाह की रुकावट से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्व-सफाई सीवेज वेग प्राप्त नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना में सीवर नेटवर्क की कुल लंबाई को संशोधित कर 280 कि.मी. कर दिया गया था। राँ.न.नि. ने मैनहोल संख्या और दूरी, पाइप व्यास और ढलान, उलटा स्तर और जमीन के स्तर के साथ-साथ नेटवर्क का रूपांकन प्रदान किया जैसाकि राँ.न.नि. के मु.अ. द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2016) किया गया था। हालाँकि, 280 किमी (3.8 किमी के प्रायोगिक खंड को छोड़कर) के पूरे नेटवर्क का हाइड्रोलिक रूपांकन जो न्यूनतम स्व-सफाई वेग प्राप्त करने के लिए सीपीएचईईओ संहिता के प्रावधानों के पालन की जाँच के लिए आवश्यक था, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था जबकि जुलाई 2021 और अक्टूबर 2021 के बीच माँगी गई थी। इस प्रकार, राँ.न.नि. यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दे सका कि परियोजना नेटवर्क का हाइड्रोलिक रूपांकन सीपीएचईईओ के अनुरूप है और स्व-सफाई सीवेज वेग प्राप्त करेगा।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि इस संबंध में वैपकोस लिमिटेड (पीएमसी) द्वारा जाँच की जा रही थी।

(v) अन्य परियोजना अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा ने परियोजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित अन्य अनियमितताओं को देखा:

- परियोजना के तहत नेटवर्क पाइप और मैनहोल बिछाने के लिए, एनएचएआई और सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) जैसे विभिन्न प्राधिकरणों से उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) की आवश्यकता थी। इन सड़कों का विवरण **तालिका 3.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: सड़कें जिनके लिए एनओसी की आवश्यकता थी

क्र.सं	प्राधिकरण का नाम	सड़क विस्तार का नाम	अनुमानित लंबाई (कि.मी. में)
1	एनएचएआई	रातू से पंडरा	6.25
2		पिस्का मोड़ से कटहल मोड़	
3	आरसीडी	करमटोली से बोरिया	12.46
4		करमटोली से बूटी मोड़ तक	
5		रातू रोड से कांके प्रखंड	
6		बूटी से जुमार पुल	2.69
		कुल	21.40

लेखापरीक्षा ने देखा कि का.अ., राँ.न.नि. ने इन प्राधिकरणों को एनओसी प्रदान करने के लिए मई 2021 और अक्टूबर 2021 के बीच पत्र जारी किए थे लेकिन वे अभी भी इन प्राधिकरणों में लंबित थे (अगस्त 2022 तक)। लंबित एनओसी से शेष कार्य के निष्पादन में देरी हो सकती है। इसलिए विभाग को एनओसी प्राप्त करने के लिए एनएचएआई और आरसीडी के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे थे।

- इकरारनामा की समाप्ति (अक्टूबर 2019) के समय, कथित तौर पर ₹ 11.80 करोड़ की लागत से कुल 3,049 मैनहोल का निर्माण किया गया था। शेष कार्य के लिए इकरारनामा के निष्पादन के बाद नए संवेदक ने आरएमसी को सूचित किया (अगस्त 2021) कि सीवरेज नेटवर्क के सर्वेक्षण के दौरान 3,049 मैनहोल में से 272 नहीं पाए गए। संवेदक ने इन मैनहोलों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए राँ.न.नि. और पीएमसी अधिकारियों के साथ एक संयुक्त सर्वेक्षण के लिए अनुरोध किया।

हालाँकि, संयुक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन, यदि कोई हो, को निकास सम्मलेन (अगस्त 2022) की तिथि तक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। राँ.न.नि. और मेसर्स वैपकोस (पीएमसी) के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवंबर 2021) के दौरान यह पाया गया कि बूटी बस्ती, राँची में 200 मीटर की दूरी पर, छः में से चार मैनहोल दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसा कि बताया गया है कि इन्हें नवनिर्मित पीसीसी सड़कों से ढक दिया गया है।

इस संबंध में विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

(vi) एसटीपी के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी

जेपीडब्ल्यूडी कोड का नियम 132 निर्धारित करता है कि उस जमीन पर कोई काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए जिसे जिम्मेदार सिविल अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत नहीं किया गया हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि किशुनपुर में क्षेत्र-I में एसटीपी के निर्माण के लिए बड़गाई अंचल में निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता थी। विभाग ने भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (मई 2015) और राँ.न.नि. को ₹ 50.40 करोड़ जारी किए। हालाँकि, संबंधित भूमि मालिकों द्वारा अपनी निजी कृषि भूमि देने से इनकार करने के कारण किशुनपुर में उक्त भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका।

राँ.न.नि. ने लेम गाँव में 8.89 एकड़ की एक अन्य भूमि की पहचान की (जून 2016) जिसमें 4.09 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण शामिल था। राँ.न.नि. ने ₹ 26.75 करोड़ की मुआवजा राशि जिला भू-अर्जन अधिकारी, राँची को हस्तांतरित (जून 2017 और अक्टूबर 2018) की और अगस्त, 2020 में भूमि का अधिग्रहण कर राँ.न.नि. को सौंप दिया गया। इससे एसटीपी का सिविल कार्य शुरू होने में दो साल की देरी हुई।

विभाग ने स्वीकार किया (जून 2022) कि एसटीपी के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी हुई थी।

अध्याय 4

‘हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण’ पर लेखापरीक्षा

अध्याय 4

नगर विकास एवं आवास विभाग

हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण पर लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

हरमू नदी (इसके शहरी खंड का 10.4 किमी) के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के लिए एक परियोजना, निर्मल स्वच्छ जल एवं जल ग्रहण तथा प्रवाह क्षमता में वृद्धि के साथ नदी को एक जीवंत जल संपत्ति में बदलने; नदी तट का विकास करने तथा सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि के उद्देश्यों के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत (अगस्त 2014) की गई। नदी के शहरी खंड का कार्य ₹ 92.78 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया (अक्टूबर 2018)। नवंबर 2022 तक परियोजना परिचालन एवं अनुरक्षण (परि. एवं अनु.) के चरण में थी।

जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्यों के निष्पादन के बावजूद, हरमू नदी की असंतोषजनक स्थिति के बारे में लगातार मीडिया कवरेज को देखते हुए, परियोजना की लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या: (i) प्रदूषण को नियंत्रित करते हुए नदी को स्वच्छ जल के साथ एक जीवंत जल संपत्ति में बदलने के उद्देश्य को हासिल करने हेतु हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण की परियोजना के लिए एक सुनियोजित योजना बनाई गई एवं क्रियान्वित की गई (ii) क्रियान्वयन पश्चात, परियोजना के परिचालन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित किया गया तथा (iii) अनुश्रवण एवं निरीक्षण से संबंधित गतिविधियाँ निर्धारित थीं तथा उनको आवश्यकतानुसार क्रियान्वित किया गया था।

जून 2014 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए, विभाग तथा झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (जुडको) के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा मार्च 2021 और अप्रैल 2022 के बीच लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- *स्वच्छ जल के साथ नदी को जीवंत जल संपत्ति में बदलने की परियोजना के उद्देश्य को हासिल नहीं किया जा सका। परियोजना के पूर्ण होने के बाद, संवेदक द्वारा किए गए पानी की गुणवत्ता परीक्षण ने इंगित किया कि नदी में दूषित जल प्रवाहित हो रहा था। मेकॉन लिमिटेड के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा हरमू नदी में प्रवाहित जल के गुणवत्ता परीक्षण (अप्रैल 2022) से अन्य प्रदूषकों के बीच फेकल (मल) कोलीफॉर्म की उपस्थिति का पता चला।*

- *अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) मेसरा; बीआईटी, सिंदरी और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर से बनी एक समिति ने प्रतिवेदित किया (जुलाई 2019) कि परियोजना के तहत किए गए कार्य अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे तथा कोई दृश्यमान परिणाम सामने नहीं आए।*

- *आईआईटी, मुंबई की सलाह के बावजूद राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के दिशा-निर्देशों (यथा शहरी स्वच्छता योजना तैयार करना, मल-जल की उत्पादन की मात्रा आदि) के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार परियोजना की योजना नहीं बनाई। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने एनआरसीपी के तहत ₹ 55.03 करोड़ के केंद्रीय वित्त पोषण के राज्य के अनुरोध को ठुकरा दिया, जिससे राज्य, परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता से वंचित हो गया।*

- *विभिन्न स्थानों पर हरमू नदी में समाप्त होने वाले 14 मुख्य प्रवेशिकाओं/श्रोतों के विरूध्द केवल नौ मुख्य प्रवेशिकाएँ ही गंदे नालों से जुड़ी थीं। दोषपूर्ण रूपांकन के कारण, शुष्क मौसम के दौरान भी गंदा जल वाहित करने वाले जुड़ी हुई प्रवेशिकाओं से नदी में उत्सर्जन पाया गया। शेष पाँच बगैर जुड़ी हुई प्रवेशिकाएँ गंदे जल का उत्सर्जन सीधे नदी में कर रहीं थीं। इसके अलावा, गंदा जल निकासी प्रणाली से नहीं जुड़े 56 छोटे प्रवेशिका श्रोत भी नदी में गंदे जल का उत्सर्जन कर रहे थे।*

- *गंदा जल निकासी प्रणाली को अंतिम वर्ष 2048 के लिए केवल 22.15 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) गंदा जल को प्रवाहित करने के लिए रूपांकित किया गया था जबकि लेखापरीक्षा द्वारा संगणित अनुमानित गंदे जल का उत्पादन (वर्ष 2048) 47.12 एमएलडी था।*

- *केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) संहिता के विपरीत, परियोजना को नदी के 22.59 वर्ग किमी के कुल जलग्रहण क्षेत्र के विरुद्ध 8.49 वर्ग किमी के कमतर जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर रूपांकित किया गया था। अतिरिक्त जलग्रहण क्षेत्र से उत्पन्न अतिरिक्त गंदे जल के उपचार के लिए आवश्यक 10.5 एमएलडी क्षमता के अतिरिक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण भूमि की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका।*

- *11.50 एमएलडी की कुल क्षमता वाले स्वीकृत आठ एसटीपी के मुकाबले 10 एमएलडी की कुल क्षमता वाले केवल सात एसटीपी संचालित हो रहे थे एवं 10 एमएलडी की स्थापित क्षमता के बजाय प्रतिदिन 2.898 एमएलडी मल-जल का परिष्करण कर रहे थे।*

- *नदी के अनुप्रस्थ काट (15.45 मी^{2} और 33.25 मी^{2} के बीच) को प्रवाह के कम गुणांक मान के साथ 100 साल के बजाय 25 साल की अवधि के बाढ़ प्रवाह के आधार पर रूपांकित किया गया था। हालाँकि बाद में 50 वर्षों की अवधि के बाढ़ प्रवाह के आधार पर कई अनुप्रस्थ काट को चौड़ा (23.18 मी^{2} और 49.43 मी^{2} के बीच) किया गया परंतु नदी के रूपांकित प्रवाह (मुक्तिधाम और सुवर्णरेखा नदी के साथ मिलन बिंदु के बीच) को वास्तविक प्रवाह की तुलना में कम करके आँका गया। वास्तविक बाढ़ प्रवाह की स्थिति में इससे नदी के सम्पूर्ण अनुप्रस्थ-काट को भारी क्षति का जोखिम है।*

- *नदी के दोनों किनारों (10.4 कि.मी. खंड) पर वर्षा-जल निकासी नाली प्रणाली के निर्माण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। नाले, गाद, मिट्टी तथा ठोस अपशिष्ट आदि से अवरुद्ध थे एवं नदी में (अमरावती पुल और एसटीपी 5 के बीच) गंदे जल का उत्सर्जन करते पाए गए।*

- *हरमू नदी के किनारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन खराब था। संयुक्त स्थल सत्यापन के दौरान नदी के आसपास का अधिकांश क्षेत्र गाद और कचरे के ढेर से पटा हुआ पाया गया।*

- *पिछले 12 वर्षों (अक्टूबर 2009 से जून 2021) के दौरान नदी के विभिन्न हिस्सों के उपग्रहीय चित्र ने समय बीतने के साथ-साथ नदी के आसपास के हरित आच्छादन में क्रमिक ह्रास का खुलासा किया। उपग्रहीय चित्रों से नदी मार्ग में बदलाव, मुक्तिधाम के पास कर्मा चौक पुल पर नदी की चौड़ाई में 18.70 मीटर की कमी, नदी के किनारे अतिक्रमण आदि का पता चला।*

- *परिचालन एवं अनुरक्षण (परि. एवं अनु.) गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखने के उपायों की योजना नहीं बनाई गई थी। सात एसटीपी (कुल क्षमता 10 एमएलडी) के लिए गंदा जल उठाने वाले पंपों के दैनिक संचालन के लिए आवंटित ₹ 6 लाख प्रति वर्ष के मुकाबले, जुडको प्रति वर्ष लगभग ₹ 33 लाख की दर से विद्युत शुल्क पर खर्च कर रहा था। इसने अतिरिक्त सरकारी वित्तपोषण के बिना परियोजना के परि. एवं अनु. को अवहनीय बना दिया। एनआरसीपी के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित परियोजना की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए परि. एवं अनु. लागतों की भरपाई के लिए राजस्व सृजन के स्त्रोत का पता नहीं लगाया गया और न ही यह मौजूद था।*

अनुशंसाएँ

1. सरकार, हरमू नदी के उद्गम और जलग्रहण क्षेत्र के जीर्णोद्धार हेतु विस्तृत अध्ययन कर सकती है, वर्षा जल के अनुमान का पुनरीक्षण एवं एक व्यापक नीति तैयार कर सकती है जो शहरी प्रवाह को स्पष्ट रूप से हरमू नदी के लिए जल का संभावित स्रोत माने।

2. सरकार, जनसंख्या की वर्तमान एवं भविष्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न गंदे जल की मात्रा के अनुमान को पुनरीक्षित कर सकती है तथा गंदे जल का नदी में उत्सर्जन रोकने के लिए एक निश्चित समय सीमा के अंदर कार्य योजना तैयार कर सकती है।

3. सरकार भूमिगत गंदा जल निकासी प्रणाली के रूपांकन एवं वहन क्षमता के दोषों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठा सकती है तथा अतिरिक्त एसटीपी के निर्माण पर विचार कर सकती है।

4. विभाग (i) चिन्हित सभी बड़े और छोटे स्रोतों से गंदे जल का उत्सर्जन, (ii) गंदे जल का जल निकासी प्रणाली में बहाव (iii) गंदे जल का एसटीपी में प्रवाह तथा (iv) गंदा जल निकासी प्रणाली के माध्यम से बहाव के बजाय सीधे नदी में बहने वाले गंदे जल की मात्रा का सर्वेक्षण और गणना कर सकती है। विभाग, गंदे जल के आवश्यक परिष्करण को सुनिश्चित करने के लिए एसटीपी के संचालन अवधि की भी जाँच कर सकती है।

5. सरकार हरमू नदी के किनारे रहने वाली शहरी आबादी को नदी में मल-जल के अनधिकृत उत्सर्जन के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठा सकती है तथा ठोस कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवासीय कल्याण संघों/गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने की संभावना तलाश सकती है। विभाग, राँची नगर निगम (आरएमसी) को शामिल करते हुए नदी के भीतर और आसपास के ठोस कचरे के अनुचित प्रबंधन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए तत्काल एक योजना तैयार कर सकती है।

6. सरकार, राँची नगर निगम के समन्वय से नदी एवं इसकी सहायक नदियों के किनारों के सभी अतिक्रमणों की पहचान करने और उन्हें हटाने एवं निर्धारित बफर क्षेत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। इस उद्देश्य हेतु नदी स्थलों और सहायक नदियों का समय-समय पर निरीक्षण तथा उचित निगरानी तंत्र विशेषकर स्मार्ट सिटी राँची में कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (सी4) स्थापित किया जा सकता है।

7. विभाग, परि. एवं अनु. के शुरू होने की वास्तविक तिथि को सुनिश्चित कर सकता है ताकि पाँच साल की अवधि की गणना की जा सके। पूर्व परीक्षण, चालू करने तथा संचालन की सही अवधि को सुनिश्चित एवं तय किया जा सकता है। परि. एवं अनु. को व्यवहार्य बनाने के लिए विभाग तुरंत एलटी बिजली कनेक्शन ले सकता है तथा संपत्ति (गंदा जल) संपर्क पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने की संभावना का भी पता लगा सकता है।

4.1 प्रस्तावना

स्वर्णरेखा नदी की एक सहायक नदी हरमू, राँची के हेहल के पास एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। यह 17.8 किमी (ग्रामीण खंड: 7.4 किमी एवं शहरी खंड: 10.4 किमी) में बहती है तथा नामकुम, राँची के नजदीक स्वर्णरेखा नदी से मिलने से पहले इसका जलग्रहण क्षेत्र[1] 30.670 वर्ग किमी (8.080 वर्ग किमी ग्रामीण खंड और 22.590 वर्ग किमी शहरी खंड) का है। राँची शहर के तीव्र शहरीकरण ने, जलग्रहण क्षेत्र से तलछट के अत्यधिक प्रवाह के साथ ही अनुपचारित गंदे जल एवं ठोस अपशिष्ट का नदी में उत्सर्जन; नदी के किनारे की भूमि का अतिक्रमण आदि की समस्याएँ पैदा की फलस्वरूप नदी के पानी की गुणवत्ता में कमी आई।

झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति ने, 13वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग करके दो किमी के विस्तार में जीर्णोद्धार का कार्य, एसटीपी का निर्माण और हरमू नदी के सौंदर्यीकरण के कार्य को ₹ 15 करोड़ की अनुमानित लागत पर जुडको के माध्यम से निष्पादन के लिए मंजूरी (मार्च 2014) दी। विभागीय योजनाओं की समीक्षा (जून 2014) के दौरान झारखण्ड के मुख्यमंत्री ने हरमू नदी की सफाई एवं नौ किलोमीटर के क्षेत्र में एसटीपी बनाने के निर्देश जारी किए।

विभाग ने हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने तथा परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाओं के लिए एक सलाहकार (मैसर्स टंडन अर्बन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड[2]) को नियुक्त (जून 2014) किया। इस परियोजना का उद्देश्य नदी को निर्मल स्वच्छ जल के साथ एक जीवंत जल संपत्ति में बदलने, जल ग्रहण एवं प्रवाह क्षमता में वृध्दि के साथ नदी-तट का विकास और सार्वजनिक सुविधाओं में वृध्दि था।

सलाहकार ने दो चरणों (₹ 86.15 करोड़ की अनुमानित लागत पर शहरी खंड में 10.4 किलोमीटर के लिए चरण I और ₹ 1.29 करोड़ की अनुमानित लागत पर ग्रामीण खंड के 7.4 किलोमीटर के लिए चरण II) का एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुत (जुलाई 2014) किया जिसकी कुल लागत ₹ 87.44 करोड़ थी। विभाग के अनुरोध पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई ने ₹ 11.31 लाख के परामर्श शुल्क के भुगतान पर डीपीआर (शहरी खंड के लिए) का तकनीकी मूल्यांकन किया। आईआईटी, मुंबई ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ डीपीआर पर अपनी तकनीकी मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजी (अगस्त 2014):

---

[1] *वह क्षेत्र जहाँ से वर्षा का जल नदी, झील या जलाशय में बह कर गिरती है।*

[2] *टीयूएसपीएल*

- राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी)[3] के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए डीपीआर को संशोधित करने की आवश्यकता थी।

- मल-जल संग्रह प्रणाली के लिए वास्तविक जलग्रहण क्षेत्र (22.59 वर्ग कि.मी.) पर विचार किया जाना चाहिए जो गंदे जल का उत्पादन एवं हरमू नदी में उत्सर्जन करेगा।

- शहरी फुटपाथों के लिए भारित औसत अपवाह के गुणांक के बजाय सीपीएचईईओ संहिता और आईआरसी-विशेष प्रकाशन (एसपी) 13 में परिकल्पित वास्तविक अपवाह के गुणांक को लागू करने की आवश्यकता थी।

- शुष्क मौसम के बहाव को गंदा जल निकासी प्रणाली की ओर मोड़ने तथा बारिश के मौसम में वर्षा जल (नालों और वर्षा जल-नालियों में बहने वाले) को नदी की ओर मोड़ने के लिए नए विचारों को पेश करने की जरूरत थी।

विभाग के मुख्य अभियंता (मु.अ.), तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा दोनों चरणों के लिए डीपीआर पर ₹ 87.44 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (त.स्वी.) प्रदान (अगस्त 2014) की गई। हालाँकि, तकनीकी स्वीकृति देने से पहले आईआईटी, मुंबई द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं किया गया। परियोजना को जुडको लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। चरण I और चरण II के तहत किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य और इसकी वर्तमान स्थिति का विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया हैं:

तालिका 4.1: गतिविधियाँ, समयसीमा एवं परियोजना की वर्तमान स्थिति (चरण I और चरण II)

चरण	गतिविधियाँ	समय सीमा	स्थिति (अप्रैल 2022 को)
चरण I	नदी तट सुरक्षा और नदी की सीमा, नदी के साथ सीवरेज प्रणाली, अल्प लागत स्वच्छता, वर्षा जल निकासी प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन योजना, मार्ग, वृक्षारोपण और उच्च-मार्ग, सार्वजनिक भागीदारी और सूचना-पट सहित जागरूकता।	31 अक्टूबर 2018 तक पूर्ण करना था।	अक्टूबर 2018 में पूर्ण। वर्तमान में, परि. एवं अनु. के तहत।
चरण II	ग्रामीण खंड में स्लूस गेट सहित बांध, शहरी खंड में चारदीवारी, ग्रामीण और शहरी खंड में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन	डीपीआर को मई 2016 तक पूरा किया जाना।	केवल संभाव्यता प्रतिवेदन जमा किया गया। कार्य क्षेत्र में बार बार संशोधन के कारण डीपीआर को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

---

3 एनआरसीडी भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (अब से मंत्रालय) के अधीन स्थित है। निदेशालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को, राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर चिन्हित प्रदूषित नदी हिस्सों में नदियों के प्रदूषण निवारण के लिए आधारभूत संरचना स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ग्रामीण खंड को छोड़कर, जुड़को ने शहरी खंड (चरण I) के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित (दिसंबर 2014) किया तथा इसे ₹ 85.43 करोड़ (₹ 77.69 करोड़ के बीओक्यू[4] मूल्य से 9.97 प्रतिशत ऊपर) पर एक संवेदक (मैसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड) को आवंटित किया (फरवरी 2015)। अगस्त 2017 तक परियोजना को पूरा करने के लिए जुड़को ने ठेकेदार के साथ एक समझौता किया (फरवरी 2015)।

कार्य-आदेश (फरवरी 2015) में, जुडको ने संवेदक को आईआईटी, मुंबई या किसी अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी निकाय से परियोजना कार्य का रूपांकन एवं संरेखण का अनुमोदन (जाँच) प्राप्त करने का निर्देश दिया। कार्य आदेश में आगे निहित था कि संवेदक के कार्यक्षेत्र में आनेवाले सभी आवश्यक रूपांकन एवं संरेखण, स्थलीय स्थिति के अनुसार, कार्य निष्पादन से पहले जुडको द्वारा अनुमोदित किए जाने थे। इसके अलावा, संवेदक ने परियोजना में तकनीकी सहायता (ज्ञान भागीदार के रूप में) के लिए एनईईआरआई, नागपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया (जून 2015)।

कार्य स्थल को सौंपने में देरी और अतिरिक्त मदों के कार्यान्वयन के कारण, डीपीआर को बाद में पुनरीक्षित (फरवरी 2018) कर ₹ 101.60 करोड़ का किया गया तथा परियोजना को पूर्ण करने की तिथि अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दी गई। अतिरिक्त मदों के भुगतान और स्वीकृत विचलन को समाविष्ट करने के लिए संवेदक के साथ ₹ 7.01 करोड़ का एक पूरक अनुबंध भी निष्पादित किया गया (सितंबर 2018)।

शहरी विस्तार का काम 31 अक्टूबर 2018 को ₹ 92.78 करोड़ (संवेदक को ₹ 86.26 करोड़ का भुगतान, ₹ 5.52 करोड़ जुडको को प्रतिशत के तौर पर तथा ₹ एक करोड़ उपयोगिता स्थानान्तरण एवं बिजली बिल के तौर पर) की लागत पर पूरा हुआ। नवंबर 2022 को परियोजना परिचालन एवं अनुरक्षण के चरण में थी।

इस बीच, जुड़को ने चरण I के सुधार कार्यों सहित परियोजना के चरण II (ग्रामीण खंड) के नए सिरे से डीपीआर बनाने और पीएमसी सेवाओं के लिए एक अन्य सलाहकार (मैसर्स आई के वर्ल्डवाइड) को नियुक्त किया (फरवरी 2016)। कार्य क्षेत्र में बार-बार संशोधन के कारण, पाँच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी डीपीआर को अंतिम रूप नहीं दिया गया (अप्रैल 2022) था। संभाव्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सलाहकार को ₹ 48 लाख (₹ 1.60 करोड़ के कुल देय परामर्श शुल्क के विरुद्ध) का भुगतान किया गया (अक्टूबर 2016) था।

---

[4] *बिल ऑफ क्वान्टिटी*

जून 2014 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए विभाग और जुडको के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा लेखापरीक्षा मार्च 2021[5] से अप्रैल 2022 तक यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि क्या (i) प्रदूषण को नियंत्रित कर नदी को स्वच्छ जल के साथ एक जीवंत जल संपत्ति में बदलने के उद्देश्य के साथ हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण की परियोजना सुनियोजित एवं कार्यान्वित थी (ii) कार्यान्वयन के बाद परियोजना के परिचालन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित किया गया तथा (iii) निगरानी और निरीक्षण से संबंधित गतिविधियाँ निर्धारित थी तथा उनका संचालन आवश्यकतानुसार किया गया।

लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड[6], क्षेत्र, कार्यप्रणाली और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए शहरी विकास एवं आवास विभाग के सचिव के साथ प्रवेश (अगस्त 2021) और निकास (अगस्त 2022) सम्मेलन आयोजित किए गए। निकास सम्मेलन में विभाग के सचिव को, जीर्णोद्धार एवं संरक्षण परियोजना के पूरा होने के बाद भी हरमू नदी में दूषित जल के पानी के अविरल प्रवाह के बारे में जानकारी दी गई। सचिव ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत हुए। सचिव ने सभी लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को भी स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि एनईईआरआई, नागपुर जिसे परियोजना के ज्ञान भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया था, के परामर्श से इस संबंध में उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा अवलोकन

4.2 योजना

चरण I की तकनीकी रूप से स्वीकृत डीपीआर के अनुसार, शहरी खंड में नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण की योजना निम्नानुसार थी:

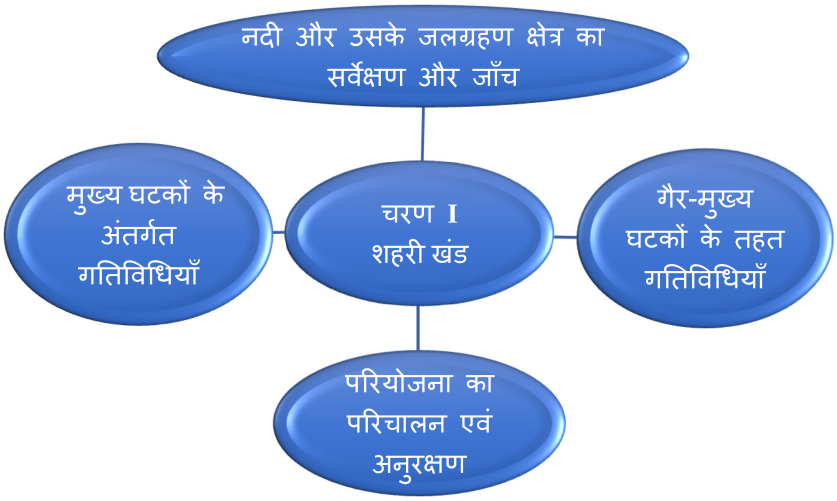

---

[5] *अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 तक राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कोविड प्रतिबंधों को छोड़कर।*

[6] *(i) सीपीएचईईओ द्वारा जारी मल एवं जल निकास पर संहिता (ii) झारखण्ड लोक निर्माण लेखा एवं विभागीय कोड (iii) भारतीय मानक कोड (iv) शहरी जल निकासी पर भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देश (v) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत जारी दिशानिर्देश (एनआरसीपी) और (vi) केंद्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषदों द्वारा जारी निर्देश।*

मुख्य एवं गैर-मुख्य घटकों के तहत गतिविधियों के लिए पुनः योजना बनाई गई, जैसा कि **तालिका 4.2** में दिखाया गया है।

तालिका 4.2: हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्य के घटक

मुख्य घटक	किये जाने वाले कार्य
तटों की सुरक्षा और नदी सीमा	गैबियन का निर्माण। स्तंभों एवं झड़ियों के साथ नदी सीमा का निर्माण।
नदी के किनारे मल-जल निकास प्रणाली	मल-जल को भूमिगत सीवरेज संग्रह प्रणाली में प्रवाहित करने के लिए छः प्रवेशिका स्रोतों में सुधार। छः प्रवेशिका स्रोतों के माध्यम से बहने वाले मल-जल, नदी किनारे के घरों में उत्पादित मल-जल (5.200 वर्ग किमी के जलग्रहण क्षेत्र को समाहित करते हुए प्रत्येक तरफ 250 मीटर) तथा कम लागत वाले 33 शौचालय खंडो से उत्पन्न मल-जल के अवरोधन एवं संग्रहण के लिए भूमिगत मल-जल संग्रह प्रणाली का निर्माण। नदी किनारे के घरों से संपत्ति (मल-जल) संपर्क का निर्माण। भूमिगत मल-जल प्रणाली में बहने वाले मल-जल के उपचार के लिए प्रकृति आधारित वाहित मल शोधन संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण। एसटीपी के परिचालन क्षेत्र के आसपास प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर स्ट्रीट लाइटिंग पोल की स्थापना।
कम लागत वाली स्वच्छता	कम लागत वाले स्वच्छता शौचालयों, ट्रांसफॉर्मर, एचटी लाइन और हाइ यील्ड ड्रिल नलकूपों का निर्माण।
वर्षा-जल निकास प्रणाली	ठोस अपशिष्ट और मलबे को नदी में जाने से रोकने के लिए वर्षा जल निकासी प्रणाली का निर्माण।
पर्यावरण प्रबंधन योजना	निर्माण और संचालन चरणों के दौरान पर्यावरण विवरणी तैयार करना तथा नमूनों का विश्लेषण।
गैर-मुख्य घटक	**किये जाने वाले कार्य**
मार्ग, वृक्षारोपण और उच्च मार्ग	पेवर-ब्लॉक रास्ते का निर्माण। बाँस निर्मित घेरों में वृक्षारोपण। नदी पार करने के लिए उच्च मार्गों का निर्माण।
सूचना पट्ट सहित सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता	पश्च-परावर्ती चिहनों, दिशा एवं स्थान पहचान चिहनों की स्थापना। संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, शैक्षिक सामग्री, बैनर आदि का आयोजन।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, डीपीआर के न तो मुख्य और न ही गैर-मुख्य घटकों में नदी के लिए एक सतत जल स्रोत बनाने का कोई प्रावधान था, जो किसी भी जल निकाय के जीर्णोद्धार के लिए मुख्य चालक है। शहरी खंड में हरमू नदी के कार्यों के प्रस्तावित निष्पादन के साथ अनुप्रस्थ काट का सचित्र निरूपण (लेखापरीक्षा द्वारा तैयार और जुड़को द्वारा प्रमाणित), **चित्र 4.1** में दिखाया गया है:

चित्र 4.1: शहरी विस्तार में हरमू नदी के अनुप्रस्थ काट का सचित्र निरूपण

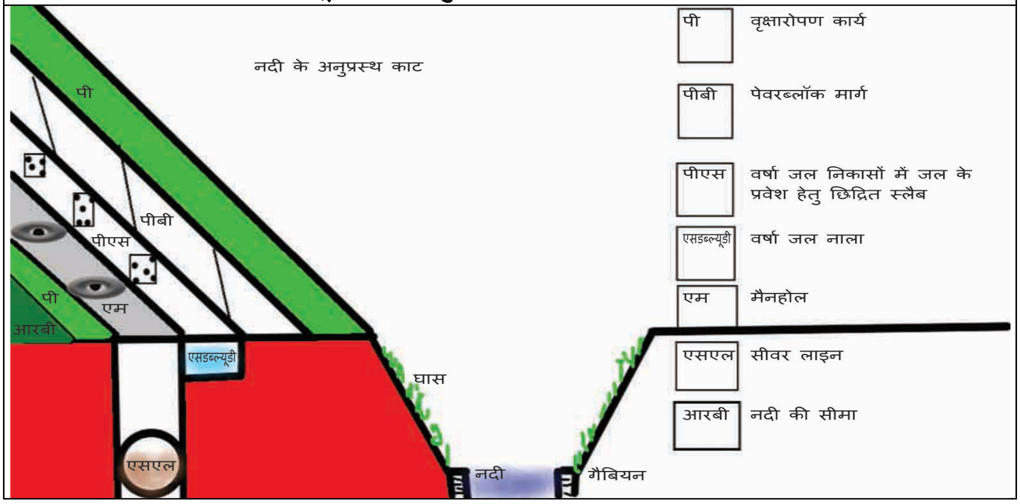

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत परियोजना को लेने के लिए विभाग ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवंबर 2014) था। प्रस्ताव से पहले, आईआईटी, मुंबई ने राज्य सरकार को एनआरसीपी दिशा निर्देशों के अनुसार डीपीआर को संशोधित करने की सलाह दी (अगस्त 2014) थी। हालाँकि इसका अनुपालन नहीं किया गया। एनआरसीडी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया (मार्च 2015), क्योंकि एनआरसीपी के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए परियोजना की योजना नहीं बनाई गई थी।

परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने एनआरसीपी के तहत केंद्रीय वित्त पोषण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अत:, राज्य सरकार ₹ 55.03 करोड़ की केन्द्रीय सहायता के अवसर का लाभ नहीं उठा सकी। केंद्रीय सहायता के अभाव में, राज्य सरकार ने परियोजना की पूरी लागत (13वें वित आयोग के अनुदानों से स्वीकृत ₹ 15 करोड़ को छोड़कर) की मंजूरी राज्य निधि से दी।

4.2.1 योजना की खामियाँ

नदी संरक्षण परियोजनाओं को एनआरसीपी के तहत जारी दिशा-निर्देशों (दिसंबर 2010) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एनआरसीपी के तहत शामिल गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, नदी में प्रवाहित होने वाले अनुपचारित मल-जल को रोकना तथा मोड़ना, मोड़े गए मल-जल के उपचार के लिए एसटीपी का निर्माण, कम लागत वाले स्वच्छता कार्य, नदी तट का विकास आदि जैसे घटक शामिल हैं।

एनआरसीपी दिशानिर्देशों के अनुबंध I के अनुसार, भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार पूर्व-संभाव्यता प्रतिवेदन के अनुमानों के आधार पर नदी कार्य योजनाओं अथवा नदी संरक्षण परियोजनाओं पर विचार करती है। किसी परियोजना के सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन के पश्चात, कार्य के सभी घटकों के लिए पुख्ता लागत

अनुमानों के साथ डीपीआर तैयार करना होता है। इन डीपीआर का मूल्यांकन और अनुमोदन, मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसके बाद प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। परिचालन एवं अनुरक्षण लागत को छोड़कर, जो पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जानी है, परियोजना लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 70:30 के अनुपात में साझा किया जाना है। दिशा-निर्देश आगे निर्धारित करते हैं कि नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए डीपीआर बनाने में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

(i) नदी के प्रदूषित हिस्से को वांछित गुणवत्ता वाले पानी के हिस्से में बदलने के लिए शहरी स्वच्छता योजना (श.स्व.यो.) तैयार करना।

(ii) प्रदूषण में कमी के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली का चयन करने के लिए जल निकासी योजनाओं की पूर्व-संभाव्यता/ संभाव्यता प्रतिवेदन (सं.प्र.)।

(iii) सीपीएचईईओ संहिता में निर्धारित मानक प्रक्रियाओं के आधार पर, विस्तृत सर्वेक्षण, जाँच एवं अभियांत्रिकी रेखांकन के आधार पर जल निकासी योजनाओं के डीपीआर में पूरे शहर का समावेशन सुनिश्चित होना चाहिए।

परियोजना की योजना बनाते समय विभाग द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए विचलन निम्न हैं:

✓ दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीपीआर जमा करने से पूर्व परियोजना की सं.प्र. एवं श.स्व.यो. जमा की जानी थी और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जानी थी। एफआर में नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए सुविचारित विभिन्न विकल्पों एवं उनकी तुलनात्मक लागत के साथ-साथ अंतिम रूप से चयनित विकल्प के औचित्य के बारे में विस्तार से बताना था। हालाँकि, राज्य सरकार ने डीपीआर भेजने से पूर्व कोई एफआर और सीएसपी मंत्रालय को नहीं सौंपा। इसने, राज्य सरकार द्वारा सुविचारित विभिन्न विकल्पों एवं अंतिम रूप से चयनित विकल्प के औचित्य के बारे में, मंत्रालय को आश्वस्त होने से रोक दिया। तदनुसार, मंत्रालय ने राज्य सरकार को सूचित किया कि डीपीआर तैयार करने में एनआरसीपी के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

✓ शहर में मल-जल उत्पादन, मौजूदा सीवरेज और एसटीपी सुविधाएं, मल-जल उपचार क्षमता में कमी, नदी में प्रवाहित मल-जल की मात्रा आदि का मूल विवरण, हालाँकि आवश्यक था, परियोजना प्रस्ताव में नहीं दिया गया था। मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्ताव में, मौजूदा और प्रस्तावित सीवरेज सिस्टम तथा एसटीपी के आधार पर राँची शहर के मल-जल भार से निपटने के तंत्र के बारे में भी बहुत कम या कोई जानकारी नहीं थी।

✓ परियोजना प्रस्ताव में हरमू नदी में प्रदूषण स्तर को इंगित करता नदी के पानी की गुणवत्ता और मल-जल प्रवाह के कारण नदी के पानी की गुणवत्ता में संभावित गिरावट के आँकड़ों की कमी थी।

✓ परियोजना की अनवरतता, परियोजना के तहत संपत्ति की परि. एवं अनु. लागत को पूरा करने के लिए राजस्व सृजन पर निर्भर करती है। हालाँकि, प्रस्ताव में परि. एवं अनु. लागत की वसूली की कोई योजना नहीं थी।

✓ परियोजना लागत का 30 प्रतिशत के साथ ही साथ परि. एवं अनु. की लागत वहन करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को नहीं दर्शाया गया था।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि राँची की मल एवं जल निकास परियोजना के प्रस्तावित दायरे को ध्यान में रखते हुए राँची नगर निगम द्वारा हरमू नदी का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण परियोजना शुरू किया गया था।

जबाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि: (i) राँची नगर निगम ने पूरे शहर के लिए मल-जल के एकीकृत निपटान (मौजूदा और भविष्य) के लिए कोई शहर स्वच्छता योजना तैयार नहीं की थी (ii) हालाँकि राँची नगर निगम ने शहर के क्षेत्र-1 के लिए मल और जल निकासी प्रणाली का निर्माण कार्य लिया था परन्तु पूरा नहीं किया (अप्रैल 2022) था, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए, जिसमें हरमू नदी स्थित है, मल और जल निकासी के लिए कोई परियोजना नहीं ली गई थी (iii) हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण तथा मल और जल निकास परियोजनाओं के लिए डीपीआर को अलग-अलग तैयार और अनुमोदित किया गया था और किसी भी तरह से एकीकृत नहीं किया गया था, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा एनआरसीपी योजना के तहत परियोजना को अस्वीकार कर दिया गया था।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए एवं नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.3 निविदा एवं परियोजना पर्यवेक्षण

4.3.1 कार्य में शामिल नहीं होने वाले एक उप-संवेदक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर संवेदक का चयन

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की शर्त 4.5 (सी) के अनुसार, संवेदक के स्वयं या चिन्हित उप-संवेदक के पास फाइटोरिड[7] तकनीक में या ऐसी कोई भी स्थानीय

[7] *फाइटोरीड तकनीक, नीरी, नागपुर द्वारा विकसित और पेटेंट की गई, प्राकृतिक विधि द्वारा निर्मित आर्द्रभूमि का उपयोग करके मल जल के उपचार का कार्य करता है।*

प्रकृति-आधारित उपचार प्रक्रिया वाले एसटीपी (एक एमएलडी या अधिक की क्षमता) का रेखांकन, निर्माण एवं संचालन का अनुभव होना आवश्यक था।

जुडको द्वारा तैयार किए गए तुलनात्मक विवरणी की जाँच से पता चला कि दो संवेदको (मैसर्स ज्योति बिल्ड टेक और मेसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड) से निविदा प्राप्त हुई थी। निविदा की शर्तों के अनुसार, निविदा के प्रपत्र, बैंक शोधन क्षमता प्रमाण पत्र और चिन्हित उप-संवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र (एक एमएलडी) नहीं जमा करने के कारण, तकनीकी मूल्यांकन में, जुडको की निविदा समिति ने मैसर्स ज्योति बिल्डटेक को अयोग्य घोषित कर दिया। हालाँकि, निविदा समिति ने पुनर्निविदा की सिफारिश नहीं की और एकमात्र निविदाकर्ता मेसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड को डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीओटी) मॉडल पर ₹ 85.43 करोड़ (बीओक्यू से 9.97 प्रतिशत अधिक) का ठेका दे दिया (फरवरी 2015)। कार्य में परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात पाँच साल तक परिचालन एवं अनुरक्षण शामिल था।

निविदा संचिकाओं एवं सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि ठेकेदार (मैसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड) के पास फाइटोरिड तकनीक या किसी भी प्रकृति-आधारित उपचार प्रक्रिया का अनुभव नहीं था तथा इन्हें एक उप-संवेदक (मैसर्स इंदरदीप कंस्ट्रक्शन कंपनी, उल्हासनगर) के अनुभव प्रमाण पत्र[8] के आधार पर निविदा में योग्य माना गया था।

हालाँकि, संवेदक ने कथित उप-संवेदक को एसटीपी कार्य के कार्यान्वयन तथा सीवर लाइन बिछाने के लिए नियुक्त नहीं किया। जुडको से संबंधित परियोजना अभियंताओं द्वारा एक लेखापरीक्षा प्रश्नावली के उत्तर में लेखापरीक्षा को यह सत्यापित किया गया था। इस प्रकार, निविदा-शर्त, जिसने संवेदकों को चिन्हित उप-संवेदकों के अनुभव के आधार पर निविदा डालने की अनुमति दी थी, का निविदा प्राप्त करने के लिए दुरुपयोग किया गया। इस प्रकार, एक अनुभवहीन एवं अपात्र संवेदक को परियोजना का काम दिया गया। इसने पूरी निविदा प्रक्रिया को दूषित कर दिया जिसमें अग्रेतर जाँच की आवश्यकता है।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि एसटीपी का निर्माण एनईईआरआई की देखरेख में किया गया जिसके पास फाइटोरिड तकनीक का एकाधिकार था। आगे, निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) में, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और

---

[8] *उप-संवेदक द्वारा टिटिवाला, महाराष्ट्र में मृदा जैव-प्रौद्योगिकी में तीन एमएलडी क्षमता का दावा किया गया, जिसके लिए कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा एक अनुभव प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।*

कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए एवं एनईईआरआई द्वारा परियोजना के प्रभाव अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

हालाँकि, तथ्य यह है कि: (i) एनईईआरआई द्वारा कार्य के समग्र पर्यवेक्षण ने विभाग को यह सुनिश्चित करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया कि जिस संवेदक को काम दिया जाना था, उसने निविदा जरूरतों का अनुपालन किया तथा (ii) एनईईआरआई द्वारा परियोजना के प्रभाव अध्ययन का उद्देश्य परियोजना की कमियों को दूर करने के उपायों के अलावा समग्र परियोजना परिणाम का आकलन करना था, लेकिन संविदा-प्रबंधन की खामियों को ठीक करना इसका उद्देश्य कतई नहीं था।

4.3.2 परियोजना पर्यवेक्षण

डीपीआर के अनुसार, परियोजना कार्य का पर्यवेक्षण **तालिका 4.3** में उल्लिखित संस्थाओं द्वारा किया जाना था।

तालिका 4.3: परियोजना के पर्यवेक्षण के साथ अधिदिष्ट संस्थाएं

इकाई	अनुबंधात्मक दायित्व	लेखापरीक्षा अवलोकन
मेसर्स टंडन अर्बन सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड, मुंबई (टीयूएसपीएल)	नगर प्रशासन निदेशालय और सलाहकार के बीच समझौता (जून 2014)।	समझौते के खंड 2 (सी) के अनुसार, सलाहकार को परियोजना के लिए डीपीआर बनाने के अलावा, परियोजना के पीएमसी सेवाओं, जिसमें पूरे परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान तीन दौरों में कार्य के प्रगति का पर्यवेक्षण शामिल था।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर	नीरी और ठेकेदार के बीच समझौता ज्ञापन (जून 2015)।	नीरी को परियोजना के सफल समापन तक तकनीकी दिशा-निर्देश आदि प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त दल उपलब्ध करना था; समझौता ज्ञापन के तहत सौंपे गए सभी कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी करना; रखरखाव के लिए पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करना (आवश्यकता के आधार पर परियोजना के पूरा होने पर छः महीने की गारंटी अवधि के बाद दो साल की अवधि के लिए); और सभी चरणों के लिए तकनीकी जानकारी आदि प्रदान करना

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

(i) यद्यपि इकरारनामा के अनुसार, सलाहकार को कार्यों के तीन पर्यवेक्षी दौरों के माध्यम से पीएमसी सेवाओं को प्रदान करना था, सलाहकार ने विभाग के सचिव को सूचित किया (अप्रैल 2015) कि ये दौरे पर्याप्त नहीं होंगे एवं इसके बजाय, कार्य की प्रकृति अत्यधिक तकनीकी होने के आधार पर, यथा सीवर प्रणाली बिछाना, वर्षा-जल के प्रवेशिका में सुधार, नदी का उचित तटीकरण आदि, परियोजना के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण पर जोर दिया। हालाँकि, जुडको ने निर्माण चरण के दौरान सलाहकार द्वारा किसी भी पर्यवेक्षी सेवाओं का उपयोग नहीं किया, जिसका कारण जुडको या विभाग

के दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं था। विभाग ने इस संबंध में, लेखापरीक्षा पृच्छाओं (दिसंबर 2021) का भी उत्तर नहीं दिया।

(ii) जुडको ने दोष-दायित्व अवधि के अंत (अप्रैल 2019) के बाद, परियोजना के अनुरक्षण चरण के दौरान भी नीरी की पर्यवेक्षी सेवाओं का लाभ नहीं उठाया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना पूर्ण होने के बाद, नदी में अनुपचारित मल-जल का निरंतर उत्सर्जन ***(कंडिका 4.5.2, 4.6.1, 4.9)***, एसटीपी के संचालन में कमियाँ ***(कंडिका 4.6.2)***, क्षतिग्रस्त वर्षा-जल नालियां ***(कंडिका 4.6.3)***, खराब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ***(कंडिका 4.6.4)***, निर्बाध अतिक्रमण, नदी क्षेत्र में किसी भी निगरानी तंत्र के अभाव में नदी की बाड़ का उखड़ जाना ***(कंडिका 4.6.7)***, नदी में पानी की खराब (मल-जल के समतुल्य) गुणवत्ता ***(कंडिका 4.6.5 (iii))*** आदि से ग्रसित थी। इन परिचालन विफलताओं से संकेत मिलता है कि निर्माण चरण के दौरान पीएमसी सेवाओं (टीयूएसपीएल की) एवं परिचालन चरण के दौरान पर्यवेक्षी सेवाओं (नीरी की) के लाभ नहीं उठाने के विभाग का निर्णय का परियोजना के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि टीयूएसपीएल ने परियोजना के पर्यवेक्षण के यथार्थवादी दायरे की पेशकश नहीं की थी। एसटीपी का रेखांकन और निर्माण नीरी द्वारा किया गया था, जिसके पास फाइटोरिड तकनीक का एकाधिकार था तथा कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा प्रतिबंधों के कारण परि. एवं अनु. चरण के दौरान नीरी की सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा सका।

जवाब युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि विभाग परियोजना के पूर्ण-कालिक पर्यवेक्षण के लिए परामर्शदाता के प्रस्ताव से सैद्धान्तिक रूप से सहमत नहीं था। अतः, विभाग से आवश्यक सहमति के अभाव में**,** परामर्शदाता द्वारा पर्यवेक्षण के विस्तृत दायरे को प्रस्तुत करना अवास्तविक प्रतीत होता है। आगे**,** निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) में विभाग के सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.4 सर्वेक्षण एवं जाँच

स्वीकृत डीपीआर में सर्वेक्षण एवं जाँच के लिए ₹ 43.92 लाख आवंटित किया गया था। इसमें नदी का सर्वेक्षण[9] करना; हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन (500 मीटर के अंतराल

---

[9] *डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) के उपयोग से नदी के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर धारा नहर, सड़कें आदि, 500 मीटर के अंतराल पर नदी खंडों एवं नदी तटों सहित भीतरी भाग तथा 50 मीटर के अंतराल पर नदी के पूरे खंड के महत्वपूर्ण स्थानों पर एवं मुख्य प्रवाह का अनुप्रस्थ-काट लेना।*

पर नदी के जल स्तर का मापन करके तथा 'करंट मीटर[10]' का अवलोकन करके); प्रतिवेदन (ऑटोकैड पर रेखाचित्र की छपाई और क्षेत्र की रूपरेखा योजना तैयार करके); भू-तकनीकी अध्ययन (परीक्षण छिद्रण के माध्यम से); और नदी जल का नमूना (प्रत्येक 500 मीटर के अंतराल पर, अलग-अलग गहराई पर तीन नमूने) सम्मिलित था।

संबंधित कार्य की मापी-पुस्त (एमबी) की जाँच से पता चला कि भू-तकनीकी और पानी के नमूने को छोड़कर, सर्वेक्षण और जाँच के घटकों का मार्च 2016 में पूर्ण होना दर्शाया गया था, लेकिन अलग-अलग अंतराल (500 मीटर, 50 मीटर आदि) पर नदी के अनुप्रस्थ-काट के आयामों की प्रविष्टि नहीं की गई थी। वास्तविक नदी मार्ग के अनुप्रस्थ-काट का उचित सर्वेक्षण नहीं करने के परिणामस्वरूप, मानसून के मौसम (जुलाई 2016 और जुलाई 2017) के दौरान मुक्तिधाम के पास ***(कंडिका 4.5.4)*** नदी के अनुप्रस्थ-काट (उचित सर्वेक्षण एवं विभिन्न प्रवेशिकाओं की पहचान आदि के बगैर निर्मित) का निर्मित हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। सर्वेक्षण और जाँच के संबंध में पाई गई कमियों का विवरण नीचे दिया गया है।

4.4.1 नदी के प्रवेशिकाओं की पहचान

आईआरसी: एसपी: 50-2013 (शहरी जल निकास पर दिशा-निर्देश) निर्धारित करता है कि पर्यावरण को गंभीर नुकसान से बचाने के लिए दूषित जल-नालों और वर्षा जल-नालों की पहचान एवं उनके पृथक्करण के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि मल-जल को शहर के किसी क्षेत्र में वर्षा जल नालों में बहने से रोका जा सके।

आईआरसी: एसपी: 50-2013 वर्षा जल नालों को भी तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: प्राथमिक नाले, द्वितीयक नाले और तृतीयक नाले। 'प्राथमिक नाले प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली हैं, जो प्रमुख जल निकायों की एक श्रृंखला को विशेष जलग्रहण-क्षेत्रों में उनके समाप्त होने तक जोड़ती हैं। वे एक नदी बेसिन की सहायक नदियों के रूप में उत्पन्न होती हैं जो अपने प्रवाह के दौरान एक या अधिक जलाभरण क्षेत्रों से, द्वितीयक जल निकासी प्रणाली से, तृतीयक जल निकासी प्रणाली से या सीधे सड़क के किनारे की नालियों से जल प्राप्त करती हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सलाहकार ने डीपीआर तैयार करते समय विभिन्न स्थानों पर केवल छः प्रवेशिकाओं[11] के अस्तित्व का उल्लेख किया था जो हरमू नदी में आकर समाप्त हो रहे थे। हालाँकि, सर्वेक्षण और जाँच के दौरान, संवेदक ने, जिसने कथित

[10] *'करंट मीटर' वेग को मापता है।*

[11] *प्रवेशिका 1, 2, 3, 4, 5 और 6*

तौर पर प्रत्येक 500 मीटर के अंतराल पर और महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रत्येक 50 मीटर पर नदी के पूरे खंड के अनुप्रस्थ-काट का सत्यापन किया था, किसी भी अतिरिक्त श्रोत या नालियों का उल्लेख नहीं किया जो नदी में खुल रहा था। जैसा कि डीपीआर में उल्लेख था, इन छः प्रवेशिकाओं से बहाव की मात्रा के आधार पर परियोजना कार्य शुरू किया गया।

विभाग ने, हालाँकि, लगातार दो बरसात के मौसम में आठ अतिरिक्त बड़े प्रवेशिकाओं[12] से भारी बहाव देखा (जुलाई 2016 और 2017), जो न तो सलाहकार (डीपीआर में) द्वारा प्रतिवेदित किया गया था न ही संवेदक द्वारा (सर्वेक्षण के दौरान एवं परियोजना कार्य के निष्पादन से पहले)।

लेखापरीक्षा ने देखा (गूगल अर्थ इमेज का उपयोग करते हुए) कि ये सभी 14 प्रवेशिकाएँ, डीपीआर तैयारी के पहले से अस्तित्व में थे और सलाहकार (डीपीआर में) द्वारा इनमें से आठ को शामिल करने में विफलता ने यह इंगित किया कि सलाहकार ने आवश्यक सर्वेक्षण नहीं किया था। इसके अलावा, विभाग के मुख्य अभियंता ने डीपीआर स्वीकृत करने से पहले आवश्यक जाँच नहीं की थी, जैसा कि नीचे केस स्टडी में चर्चा की गई है।

<u>केस स्टडी 4.1</u>

लेखापरीक्षा ने 19 मई 2004 की गूगल अर्थ इमेज का उपयोग करते हुए हरमू नदी के आसपास की स्थलाकृति की जाँच की। यह देखा गया कि मुक्तिधाम के पास दो प्राथमिक प्रवेशिकाएँ, निर्देशांक 23^{0}21’56.10” उ. और 85^{0}18’32.23” पू., हरमू नदी में आकर समाप्त हो रहे थे। इन्हें नीचे दिए गए गूगल मैप में प्रवेशिका/प्रवेशिका-1 और प्रवेशिका-1ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

चित्र 4.2: प्रवेशिका 1 और प्रवेशिका 1ए की उपग्रहीय छवि (मई 2004)

---

[12] *प्रवेशिका: 1ए (चेनेज 1900-2040 मीटर के बीच); 3ए, 3बी, 3सी (चेनेज 2040 -4068 मीटर के बीच); 6ए, 6बी, 6सी और 6डी (चेनेज 6550-8500 मीटर के बीच)*

हालाँकि, 2004 के गूगल मानचित्र में दोनों प्रवेशिकाएँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, परामर्शदाता ने डीपीआर में केवल प्रवेशिका-1 की पहचान की थी, प्रवेशिका-1ए की नहीं। मुख्य अभियंता, जिसने डीपीआर स्वीकृत की थी और तकनीकी स्वीकृति दी थी, ने भी उसका सत्यापन नहीं किया। यहां तक कि संवेदक ने भी प्रवेशिका-1ए के अस्तित्व का उल्लेख नहीं किया, जिसने कथित तौर पर सर्वेक्षण और जाँच की थी। प्रवेशिका-1ए द्वारा नदी तटबंधों में भारी बाढ़ और क्षति करने के बाद इसको फरवरी 2018 में पुनरीक्षित रेखांकन में शामिल किया गया था।

बाद में इन आठ प्रमुख प्रवेशिकाओं को हरमू नदी की सहायक नदियों तथा प्राथमिक वर्षा जल-नालों के रूप में मुख्य अभियंता द्वारा विचार किया गया (2018)। तदनुसार नदी में बहाव के प्राथमिक प्रवेशिकाओं के रूप में इन सभी 14 प्रवेशिकाओं को शामिल करते हुए रेखांकन को पुनरीक्षित किया गया (फरवरी 2018)। लेखापरीक्षा में आईआरसी-प्रावधान एसपी: 50-2013 का उल्लंघन करते हुए कि इन प्रवेशिका में मिश्रित प्रवाह (वर्षा जल के साथ मल-जल) पाया गया।

इस बीच, नीरी ने भी हरमू नदी के पूरे शहरी खंड का निरीक्षण (सितंबर 2016) किया और इन 14 प्रमुख स्रोतों के अलावा 56 छोटे नालों की पहचान की। हालाँकि, इन नालों द्वारा अनुपचारित मल-जल सीधे नदी में प्रवाहित होते हुए पाया गया फिर भी पुनरीक्षित रूपांकन में किसी भी नाले को शामिल नहीं किया गया था।

इस प्रकार, विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा दो बार, कार्य की शुरुआत के पहले आठ प्रमुख प्रवेशिकाओं को शामिल किए बिना एवं नीरी द्वारा प्रतिवेदन किए जाने के बावजूद 56 छोटे प्रवेशिका-स्रोतों को पुनरीक्षित प्राक्कलन में शामिल किए बगैर दोषपूर्ण रेखांकन को अनुमोदित करना परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हानिकारक साबित हुआ। एक चार सदस्यीय समिति[13] ने पूर्ण परियोजना का निरीक्षण (जुलाई 2019) किया तथा प्रतिवेदित किया कि परियोजना कार्य वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा और दृष्टिगत परिणाम देने में असमर्थ था ***(कंडिका 4.9)***।

4.4.2 प्रवेशिकाओं से प्रवाह का आकलन

सीपीएचईईओ संहिता की कंडिका 3.10 के अनुसार, गैर-सीवर वाले क्षेत्रों में, जहाँ से उत्पन्न गंदा जल को बाहर निकलना है, नालियों का एक समूह होना आवश्यक है। नालियों में प्रवाह का आकलन विभिन्न तरीकों[14] से किया जा सकता है।

---

[13] *अभियंता-प्रमुख, जल संसाधन विभाग के नेतृत्व में बीआईटी, मेसरा एवं बीआईटी सिंदरी के सिविल अभियंता विभागों और नीरी, नागपुर के प्रतिनिधियों के साथ।*

[14] *सीपीएचईईओ संहिता के कंडिका 3.1 में सीवर/नालियों में प्रवाह के माप के लिए फ्लोट विधि, वी नोच विधि, आयताकार वीयर विधि, पामर बाउलस फ्लूम, वेंटुरी पाइप या डल ट्यूब निर्धारित है।*

जुडको की संबंधित संचिकाओ में लेखापरीक्षा ने पाया कि या तो परामर्शदाता द्वारा (डीपीआर तैयारी के दौरान) या संवेदक द्वारा (निर्माण के सर्वेक्षण और जाँच चरण के दौरान) शुष्क और व्यस्ततम अवधि के लिए प्रवेशिकाओं /नालियों से निस्सरण का सैद्धान्तिक मूल्यांकन व्यावहारिक रूप से सत्यापित (निर्धारित तरीकों में से किसी के द्वारा) नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, एनआरसीडी (भारत सरकार) ने (i) शहर में वास्तविक मल-जल उत्पादन (ii) मौजूदा दूषित-जल और एसटीपी सुविधाएं (iii) मल-जल उपचार क्षमता में कमी तथा (iv) नदी आदि में उत्सर्जित मल-जल की मात्रा ***(कंडिका 4.2)*** के विवरण के अभाव का हवाला देकर एनआरसीपी के तहत परियोजना प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालाँकि, इन मुद्दों को हल किए बिना परियोजना कार्यों को निष्पादित किया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि एक समिति[15] ने पूर्ण परियोजना का निरीक्षण (जुलाई 2019) किया था और सिफारिश की थी कि हरमू नदी बेसिन में वर्तमान जनसंख्या और भविष्य की वृद्धि को देखते हुए वर्षा-जल और मल-जल की मात्रा का नए सिरे से अनुमान लगाया जाय। कमिटी ने यह भी प्रतिवेदित किया कि: (i) वर्तमान में हरमू नदी परियोजना में मौजूद एसटीपी के साथ बहुत कम मात्रा में अपशिष्ट जल एकत्र और उपचारित किया जा रहा था (ii) कई प्रमुख नाले नदी में अनुपचारित अपशिष्ट जल का उत्सर्जन कर रहे थे तथा (iii) हरमू नदी में स्वच्छ जल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी ***(कंडिका 4.9)***।

4.4.3 अपर्याप्त सर्वेक्षण कार्य

लेखापरीक्षा ने, 2.97 किमी (तपोवन खंड के पास) में कठोर चट्टानें पाए जाने तथा नदी खंड के 2.73 किमी (एसटीपी 8 के पास) में निवासियों की अनुपस्थिति के कारण, मल-जल निकासी प्रणाली (शुरुआत में 19,249.80 मीटर, लेकिन बाद में घटाकर 17,494.67 मीटर) और संपत्ति संपर्क (शुरुआत में 2,100 घरों के लिए, लेकिन बाद में घटाकर 933 घरों तक) के लिए डीपीआर प्रावधानों की तुलना में पुनरीक्षित प्रावधानों में व्यापक भिन्नता पाई।

यह इंगित करता था कि परियोजना कार्य शुरू करने से पहले या तो सलाहकार (डीपीआर तैयार करने से पहले) या संवेदक (परियोजना के सर्वेक्षण और जाँच घटकों के तहत) द्वारा उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप मल-जल

---

[15] *अभियंता-प्रमुख, जल संसाधन विभाग के नेतृत्व में बीआईटी मेसरा एवं बीआईटी सिंदरी के सिविल इंजीनियरिंग विभागों के और नीरी, नागपुर प्रतिनिधियों के साथ*

सीधा नदी में प्रवाहित हो रहा था क्योंकि स्वीकृत संरेखण में इन हिस्सों में सीवर लाइनें नहीं बिछाई जा सकीं।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि राँची की मल एवं जल निकास परियोजना के तहत अतिरिक्त स्रोतों का ध्यान रखा जाना था, जो एक बार स्थापित हो जाने पर हरमू नदी में मल-जल के प्रवाह को रोक देगा।

जबाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जीर्णोद्धार एवं संरक्षण परियोजना के तहत संशोधित डीपीआर में सलाहकार (जिसने डीपीआर तैयार किया था) तथा एनआईटी, जमशेदपुर द्वारा सभी 14 प्रमुख प्रवेशिका स्रोतों को हरमू नदी की प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इसके अलावा, इन 14 प्रवेश स्रोतों से हरमू नदी में प्रवाहित होने वाले मल-जल को रोकने के लिए मल एवं जल निकास परियोजना की न तो कोई योजना थी न ही क्रियान्वयित की गई थी।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए एवं नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.5 परियोजना कार्यों का रूपांकन एवं संरेखण

संवेदक ने परियोजना के विभिन्न घटकों के रूपांकन को तीन संस्थानों ***(परिशिष्ट 4.1)*** यथा आईआईटी, मुंबई (अक्टूबर 2015); बीआईटी, मेसरा (जनवरी 2016) और एनआईटी, जमशेदपुर (दिसंबर 2016 और नवंबर 2017 के बीच) द्वारा अनुमोदित (जाँच) करवाया। लेखापरीक्षा ने देखा कि बीआईटी, मेसरा ने टिप्पणियों के साथ केवल एसटीपी पर एक जाँच प्रतिवेदन दी थी लेकिन रूपांकन को अनुमोदित नहीं किया था। जवाब में, जुडको प्रबंधन ने कहा कि, बीआईटी, मेसरा के सुझावों को शामिल करने के बाद, एसटीपी के रूपांकन को जुडको द्वारा अनुमोदित किया गया था। लेखापरीक्षा ने परियोजना कार्यों के विभिन्न घटकों के रूपांकन में निम्नलिखित कमियां पाई:

4.5.1 नदी के जलग्रहण-क्षेत्र का आकलन

आईआईटी, मुंबई दो चरणों में परियोजना से जुड़ा था: (i) पहले चरण में डीपीआर का तकनीकी मूल्यांकन प्रदान करने के लिए तथा (ii) दूसरे चरण में कार्य चरण की शुरुआत के पहले संवेदक द्वारा तैयार किए गए अनुमोदित रूपांकन एवं संरेखण की जाँच के लिए।

डीपीआर के तकनीकी मूल्यांकन (अगस्त 2014) के दौरान, आईआईटी, मुंबई ने सिफारिश की थी कि वास्तविक जलग्रहण क्षेत्र (22.59 वर्ग कि.मी.), जो दूषित जल का उत्पादन और हरमू नदी में बहाव करेगा, को दूषित-जल उत्पादन की गणना के लिए विचार किया जाना चाहिए। हालाँकि, जब संवेदक ने रूपांकन एवं संरेखण को आईआईटी, मुंबई को जाँच के लिए भेजा तो आईआईटी मुंबई ने अंतिम जाँच प्रतिवेदन (अक्टूबर 2015) में नदी का जलग्रहण क्षेत्र घटाकर 8.49 वर्ग किमी (नदी के दोनों ओर 250 मीटर में नदी के किनारे के घरों से उत्पन्न मल-जल के लिए 5.20 वर्ग किमी तथा प्रवेशिकाओं के जलग्रहण के लिए 3.29 वर्ग किमी) यह कहते हुए कर दिया गया कि शहर के अन्य हिस्सों को स्वच्छता और मल-जल संग्रह के अलग कार्यक्रमों के तहत आच्छादित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग (राँची नगर निगम के माध्यम से) ने राँची शहर के क्षेत्र 1 में मल एवं जल निकास हेतु एक परियोजना शुरू की थी (मार्च 2015) जबकि हरमू नदी क्षेत्र 2 में पड़ती थी। क्षेत्र 1 का काम पूरा नहीं हुआ था तथा समय विस्तार (फरवरी 2023 तक) दिया गया था। नगर के शेष तीन जोन में लेखापरीक्षा पूर्ण होने तक (अप्रैल 2022) मल एवं जल निकास का कोई कार्य नहीं किया गया था। इस प्रकार, शहर में घरों से उत्पन्न मल-जल को रोकने एवं दिशा देने तथा इसे हरमू नदी में गिरने से रोकने के लिए कोई मल-जल निकासी प्रणाली नहीं थी।

यद्यपि विभाग इस तथ्य से अवगत था कि राँची शहर में परिचालित कोई मल एवं जल निकास व्यवस्था मौजूद नहीं थी, कम जलग्रहण क्षेत्र (आईआईटी, मुंबई की सिफारिश पर 22.59 वर्ग किमी के बजाय 8.49 वर्ग किमी) के अनुमोदन ने केवल 8.49 वर्ग किमी के सीमित जलग्रहण क्षेत्र से नदी में प्रवाह का आकलन किया। हालाँकि, नदी के पूरे जलग्रहण क्षेत्र (22.59 वर्ग किमी) में फैले अप्रयुक्त (जल निकासी प्रणाली से बिना जुड़े) प्रवेशिकाओं के माध्यम से नदी में मल-जल के निरंतर प्रवाह ने बारिश के मौसम (जुलाई 2016 और जुलाई 2017) में गंभीर क्षति पहुँचाई, जो नदी के जलग्रहण-क्षेत्र को तय करने में कमियों के साथ-साथ विभाग द्वारा लिए गए मल एवं जल निकास कार्यों के साथ नदी के जीर्णोद्धार कार्यों में तालमेल की कमियों को उजागर करता था। इसके बाद, संवेदक द्वारा जलग्रहण क्षेत्र को बढ़ाकर 19.51 वर्ग किमी कर दिया गया जिसे दिसंबर 2016 और अप्रैल 2017 के बीच एनआईटी, जमशेदपुर द्वारा अनुमोदित किया गया था।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि जीर्णोद्धार एवं संरक्षण परियोजना का दायरा 8.49 वर्ग किमी के जलग्रहण-क्षेत्र में इस बात पर आधारित था कि 8.49 वर्ग किमी के

जलग्रहण क्षेत्र के बाहर उत्पन्न मल-जल (14.10 वर्ग किमी) का उपचार सीवरेज एवं ड्रेनेज परियोजना करेगी।

जवाब युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि विभाग ने शहर के लिए एकीकृत सीवरेज प्रणाली की योजना नहीं बनाई थी। हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण की परिकल्पना को 8.49 वर्ग किमी तक सीमित करके और शेष 14.10 वर्ग किमी में मल-जल उत्पादन का एक अन्य परियोजना (मल एवं जल निकास परियोजना) के माध्यम से ध्यान रखने की बात किसी भी साक्ष्य यथा डीपीआर आदि से समर्थित नहीं था। इसके अलावा, यह सीपीएचईईओ संहिता का उल्लंघन था, जो कुल सहायक-नदी क्षेत्र (22.59 वर्ग किमी) के आधार पर मल-जल निकास क्षमता को रूपांकित करना निर्धारित करता है।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए एवं नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.5.2 सीवर प्रणाली का रूपांकन

सीपीएचईईओ नियमावली के अनुसार, पारंपरिक गंदे नालों की रूपांकन अवधि आधार वर्ष से 30 वर्ष होनी चाहिए। संहिता की ***कंडिका 3.5*** के तहत यह आवश्यक है कि हाइड्रोलिक रेखांकन के प्रयोजन के लिए अनुमानित अधिकतम प्रवाह को अपनाया जाए। तीस वर्षों के रूपांकन अवधि (आधार वर्ष 2018 एवं अंतिम वर्ष 2048 के साथ) को ध्यान में रखते हुए हरमू नदी के लिए मल-जल निकास प्रणाली को अंतिम वर्ष 2048 को लेकर रूपांकित किया जाना चाहिए था।

आईआईटी, मुंबई ने नदी के किनारे के घरों, छः प्रवेशिकाओं और 33 शौचालय खंडो से उत्पन्न मल-जल के प्रवाह को ध्यान में रख कर भूमिगत जल निकासी प्रणाली के हाइड्रोलिक रूपांकन की जाँच की तथा अंतिम वर्ष 2048 के लिए 22.15 एमएलडी के अधिकतम मल-जल उत्पादन, जिसे सीधे हरमू नदी में छोड़ा जाएगा, का अनुमान (अक्टूबर 2015) लगाया। इस प्रवाह के आधार पर, आईआईटी, मुंबई ने भूमिगत जल निकासी प्रणाली में 18,985 मीटर (17,254 मीटर 300 मिमी व्यास पाइप और 1,731 मीटर 450 मिमी व्यास पाइप) सीवर लाइन (मैनहोल को छोड़कर) की सिफारिश की। परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको द्वारा इन सुझावों को अनुमोदित किया गया था तथा इन रूपांकन के आधार पर कार्य निष्पादित किए गए थे। हालाँकि, बारिश के मौसम (जुलाई 2016 और जुलाई 2017) के दौरान भारी बहाव के कारण, नदी के अनुप्रस्थ-काट के कार्य क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसमें आठ अतिरिक्त प्रमुख प्रवेशिकाओं से बहाव पाया गया था। अतः, संवेदक द्वारा दिसंबर

2016 और अप्रैल 2017 के बीच रूपांकन को पुनरीक्षित किया गया था तथा एनआईटी, जमशेदपुर द्वारा जाँच किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, पुनरीक्षित रूपांकन में इन प्रवेशिकाओं (14 प्रवेशिकाओं) का जलग्रहण क्षेत्र 3.29 वर्ग किमी से बढ़ाकर 14.31 वर्ग किमी कर दिया गया तथा अंतिम वर्ष के लिए अधिकतम मल-जल प्रवाह को 22.15 एमएलडी से बढ़ाकर 47.12 एमएलडी[16] कर दिया गया। हालाँकि, एनआईटी, जमशेदपुर ने मल-जल में वृद्धि के तदनुरूप प्रभाव का ध्यान, 150 मीटर[17] की लंबाई को छोड़कर सम्पूर्ण मल-जल निकास प्रणाली (20.8 किमी लंबी) की चौड़ाई पर नहीं रखा था।

इससे पता चला कि मल-जल निकासी प्रणाली को रूपांकित करने एवं कार्य शुरू करने से पहले या बाद में उचित सर्वेक्षण और जाँच नहीं की गई थी। विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदन प्रदान करने से पहले, आईआईटी, मुंबई द्वारा जांचित पुनरीक्षित रूपांकन (एक राइडर के साथ) की जाँच नहीं की गई थी। जल निकास प्रणाली के आयामों पर अतिरिक्त मल-जल के प्रवाह के प्रभाव, जिसे एनआईटी, जमशेदपुर द्वारा छोड़ दिया गया था, की भी जाँच विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा नहीं की गई थी। इस प्रकार, विभाग के मुख्य अभियंता अनिवार्य जाँच करने में विफल रहे, जिसके कारण परियोजना के रूपांकन, रेखांकन, निर्माण और कार्यकाज में चूक और कमियों की एक श्रृंखला ***(कंडिका 4.5.1, 4.5.3 और 4.6)*** बन गई।

लेखापरीक्षा ने संबंधित संचिकाओं से देखा कि एसटीपी मे उपचार हेतु, मल-जल के निपटान के लिए केवल नौ[18] (14 प्रमुख प्रवेशिकाओं में से) स्त्रोत सीवर लाइन से जुड़े थे। प्रवेशिका से सीवर लाइन एवं सीवर लाइन से एसटीपी के संयोजन का एक चित्रात्मक प्रतिरूप (लेखापरीक्षा द्वारा तैयार) **चित्र-4.3** में दिखाया गया है।

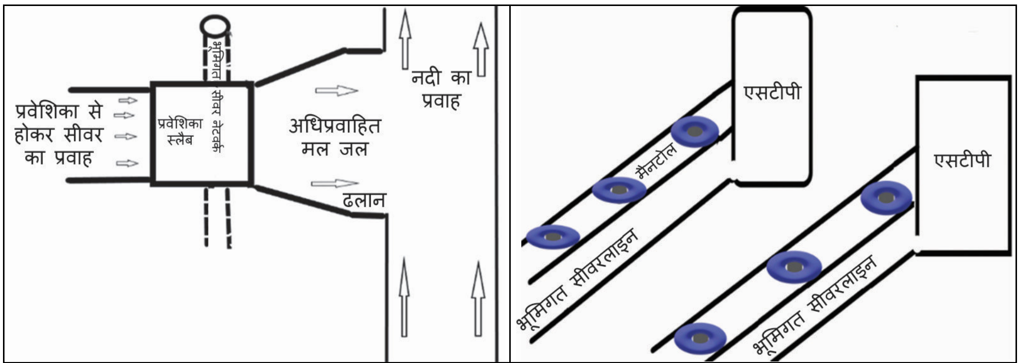

चित्र 4.3: प्रवेशिका को सीवर प्रणाली से एवं सीवर प्रणाली का एसटीपी से संयोजन

---

[16] *प्रवेशिका से बहने वाला मल-जल: 32.43 एमएलडी, नदी के किनारे के घरों से उत्पादित मल-जल (नदी के दोनों ओर 250 मीटर): 12.97 एमएलडी और प्रस्तावित 33 शौचालय खंडों से उत्पादित मल-जल: 1.72 एमएलडी*

[17] *एसटीपी 1 से जोड़ने के लिए मुक्तिधाम के पास मैनहोल 63 और 67 के बीच, जहाँ सीवर लाइन की चौड़ाई 350 मिमी से बढ़ाकर 800-900 मिमी की गई थी*

[18] *1, 1ए, 2, 3, 3ए, 3बी, 3सी, 5 और 6*

प्रवेशिका का सीवर प्रणाली से संयोजन का रूपांकन एक कूबड़ (हम्प) जैसी संरचना से गुजरने के लिए किया गया था ताकि प्रवेशिकाओं से अतिरिक्त प्रवाह (यानी सीवर लाइन की क्षमता से अधिक निर्वहन) कूबड़ को पार कर सीधे नदी में गिर जाए। बारिश के मौसम में सीवर प्रणाली को वर्षा जल के अत्यधिक प्रवाह से बचाने के लिए इस तरह के रूपांकन को अपनाया गया था।

लेखापरीक्षा ने संबंधित कार्यों की संचिकाओं से तथा जुड्को के अभियंताओं के साथ इन प्रवेशिकाओं के स्थल सत्यापन के दौरान पाया कि शुष्क मौसम (मार्च 2021) के दौरान भी 14 प्रमुख प्रवेशिकाओं में से नौ से प्रवाह कूबड़ संरचना के ऊपर से हो रहा था और नदी में गिर रहा था। शेष पाँच प्रमुख प्रवेशिकाएँ[19] सीवर लाइन से नहीं जुड़ी थीं और सीधे नदी में मल-जल प्रवाहित कर रही थीं। यह इंगित करता था कि सीवरेज प्रणाली एवं इसकी संरचना का रूपांकन दोषपूर्ण था और यह न तो प्रवेशिका स्रोतों से मल-जल के निर्वहन को न ही बाधित कर सकता था और न ही इसे नदी में उत्सर्जित होने से रोक सकता था।

प्रमुख प्रवेशिकाओं के दो मामलों का अध्ययन (एक सीवर प्रणाली से जुड़ा था तथा दूसरा किसी भी सीवर प्रणाली से जुड़ा नहीं था), यह इंगित करने के लिए कि अक्टूबर 2018 में परियोजना का कार्य पूर्ण होने के बाद प्रवेशिकाओं ने वास्तव में कैसे काम किया, नीचे प्रस्तुत किया गया है।

<u>केस स्टडी 4.2</u>

संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2021) के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि दो प्राथमिक वर्षा जल-नालों (प्रवेशिका 1 और 1ए के रूप में वर्गीकृत) को हरमू नदी के मुक्तिधाम के पास रोक दिया गया था और भूमिगत सीवर प्रणाली से जोड़ा गया था (बाईं ओर चेनेज 0-2050 मीटर)। नालों से अतिरिक्त मल-जल (यानी सीवर प्रणाली की क्षमता से अधिक मल-जल प्रवेशिका और सीवर प्रणाली के मिलन बिंदु पर) सूखे मौसम (मार्च 2021) के दौरान भी सीधे हरमू नदी में बहता हुआ पाया गया। ये नाले क्रमशः हेहल पहाड़, रातू मार्ग और पहाड़ी मंदिर के पास शुरू हुए तथा मल जल, ठोस अपशिष्ट आदि को लगभग 1.30 किमी से 3.32 किमी (4.3 वर्ग किमी के जलग्रहण क्षेत्र को आच्छादित करते हुए) की दूरी से वहन कर लाए। लेखापरीक्षा विश्लेषण के अनुसार, इन नालों से बहने वाले मल-जल के उपचार के लिए चार एमएलडी के एसटीपी की आवश्यकता थी ***(परिशिष्ट 4.2)***। हालाँकि, ये नाले भूमिगत सीवर प्रणाली के माध्यम से एसटीपी 1 (1.5 एमएलडी) से जुड़े थे, जो मल-जल को रोकने और इसे नदी में उत्सर्जित करने से पहले इसका उपचार करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

[19] *4, 6ए, 6बी, 6सी और 6डी*

परिणामस्वरूप, आईआईटी, मुंबई, बीआईटी, मेसरा और एनआईटी, जमशेदपुर द्वारा रूपांकनों की जाँच के बावजूद अतिरिक्त मल-जल को बिना किसी उपचार के सीधे हरमू नदी में उत्सर्जित किया जा रहा था। इसने नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया।

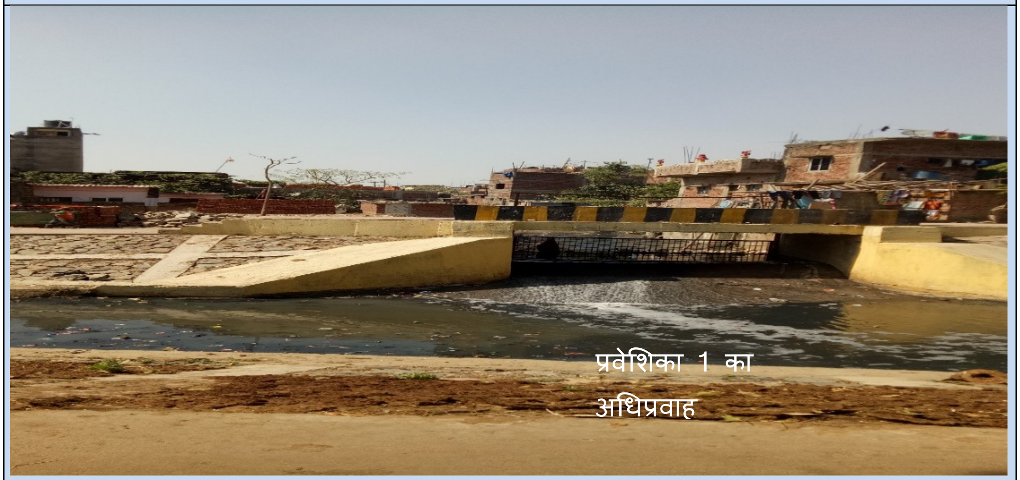

चित्र 4.4: शुष्क मौसम (मार्च 2021) में अधिप्रवाहित प्रवेशिका 1

<u>केस स्टडी 4.3</u>

हरमू नदी की एक सहायक नदी, अरगोड़ा नाला (एक प्राथमिक नाला, प्रवेशिका 4 के रूप में वर्गीकृत) हरमू नदी से 9.17 किमी दूर अरगोड़ा बाईपास मार्ग के पास से निकलती है और निवारणपुर के पास नदी से मिलती है। संयुक्त भौतिक सत्यापन (4 मई 2022) के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि इसका मिलन बिंदु तपोवन खंड ***(कंडिका 4.6.1)*** में स्थित था, जहाँ किसी भूमिगत सीवर प्रणाली का निर्माण नहीं किया गया था। सीवर प्रणाली के अभाव में, नाला अपने जलग्रहण क्षेत्र (0.64 वर्ग किमी) से मल-जल (0.47 एमएलडी) का बहाव कर रहा था और इसे सीधे हरमू नदी में उत्सर्जित कर रहा था। इसके अलावा, विशेष रूप से गौरीशंकर नगर, डोरंडा में अरगोड़ा नाले पर अनधिकृत खटालों[20] द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गोबर एवं अन्य ठोस अपशिष्ट आदि की एक प्रचुर मात्रा सीधे नाले में उत्सर्जित हो रही थी। अरगोड़ा नाला इस अनुपचारित मल-जल को हरमू नदी में उत्सर्जित कर रहा था, जिससे उसका पानी दूषित हो रहा था। इसलिए, सरकार को अतिक्रमणकारियों को हटा कर वर्षा जल नालों (अरगोड़ा नाला) में मल-जल, गोबर, ठोस अपशिष्ट आदि के बहाव को रोकने; प्रवेशिकाओं की नियमित अंतराल पर सफाई सुनिश्चित करने; उपग्रहीय चित्रों के माध्यम से क्षेत्र की निगरानी सुनिश्चित करने तथा तपोवन में हरमू नदी से मिलने से पहले अरगोड़ा नाले पर ही एक एसटीपी बनाने पर विचार करने हेतु तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

[20] *गायों और भैंसों के लिए शेड*

चित्र 4.5: प्रवेशिका 4 के माध्यम से हरमू नदी में सीधे मल-जल का निर्वहन

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि मल एवं जल निकास परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, हरमू नदी में मल-जल के अतिरिक्त प्रवाह (अर्थात रूपांकन क्षमता से अधिक मल जल) को सीमित कर दिया जाएगा।

जबाब युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि: (i) विभाग ने ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया कि मल एवं जल निकास परियोजना को हरमू नदी के प्राकृतिक प्रवेशिका से आने वाले प्रवाह को ध्यान में रख कर रूपांकित किया गया है (ii) अतिरिक्त स्रोतों से बढ़े हुए प्रवाह के लिए चरण II की डीपीआर में अतिरिक्त एसटीपी प्रस्तावित थे, लेकिन भूमि की अनुपलब्धता के कारण इन्हें हटा दिया गया था, (iii) 14 प्रमुख प्रवेशिकाओं में से नौ को कम क्षमता वाली सीवरेज प्रणाली से जोड़ा गया था, जिसे केवल छः प्रमुख प्रवेशिकाओं से संयोजन के लिए रेखांकित किया गया था।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए तथा नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव-अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.5.3 एसटीपी का रूपांकन

4.5.3.1 कम क्षमता वाले एसटीपी का रूपांकन

सीपीएचईईओ संहिता के कंडिका 2.5 के अनुसार, एसटीपी का रूपांकन अवधि आधार वर्ष से 15 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि हरमू नदी की सीवरेज प्रणाली का आधार वर्ष

2018 था, एसटीपी का रूपांकन मध्यवर्ती वर्ष 2033 के लिए होना चाहिए था। मध्यवर्ती वर्ष (2033) के लिए अधिकतम/औसत मल-जल उत्पादन **तालिका 4.4** में दिखाया गया है।

तालिका 4.4: कुल मल-जल उत्पादन की तुलना

विवरण	मध्यवर्ती वर्ष (2033) के लिए लेखापरीक्षा द्वारा संगणित उच्चतम/औसत (एमएलडी में) (परिशिष्ट 4.2)	मध्यवर्ती वर्ष (2033) के लिए आईआईटी, मुंबई द्वारा जाँचित प्राक्कलन। उच्चतम/औसत (एमएलडी में)
प्रवेशिकाओं से बहता हुआ मल-जल	26.41/13.20	6.08/3.02
नदी के किनारे के घरों (नदी के दोनों ओर 250 मीटर) से उत्पन्न होने वाली मल-जल की संभावना	10.55/5.28	10.55/5.28
प्रस्तावित 33 शौचालय खंडों से मल-जल उत्पन्न होने की संभावना	1.72/1.72	1.72/1.72
कुल	38.68/20.20	18.35 /10.02
नोट- उच्चतम /औसत मल-जल उत्पादन की मात्रा में अंतर का मुख्य कारण आईआईटी, मुंबई द्वारा छः प्रवेशिकाओं एवं लेखा परीक्षा द्वारा 14 प्रवेशिकाओं के जलग्रहण क्षेत्र को लेना था।		

लेखापरीक्षा ने देखा कि सलाहकार, जिसने डीपीआर तैयार किया था, ने 11.50 एमएलडी की कुल क्षमता वाले आठ एसटीपी की सिफारिश की थी। संवेदक ने इसे जाँच के लिए बीआईटी, मेसरा को प्रस्तुत किया। अपनी प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन (जनवरी 2016) में, बीआईटी, मेसरा ने सलाहकार द्वारा एसटीपी की क्षमता की गणना के लिए अपनाई गई रूपांकन अवधि, रूपांकन आधार एवं विधि को मंजूरी नहीं दी। बीआईटी, मेसरा ने सलाह दी कि इन मुद्दों को ग्राहक (जुडको) द्वारा जाँचा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने मल-जल की बढ़ी हुई मात्रा के उपचार के लिए आवश्यक एसटीपी की कुल क्षमता (आठ अतिरिक्त प्रवेशिकाओं की पहचान के बाद जलग्रहण क्षेत्र में हुई वृध्दि के कारण) की गणना की और पाया कि डीपीआर में अनुमोदित (केवल छः प्रवेशिकाओं पर विचार करने के आधार पर) 11.50 एमएलडी के एसटीपी के बजाय 20.20 एमएलडी (8.70 एमएलडी की अतिरिक्त क्षमता की) की कुल क्षमता की एसटीपी की आवश्यकता थी। जुडको ने भी 10.5 एमएलडी क्षमता के अतिरिक्त एसटीपी (अतिरिक्त प्रवेशिका स्रोतों को ध्यान में रखते हुए) की आवश्यकता का आकलन किया (फरवरी 2018) था, लेकिन भूमि की अनुपलब्धता के कारण इस प्रस्ताव को त्याग दिया गया।

इस प्रकार, अल्प क्षमता वाले एसटीपी की स्थापना के कारण अनुपचारित मल-जल को सीधे नदी में उत्सर्जित किया जा रहा है।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि प्रस्तावित राँची मल एवं जल निकास परियोजना के तहत अतिरिक्त प्रवेशिकाओं का ध्यान रखा जाना था और एक बार इसके चालू हो जाने के बाद, अतिरिक्त प्रवेशिकाओं से मल-जल के प्रवाह का ध्यान रखा जाएगा।

जबाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि (i) 10.5 एमएलडी क्षमता के अतिरिक्त एसटीपी का त्याग भूमि की अनुपलब्धता के कारण किया गया था न कि इनका राँची सीवरेज योजना द्वारा ध्यान रखने हेतु प्रस्तावित किए जाने के कारण; (ii) विभाग का यह दावा, कि मल एवं जल निकास परियोजना के माध्यम से अतिरिक्त प्रवेशिका से मल-जल की देखभाल की जाएगी, का डीपीआर आदि जैसे किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था; और (iii) विभाग ने शहर के लिए मल एवं जल निकास परियोजना और हरमू नदी परियोजनाओं के बीच किसी भी एकीकरण की योजना नहीं बनाई थी।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए और नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव-अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.5.3.2 एसटीपी के घटकों का रूपांकन

स्वीकृत रूपांकन के अनुसार, सीवर प्रणाली के माध्यम से बहने के बाद मल-जल को एसटीपी के प्रारंभिक संग्रह टैंक (आईसीटी) में एकत्र किया जाना है। तत्पश्चात, तैरने वाले पदार्थ, जैसे कि पाउच, दूध के प्लास्टिक के पैकेट, किराने की थैलियों आदि को स्क्रीन चैंबर में छानना होता है और मल-जल को स्लुइस गेट के माध्यम से प्रारंभिक निपटान टैंक (पीएसटी) में प्रवेश करना होता है, जहाँ इसका प्रतिधारण समय (रिटेनसन पीरियड) 48 घंटा होता है। फिर, मल-जल को मल-जल उठाने वाले पंपों के माध्यम से पीएसटी से फाइटोरिड बेड में पंप किया जाता है, जहाँ इसे छानने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगले 48 घंटों के लिए रखा जाता है। इसके बाद, छाने गए पानी को क्लोरीनेशन के लिए संग्रह टैंक में एकत्र किया जाना है। उपचारित पानी को फिर नदी में छोड़ दिया जाता है या पुन: उपयोग किया जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा तैयार एसटीपी के रूपांकन का सचित्रण **चित्र 4.6** में दिखाया गया है।

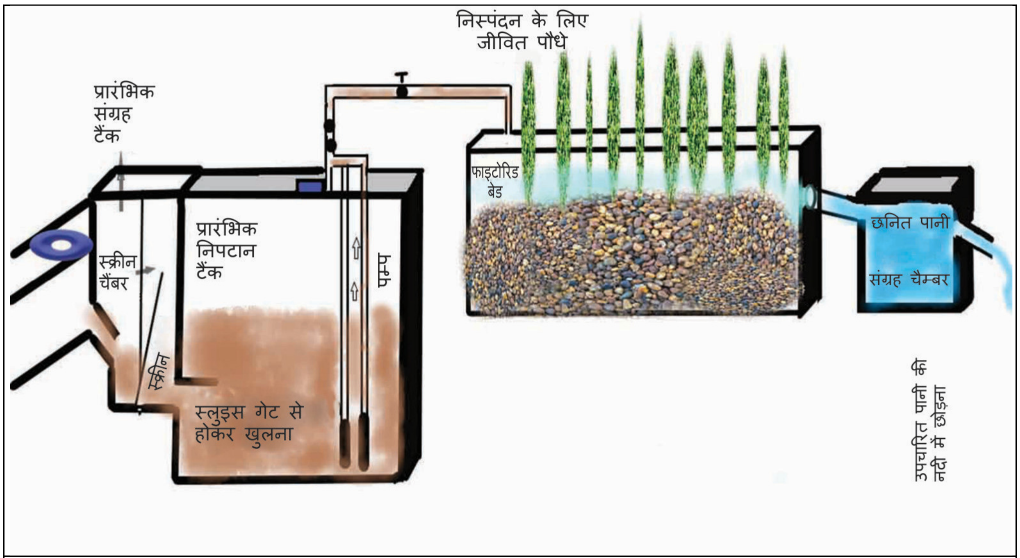

चित्र 4.6: एसटीपी का रूपांकन

सीपीएचइइओ संहिता[21] के अनुसार, प्राथमिक निपटान टैंक (पीएसटी) और फाइटोरिड बेड में 48 घंटे के लिए अपशिष्ट जल को रखने के लिए, इन दो संरचनाओं का आकार एसटीपी की प्रतिदिन निस्पंदन क्षमता का दोगुना होना चाहिए। इस प्रकार, डीपीआर के अनुसार 11.5 एमएलडी अपशिष्ट जल के उपचार के लिए, उनकी क्षमता 23,000 क्यूबिक मीटर (मी^{3}) होनी चाहिए ताकि 23 एमएलडी (11.5 एमएलडी*2) अपशिष्ट जल को 48 घंटे तक रखा जा सके।

(i) एसटीपी के पीएसटी और फाइटोरिड बेड की कम क्षमता

सात एसटीपी (10 एमएलडी क्षमता[22]) में, लेखापरीक्षा ने देखा कि अपशिष्ट जल को रखने के लिए 20,000 मी^{3} के प्रत्येक प्राथमिक निपटान टैंक (पीएसटी) और फाइटोरिड बेड प्रदान करने के बजाय इन संरचनाओं को पीएसटी के लिए 5,399.68 मी^{3} और फाइटोरिड बेड[23] के लिए 7,734.24 मी ^{3} की कुल क्षमता के लिए रेखांकन और निर्माण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पीएसटी की क्षमता (14,600.3 मी^{3} से) कम और फाइटोरिड बेड (कम से कम 12,265.76 मी^{3} से) कम का रूपांकन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिधारण घंटों में कमी आई। बीआईटी, मेसरा ने भी अपनी शुरुआती जाँच प्रतिवेदन में पीएसटी और फाइटोरिड बेड की क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार, सीपीएचईईओ संहिता में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार एसटीपी का रेखांकन एवं निर्माण नहीं किया गया था।

---

21 प्रतिधारण समय = टैंक का आयतन (मी^{3})/मल-जल प्रवाह (मी^{3}/दिन)

22 1.5 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी-3 का निर्माण नहीं किया गया था, क्योंकि जमीन उपलब्ध नहीं थी।

23 बजरी, पौधों एवं अपशिष्ट जल के लिए खाली जगहों से संघनित

लेखापरीक्षा ने (अक्टूबर 2021) एसटीपी-2 (क्षमता 1 एमएलडी) का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया और पाया कि इसमें दो फाइटोरिड बेड थे, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 571.20 $मी^3$ थी। एसटीपी-2 के मोटर ऑपरेटर ने परियोजना अभियंता की उपस्थिति में लेखापरीक्षा को सूचित किया कि पंप (46 घन मीटर प्रति घंटा की क्षमता वाला) तीन चरणों में (सुबह 8 से 9.30 बजे तक, दोपहर को 12 बजे से 1.30 बजे तक और शाम को 4 से 5.30 बजे तक) चलाया जा रहा था। उसने आगे बताया कि डेढ़ घंटे तक मोटर चलने के बाद एक फाइटोराइड बेड भर जाता है।.

इस प्रकार, डेढ़ घंटे में, मोटर केवल 69 $मी^3$ (46 $मी^3$ x 1.5 घंटे) अपशिष्ट जल को पंप कर सकती है, यह दर्शाता है कि मल-जल के लिए केवल 69 $मी^3$ की खाली जगह थी, बाकी बजरी, बोल्डर और पौधों द्वारा स्थान घेरा गया था। इसके अलावा, दो से तीन घंटे के भीतर, मल-जल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से एसटीपी के पहले फाइटोरिड बेड से दूसरे फाइटोरिड बेड तक चला गया। इस प्रकार, एसटीपी में अपशिष्ट जल के लिए अधिकतम प्रतिधारण समय 48 घंटों के स्थान पर साढ़े चार घंटे था। इसके अलावा, एसटीपी-2 प्रति दिन एक एमएलडी अपशिष्ट जल के बजाय केवल 0.207 एमएलडी (69∗3 = 207 $मी^3$ पानी यानी 2,07,000 लीटर) का निष्पंदन कर सकता है।

इस प्रकार, एसटीपी रेखांकन के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, जो उपचारित पानी की गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट था, जैसा कि ***कंडिका 4.6.2.4*** में चर्चा की गई है।

(ii) एसटीपी के कम क्षमता वाले संग्रह टैंकों की स्वीकृति

बीआईटी, मेसरा ने अपनी प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि एक एमएलडी के एसटीपी के लिए अंतिम संग्रह टैंक (उपचारित पानी के लिए) की क्षमता 41.7 $मी^3$/घंटा (41,700 लीटर प्रति घंटा ∗ 24 घंटे = 1.0008 एमएलडी) होनी चाहिए और 1.5 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के लिए क्षमता 62.5 $मी^3$/घंटा (62,500 लीटर प्रति घंटा∗24 घंटे = 1.5 एमएलडी) होनी चाहिए।

इसके विपरीत, जुडको ने प्रत्येक एसटीपी के लिए अंतिम संग्रह टैंक की क्षमता के रूप में 60 $मी^3$ प्रति घंटा की मंजूरी दी। इस प्रकार, 1.5 एमएलडी क्षमता (एसटीपी 1, 3 और 5) के लिए 62.5 $मी^3$ प्रति घंटा और 2 एमएलडी (एसटीपी 4 और 6) के लिए 83.34 $मी^3$/घंटा के बजाय, 60 $मी^3$ की कम क्षमता को मंजूरी दी गई, जिससे एसटीपी में उपचारित पानी के अतिप्रवाह का जोखिम होता है।

(iii) एसटीपी में गाद प्रबंधन का अभाव

बीआईटी, मेसरा ने कहा कि आठ एसटीपी के रेखांकन में पीएसटी (प्राथमिक उपचारित गाद), फाइटोरिड बेड और संग्रह टैंक से ठोस (गाद) प्रबंधन की कोई गुंजाइश नहीं थी।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2021) के दौरान, लेखापरीक्षा ने एसटीपी-5 के पहले कक्षों में और एसटीपी-5 के स्क्रीन कक्ष के सामने ठोस (गाद) जमा देखा, जैसा कि **चित्र 4.7** में दिखाया गया।

चित्र 4.7: ठोस निक्षेपों से भरा एसटीपी-5 का स्क्रीन कक्ष और एसटीपी-5 के सामने का कक्ष

स्थल सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा के साथ आए अभियंताओं ने बताया कि इन ठोस अपशिष्टों की नियमित रूप से सफाई की जा रही है। हालाँकि, स्वीकृत गाद प्रबंधन तकनीक और गाद के निपटान के तरीके के बारे में लेखापरीक्षा को नहीं बताया जा सका।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए और नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव-अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.5.4 नदी के अनुप्रस्थ-काट एवं तटबंधों का रेखांकन

आईएस 12094: 2000 (नदी तटबंधों की योजना और रेखांकन के लिए दिशा-निर्देश) के खंड 3.2 (सुरक्षा का स्तर) के अनुसार, विभिन्न बाढ़ आवृत्तियों[24] के लिए तटबंध की ऊंचाई और संबंधित लागत और लाभ-लागत अनुपात को, संभावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए गणना किया जाना चाहिए। अधिकतम लाभ-लागत अनुपात उत्पन्न करने वाली सुरक्षा के स्तर को अपनाया जाना चाहिए। जब तक सभी

[24] *बाढ़-आवृत्ति का अर्थ सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर वर्षों की वह अवधि है, जिसके दौरान किसी घोषित परिमाण की बाढ़ के बराबर या उससे अधिक होने की उम्मीद की जा सकती है।*

प्रासंगिक मापदंडों का विवरण उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक शहरों की सुरक्षा से संबंधित कार्यों के लिए, 100 वर्षों की बाढ़ आवृत्ति के लिए तटबंध योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सलाहकार/संवेदक ने हरमू नदी के तटबंधों को रेखांकन करने के लिए लाभ-लागत अनुपात की गणना नहीं की थी और 100 वर्षों की बाढ़-आवृत्ति को ध्यान में रखने के बजाय, नदी का अनुप्रस्थ-काट (चेनेज 0-10,400 मीटर) 25 साल की वापसी अवधि[25] के लिए रेखांकित किया गया था। लगातार दो मानसून मौसमों के दौरान नदी के खंड[26] के क्षतिग्रस्त होने के बाद, क्षतिग्रस्त-खंड के नदी के अनुप्रस्थ-काट, उर्ध्वप्रवाह खंड[27] के साथ, ₹ 10.58 करोड़ की लागत से फिर से रेखांकित किए गए, जिसमें गैबियन कार्य, बोल्डर पिचिंग और नदी तल में क्रेटेड एप्रन द्वारा खंड को चौड़ा करना शामिल था, जो कि 50 साल की वापसी अवधि के आधार पर था। पुनरीक्षण में भी, निर्दिष्ट मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, 100 वर्षों की बाढ़ आवृत्ति पर विचार नहीं किया गया था।

जुडको ने बताया कि मुख्य नुकसान, विशेष रूप से नदी के तल की स्कावर और नदी के कटाव, प्रवेशिकाओं से भारी बहाव और बाढ़ के प्रवाह के कारण हुआ था। लेखापरीक्षा विश्लेषण ने नदी के अनुप्रस्थ-काट के रेखांकन में निम्नलिखित कमियों का खुलासा किया।

4.5.4.1 संकीर्ण नदी अनुप्रस्थ-काट का रेखांकन

हरमू नदी के अनुप्रस्थ-काट का रेखांकन शुष्क मौसम प्रवाह, मानसून प्रवाह और 25 साल की वर्षा वापसी अवधि के लिए बाढ़ निर्वहन[28] को समायोजित करने के लिए किया गया था। रेखांकन इस आधार पर बनाया गया था कि नदी के अनुप्रस्थ-काट पिछले 25 वर्षों के दौरान देखे गए उच्चतम बाढ़ बहाव के बराबर किसी भी बहाव को सुरक्षित रूप से समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए आई.आई.टी., मुंबई ने बाढ़ के बहाव के आकलन के लिए तर्कसंगत सूत्र[29] का उपयोग किया, जो नदी के जलग्रहण-क्षेत्र[30] से अपवाह को

---

[25] *25 वर्षों की अवधि में सर्वाधिक बाढ़ की संभावना।*

[26] *चेनेज का क्षति होना: जुलाई 2016 में 1900 -2040 मी और जुलाई 2017 में 2069 -4068 मी*

[27] *चेनेज 1900- 2040 मी, 2040 -2180 मी, 2069 -4068 मी, 4630 -4883 मी, 6950-7800 मी, 7800 - 8500 मी*

[28] *नदी के मार्ग के माध्यम से बहने वाले पानी की मात्रा*

[29] *बाढ़ के बहाव का अपवाह के गुणांक के विधि से गणना क्यू= 10 सीआइए, जहाँ क्यू= जलग्रहण से अपवाह (मी^{3}/घंटा), सी: अपवाह का गुणांक, आइ= वर्षा की तीव्रता, ए= जल निकासी का क्षेत्रफल, हेक्टेयर में।*

[30] *जलग्रहण-क्षेत्र से अपवाह वर्षण का वह भाग है जो जमीन के ऊपरी हिस्से से बह कर नदी में पहुँच जाता है। यह अपवाह के गुणांक पर निर्भर करता है।*

दर्शाता है। यह तीन कारकों के गुणन द्वारा प्राप्त किया गया था -अपवाह का गुणांक[31], जलग्रहण क्षेत्र और वर्षा की तीव्रता[32]।

आईआईटी, मुंबई ने विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सलाहकार (टीयूएसपीएल) के साथ एक बैठक (जुलाई 2014) में कहा (जुलाई 2014) कि एक विकसित क्षेत्र में अपवाह (वर्षा-जल के लिए) का गुणांक 0.95 होना चाहिए। हालाँकि, अंतिम जाँच प्रतिवेदन (अक्टूबर 2015) में आईआईटी, मुंबई ने भारित औसत के आधार पर अपवाह के गुणांक को घटाकर 0.29 इस आधार पर कर दिया कि नदी के विस्तार में अन्य क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र बहुत कम था। इसके अलावा, पुनरीक्षण एक शर्त के साथ किया गया था कि शहरीकरण में वृद्धि के साथ अपवाह के गुणांक का मान बदल सकता है और तदनुसार जुडको को 10 से 15 वर्षों के बाद इसे संशोधित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आईआईटी, मुंबई का अवलोकन किसी विशेष तर्क द्वारा समर्थित नहीं था क्योंकि नदी के फैलाव (नदी की 17.8 किमी लंबाई में से) का 10.4 किमी (2,259 हेक्टेयर जलग्रहण क्षेत्र) शहरी क्षेत्र के अंदर था (जिसमें ज्यादातर शहर के फुटपाथ, यानि, कंक्रीट संरचनाएं शामिल थीं), जिसके लिए एक भारित औसत (एक मिश्रित प्रकृति[33] वाली मिट्टी के लिए अपवाह के विभिन्न गुणांक) की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, अपवाह के गुणांक को विभिन्न चेनेज के लिए मिट्टी की प्रकृति, शहरीकरण और कंक्रीट संरचनाओं की सीमा के आधार पर गणना करना चाहिए था।

आईआईटी, मुंबई की पुनरीक्षण प्रतिवेदन में गणना की गई नदी के वास्तविक रूपांकन बहाव और रूपांकन निर्वहनकी गणना जिसे बाद में जुडको द्वारा एनआईटी, जमशेदपुर को पुनरीक्षण, के लिए अग्रेषित (जुलाई 2017) किया गया (सलाहकार-आई के वर्ल्डवाइड के आँकड़ों के आधार पर परियोजना के चरण II की डीपीआर तैयार करने के लिए नियुक्त), की तुलना जो कि, **तालिका 4.5** में दर्शाया गया है।

---

31 सीपीएचईईओ संहिता एवं आईआरसी-एसपी-13-2004 के कंडिका 3.9 के अनुसार, यह जल निकासी क्षेत्र की अभेद्यता है (जो जमीन द्वारा पानी के अवशोषण को प्रतिबंधित करता है) पानी को नदी में जमीन के माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। यह नदी के जलग्रहण क्षेत्र में विरल रूप से सघन रूप तक निर्मित क्षेत्रों के लिए 0.10 से 0.90 तक परिवर्तित होता है।

32 वर्षा की तीव्रता = कुल वर्षा (सेंटीमीटर में)/वर्षा का समय अंतराल।

33 आईआरसी-एसपी 13 के अनुसार, मिट्टी जिसमें-नंगे चट्टान एवं शहर के फुटपाथ शामिल हैं, का अपवाह का गुणांक 0.90 है, पठार (0.70-0.80), चिकनी मिट्टी (0.50-0.60), दोमट (0.30-0.40) और रेतीली मिट्टी (0.10-0.20) है।

तालिका 4.5: आईआईटी, मुंबई की पुनरीक्षण प्रतिवेदन में गणना की गई नदी के बहाव और जुडको द्वारा एनआईटी, जमशेदपुर को अग्रेषित रेखांकन बहाव की गणना के बीच तुलना।

चेनेज[34] (मी)	रूपांकन बहाव मी^{3}/सेकंड में			
	(25 - वर्ष वापसी अवधि)		50 - वर्ष वापसी अवधि	100- वर्ष वापसी अवधि
	आई.आई.टी. मुंबई (प्रतिवेदन)	जुडको द्वारा एनआईटी को अग्रेषित रेखांकन बहाव की गणना		
0 मीटर से 843 मीटर पहले	24.34	56.26	64.99	73.73
0	30.07	-	-	
2050	32.94	84.38	97.49	110.60
चेनेज 10,400[35]	64.11	177	206	235

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, आईआईटी, मुंबई द्वारा गणना की गई 25 वर्ष की वापसी अवधि के लिए रूपांकन निर्वहन, जुडको द्वारा एनआईटी, जमशेदपुर को अग्रेषित रूपांकन बहाव की गणना से बहुत कम था। इन कम बताए गए बहाव के आधार पर, आईआईटी, मुंबई ने नदी के 10.4 किमी शहरी विस्तार के लिए संकीर्ण नदी अनुप्रस्थ-काट (15.45 मी^{2} और 33.25 मी^{2} के बीच) प्रस्तावित किया। तदनुसार, मानसून के मौसम के दौरान विभिन्न खंडो में नदी के अनुप्रस्थ-काट क्षतिग्रस्त हो गए थे, जब वे भारी बाढ़ के बहाव के अधीन थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि क्षतिग्रस्त खंडो के साथ-साथ ऊर्ध्वप्रवाह हिस्सों में नदी के अनुप्रस्थ-काट, बाद में, एनआईटी, जमशेदपुर द्वारा अलग-अलग खंडो (23.18 मी^{2} से 49.43 मी^{2} तक) में बाद में काफी हद तक बढ़ा दिया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.1*** में वर्णित है।

4.5.4.2 नदी के अनुप्रस्थ-काट का संशोधन

जुडको द्वारा एनआईटी, जमशेदपुर को भेजे गए रूपांकन बहाव का आधार मैसर्स आई.के. वर्ल्डवाइड (ग्रामीण खंड में दूसरे चरण की डीपीआर की तैयारी के लिए नियुक्त एक अन्य सलाहकार) द्वारा गणना किया गया रूपांकन बहाव था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि मैसर्स आई के वर्ल्डवाइड ने तीन स्थानों पर रूपांकन बहाव की गणना की थी। इन स्थानों के समन्वय की जाँच से पता चला कि पहला स्थान शहरी फैलाव के शून्य बिंदु से 843 मीटर पहले, दूसरा स्थान मुक्तिधाम के पास और तीसरा स्थान नदी के अंतिम बिंदु पर था। एनआईटी, जमशेदपुर ने इन स्थानों की गलत व्याख्या की और मुक्तिधाम के पास नदी के अनुप्रस्थ-काट के संशोधन के लिए पहले स्थान (शहरी खंड के शून्य बिंदु से 843 मीटर पहले) के बहाव को लिया (जो कि उस बिंदु से 2,893 मीटर दूर था जिसे गलती से माना गया था)।

[34] *दूरी मापने के लिए एक काल्पिनक रेखा का प्रयोग किया जाता है।*

[35] *चेनेज 10,400 हरमू नदी के अंत बिंदु को दर्शाता है।*

इसके कारण रूपांकन बहाव (50 साल की प्रतिफल अवधि) को और कम करके आंका गया, क्योंकि विभिन्न पहुँच (जैसा कि **तालिका 4.5** में दिखाया गया है) को वास्तविक बहाव की तुलना में कम बहाव के लिए रूपांकित किए गए थे, जैसा कि **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.6: एनआईटी द्वारा कम बताए गए बहाव (50 साल की वापसी अवधि) के आधार पर नदी खंड का रूपांकन

चेनेज	संभावित स्थान	वास्तविक बहाव [36]	विचार किया गया बहाव	रूपांकित बहाव	अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल	चैनल की चौड़ाई
मीटर में				(मी³/सेकंड) में	मी² में	मीटर में
2100	मुक्तिधाम के पास	97.49	65	77.96	23.18	4.50
2130		97.49	65	83.54	24.95	5.0
2769-4068	हरमू बाईपास पुल और स्वर्णरेखा नदी के मिलन बिंदु के बीच	120	64.99	65.07	20.01	3.0
4068-6440		155	102.00	102.01	27.11	4.0
6440 -7818		170	118.00	118.02	40.00	6.0
7818-10400		206	137.00	137.10	49.19	7.0

लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन (25 अक्टूबर 2021) के दौरान, जुडको के अभियंताओं के साथ नदी के बाईं ओर पुन: रूपांकित किए गए नदी के अनुप्रस्थ-काट का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त पाया गया था (प्रवेशिका 6बी और 6सी नदी के बीच लगभग 100 मीटर का नदी तट), जैसा कि **चित्र 4.8** में दिखाया गया है। परियोजना प्रबंधक, जो स्थल सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा के साथ थे, ने कहा कि बरसात के मौसम में प्रवेशिका से भारी बहाव के कारण नुकसान हुआ था।

चित्र 4.8: प्रवेशिकाओं 6बी और 6सी के बीच बाईं ओर का क्षतिग्रस्त नदी तट

---

[36] नदी/बाढ़ बहाव, जिन पर एनआईटी, जमशेदपुर द्वारा 50 वर्ष की वापसी अवधि के आधार पर विचार किया जाना था।

इस प्रकार, कम बहाव के आधार पर, नदी के खंडों का रूपांकन, के कारण नदी के संकीर्ण खंडों का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप, 50/100 साल की अवधि के लिए अधिकतम बहाव की स्थिति में, संपूर्ण नदी खंड (जैसा कि **तालिका 4.6** में उल्लिखित है) क्षति के जोखिम से भरा हुआ है।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए और नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव-अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.5.4.3 नदी की चौड़ाई कम होना

आईएस 12094:2000 **(**नदी तटबंधों की योजना और रूपांकन के लिए दिशा-निर्देश) के खंड 3.3.1 में यह निर्धारित किया गया है कि जहाँ तक संभव हो, तटबंधों को नदी के प्राकृतिक किनारों के चोटी (रिज़) पर संरेखित किया जाना चाहिए, जहाँ भूमि ऊंची हो और मिट्टी तटबंधों के निर्माण के लिए उपयुक्त हो। संरेखण को इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए कि उच्च वेग प्रवाह, जो तटबंध सामग्री को नष्ट कर सकता है, इससे पर्याप्त रूप से दूर हो। हाइड्रोलिक मॉडल इस संबंध में उपयोगी दिशा-निर्देश हैं।

प्रारंभ में सर्वेक्षण किए गए नदी के वास्तविक अनुप्रस्थ काट के ब्यौरे/सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। वास्तविक अनुप्रस्थ काट की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा ने जीर्णोद्धार कार्य से पहले (नवंबर 2004) की नदी की उपग्रहीय छवियों की तुलना, कार्य पूरा होने के बाद (जून 2021) की छवियों से की।

तुलना से पता चला कि मुक्तिधाम के पास कर्मा चौक पुल पर यांत्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से नदी के प्राकृतिक प्रवाह को काफी हद तक (18.70 मीटर तक) कम कर दिया गया था, जैसा कि उपग्रहीय चित्रों में देखा जा सकता है **(चित्र 4.9)**।

छवि की तारीख: 28 नवंबर 2004, नदी के जीर्णोद्धार से पहले (औसत चौड़ाई: 28 मीटर)

छवि की तारीख: 3 जून 2021, नदी के जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद (औसत चौड़ाई: 9.30 मीटर)

चित्र 4.9: नदी की उपग्रहीय छवियाँ (भौगोलिक समन्वय: 23^{0}21'52.15'N और 85^{0}18'29.75"E, मुक्तिधाम के पास कर्मा चौक पुल), नदी की चौड़ाई (110 मीटर के खंड में), 28 मीटर से 9.30 मीटर तक कम हो गई है

इस प्रकार, परियोजना पूर्ण होने के बाद नदी की औसत चौड़ाई परियोजना शुरू होने से पहले की चौड़ाई की तुलना में संकरी हो गई। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए प्रमुख कारणों में से एक संकीर्ण नदी अनुप्रस्थ काट का रेखांकन करना था, जैसा कि ***कंडिका 4.5.4.1 और 4.5.4.2*** में चर्चा की गई है।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए और नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव-अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा 1: *सरकार हरमू नदी के उद्गम एवं जलग्रहण-क्षेत्र के पुनर्जीवन पर विस्तृत अध्ययन कर सकती है; वर्षा से प्राप्त जल के लिए अनुमान को पुनरीक्षित कर सकती है; तथा एक व्यापक नीति तैयार कर सकती है, जो हरमू नदी के लिए पानी के संभावित स्रोत के रूप में शहरी अपवाह को स्पष्ट रूप से पहचान करता हो।*

अनुशंसा 2: *सरकार जनसँख्या की वर्तमान और भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न मल-जल मात्रा के अनुमान को पुनरीक्षित कर सकती है और मल-जल को नदी में बहने से रोकने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्य योजना तैयार कर सकती है।*

अनुशंसा 3: *सरकार भूमिगत सीवर प्रणाली के रेखांकन और वहन क्षमता में दोषों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठा सकती है और अतिरिक्त एसटीपी के निर्माण पर विचार कर सकती है।*

4.6 परियोजना घटकों का निर्माण एवं कार्यकाज

4.6.1 भूमिगत सीवरेज प्रणाली

डीपीआर के अनुसार, नदी के दोनों किनारों (20.8 किमी) पर ₹ 13.73 करोड़ रुपये की लागत से एक भूमिगत सीवरेज प्रणाली का निर्माण किया जाना था, ताकि नदी के किनारे के घरों, कम लागत वाले स्वच्छता शौचालय खंडों से मल-जल को रोका जा सके, साथ ही छः पहचाने गए प्रवेशिकाओं के माध्यम से बहने वाले मल-जल को हरमू नदी में जाने से रोका जा सके। इन स्रोतों से उत्पादित मल-जल को उपचार के लिए एसटीपी में ले जाया जाना था और हरमू नदी में छोड़ दिया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि **तालिका 4.7** में इंगित कारणों के लिए भूमिगत सीवर प्रणाली की लंबाई और संपत्ति संपर्कों की संख्या को कम कर दिया गया था।

तालिका 4.7: भूमिगत सीवरेज प्रणाली के मदों की मात्रा में परिवर्तन

विवरण	डीपीआर के अनुसार	संशोधित डीपीआर के अनुसार	वास्तविक	इकाई	टिप्पणियां
300 मिमी पाइप	17,730.95	15,682.68	15,600.5	मीटर	कठोर चट्टान के अस्तित्व के कारण कमी
450 मिमी पाइप	1,518.85	1,661.99	1661	मीटर	
700-800 मिमी पाइप	0	150	150	मीटर	
मैनहोल	710	562	548	संख्या	
प्रॉपर्टी कनेक्शन	31,500 (2,100 घर)	14,000 (933 घर)	13,985.61 (932 घर)	मीटर	नदी के 3 किमी के क्षेत्र में और उसके आसपास निवासियों की अनुपस्थिति

परियोजना के परिणामों पर इन संशोधनों के प्रभाव की चर्चा नीचे की गई है:

(i) सीवर लाइनों के नहीं होने से मल-जल का सीधे नदी में बहना

20.8 किलोमीटर में से, बाईं ओर 4,270 मीटर (चेनेज 2050-6320 मीटर) और दाईं ओर 1,745 मीटर (0-495 मीटर के बीच 495 मीटर और दाईं ओर 4750-6000 मीटर के बीच 1,250 मीटर) में उत्पन्न मल-जल भूमिगत सीवर प्रणाली के नहीं होने के कारण और एसटीपी-3 की स्थापना नहीं होने के कारण एसटीपी में उपचारित नहीं किया जा रहा था।

इन हिस्सों में उत्पन्न मल-जल को सीधे हरमू नदी में छोड़ा जा रहा था। नदी के ये खंड घनी आबादी वाले हैं और भारी मात्रा में मल-जल उत्पन्न करते हैं। नीरी ने ₹ 20.50 लाख की लागत से तपोवन खंड के असंबद्ध हिस्से (सीवर प्रणाली से) के लिए यथा-स्थान जैवोपचारण/फाइटोपचारण उपचार प्रस्तावित किया (सितम्बर 2016)। हालाँकि, यह लेखापरीक्षा की समाप्ति (मार्च 2022) तक नहीं किया गया था।

(ii) मल-जल अवरोधन के लिए वैकल्पिक तंत्र का अभाव

प्रारंभ में नदी के किनारे 2,100 घरों के लिए संपत्ति-संपर्क प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन बाद में केवल 933 घरों तक कर दिए गए थे। जुडको ने कहा कि 20.8 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन में से, (i) 2,730 मीटर (श्रृंखला 7550 और 10280 मीटर के बीच) के खंड में, क्षेत्र निर्जन होने के कारण और (ii) तपोवन खंड में 2,970 मीटर, भूमिगत सीवर प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण संपत्ति कनेक्शन प्रदान नहीं किए गए थे। जल-संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति ने (जुलाई 2019) बताया कि केवल कुछ चैनल उपचार के लिए घरों से एसटीपी तक अपशिष्ट जल को ला रहे थे, जबकि अधिकांश चैनल

अनुपचारित अपशिष्ट जल को सीधे नदी में छोड़ रहे थे। लेखापरीक्षा द्वारा उन क्षेत्रों में संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2021 और अक्टूबर 2021) के दौरान भी इसकी पुष्टि की गई थी, जहाँ जुडको ने संपत्ति-संपर्क प्रदान करने का दावा किया था (***कंडिका 4.6.3)***।

(iii) सीवर लाइनों की अपर्याप्त क्षमता

सीपीएचईईओ संहिता के अनुसार, सीवर को प्रवाह के लिए रूपांकन किया जाना है, जो पूर्ण पाइप व्यास के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, ताकि उचित वायु-संचार सुनिश्चित किया जा सके और सेप्टिक प्रभाव को रोका जा सके। सीवर के अंदर के प्रवाह का वेग कम से कम 0.6-0.8 मीटर/सेकंड होना चाहिए, ताकि स्व-सफाई वेग बनाए रखा जा सके, लेकिन पाइप में अपरदन (स्कावर) को रोकने के लिए 3 मीटर/सेकंड के अधिकतम प्रवाह से अधिक नहीं होना चाहिए। इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने स्थापित सीवर पाइपों की क्षमता का विश्लेषण किया ताकि उनके संबंधित खंडों में चार प्रवेशिकाओं से बहाव की मात्रा को संभाला जा सके। अवलोकन **तालिका 4.8** में विस्तृत हैं।

तालिका 4.8: प्रवेशिकाओं से बहाव और सीवर पाइपों की वहन क्षमता के बीच तुलना

प्रवेशिका	प्रवाह का वेग (मी/सेकंड)	प्रवेशिकाओं में निर्वहन (लीटर/सेकंड)	पाइप का व्यास जिसमें प्रवेशिका जुड़े हुए हैं (मिमी)	(लेखापरीक्षा द्वारा गणना[37]) इस वेग पर सीवर पाइपों की अधिकतम वहन क्षमता (लीटर/सेकंड में)		सीवर प्रणाली का एसटीपी से संपर्क संख्या
				100 प्रतिशत प्रवाह (प्रवेशिका में बहाव का प्रतिशत)	80 प्रतिशत प्रवाह (प्रवेशिका में बहाव का प्रतिशत)	
1, 1ए	3.6-5.2	39,540	900	1,909.29 (4.84)	1,848.19 (4.67)	1
2	2.12	15,870	300	149.63 (0.94)	144.84 (0.91)	3
3	0.76	5,660	300	53.81 (0.95)	52.09 (0.91)	4

आँकड़ा स्रोत: *गणना के लिए एनआईटी, जमशेदपुर को संवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी*

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, सीवर लाइनों की क्षमता, यहां तक कि पूरी क्षमता पर, प्रवेशिकाओं से बहाव की तुलना में आवश्यकता (0.94 से 4.84 प्रतिशत तक) से बहुत कम थी। इस प्रकार, भूमिगत सीवरेज प्रणाली की क्षमता प्रवेशिकाओं में वास्तविक बहाव से बहुत कम थी। नतीजतन, इन प्रवेशिकाओं से बहाव संभावित रूप से प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है या सीधे नदी में प्रवाहित हो सकता है, जो नदी को पुनर्जीवित करने की परियोजना के उद्देश्यों को विफल कर सकता है।

---

[37] *पीआइआर^2 भी, जहाँ आर त्रिज्या है। प्रवेशिका 1 और 1ए में प्रवाह के वेग को गणना के उद्देश्य के लिए 3 मीटर/सेकंड (नॉन-स्कोरिंग वेग) लिया गया।*

4.6.2 एसटीपी का कार्यकरण

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, टर्नकी आधार पर ₹ 16.42 करोड़ रुपये की लागत से 11.50 एमएलडी की कुल क्षमता वाले आठ एसटीपी का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। ये एसटीपी भूमिगत सीवर प्रणाली के संबंधित खंडों से मल-जल प्राप्त करेंगे। इनकी तुलना में, ₹ 14.14 करोड़ रुपये की लागत से सात एसटीपी का निर्माण किया गया था, जबकि एक एसटीपी (एसटीपी-3) को ₹ 84.83 लाख रुपये के भुगतान के बाद चिन्हित स्थल पर भूमि विवाद के कारण अधूरा छोड़ दिया गया (मई 2017 से) था। लेखापरीक्षा ने निर्मित एसटीपी के कार्यकाज की जाँच की और निम्नलिखित का अवलोकन किया:

4.6.2.1 कम अवधि के लिए एसटीपी का संचालन

रेखांकन के अनुसार, एसटीपी प्रतिदिन 24 घंटे चालू होना चाहिए, ताकि प्रारंभिक संग्रह टैंक (आईसीटी) में एकत्र किए गए मल-जल को प्राथमिक निपटान टैंक (पीएसटी) में स्थानांतरित किया जा सके और वहाँ से, मल-जल उठाने वाले पंपों के माध्यम से आगे के उपचार के लिए फाइटोरिड बेड पर स्थानांतरित किया जा सके। रूपांकन में अनुशंसित मल-जल उठाने वाले पंपों की क्षमता एवं परिचालन **तालिका 4.9** में दिखाई गई है:

तालिका 4.9: एसटीपी में मल-जल उठाने वाले पंपों की अनुशंसित क्षमता

एसटीपी (एमएलडी)	पंपों की संख्या	पंपों की बहाव क्षमता (मी^{3}/घंटा में)	24 घंटे में में प्रवाह (एमएलडी)
1.5	(1 कार्यरत +1 अतिरिक्त)	68.19	1.64
1	(1 कार्यरत +1 अतिरिक्त)	45.46	1.09
2	(2 कार्यरत +1 अतिरिक्त)	45.46	1.09*2=2.18

जुडको के अभियंताओं के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (25 अक्टूबर 2021) के दौरान यह देखा गया कि 46 मी^{3}/घंटा (एक कार्यरत और एक अतिरिक्त) क्षमता वाले मल-जल लिफ्टिंग पंप, अनुशंसित क्षमता और संख्या के अनुसार स्थापित होने के बजाय सभी सात एसटीपी में समान रूप से स्थापित किए गए थे।

अक्टूबर 2018 में परियोजना कार्य पूरा होने के बाद, 1 नवंबर 2018 को परिचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियाँ शुरू हो गई थीं। संवेदक द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण (नवंबर 2018 से मार्च 2021) के लिए भारित विपत्रों की जाँच से पता चला कि प्रत्येक एसटीपी में पंपों का दैनिक समग्र संचालन 24 घंटे के बजाय नौ घंटे (पहला पंप पूर्वाह्न में छः घंटे के लिए और दूसरा पंप अपराह्न में तीन घंटे के लिए) के लिए था। इस प्रकार, ये सात एसटीपी 10 एमएलडी की स्थापित क्षमता के मुकाबले

प्रतिदिन केवल 2.898 एमएलडी (46,000 लीटर प्रति घंटे * 9 घंटे * 7 संख्या) निस्पंदन कर रहे थे। इससे दो संभावनाओं का संकेत मिलता है पहला, प्रवेशिका या अन्य स्रोतों से मल-जल को सीवर प्रणाली के माध्यम से एसटीपी में चैनलीकृत नहीं किया जा रहा था और सीधे नदी में बह रहा था या दूसरा, पीएसटी और फाइटोरिड बेड की कम क्षमता के कारण 48 घंटे के आवश्यक निस्पंदन समय के लिए इसे बनाए रखे बिना एसटीपी बहुत जल्दी मल-जल छोड़ रहे थे। इन दोनों परिदृश्यों को लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया था जैसा कि ***कंडिका 4.5.2 एवं 4.5.3.2*** में बताया गया है। इसके अलावा, जुलाई 2019 में एक समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान, इन परिदृश्यों की सूचना दी गई थी ***(कंडिका 4.9)***।

विभाग ने (जुलाई 2022) कहा कि अंतिम वर्ष (2048) के लिए एसटीपी की क्षमता 10 एमएलडी थी। जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि एसटीपी को मध्यवर्ती वर्ष (2033) के लिए रूपांकित किया गया था और जुडको ने स्वयं (फरवरी 2018) 10.5 एमएलडी के अतिरिक्त एसटीपी की आवश्यकता का आकलन किया था। इस प्रकार, अधिकतम मल-जल उत्पादन की स्थिति में एसटीपी की आवश्यकता अपर्याप्त थी और परियोजना के परिणामों के लिए प्रतिकूल थी।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए और नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव-अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.6.2.2 गैर-कार्यात्मक एसटीपी

एसटीपी-8, एक एमएलडी की क्षमता के साथ, चेनेज 7550 मीटर और 10280 मीटर (दाईं ओर) के बीच स्थित था और फीडर सीवर में कोई संपत्ति संपर्क या प्रवेशिका (एक शौचालय खंड को छोड़कर) नहीं थी, क्योंकि यह एक निर्जन क्षेत्र में अवस्थित था। उसी क्षेत्र में स्थित शौचालय खंड भी केवल 0.015 एमएलडी मल-जल वितरित कर सका। इस प्रकार, ₹ 1.36 करोड़ रुपये की लागत से, बिना किसी प्रवेशिका या संपत्ति संपर्क, शौचालय खंड (0.015 एमएलडी मल-जल का उत्पादन) को छोड़कर, एसटीपी-8 का निर्माण टाला जा सकता था। इससे फाइटोरिड बेड में जीवित पौधों के संचालन और रख-रखाव पर नियमित खर्चों की भी बचत होती।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2021) के दौरान, शौचालय ब्लॉक को गैर-कार्यात्मक पाया गया क्योंकि ट्यूबवेल के संचालन के लिए लगाई गई मोटर चालू स्थिति में नहीं थी। इस एसटीपी के लिए पानी के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर, संवेदक के वरिष्ठ पर्यवेक्षक ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि शुष्क मौसम के

दौरान, पानी एसटीपी तक नहीं पहुँचता था और अन्य मौसमों में, भूजल स्वत: सीवर प्रणाली के मैनहोल में पहुँच जाता है।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि एसटीपी 8 का निर्माण परिवर्ती माँग और आसपास के क्षेत्र में भविष्य के विकास को पूरा करने के लिए किया गया था।

जबाव संतोषजनक नहीं है, क्योंकि (i) परिवर्ती माँग के दावे को समर्थन देने के लिए इस एसटीपी से कोई संपत्ति कक्ष या प्रवेशिका नहीं जोड़ा गया है, (ii) गैर-कार्यात्मक एसटीपी 8 के लिए जीवित संयंत्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण पर किया गया व्यय व्यर्थ था और (iii) ₹ 1.36 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित निष्क्रिय और गैर-कार्यात्मक एसटीपी इच्छित उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा था।

4.6.2.3 अपूर्ण और निष्क्रिय एसटीपी

सीपीएचईईओ संहिता के अनुसार, सीवरेज प्रणाली के लिए भूमि अधिग्रहण 30 साल की रूपांकन अवधि (यानी अंतिम वर्ष 2048 के लिए) को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रेडिसन ब्लू होटल के पास बाएँ किनारे पर एसटीपी-3 (क्षमता 1.5 एमएलडी) का निर्माण भूमि विवाद के कारण रुका हुआ था। एसटीपी का निर्माण ₹ 1.82 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना था।

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची ने विवादित भूमि पर आगे के निर्माण पर (मई 2017) रोक लगा दी थी। एसटीपी-3 के पूरा नहीं होने के बावजूद परियोजना को पूरा (30 अक्टूबर 2018) माना गया था। एसटीपी-3 के निर्माण पर ₹ 109.78 लाख रुपये की राशि का कार्य निष्पादित किया गया था, जिसके विरुद्ध संवेदक को ₹ 84.83 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। यह व्यर्थ साबित हुआ, क्योंकि अधूरी संरचना का कोई फायदा नहीं था और मई 2017 से इसे छोड़ दिया गया था।

4.6.2.4 एसटीपी में उच्च पीएच, बीओडी और टीएसएस

इकरारनामा के अनुसार, फाइटोरिड प्रौद्योगिकी प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट निष्पादन मापदंडों को, संवेदक द्वारा, दैनिक आधार पर, दस्तावेज़ के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। हालाँकि, संवेदक द्वारा दैनिक आधार पर निष्पादन मापदंडों का कोई दस्तावेज़ नहीं रखा जा रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की केवल एक ही परीक्षण प्रतिवेदन (24 सितंबर 2020 को की गई) अभिलेख में उपलब्ध थी। परीक्षण के लिए नमूने विभिन्न एसटीपी के प्रवेशिकाओं और निकासिका पर लिए गए थे। परीक्षण के परिणाम निम्नानुसार थे:

- सभी सात एसटीपी में कुल निलंबित ठोस (टीएसएस) का बहिस्राव-मान स्वीकार्य सीमा[38] से अधिक था।

- चार एसटीपी (संख्या: 5, 6, 7 और 8) के बहिस्राव मान का टीएसएस और दो एसटीपी (5 और 8) के बहिस्राव मान का कुल घुलित ठोस (टीडीएस), अन्तःप्रवाही/प्रवेशिका मान से अधिक था। अन्तःप्रवाही स्तर पर टीएसएस मूल्य बहिस्राव स्तर की तुलना में कम है, जोकि एसटीपी के अंदर निलंबित ठोस पदार्थों के जुडने को इंगित करता है। इसे जुडको द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने मेकॉन लिमिटेड के माध्यम से दो एसटीपी (एसटीपी 1 और एसटीपी 2) के प्रवेशिकाओं और निकासिका पर अपशिष्ट जल का गुणवत्ता परीक्षण भी किया। मेकॉन लिमिटेड द्वारा 18 अप्रैल 2022 को पानी के नमूने एकत्र किए गए थे। **तालिका 4.10** में दर्शाई गई परीक्षण प्रतिवेदन (02 मई 2022) में निम्नलिखित का पता चला:

तालिका 4.10: दो एसटीपी पर अपशिष्ट-जल एवं उपचारित-जल का परीक्षण प्रतिवेदन

स्थिति	हाइड्रोजन की क्षमता (पीएच)	टीएसएस	जैविक ऑक्सीजन माँग (बीओडी)	रासायनिक ऑक्सीजन की माँग (सीओडी)	फीकल कोलीफॉर्म
इकाइयाँ	-	मि ग्रा./लीटर	मि ग्रा./लीटर	मि ग्रा./लीटर	एमपीएन /100मिली
अनुमेय सीमाएँ	6.5-9.0	<50	<20	-	<1000
एसटीपी 1(प्रवेशिका)	7.09	196	205	720	4000
एसटीपी 1 (निकासिका)	7.26	30	53	240	260
एसटीपी 2 (प्रवेशिका)	6.85	154	243	1,040	4800
एसटीपी 2 (निकासिका)	7.34	120	97	960	550

दोनों एसटीपी पर बीओडी स्तर और एसटीपी-2 पर टीएसएस स्तर अनुमत्त सीमा से अधिक पाया गया।

4.6.2.5 एसटीपी के आसपास गैर-कार्यात्मक सोलर लाईट

₹ 99.45 लाख रुपये की कुल लागत से 64 सौर स्ट्रीट लाइट (प्रत्येक एसटीपी के लिए आठ) को क्षेत्र प्रकाश व्यवस्था के लिए एसटीपी के चारों ओर स्थापित किया जाना था। इनमें से 15 लाइटें अन्य स्थानों पर लगाई गई थीं जैसे प्रवेशिका, उच्च

[38] *फाइटोरिड रूपांकन के आधार पर-टीएसएस अधिकतम स्तर: 20-30 मिलीग्राम/लीटर के बीच; परीक्षण प्रतिवेदन: 41 से 115 मिलीग्राम/लीटर के बीच*

मार्ग आदि। इसके अलावा, 64 लाइटों में से केवल तीन सौर लाइटें चालू स्थिति में थीं जबकि ₹ 94.98 लाख रुपये की लागत से स्थापित 61 सौर लाइटें बैटरी चोरी हो जाने कारण खराब थीं।

अनुशंसा 4: *विभाग (**i**) सभी पहचाने गए बड़े और छोटे प्रवेशिका से मल-जल प्रवाह, (ii) मल-जल को सीवरेज प्रणाली से गुजरने (iii) मल-जल के एसटीपी में जाने और (iv) सीवरेज प्रणाली के माध्यम से दिशा दिए जाने के बजाय सीधे नदी में बहने वाले मल-जल के मात्रा का सर्वेक्षण और गणना कर सकता है। विभाग मल-जल के आवश्यक निस्पंदन को सुनिश्चित करने के लिए इन एसटीपी के संचालन की अवधि की भी जाँच कर सकता है।*

4.6.3 वर्षा-जल निकास

नदी के दोनों किनारों (10.4 किलोमीटर की दूरी) पर ₹ 13.06 करोड़ रुपये की लागत से वर्षा-जल निकासी प्रणाली का निर्माण किया जाना था, जिसमें ठोस अपशिष्ट और मलबा को नदी में जाने से रोकने के लिए गाद जाल और यांत्रिक स्क्रीन का प्रावधान था। नालों से वर्षा-जल को 100 मीटर के अंतराल पर, विसर्जन निकासिका (कुल 208 निकासिका, 10 मीटर लंबाई के, एक निस्पंदन कक्ष के साथ) के माध्यम से नदी में विसर्जित किया जाना था। हर दिन स्क्रीन की सफाई के लिए एक व्यवस्था भी स्थापित की जानी थी।

नदी (दोनों तरफ) के 20.8 किमी के फैलाव में से पुलों की मौजूदगी के कारण केवल 18.50 किमी में वर्षा-जल निकासी प्रणाली का निर्माण किया गया था। लेखापरीक्षा (मार्च 2021 और अक्टूबर 2021) ने इन बरसाती नालों के कार्यकाज का आकलन करने के लिए संयुक्त भौतिक सत्यापन किया और निम्नलिखित पाया:

(i) मुक्तिधाम के पास (चेनेज 1845-1970 मीटर के बीच) वर्षा-जल का नाला (250 मीटर) जुलाई 2016 में बाढ़ के दौरान नष्ट हो गया था और लेखापरीक्षा (अप्रैल 2022) के समापन तक इसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया था।

(ii) अमरावती पुल और एसटीपी-5 के बीच वर्षा-जल का नाला ठोस अपशिष्ट, मल-जल आदि से भरा हुआ पाया गया और इन वर्षा-जल नालों की निकासिका हरमू नदी में मल-जल का बहाव करते हुए पाए गए, जैसा कि **चित्र 4.10 और 4.11** में दिखाया गया है:

चित्र 4.10: नदी में मल-जल छोड़ने वाले वर्षा-जल के नाले का निकास	*चित्र 4.11: मल-जल से भरा वर्षा-जल का नाला*

(iii) अमरावती पुल और एसटीपी 6 के बीच वर्षा-जल का नाला इसके निकासिका के साथ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इस नाले का पूरा हिस्सा कीचड़, जमाव और गाद से ढ़का हुआ था। इस प्रकार, वर्षा जल सीधे हरमू नदी में गाद/कीचड़ लेकर प्रवाह करेगा, जिससे वर्षा-जल का नाला के निर्माण का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

ये कुछ ऐसे स्थल थे जिनका लेखापरीक्षा द्वारा दौरा किया गया था जिसमें वर्षा-जल के नाले कार्य नहीं कर रहे थे। विभाग वर्षा-जल के नाले के पूरे खंड की स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण कर सकता है ताकि उन्हें कार्यात्मक बनाने के तौर-तरीकों पर कार्य किया जा सके।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए और नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव-अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.6.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

अनुमोदित डीपीआर में, 40 सामुदायिक अपशिष्ट डिब्बे (₹ 10.14 लाख), दो तीन-पहिया ऑटो टिपर (₹ 8 लाख) और चार तीन-पहिया साइकिल (₹ 0.82 लाख) के लिए प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा हरमू नदी के विभिन्न हिस्सों के जुडको के अभियंताओं के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2021) के दौरान, लगभग प्रत्येक खंड ठोस कचरे से भरा पाया गया। होटल रेडिसन ब्लू के पास एसटीपी-3 के निर्माण स्थल के रास्ते में ठोस कचरे का निपटान देखा गया। अभियंताओं ने कहा कि राँची नगर निगम कचरे के लिए निपटान यार्ड के रूप में जगह का उपयोग कर रहा था। **चित्र 4.12** ठोस कचरे से भरे नदी और नदी के किनारे को दर्शाता है।

चित्र 4.12: एसटीपी-3 के पास कचरा एकत्र किया गया

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुडको या विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी जो समर्पित सामुदायिक अपशिष्ट डिब्बे के अभाव में विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए पाए गए थे। इसके अलावा, अधिकांश नदी खण्ड (फैलाव) और उसके आसपास के क्षेत्र इतने गंदे (ठोस कचरे के डंपिंग यार्ड, खटालों के संचालन आदि के कारण) थे और यह संभावना नहीं थी कि कचरे को इकट्ठा करने के लिए सामुदायिक डिब्बे रखने का प्रस्ताव इच्छित उद्देश्य की पूर्ति करेगा।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए और नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव-अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा 5: *सरकार हरमू नदी के किनारे रहने वाली शहरी आबादी को नदी में मल-जल के अनधिकृत प्रवाह के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठा सकती है और प्रभावी प्रबंधन के लिए आवासीय कल्याण संघों/गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने की संभावना का पता लगा सकती है। विभाग राँची नगर निगम को शामिल करके नदी के भीतर और आस-पास ठोस कचरे के अनुचित प्रबंधन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए तत्काल एक योजना तैयार कर सकता है।*

4.6.5 पर्यावरण प्रबंधन योजना

अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, संवेदक साथ ही स्थल-प्रभारी, निर्माण एवं परिचालन चरण के दौरान सभी शमन उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस तरह के उपायों में निर्माण एवं परिचालन चरण के दौरान हवा की गुणवत्ता, स्टैक उत्सर्जन, शोर स्तर, जल एवं अपशिष्ट-जल का परीक्षण शामिल था। गुणवत्ता

परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, संवेदक को निष्पादन और परिचालन चरण के लिए तीन पर्यावरण विवरण तैयार करने थे।

संवेदक ने अल्टीमेट एनवायरलिटिकल सॉल्यूशंस, रायपुर द्वारा पानी की गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता, टाल उत्सर्जन, शोर स्तर आदि का परीक्षण करवाया और निष्पादन चरण (मई 2016, अक्टूबर 2016 और अप्रैल 2017 में किए गए नमूनों का परीक्षण) का तीन विवरण और परिचालन चरण (जून 2020 में) से संबंधित एक विवरण प्रस्तुत किए, जिसके लिए ₹ 22.81 लाख रुपये का भुगतान किया गया था ***(परिशिष्ट 4.3)***।

इन विवरणियों की जाँच से निम्नलिखित का पता चला:

(i) समान परीक्षणों के लिए अलग-अलग दरें

निर्माण चरण के लिए समान परीक्षण करने की दरें परिचालन चरण की तुलना में पाँच गुना अधिक थीं जबकि पर्यावरण विवरण तैयार करने के लिए यह निर्माण चरण के दौरान चार गुना अधिक थी, जैसा कि **तालिका 4.11** में दिखाया गया है और ***परिशिष्ट 4.3*** में विस्तृत है।

तालिका 4.11: निर्माण एवं परिचालन चरणों के बीच दरों की तुलना

गुणवत्ता की जाँच	निर्माण चरण में दरें (₹)	परिचालन चरण में दरें (₹)
पानी और अपशिष्ट जल की गुणवत्ता	2,500	500
टाल उत्सर्जन	2,500	500
शोर का स्तर	1,000	200
हवा की गुणवत्ता	7,500	1,500
पर्यावरण विवरण	8,000	2,000

इसके परिणामस्वरूप, निर्माण चरण में परीक्षण करने और पर्यावरण विवरण तैयार करने के लिए संवेदक को ₹ 18.23 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया। जुडको के परियोजना प्रबंधक ने चर्चा के दौरान कहा कि दरें स्वीकृत डीपीआर के अनुसार थीं। हालाँकि, इन महत्वपूर्ण अंतरों के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ii) टाल उत्सर्जन का सत्यापन

'टाल उत्सर्जन' से तात्पर्य जलने की प्रक्रिया के बाद विभिन्न उद्योगों से बॉयलर टाल, चिमनी या डीजी सेट टाल आदि से हवा में निकलने वाली गैसों से है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसटीपी (पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी पर आधारित) या परियोजना के किसी अन्य घटक से कोई टाल उत्सर्जन नहीं हुआ था।

इसके अलावा, हरमू नदी की परिधि के भीतर कोई चिमनी-आधारित उद्योग-उत्सर्जक टाल मौजूद नहीं था। तथापि, स्टैक उत्सर्जन की जाँच के लिए संवेदक को ₹ 12.50 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। यह अनियमित था और इस संबंध में बिना किसी सर्वेक्षण के किया गया था। परियोजना प्रबंधक, जुडको ने कहा (अप्रैल 2022) कि जिन दरों की अनुमति दी गई थी, वे स्वीकृत डीपीआर के अनुसार थीं।

(iii) नदी जल की गुणवत्ता जाँच

संवेदक द्वारा किए गए परीक्षणों की प्रतिवेदन से पता चला कि निष्पादन चरण और परिचालन चरण के दौरान नदी के पानी की गुणवत्ता अपरिवर्तित रही थी। इसके अलावा, नदी के पानी की समग्र गुणवत्ता अत्यधिक प्रदूषित थी जो लगभग मल-जल के पानी के प्रदूषण स्तर के बराबर थी। लेखापरीक्षा ने मेकॉन लिमिटेड के माध्यम से तीन स्थानों पर हरमू नदी में बहने वाले पानी का गुणवत्ता परीक्षण कराया (18 अप्रैल 2022)। परीक्षण परिणाम (02 मई 2022) **तालिका 4.12** में दिए गए हैं।

तालिका 4.12: मेकॉन लिमिटेड द्वारा आयोजित हरमू नदी के पानी के गुणवत्ता परीक्षण के परिणाम

स्थान	पीएच	टीएसएस	बीओडी	सीओडी	फीकल कोलिफोर्म
इकाई	-	मिग्रा./लीटर	मिग्रा./लीटर	मिग्रा./लीटर	एमपीएन/ 100मि ली
अनुमेय सीमा (पीने का पानी)	6.5-8.5	-	2		-
अनुमेय/वांछनीय सीमाएँ (बाहरी स्नान)	6.5-8.5	-	3		500 वांछनीय
हरमू नदी (ओवरब्रिज के पास)	7.15	728	480	2,240	2,300
हरमू नदी (मुक्तिधाम के पास)	7.20	498	240	1,120	3,600
हरमू नदी (अमरावती पुल के पास) चुटिया	7.41	332	265	1,360	1,840

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी (जून 2019) नदी निगरानी स्थानों के वर्गीकरण के मानदंड के अनुसार, जल गुणवत्ता आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है और बीओडी और फीकल कोलीफॉर्म (एफसी) के प्राथमिक औसत या औसत का अनुमान लगाने की आवश्यकता है। बीओडी (70 प्रतिशत का अधिभार और एफसी (30 प्रतिशत का अधिभार) मापदंडों के लिए अनुमानित कुल प्राप्तांक के आधार पर निगरानी स्थान को प्रदूषण स्थान[39] के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हरमू नदी के तीन स्थानों के पानी की गुणवत्ता के आंकड़ों (ऊपर **तालिका 4.12** में दिए गए) के लेखा परीक्षा विश्लेषण ने 81.20[40] का कुल स्कोर[41] दिखाया, जिसका

---

[39] *कुल स्कोर: 81-100: गंभीर रूप से प्रदूषित, 61-80: गंभीर रूप से प्रदूषित, 41-60: मध्यम प्रदूषित, 21-60: कम प्रदूषित और ≤ 20: नहाने के लिए अच्छा या उपयुक्त।*

[40] *बीओडी (100∗0.70)+ एफ़सी (40∗0.30) = 81.20*

अर्थ है कि हरमू नदी के उपरोक्त सभी स्थान गंभीर रूप से प्रदूषित निगरानी स्टेशन थे। इससे पता चलता है कि परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार द्वारा निवेश किए गए संसाधनों का प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया गया था।

चूँकि पानी की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ था, नदी के कथित जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के बाद भी हरमू नदी को एक जीवंत जल संपत्ति बनाने का परियोजना का मौलिक उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका।

विभाग ने (जुलाई 2022) कहा कि: (i) परियोजना का सीमित क्षमता के लिए रेखांकन किया गया था लेकिन मल-जल का प्रवाह हरमू नदी की सीवरेज प्रणाली की क्षमता से अधिक था (ii) राँची की मल एवं जल निकास परियोजना के पूरा होने के बाद, नदी के पानी की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और चिंता व्यक्त की कि हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के बाद भी मल-जल का पानी नदी में बह रहा था। सचिव ने आगे कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए और नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.6.6 वृक्षारोपण

शहर की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार के लिए, इकरारनामा में 4,160 नारियल के पौधों (प्रत्येक छः फीट ऊंचे) के रोपण का प्रावधान किया गया था। पाँच साल बाद वृक्षों के जीवित रहने का दर 95 प्रतिशत से कम नहीं होना तय किया गया थी। वृक्षारोपण-कार्य, कार्य प्रारंभ होने की तिथि (अक्टूबर 2015) से आठ माह में अर्थात जून 2016 तक पूरा किया जाना था।

मापी-पुस्त (एमबी) और अन्य संबंधित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि शुरू में मार्च 2016 के दौरान 360 नारियल के पौधे लगाए गए थे (गंगा नगर में चेनेज शून्य से करमा चौक पुल पर चेनेज 1035 मी तक)। हालाँकि, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), पलांडू, राँची और प्रभागीय वन अधिकारी, राँची के सुझावों[42] (अगस्त 2016) पर शेष 3,800 नारियल के पेड़ों के स्थान पर उसी लागत के भीतर 12 प्रजातियों के 4,304 पौधों को लगाने (सितंबर 2016) पर विचार किया गया था।

---

[41] *बीओडी मान: स्कोर **(> 48: 100**, 24-48: 80, 12-24: 60, 6-12: 40, <6: 20, एफ़सी मान:स्कोर **(>** 5 लाख: 100, 50,000 से 5 लाख: 80, 5,000 से 50,000: 60, **500 से 5,000: 40** और <500: 20)*

[42] *हरमू नदी में और उसके आसपास नारियल के पेड़ों की अनुपयुक्तता और टिकाऊ न होने के आधार पर*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 94.49 लाख रुपये मूल्य के कुल 4,624 पौधे लगाए गए थे जिसके लिए संवेदक को ₹ 49.77 लाख रुपये का भुगतान किया गया था ***(परिशिष्ट 4.4)***। शेष राशि का आगे भुगतान (मार्च 2022) नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि प्रमुख वृक्षारोपण कार्य (47 प्रतिशत) अगस्त 2018 से अक्टूबर 2018 तक निर्धारित पूर्णता तिथि (जून 2016) के बाद किया गया था। हालाँकि, संवेदक अथवा जुडको द्वारा पेड़ों/ पौधों के जीवित रहने की दर का आकलन नहीं किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि नारियल का कोई भी पेड़ जीवित नहीं बचा था। प्रबंधन ने इसकी पुष्टि करते हुए लेखापरीक्षा को सूचित किया कि मौजूदा पेड़ों की उनके जीवित रहने की दर का पता लगाने के लिए कोई सूची नहीं रखी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पिछले 12 वर्षों (अक्टूबर 2009 से जून 2021) के दौरान, विभिन्न हिस्सों ***(परिशिष्ट 4.5)*** की उपग्रह छवियों के माध्यम से हरमू नदी के पास वृक्षारोपण कार्यों का विश्लेषण किया और नदी के किनारे पिछले कुछ वर्षों में हरित आवरण में क्रमिक गिरावट देखा। 2009, 2016 और 2021 में गंगा नगर (हरमू नदी के शहरी खंड का शुरुआती बिंदु) और करमटोली चौक के बीच वनों की कटाई का एक उदाहरण नीचे **चित्र 4.13** में दिखाया गया है।

चित्र 4.13: ***हरमू नदी के जीर्णोद्धार के दौरान गंगा नगर और करमटोली के बीच वनों की कटाई***

2009 में वृक्षारोपण

2016 में बहुत कम पेड़ देखे गए थे

2021 में हरमू नदी का वृक्षरहित खंड

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए और नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव-अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.6.7 नदी के मार्ग के किनारे अतिक्रमण

लेखापरीक्षा ने नदी के विभिन्न हिस्सों के उपग्रहीय चित्रों (नवंबर 2004 और जून 2021 के बीच की अवधि के लिए) की जाँच की और नदी के मार्ग में पर्याप्त परिवर्तन देखे जैसे कि नदी की चौड़ाई में कमी (**कंडिका 4.5.4.3**), नदी के मार्ग में परिवर्तन, नदी के समक्ष का अतिक्रमण **(चित्र 4.14)** और नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि का उद्भव **(चित्र 4.15)**।

चित्र 4.14: नदी की उपग्रहीय छवि (भौगोलिक निर्देशांक: 23°21'14.51" उत्तर और 85° 19'2.41" पूर्व), भूमि के अतिक्रमण (लगभग 1,844 वर्ग मीटर) को दर्शाती है।

नदी के जीर्णोद्धार से पहले इसका घुमावदार प्रवाह (छवि की तारीख: 28 नवंबर 2004)	*नदी के जीर्णोद्धार के बाद घुमावदार हिस्से को सीधा किया गया था (छवि की तारीख: 3 जून 2021)*

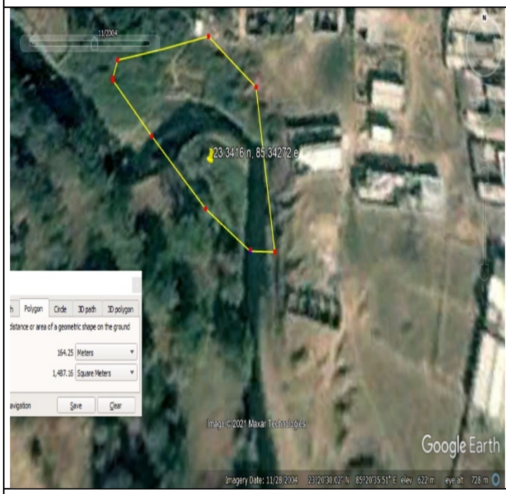

चित्र 4.15: नदी की उपग्रहीय छवि (भौगोलिक निर्देशांक: 23.3416 उत्तर और 85.34272 पूर्व), घुमावदार हिस्से के यांत्रिक सीधा होने के कारण भूमि (लगभग 1487 मीटर वर्ग) के उद्भव को दर्शाती है।

नदी के जीर्णोद्धार से पहले घुमावदार प्रवाह (छवि की तारीख: 28 नवंबर 2004)	*नदी के जीर्णोद्धार के दौरान घुमावदार हिस्से को सीधा किया गया था (छवि की तारीख: 3 जून 2021)*

नदी के मार्ग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप नदी का किनारा और नदी के मार्ग से लगी भूमि पर अतिक्रमण हुआ। भूमि, जो नदी के मार्ग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उभरी है और **चित्र 4.14** में खाली दिखाई देती है, न तो जुडको द्वारा और न ही राँची नगर निगम द्वारा संरक्षित है तथा इसका अतिक्रमण हो सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्राक्कलन/इकरारनामा में 6,934 बोलार्ड (प्रत्येक तीन मीटर पर) और 18,720 मीटर में बाड़ा के माध्यम से पूरे खंड में नदी की सीमा की रक्षा के लिए ₹ 75.41 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। इसके लिए, संवेदक को सभी 6,934 बोलार्ड और 1,400 मीटर बाड़ा को लगाने के लिए ₹ 33.76 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। हालाँकि, गंगा नगर में संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2021 और अक्टूबर 2021) के दौरान, लेखापरीक्षा को नदी के कुछ हिस्सों में कुछ बोलार्ड को छोड़कर, बोलार्ड एवं बाड़े नहीं मिले। स्थल के दौरे के दौरान लेखापरीक्षा के साथ गए अभियंताओं ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा सभी बोलार्ड को उखाड़ दिया गया था। इस प्रकार, नदी को बाड़ द्वारा घेरे एवं अतिक्रमण से संरक्षित नहीं किया जा सका, जैसा कि नियोजित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राँची नगर निगम की अदालत में जुलाई 2021 के महीने में अतिक्रमण (हरमू नदी के पास अनधिकृत निर्माण) के 47 मामले दायर किए गए थे। राँची नगर निगम द्वारा, की गई कोई कार्रवाई, यदि कोई हो, की सूचना नहीं दी गई और न ही इसे लेखापरीक्षा के साथ साझा किया गया।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए और नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव-अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा 6: *सरकार, राँची नगर निगम के समन्वय से नदी के किनारों और उसकी सहायक नदियों पर सभी अतिक्रमणों की पहचान करने और उन्हें हटाने और निर्धारित बफर क्षेत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए, स्मार्ट सिटी राँची में कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (सी4) के समन्वय से नदी स्थलों और सहायक नदियों का समय-समय पर निरीक्षण और उचित निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सकता है।*

4.6.8 विद्युत्-सम्बन्ध

डीपीआर के अनुसार, नदी के किनारे 15 कम लागत वाले स्वच्छता (एलसीएस) शौचालय खंड (33 से संशोधित होकर 15), उच्च क्षमता हाइ यील्ड वाले ट्यूबवेल,

प्रत्येक खंड के लिए एक ट्रांसफार्मर और हाई टेंशन सर्विस (10 किमी) का निर्माण किया जाना था। लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

4.6.8.1 एसटीपी के लिए बिजली की असमान अधिकतम माँग

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अनुसार, यदि बिजली की माँग 100 केवीए से ऊपर है तो उपभोक्ता को हाई टेंशन सर्विस (एचटीएस) के तहत बिजली विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। एचटीएस के मामले में, बिलिंग ऊर्जा शुल्क (दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर) और साथ ही माँग शुल्क (महीने के दौरान दर्ज अधिकतम माँग या अनुबंध-माँग का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) के लिए की जाती है। अनुबंध-माँग से अधिक होने पर जुर्माने का भी प्रावधान है।

जुडको ने एसटीपी और एलसीएस शौचालयों के संचालन के लिए जेबीवीएनएल से दो एचटीएस कनेक्शन लिए थे। हरमू अनुमंडल के पास उपलब्ध बिजली बिलों (नौ महीने[43]) की जाँच में अधिकतम माँग के माप को संधारित करने में विसंगतियां सामने आईं। यह देखा गया कि अधिकतम माँग छः महीने के लिए चार से आठ केवीए, दो महीने के लिए 20 से 60 केवीए के बीच थी और अक्टूबर 2021 में असामान्य रूप से 240 केवीए थी। अधिकतम माँग में व्यापक भिन्नताओं ने इस अनुमंडल के तहत एसटीपी और एलसीएस के असंगत परिचालन की संभावना का संकेत दिया। जेबीवीएनएल के साथ इन बदलावों का मिलान नहीं किया गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2022) कि अधिकतम माँग में व्यापक भिन्नताओं के मुद्दे को हल करने के लिए जेबीवीएनएल के साथ मिलान की जाएगी।

4.6.8.2 विलंबित भुगतान अधिभार का परिहार्य भुगतान

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों के अनुसार, ऊर्जा शुल्क या अन्य शुल्कों का भुगतान करने की नियत तिथि बिल जारी होने की तारीख के 21 दिन बाद थी जिसमें विफल रहने पर उपभोक्ता को विलंबित भुगतान अधिभार (डीपीएस) का भुगतान करना पड़ता था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2021 में जेबीवीएनएल को अगस्त 2020 महीने के बिजली बिल (सितंबर 2018 से अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए, दोनों विद्युत्-संबंधों के लिए) के साथ डीपीएस का ₹ 17.66 लाख रुपये (₹ 84.71 लाख रुपये की कुल बिल राशि का 21 प्रतिशत) का भुगतान किया गया था। यदि ऊर्जा

---

[43] *अगस्त 2020, मई-जुलाई 2021, सितंबर 2021: 4 केवीए, अप्रैल 2021: 8 केवीए, अगस्त 2021: 20 केवीए, मार्च 2021:60 केवीए और अक्टूबर 2021: 240 केवीए*

शुल्क समय पर चुका दिया गया होता तो डीपीएस के भुगतान से बचा जा सकता था।

बिल में डोरंडा अनुमंडल से दूसरे विद्युत्-संबंध के लिए ₹ 27,562.50 की लेवी राशि के स्थान पर ₹ 21.00 लाख रुपये का नियत शुल्क भी शामिल था। बिल का भुगतान जुडको द्वारा बिना किसी मिलान के किया गया था। जुडको ने कहा कि अधिक भारित राशि को भविष्य के ऊर्जा शुल्कों के साथ समायोजित किया जा रहा था।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि राँची नगर निगम द्वारा भुगतान उत्तरदायित्व की स्वीकृति नहीं देने के कारण विलंब हुआ। यह भी कहा गया कि अब से ऊर्जा-प्रभारों का ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

4.7 परिचालन एवं अनुरक्षण

इकरारनामा के खंड 55 के अनुसार, परियोजना के पूरा होने का समय 30 माह था जिसमें पूर्व-परीक्षण और प्रवर्तन अवधि के लिए तीन महीने शामिल थे। पूर्व-परीक्षण अवधि और सफल प्रवर्तन के बाद, संवेदक को पाँच साल के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण (परि. एवं अनु.) करना था। इसके बाद पूरी परियोजना विभाग को सौंपी जानी थी। परियोजना के परि. एवं अनु. के लिए डीपीआर में ₹ 7.54 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न परियोजना घटकों में से प्रवर्तन प्रमाण-पत्र (24 अप्रैल 2018) केवल सात एसटीपी के लिए जारी किया गया था। इस संबंध में निम्नलिखित का पता चला:

(i) जैसा कि मापी-पुस्त में दर्ज किया गया है परियोजना का काम 30 अक्टूबर 2018 को पूरा हो गया था और परि. एवं अनु. (जैसा कि मापी-पुस्त में उल्लिखित है) कथित तौर पर 1 नवंबर 2018 को शुरू हुआ था। हालाँकि, संवेदक को नवंबर 2019 से फरवरी 2021 की अवधि के लिए परि. एवं अनु. सेवाओं के लिए ₹ 1.80 करोड़ का भुगतान किया गया था।

(ii) परियोजना के पूरा होने की अवधि में तीन महीने का पूर्व-परीक्षण और प्रवर्तन अवधि शामिल थी। लेकिन परि. एवं अनु. को कथित तौर पर काम पूरा होने के अगले दिन यानी 1 नवंबर 2018 से लिया गया था। इस प्रकार, पूर्व-परीक्षण की अवधि स्पष्ट नहीं थी।

(iii) डीपीआर की जाँच से पता चला कि पाँच गतिविधियों के लिए ₹ 7.54 करोड़ निर्धारित किए गए थे: मानव संसाधन के लिए ₹ 2.47 करोड़, जैवोपचारण प्रक्रिया के लिए ₹ 0.59 करोड़, फाइटोरिड प्रौद्योगिकी के लिए ₹ 2.95 करोड़, उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 1.21 करोड़ और परिवहन और ईंधन शुल्क के लिए ₹ 32 लाख।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक गतिविधि के लिए माप लेने के बजाय, जुडको ने प्रत्येक महीने के लिए परि. एवं अनु. लागत ₹ 13.96 लाख तय[44] की थी और तदनुसार भुगतान किया गया था। जुडको प्रबंधन ने कहा (मई 2022) कि भुगतान परि. एवं अनु. संहिता के अनुसार किया गया था। तथापि, उक्त संहिता लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसलिए, गतिविधि-वार परि. एवं अनु. की जाँच नहीं की जा सकी।

(iv) सात एसटीपी (कुल क्षमता 10 एमएलडी) में, मल-जल उठाने वाले पंपों के दैनिक प्रचालन के लिए प्रति वर्ष ₹ 6 लाख आवंटित किए गए थे। इसकी तुलना में, जुडको ने एसटीपी के मल-जल लिफ्टिंग पंपों के परिचालन[45], 15 ट्यूबवेल के परिचालन और 15 एलसीएस शौचालय खंडों की रोशनी के लिए प्रति वर्ष लगभग ₹ 33 लाख की दर से विद्युत शुल्क खर्च किया। उच्च ऊर्जा प्रभार उच्च फ़िक्स्ड (ऊर्जा) प्रभारों के कारण थे, जिनकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि एसटीपी में उपयोग की जाने वाली फाइटोरिड तकनीक में बिजली की न्यूनतम खपत शामिल है।

(v) ठोस अपशिष्ट का संचय, नदी जल की गुणवत्ता में सुधार न होना और एसटीपी के कार्यकरण में कमियों से पता चला कि परि. एवं अनु. कार्यकलापों की व्यापक रूप से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया (जुलाई 2022) कि परि. एवं अनु. संहिता के अनुसार संवेदक द्वारा प्रदान की गई पाँच साल की परि. एवं अनु. सेवा का हिसाब रखा जाएगा। इसके अलावा, विभाग जेबीवीएनएल के परामर्श से एचटी विद्युत-सम्बन्ध से एलटी विद्युत-सम्बन्ध में स्थानांतरित करने की संभावना का पता लगाएगा।

---

[44] *परि. एवं अनु. गतिविधियों की निर्धारित प्रति माह लागत (₹ 8.38 करोड़ / 60 महीने = ₹ 13.96 लाख)*

[45] *नवंबर 2018-अगस्त 2020 (22 महीने) की अवधि के लिए ₹ 80.57 लाख का भुगतान इस उद्देश्य के लिए जेबीवीएनएल को किया गया था।*

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए और नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव-अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा 7: *विभाग परि. एवं अनु. के शुरू होने की सही तारीख का पता लगा सकता है ताकि पाँच साल की अवधि की गणना की जा सके। पूर्व-परीक्षण, प्रवर्तन एवं परिचालन की सही अवधि की पुष्टि की जा सकती है तथा तय की जा सकती है। परि. एवं अनु. को व्यवहार्य बनाने के लिए विभाग तुरंत एलटी विद्युत्-संबंध पर बदली कर सकता है और संपत्ति विद्युत्-संबंध पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने की संभावना का भी पता लगा सकता है।*

4.8 परियोजना के चरण II का कार्यान्वयन

जुडको ने परियोजना के चरण II के लिए डीपीआर और पीएमसी सेवाओं की तैयारी के लिए मैसर्स आईके वर्ल्डवाइड के साथ एक इकरारनामा कार्यान्वयित (फरवरी 2016) किया। डीपीआर को अनुबंध की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर (मई 2016 तक) अंतिम रूप दिया जाना था। प्रारंभ में, चरण II को विशेष रूप से ग्रामीण खंड में हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के लिए योजनाबद्ध किया गया था लेकिन शहरी खंड में सुधार कार्य को शामिल करने के साथ अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के बीच इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया गया। शहरी खंड में काम के दायरे में एकाकी एसटीपी का निर्माण, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, टिलटिंग गेट आदि शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों में पाया कि कार्य के दायरे में लगातार संशोधन के कारण पाँच साल (अप्रैल 2022) से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उक्त डीपीआर को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। कुल देय परामर्श शुल्क (डीपीआर तैयार करने के लिए) ₹ 1.60 करोड़ के विरुद्ध, संभाव्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सलाहकार को ₹ 48 लाख (अक्टूबर 2016) का भुगतान किया गया था।

ग्रामीण खंड के संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2021) के दौरान, लेखापरीक्षा ने नदी की धारा में और उसके आसपास कई पक्के घरों और खटालों को देखा। इन घरों/ खटालों से खुलने वाले नालों में अशोधित मल-जल और ठोस अपशिष्ट सीधे नदी में बहता हुआ पाया गया।

इस प्रकार, डीपीआर को अंतिम रूप देने में लगभग छः वर्षों की अत्यधिक देरी के कारण, परियोजना के चरण-I में उद्भुत समस्याओं का निदान नहीं किया जा सका, जिसे पहचाने गए मुद्दों को ठीक किए बिना पूर्ण घोषित कर दिये गए थे। इसके

अतिरिक्त, कार्य का चरण-II शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि डीपीआर तैयार नहीं की गई थी और परामर्शी सेवाओं पर ₹ 48 लाख का व्यय लाभकारी नहीं था।

4.9 निगरानी एवं निरीक्षण

विभाग ने परियोजना की निगरानी और समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए (अक्टूबर 2014) एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त, झारखण्ड द्वारा की जानी थी और सात सदस्यों[46] द्वारा सहायता किया जाना था।

हालाँकि, बैठकों के कार्यवृत्त, जुडको को दिए गए अनुदेश या समिति द्वारा किए गए निरीक्षण संचिका में नहीं पाए गए। जुडको के परियोजना प्रबंधक ने चर्चा के दौरान कहा (दिसंबर 2021) कि जुडको को एसएलएमसी से कोई निर्देश नहीं मिला है। जुडको में अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि नीरी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बीआईटी, सिंदरी और बीआईटी मेसरा द्वारा चार निरीक्षण किए गए थे। उनके अवलोकन/अनुशंसाओं को **तालिका 4.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.13: हरमू नदी के निरीक्षण का विवरण

संस्था/प्राधिकरण	निरीक्षण की तिथि	अवलोकन एवं सिफारिशें
वैज्ञानिक प्रभारी, नीरी	3 सितम्बर 2016	70 (14 बड़े और 56 छोटे) नालों की पहचान, अपशिष्ट जल को हरमू नदी में छोड़ा जाना। 14 बड़े नालों का जैवोपचारण उपचार और तपोवन खंड (लगभग 2 किमी का खंड सीवरेज प्रणाली से असंबद्ध है) का यथास्थान जैवोपचारण उपचार आवश्यक था।
निदेशक, नीरी, नागपुर	20 अप्रैल, 2017	मुक्तिधाम के सामने एक एसटीपी की आवश्यकता थी, क्योंकि मुक्तिधाम एसटीपी (एसटीपी 1) का आकार पुल के आर-पार तीन नालों से आने वाले मल-जल के भार को संभालने के लिए अपर्याप्त था।
बीआईटी, मेसरा, बीआईटी, सिंदरी और नीरी, नागपुर के प्रतिनिधियों के साथ अभियंता-प्रमुख, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति	8 जुलाई 2019	परियोजना के पूरा होने के बाद भी चरण I में किए गए कार्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे और दृश्यमान परिणाम उत्पन्न करने में असमर्थ रहे। नदी के उद्गम को पुनर्जीवित करने पर विशेष जोर देने के साथ, सतत नदी जल प्रणाली के लिए हरमू नदी जलग्रहण क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। नदी बेसिन में पिछले 66 वर्षों के वर्षा के आँकड़ों का आकलन और विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। हरमू नदी बेसिन में जनसंख्या के वर्तमान एवं भविष्य के विकास को देखते हुए वर्षा-जल और मल-जल की मात्रा के लिए नए अनुमान प्राप्त किए जाने चाहिए। हरमू नदी परियोजना में मौजूदा एसटीपी के साथ केवल न्यूनतम मात्रा में अपशिष्ट जल एकत्र और उपचारित किया जा रहा है। कई प्रमुख नाले हैं जो नदी में कच्चे अपशिष्ट जल का बहाव

[46] *सचिव-श.आ. एवं वि.वि, झारखण्ड, सचिव-जल संसाधन विभाग, मुख्य वन संरक्षक, सिविल अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख, आईआईटी मुंबई, सिविल अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख, बीआईटी मेसरा, निदेशक, नीरी के प्रतिनिधि और मुख्य अभियंता, तकनीकी सेल, श.आ. एवं वि.वि, झारखण्ड।*

संस्था/प्राधिकरण	निरीक्षण की तिथि	अवलोकन एवं सिफारिशें
		कर रहे हैं और परियोजना के उद्देश्यों को बिगाड़ रहे हैं। हरमू नदी में साफ पानी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द आगे के कार्य के लिए इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाना है।
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग	6 सितम्बर 2019	स्थानीय लोगों द्वारा नदी में फेंके गए ठोस कचरे की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाकर और एक समर्पित ठोस कचरा प्रबंधन टीम का गठन किया जाना।

उपरोक्त अवलोकनों/अनुशंसाओं के अलावा, लेखापरीक्षा ने स्मार्ट सिटी में कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (सी4) के निगरानी-स्थापना के साथ एकीकृत करके नदी बेसिन के वास्तविक समय निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति को भी देखा। यह देखा गया कि विभाग ने उपरोक्त संस्थानों/प्राधिकारियों की सलाह पर आवश्यक उपचारात्मक उपाय नहीं किए थे। आगे, विभाग ने परियोजना प्रस्ताव में *एनआरसीडी*, भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों का भी अनुपालन नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशक, नीरी (₹ 21.78 लाख की लागत पर) को मौजूदा नदी परियोजना के विश्लेषण के अलावा राँची शहर की पर्यावरणीय स्थिति पर 'हरमू नदी के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण' के तकनीकी और पारिस्थितिकीय प्रभाव पर एक अध्ययन करने के लिए एक कार्य आदेश (मार्च 2021) जारी किया गया था। हालाँकि, नीरी ने इस तरह का अध्ययन करने में असमर्थता (जुलाई 2021) व्यक्त की। विभाग ने किसी अन्य संस्था से अध्ययन एवं परियोजना विश्लेषण नहीं करवाया। इस प्रकार, किए गए निरीक्षणों और परियोजना के तत्काल पुनरुद्धार उपायों के लिए दिए गए पेशेवर निविष्टों पर कार्रवाई नहीं की गई।

निकास सम्मेलन (अगस्त 2022) के दौरान, सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए और नीरी द्वारा परियोजना के प्रभाव-अध्ययन के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय 5

'झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) में सामग्री प्रबंधन एवं वस्तु-सूची नियंत्रण' पर लेखापरीक्षा

अध्याय 5

ऊर्जा विभाग

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)

जेबीवीएनएल में सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण पर लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

एक कुशल बिजली वितरण नेटवर्क के रखरखाव में सामग्री महत्वपूर्ण आगत के रूप में सम्मिलित रहता है, और, इस तरह, सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण किसी भी बिजली वितरण कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण की लेखापरीक्षा निम्नलिखित का आकलन करने के लिए किया गया था: (i) क्या सामग्री की क्रय की योजना बनाने और उसे निष्पादित करने के लिए एक पर्याप्त प्रणाली मौजूद थी (ii) क्रय प्रक्रियाओं की प्रभावी निगरानी की जा रही थी (iii) कंपनी का वस्तु-सूची नियंत्रण-तंत्र वैज्ञानिक और प्रभावी था (iv) वस्तु-सूची का भौतिक सत्यापन किया जा रहा था और (v) अप्रचलित भंडार का समय पर निपटान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि को शामिल किया और प्रमुख वस्तुओं की क्रय पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें भंडार मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत और मौजूदा वस्तु-सूची नियंत्रण-प्रणाली शामिल थी। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड, दायरे और कार्यप्रणाली को समझाया गया था और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार (झा.स.) के साथ चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने वार्षिक बजट तैयार करने में कार्य एवं क्रय (का. एवं क्र.) नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसे मार्च 2017 में अपनाया गया था, जिसके कारण कोष कम निर्गत और कम उपयोग हुआ। इसके परिणामस्वरूप प्रस्तावित कार्य भी समय पर प्रारंभ नहीं हो पाए। कंपनी ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर निविदाएं तय करने, प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बोली अवधि की अनुमति देने और निविदा आमंत्रित सूचना (नि.अ.सू.) में एक समान गारंटी कंडिका शामिल करने में का. एवं क्र. नियमावली के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया। राज्य के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से सामग्री की क्रय के संबंध में झारखण्ड क्रय नीति (झा.क्र.नी.) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी), जो ऊर्जा कुशल नहीं होने

और निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने के बावजूद क्रय और स्थापित किए गए। मीटर के सहायक उपकरण नामांकन के आधार पर क्रय गए थे और आपूर्तित मात्रा और इनकी स्थापना की स्थिति की पुष्टि किए बिना विक्रेताओं को भुगतान किया गया था। सिस्टम मीटर पूर्व स्थल सत्यापन के बिना प्राप्त किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों से अधिक समय तक उनका उपयोग नहीं किया जा सका। एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड (एसीएसआर) कंडक्टर और प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पोल का क्रय गुणवत्ता परीक्षण और निरीक्षण किए बिना किया गया था।

कंपनी एक सुविकसित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से वास्तविक समय में सामग्री प्रबंधन सुनिश्चित करने में विफल रही और दूरभाष पर भंडार की स्थिति की निगरानी कर रही थी। भंडारों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त मानवबल नियुक्त नहीं थे, इसलिए भंडार खातों का उचित रखरखाव नहीं किया जा सका। केंद्रीय भंडारों द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं को सुनिश्चित किये बिना सामग्री जारी की गई थी, जिसमें सामग्री के दुरुपयोग का जोखिम था। भंडार/स्क्रैप का समय-समय पर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके कारण केंद्रीय भंडार में सामग्री और स्क्रैप लंबे समय तक बेकार पड़े रहे।

कंपनी आवश्यक सामग्री को समय पर प्राप्त करने या निर्गत किये गए सामग्री का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रही, परिणामस्वरूप कार्य पूर्ण नहीं हुआ। विभागीय कार्य प्रारंभ करने में भी विलम्ब हुआ जिसके कारण अधिप्राप्त सामग्री का उपयोग नहीं हो सका। घटिया सामग्री प्रबंधन के कारण ₹ 29.99 करोड़ मूल्य की सामग्री एक निजी ठेकेदार के कब्जे में थी जिसका अनुबंध पहले ही समाप्त कर दिया गया था। फील्ड अधिकारियों द्वारा अनुपयोगी सामग्री को कंपनी के भंडार में स्थानांतरित न करने हेतु, 16 महीने से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस प्रकार कंपनी का सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण अपेक्षित स्त्तर का नहीं था और इसमें सर्वांगीण सुधार की आवश्यकता थी।

अनुशंसाएँ

1. *कंपनी को बजट तैयार करने के लिए तय समय-सीमा का अनुपालन करना चाहिए और निधि का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।*
2. *का. एवं क्र. नियमावली, झा.क्र.नी. और निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्रय किया जाना चाहिए।*

3. सामग्री प्रबंधन के लिए एमआईएस स्थापित किया जाना चाहिए और भंडार का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए।

4. कंपनी का निजी ठेकेदारों या फील्ड अधिकारियों के पास पड़ी अप्रयुक्त सामग्री की जल्द वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

विभाग ने सामग्री प्रबंधन, निविदा प्रक्रिया और अन्य मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों की सराहना की (मई 2022) और कहा कि यह जेबीवीएनएल को निर्धारित मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी लेनदेन बनाए रखने में मदद करेगा। जेबीवीएनएल ने यह भी आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं को पालन करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

5.1 परिचय

निरंतर आर्थिक वृध्दि और समग्र विकास के लिए बिजली की नियमित और निर्बाध उपलब्धता एक महत्वपूर्ण घटक है। विद्युत क्षेत्र में तीन प्रमुख खंड शामिल हैं उत्पादन, संचरण और वितरण। वितरण को सबसे महत्वपूर्ण खंड माना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र की राजस्व स्त्रोत में योगदान देता है और अंतिम उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए सीधे जिम्मेदार होता है। वितरण कंपनियों को अपने उपभोक्ताओं को बिजली की नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाए रखने की आवश्यकता होती है। एक कुशल बिजली वितरण नेटवर्क के रखरखाव में सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण आगत सम्मिलित रहता है और सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण में मितव्ययिता, कुशलता और प्रभावशीलता किसी भी वितरण कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

झारखण्ड में बिजली वितरण नेटवर्क का प्रबंधन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा किया जाता है, जो एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे 23 अक्टूबर 2013 को निगमित किया गया था। कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार (झा.स.) के पास निहित है।

कंपनी के केंद्रीय भंडार में 1 अप्रैल 2017 को शुरुआती भंडार ₹ 1,264.68 करोड़ था। इसने, लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित की गई अवधि के दौरान, यानी 2017-18 से 2020-21 तक, ₹ 2,522.08 करोड़ का भंडार प्राप्त किया और ₹ 3,602.61 करोड़ का भंडार जारी किया। जिसमें 31 मार्च 2021 तक ₹ 184.15 करोड़ का अंतिम भंडार शेष रहा। कंपनी अपने भंडार को दो लेखा शीर्ष में संधारित करती है जैसे पूँजीगत संचालन और रखरखाव (अनु. एवं परि.)। वित्तीय वर्ष 2017-18 से

2020-21 के दौरान, कंपनी ने सामग्री की क्रय के लिए पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 846.55 करोड़ के क्रय आदेश केंद्रीय रूप से निर्गत किये थे, जिनमें से ₹ 654.05 करोड़ ***(परिशिष्ट 5.1)*** प्रमुख सामग्रियों के लिए था, जैसे: (i) ट्रांसफार्मर (ii) केबल और कंडक्टर (iii) बिजली के खंभे और (iv) मीटर। शेष 192.50 करोड़ रुपये का उपयोग अन्य सामग्री, जैसे जीआई तार, स्टे सेट, वितरण बॉक्स, निर्माण सामग्री, डिस्क इंसुलेटर आदि की क्रय के लिए किया गया था।

5.2 संगठनात्मक संरचना

कंपनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल (बीओडी) में निहित होता है, जिसमें चार निदेशक शामिल हैं। कंपनी मुख्यालय, राँची में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंध निदेशक (एमडी) को कार्यकारी निदेशकों (ईडी), महाप्रबंधकों (जीएम), उपमहाप्रबंधकों (डीजीएम) और वरिष्ठ प्रबंधकों (एसएम) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.2*** में दर्शाया गया है। फील्ड स्तर पर सात विद्युत आपूर्ति क्षेत्र (ईएसए) हैं, जिनके प्रमुख महाप्रबंधक हैं; 15 इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्किल (ईएससी) हैं जिनके प्रमुख उपमहाप्रबंधक (डीजीएम) हैं; और 44 विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ईएसडी) हैं जिनके प्रमुख एसएम हैं। प्रत्येक ईएससी में एक केन्द्रीय भंडार और एक ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप (टीआरडब्ल्यू) है। इसके अलावा ईएसडी को उप-प्रमंडल और अनुभागों में विभाजित किया जाता है, जिनके प्रमुख क्रमशः प्रबंधक और कनिष्ठ प्रबंधक होते हैं। प्रबंधकों एवं कनिष्ठ प्रबंधकों को उनके द्वारा दिये गये माँग-पत्र के आधार पर केंद्रीय भंडार से सामग्री जारी की जाती है।

5.3 सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण कार्य

सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण कंपनी के भंडार और क्रय (एसएंडपी) विंग की जिम्मेदारी है, जिसके प्रमुख जीएम (एसएंडपी) हैं। जीएम आपूर्ति और वितरण (एसएंडडी), ईएसए द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न विद्युतीकरण योजनाओं के लिए सामग्री के मूल्यांकन के आधार पर सामग्री बजट तैयार करता है। ईएसए के जीएम सामग्री के उपयोग की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार हैं। कंपनी के स्वयं के कार्यों के मामले में और ईएससी द्वारा प्रतिभूति कार्यों के मामले में, अर्थात अन्य एजेंसियों के लिए निष्पादित कार्यों के मामले में प्रमुख सामग्री मुख्यालय द्वारा केंद्रीय रूप से खरीदी जाती है। क्रय आदेश (पीओ) के बाद, विभिन्न केंद्रीय भंडारों में सामग्री के आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को प्रेषण निर्देश (डीआई) जारी किए जाते हैं। महाप्रबंधक (एसएंडपी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय भंडार वस्तु-सूची का रखरखाव करते हैं। सामग्री प्रबंधन से संबंधित प्रक्रियाओं को दर्शाने वाला एक **चार्ट 5.1** नीचे दिया गया है:

चार्ट: 5.1

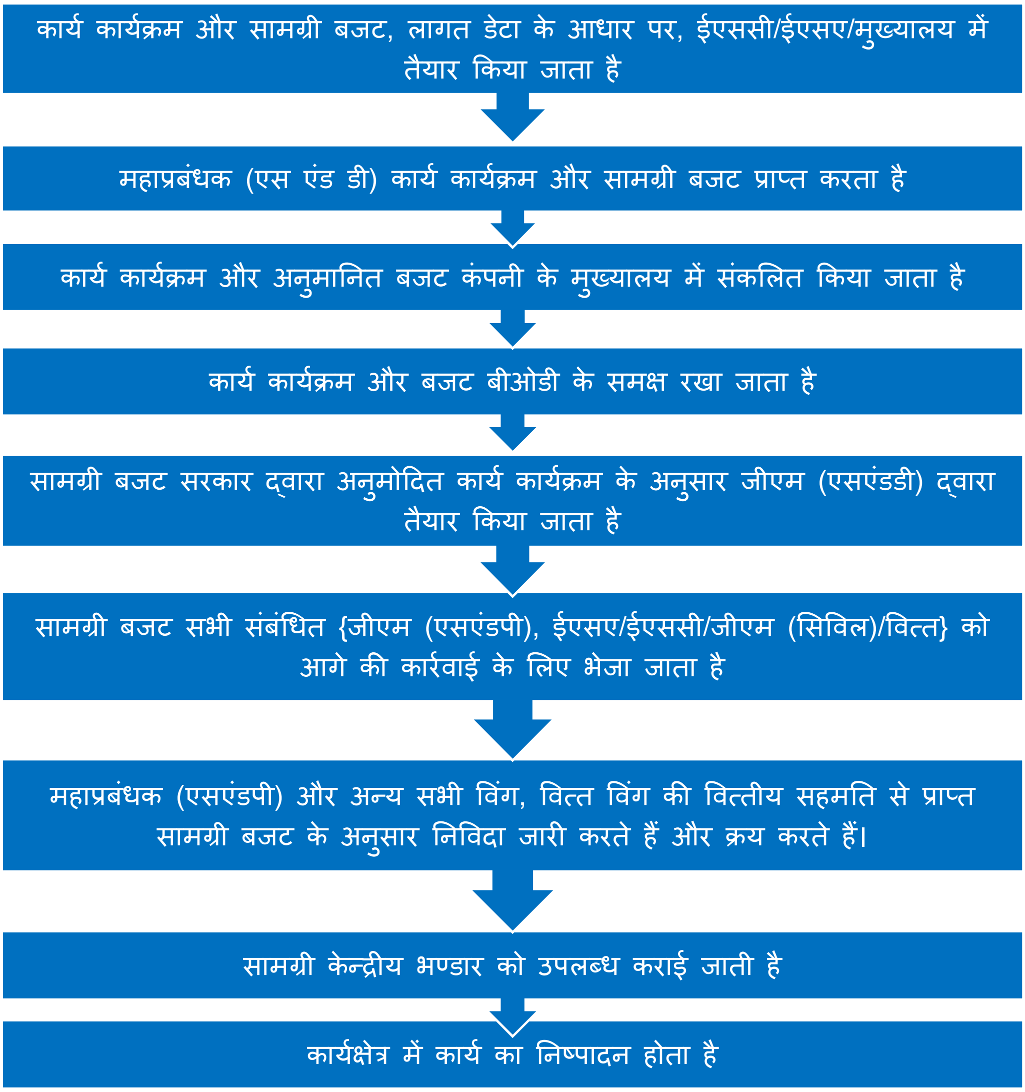

5.4 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की अवधि के लिए जेबीवीएनएल में सामग्री प्रबंधन और वस्तु-सूची नियंत्रण पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा दिसंबर 2020 और अक्टूबर 2021 के बीच किया गया जिसमें सामग्री की क्रय, भंडारण, उपयोग और प्रबंधन पर लागू नियमों और विनियमों के साथ कंपनी के अनुपालन का आकलन किया जा सके। लेखापरीक्षा ने सामग्री की प्रमुख वस्तुओं[1] के क्रय जो कि भंडार मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत था और वस्तु-सूची नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता शामिल थी पर ध्यान केंद्रित किया। लेखापरीक्षा के दौरान, महाप्रबंधक

---

[1] *ट्रांसफार्मर, केबल और कंडक्टर, पोल और मीटर*

(एसएंडपी), महाप्रबंधक (एसएंडडी), महाप्रबंधक (आर-एपीडीआरपी)[2] और 15 में से सात[3] ईएससी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों और सूचनाओं की नमूना-जाँच की गई।

प्रवेश सम्मेलन (09 फरवरी 2021) में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड, दायरे और कार्यप्रणाली को समझाया गया और प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ आयोजित निकास सम्मेलन (02 जून 2022) में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया को उचित रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

5.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि:

- सामग्री के क्रय की योजना बनाने के लिए एक पर्याप्त प्रणाली मौजूद थी और इसका पालन किया जा रहा था;
- नियमों और विनियमों के अनुपालन के साथ क्रय, मितव्ययिता, कुशलता और प्रभावी तरीके से की गई थी;
- क्रय अनुबंधों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के नियमों और शर्तों के पालन की निगरानी पर्याप्त और प्रभावी थी; और
- कंपनी का वस्तु-सूची नियंत्रण तंत्र वैज्ञानिक और प्रभावी था, वस्तु-सूची के भौतिक सत्यापन के लिए सिस्टम पर्याप्त था और अप्रचलित भंडार का समय पर निपटान किया गया था।

5.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- झारखण्ड क्रय नीति, 2014
- मार्च 2017 में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी का कार्य और क्रय (का. एवं क्र.) नियमावली, कंपनी के लेखा और वित्त-संहिता और उसके तहत जारी आदेश/परिपत्र

---

2 *आर-एपीडीआरपी: पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम*

3 *ईएससी के साथ केन्द्रीय भंडार और टीआरडब्ल्यू: चास, चाईबासा, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, राँची और साहिबगंज।*

- बजट, कंपनी की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, एजेंडा और सामग्री की क्रय में शामिल समितियों के कार्यवृत्त
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश
- नि.आ.सू. के नियम और शर्तें, समझौते, और क्रय आदेश, एवम
- प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंपनी के अन्य संबंधित अभिलेख।

लेखापरीक्षा परिणाम

5.7 आवश्यकता के आकलन में अनियमितताएं

5.7.1 कार्य योजना और सामग्री बजट

कार्य और क्रय (का. एवं क्र.) नियमावली, जो अप्रैल 2017 से प्रभावी था, अगले वित्त वर्ष के लिए आवश्यक सामग्री के लिए चालू वित्त वर्ष में क्रय गतिविधियों की शुरुआत की परिकल्पना करता था। पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत खपत और अगले वर्ष के लिए अतिरिक्त अनुमानित जरूरतों के आधार पर अगले वित्त वर्ष के लिए सामग्री की आवश्यकता को अगस्त के महीने में अंतिम रूप दिया जाना था। इसके अलावा, एसएंडपी विंग को क्षेत्र के अधिकारी की मदद से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक सामग्री-वार अंतिम आवश्यकताओं के आकलन को पूरा करना था। अगस्त के अंतिम सप्ताह में, एस एंड पी विंग, वित्त और लेखा (एफ एंड ए) विंग के साथ मिलकर, बजटीय आवंटन को अंतिम रूप देना था, और क्रय प्राधिकरण को बीओडी द्वारा बजट के अनुमोदन के बाद क्रय प्रक्रिया को शुरू कर देना था। क्रय के लिए निविदाएं चरणबद्ध तरीके से जारी की जानी थीं, मदवार प्राथमिकता, आपूर्ति के लिए आवश्यक समय-सीमा और क्षेत्र में उपयोग के लिए सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए किया जाना था।

माँग के अनुसार विद्युत वितरण प्रणाली के उन्नयन और विस्तार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी प्रत्येक वर्ष विभागीय रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए एक वार्षिक विकास कार्यक्रम (एडीपी) तैयार करती है। एडीपी के तहत कार्यों के लिए सामग्री की आवश्यकता क्षेत्र कार्यालयों से प्राप्त सामग्री की आवश्यकता के आधार पर की जाती है और वर्ष के दौरान क्रय के लिए सामग्री बजट में शामिल की जाती है। एडीपी के तहत प्रस्तावित व्यय झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से पूरा किया जाता है। एडीपी के तहत वार्षिक बजट और बीओडी द्वारा उनके अनुमोदन का विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया है:

तालिका 5.1: एडीपी के तहत वार्षिक बजट का विवरण और उनका अनुमोदन

वित्तीय वर्ष	वह माह जब क्षेत्र कार्यालयों से बजट प्रस्ताव मंगाए गए थे	बजट तैयार करने में देरी	बीओडी के समक्ष बजट रखने और बीओडी द्वारा इसकी मंजूरी का महीना	स्वीकृत बजट की राशि (₹ करोड़ में)	प्राप्त धनराशि (₹ करोड़ में)	निधि का उपयोग (₹ करोड़ में)
2017-18	अप्रैल 2017	8 महीने	नवम्बर 2017	431.64	431.64	245.53
2018-19	फ़रवरी 2018	6 महीने	सितम्बर 2018	670.00	91.72	215.81
2019-20	अक्टूबर 2018	2 महीने	प्रस्तुत नहीं किया	0.00	0.00	127.92
2020-21	अप्रैल 2020	8 महीने	नवम्बर 2020	290.00	290.00	71.48
कुल				**1,391.64**	**813.36**	**660.74**

स्रोत: *कंपनी द्वारा दी गई जानकारी*

- **तालिका 5.1** से यह देखा जा सकता है कि कंपनी ने पिछले वर्ष के अगस्त के महीने से दो से आठ महीने के बीच की देरी से बजट तैयार करना शुरू किया, जिसके कारण बीओडी द्वारा बजट के अनुमोदन में देरी हुई। इन विलम्बों के कारण अंततः निधियों को निर्गत करने और उनके उपयोग में कमी आई।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 670 करोड़ के स्वीकृत वार्षिक बजट को पुनर्विनियोजन किया गया जिसमें ₹ 301.65 करोड़ के स्वीकृत कार्यों को हटाकर, इनके स्थान पर उसी राशि के नए कार्यों को सम्मिलित किया गया। पुनर्विनियोजित बजट को तीन बार अगस्त 2019 से अगस्त 2020 के बीच बीओडी के समक्ष रखा गया था, लेकिन बीओडी ने सितंबर 2022 तक बिना कोई कारण बताए अपनी मंजूरी टाल दी थी।

- यह देखा गया कि, यद्यपि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 600 करोड़ का एक अस्थायी बजट तैयार किया था लेकिन उसे अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण बजट में प्रस्तावित कार्यों को शुरू नहीं किया जा सका। वर्ष के दौरान केवल पिछले वर्षों के शेष कार्यों को ही निष्पादित किया गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2022) कि बजट तैयार करने में देरी का मुख्य कारण फील्ड और मुख्यालय स्तर पर मानवबल की कमी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एडीपी बजट जमा नहीं करने के संबंध में यह कहा गया कि इसे इसलिए प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकृत एडीपी बजट ₹ 670 करोड़ के मुकाबले केवल ₹ 91.72 करोड़ जारी किए थे और इस कारण बजट में प्रस्तावित कार्य को नहीं किया जा सका। तथ्य, यही रहा कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, जेबीवीएनएल उन कार्यों को प्रभावी रूप से

कार्यान्वित नहीं कर सका जो राज्य में विद्युत वितरण के लिए सृजित परिसम्पत्तियों का ससमय उन्नयन कर सकते थे।

लेखापरीक्षा अनुशंसा 1: कंपनी को वार्षिक बजट का ससमय निर्माण और अनुमोदन सुनिश्चित करना चाहिए।

5.7.2 वस्तु-सूची की स्थिति

कंपनी के लेखाओं के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान वस्तु-सूची की स्थिति **तालिका 5.2** में वर्णित थी।

तालिका 5.2: 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए कंपनी की वस्तु-सूची की स्थिति।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मद	आरंभिक भंडार	वर्ष के दौरान प्राप्त भंडार	वर्ष के दौरान जारी भंडार	वर्ष के दौरान समायोजित भंडार	भंडार का जमा शेष	वर्ष के लिए औसत भंडार	वर्ष के दौरान औसत वस्तु-सूची (महीनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8={(3+7)/2}	9={(8/5)x12 महीना}
2017-18	पूँजीगत	1,273.66	1,091.19	706.67	-	1,658.19	1,465.93	24.89
	ओएंडएम	(-) 8.98	60.65	23.43	-	28.25	9.64	4.93
2018-19	पूँजीगत	1,658.19	908.12	1,617.21	(-) 695.36	253.74	955.96	7.09
	ओएंडएम	28.25	14.90	34.31	-	8.84	18.54	6.49
2019-20	पूँजीगत	253.74	296.05	307.64	(-) 36.30	205.84	229.79	8.96
	ओएंडएम	8.84	31.06	12.70	-	27.21	18.03	17.04
2020-21	पूँजीगत	205.84	99.37	145.88		159.33	182.59	15.02
	ओएंडएम	27.21	20.74	23.12		24.82	26.02	13.50

स्रोत: *कंपनी द्वारा दी गई जानकारी*

तालिका 5.2 से यह देखा जा सकता है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2020-21 के दौरान पूँजीगत भंडार के लिए और 2019-20 और 2020-21 के दौरान ओ एंड एम भंडार के लिए आवश्यकताओं से 12 महीने से अधिक की वस्तु-सूची बनाए रखी थी, भले ही इसे एडीपी के आधार पर वार्षिक सामग्री क्रय करना था। अतिरिक्त वस्तु-सूची रखने से न केवल धन अवरुद्ध होता है, बल्कि समय बीतने के कारण सामग्री के अप्रचलित होने का जोखिम भी होता है।

विभाग ने बताया (मई 2022) कि वर्ष के दौरान वस्तु-सूची का औसत जैसा कि तालिका में वर्णित है वह संचयी आँकड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि व्यापक रूप से फैले विद्युत नेटवर्क को बनाए रखने और नए क्षेत्रों में विद्युतीकरण को कवर करने के लिए विभिन्न सामग्रियों की न्यूनतम वस्तु-सूची नियमित रूप से आवश्यक है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कंपनी ने चार वर्षों में से तीन में 12 महीने से अधिक की वस्तु-सूची बनाए रखी थी, हालाँकि, का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार सामग्रियों का क्रय क्षेत्र में उपयोग के लिए सामग्री की आवश्यकता के अनुसार मदवार प्राथमिकता और समय अवधि को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से वर्ष में तीन बार (जून, सितंबर और दिसंबर) करनी थी।

5.8 सामग्री के क्रय में अनियमितताएं

5.8.1 निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं

(i) निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना

का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, सामग्री की क्रय के लिए निविदाओं को नि.आ.सू. जारी करने की तिथि से तीन महीने (90 दिन) के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान, कंपनी ने प्रमुख सामग्रियों की क्रय के लिए 59 नि.आ.सू. के विरुद्ध 250 क्रय आदेश (क्र.आ.) निर्गत किए। निविदा फाइलों की जाँच में, निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी, बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए कम बोली अवधि देना, छोटी या आपातकालीन निविदाओं का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन, निविदाओं का अनुचित तकनीकी मूल्यांकन और विभिन्न नि.आ.सू. में गारंटी अवधि उपवाक्य में बदलाव का पता चला, जैसा कि नीचे में चर्चा की गई है:

- 57 नि.आ.सू.[4] में से केवल 10 को निर्धारित 90 दिनों के अन्दर अंतिम रूप दिया गया था। शेष 47 नि.आ.सू. में 10 से 230 दिनों का विलम्ब था जो निर्धारित 90 दिनों से अधिक था। इन 47 नि.आ.सू. में 24 ऐसे नि.आ.सू. शामिल थे जहाँ देरी 100 दिनों से अधिक थी। जिन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जानी थीं, उनकी तकनीकी क्षमताओं के मूल्यांकन में तकनीकी मूल्यांकन समिति (त.मू.स.) ने भी 80 दिन तक का समय लगा दिया। इन विलम्बों के कारण सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब हुआ।

- 57 नि.आ.सू. में से 23 लघु और आपातकालीन निविदाएं[5] थीं। हालाँकि, 23 में से 17 निविदाओं को निर्धारित 90 दिनों के बाद अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें

---

[4] *नि.आ.सू. संख्या 303/पीआर/जेबीवीएनएल/2019-20 और 604/पीआर/जेबीवीएनएल/2015-16 से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।*

[5] *सामग्री की तत्काल क्रय के लिए 'लघु और आपातकालीन निविदाएं' आमंत्रित की जाती हैं, जिसमें 28 दिनों की न्यूनतम निर्धारित बोली अवधि के बजाय क्रमशः सात और 14 दिनों की बोली जमा करने की अनुमति दी जाती है।*

21 से 230 दिनों का विलम्ब था। इस प्रकार, लघु या आपातकालीन निविदाएँ मँगाना न्यायोचित नहीं था।

- खुली निविदाओं के मामले में बोलियां जमा करने के लिए का. एवं क्र. नियमावली 28 दिनों की न्यूनतम बोली अवधि निर्धारित करती है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी 34 खुली निविदाओं में केवल 14 से 26 दिनों की ही बोली अवधि की अनुमति दी गई थी।

- ट्रांसफॉर्मर क्रय हेतु, का. एवं क्र. नियमावली चालू करने की तारीख से 54 महीने या निर्माताओं द्वारा प्रेषण की तारीख से 60 महीने की गारंटी अवधि, जो भी पहले हो, निर्धारित करता है। हालाँकि, ऐसे 22 नि.आ.सू. में से केवल चार में निर्धारित गारंटी अवधि को शामिल किया गया था। जबकि, 9 नि.आ.सू. में आवश्यक गारंटी अवधि निर्माता द्वारा चालू होने की तारीख से 24 महीने और प्रेषण की तारीख से 30 महीने तक सीमित थी। शेष नौ नि.आ.सू. में आवश्यक गारंटी अवधि प्रेषण की तारीख से 36 महीने तक सीमित कर दी गई थी और चालू करने के बाद की गारंटी अवधि को हटा दिया गया था। का. एवं क्र. नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में निर्धारित गारंटी अवधि को कम करना या किसी विशेष गारंटी उपवाक्य में छूट देना, बोली लगाने वालों को अनुचित लाभ देने का संकेत था।

इस प्रकार, कंपनी ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर निविदाएँ तय करने में, छोटी या आपातकालीन निविदाएँ आमंत्रित करने में, पर्याप्त बोली अवधि की अनुमति देने में का. एवं क्र. नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसमें एक समान गारंटी उपवाक्य भी सम्मिलित था।

उत्तर में विभाग ने कहा (मई 2022) कि निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी मानवबल की कमी के कारण हुई थी। आगे यह कहा गया कि आमतौर पर बोलियां जमा करने के लिए 21 दिन दिए जाते हैं, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त है और का. एवं क्र. नियमावली की भावना के अनुरूप है। गारंटी उपवाक्य के संबंध में, महाप्रबंधक (एसएंडपी) द्वारा यह कहा गया (जनवरी 2022) कि हाल के नि.आ.सू. में इस प्रावधान का पालन किया जा रहा है।

मानवबल की कमी के कारण निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी के संबंध में उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि एस एंड पी विंग के पास इसकी स्वीकृत संख्या की तुलना में पर्याप्त मानवबल[6] थी। छोटी और आपातकालीन निविदाओं को अंतिम

---

[6] *मार्च 2019 से मार्च 2021 की अवधि में 09 स्वीकृत मानवबल संख्या की तुलना में 11 मानवबल*

रूप देने में देरी ने आकस्मिक क्रय के उद्देश्य को भी विफल कर दिया और उचित प्रतिस्पर्धा से समझौता किया। इसके अलावा, यह तर्क कि आमतौर पर 21 दिनों की बोली अवधि की अनुमति दी गई थी जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त थी और का. एवं क्र. नियमावली की भावना से मेल खाती थी, नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है, जो खुली निविदाओं में 28 दिनों की न्यूनतम बोली अवधि निर्धारित करती है। इसके अलावा 34 में से 14 खुली निविदाओं में 14 से 20 दिनों के बीच की बोली अवधि की भी अनुमति दी गई थी।

(ii) झारखण्ड क्रय नीति (झा.क्र.नी.), 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई क्रय

झारखण्ड क्रय नीति (झा.क्र.नी.) के कंडिका 8.1 के अनुसार प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पोल और एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड (एसीएसआर) कंडक्टर, केवल झारखण्ड में स्थित[7] सूक्ष्म और लघु उदयमों (एमएसई) से क्रय किए जाने थे। इसके अलावा, झा.क्र.नी. के कंडिका 4 (डी) के अनुसार (जुलाई 2019 में शामिल किया गया), सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर विशेष सूची में उल्लिखित वस्तुओं का क्रय स्थानीय एमएसई आपूर्तिकर्ताओं से करना अनिवार्य था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक ₹ 129.54 करोड़ की लागत से 2,16,883 पीएससी पोल और 14,820.35 किमी एसीएसआर कंडक्टर क्रय किए थे। इनमें से 17,500 पीएससी पोल और 6,107.62 किमी एसीएसआर कंडक्टर, जिसकी कीमत ₹ 30.49 थी करोड़, 17 क्रय आदेशों (क्र.आ.) के माध्यम से बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से क्रय गए थे, जिनके कॉर्पोरेट या प्रधान कार्यालय झारखण्ड में स्थित नहीं थे। इसके अलावा कंपनी ने खुली निविदा से जुलाई 2019 के बाद ₹ 29.29 करोड़ रुपये की लागत से 44,295 पोल और 2,521 किमी कंडक्टर की क्रय की जो विशेष सूची में भी शामिल थी और जीईएम पोर्टल पर भी उपलब्ध थी।

उत्तर में विभाग ने कहा (मई 2022) कि पीएससी पोल के एक विक्रेता (मैसर्स प्रिसिजन प्री-स्ट्रेस यूनिट) को जीओजे द्वारा एमएसई के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसलिए यह झा.क्र.नी. 2014 की परिभाषा के तहत एक राज्य एमएसई था। विभाग ने आगे कहा कि काम के समय पर निष्पादन के व्यापक हित में और झारखण्ड की एमएसई इकाइयों की क्षमता और सहमति को देखते हुए, अन्य

[7] *झा.क्र.नी. के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी पंजीकृत इकाइयों/उद्यम जिनका प्रधान या कॉरपोरेट कार्यालय झारखण्ड के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए।*

बोलीदाताओं पर विचार करना आवश्यक हो गया, भले ही उक्त मदें झा.क्र.नी. की विशेष सूची में शामिल थीं। आगे यह कहा गया कि कंपनी विशिष्ट सूची के तहत केवल राज्य एमएसई से वस्तुओं की किसी भी मात्रा को क्रय करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, जब तक कि निर्धारित समय सीमा के भीतर वस्तुओं की आपूर्ति करने की उनकी क्षमता सुनिश्चित न हो।

एक राज्य एमएसई से पीएससी पोल की क्रय के संबंध में उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि उक्त एमएसई का कॉर्पोरेट कार्यालय जयपुर, राजस्थान में था, जबकि झा.क्र.नी. के अनुसार, वह झारखण्ड के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए था। इसके अलावा कंपनी ने न तो राज्य एमएसई की क्षमता का आकलन किया था, न ही समय के भीतर पीएससी पोल की आपूर्ति के संबंध में उनकी सहमति प्राप्त की थी, क्योंकि सभी निविदाएँ बाहरी बोलीदाताओं के लिए भी खुली थीं और सभी निविदाएँ प्राप्त करने के हकदार थे अगर उनकी बोली सबसे कम रहती। जीईएम पोर्टल के माध्यम से क्रय नहीं किए जाने के संबंध में उत्तर मौन था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा 2: पर्याप्त बोली अवधि की अनुमति देने और समय पर अनुबंध तय करने में का. एवं क्र. नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। झा.क्र.नी. के अनुसार सूचीबद्ध सामग्रियों की क्रय में राज्य एमएसई को वरीयता दी जानी चाहिए। सामग्री उपलब्ध होने पर जीईएम पोर्टल के माध्यम से क्रय की जानी चाहिए।

(iii) नामांकन के आधार पर अनियमित क्रय

कंपनी की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओएफपी) के अनुसार, आपात स्थिति में ईएससी के डीजीएम नामांकन के आधार पर ₹ 50,000 तक की सामग्री की क्रय के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकते थे। आगे, का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देश कंपनी पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होते थे। जुलाई 2007 का सीवीसी आदेश निर्धारित करता है कि किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा अनुबंध प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रिया एक बुनियादी आवश्यकता है, क्योंकि नामांकन के आधार पर अनुबंध प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा जो समानता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। सीवीसी परिपत्र (जुलाई 2018) में दोहराया गया था कि पर्याप्त औचित्य के बिना नामांकन के आधार पर क्रय प्रतिबंधित होगा, जो प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और समानता को भी समाप्त करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जाँचित सात ईएससी में से छ: ने कोटेशन आमंत्रित करके सामग्री क्रय की थी जिसे निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा अंतिम रूप

दिया गया था। यद्यपि, ईएससी जमशेदपुर ने जनवरी 2018 से सितंबर 2020 के बीच 59 क्र.आ. द्वारा ₹ 10.56 करोड़ मूल्य की सामग्री की क्रय वेंडरों से नामांकन के आधार पर की थी। जो कंपनी के वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओएफपी) और सीवीसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन था।

उत्तर में विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि कार्य के हितों की रक्षा के लिए नामांकन के आधार पर अधिप्राप्ति की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसी तरह की क्रय अन्य ईएससी द्वारा कोटेशन या निविदाएं आमंत्रित करने के बाद की गई थी।

5.8.2 ट्रांसफार्मर का क्रय

(i) निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करने वाले वितरण ट्रांसफार्मर की क्रय

ऊर्जा मंत्रालय (ऊ.मं.), भारत सरकार ने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (दिसंबर 2016) द्वारा, तीन सितारा रेटिंग (ऊर्जा दक्षता स्तर-1) के वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) को इस निर्देश के साथ तकनीकी रूप से व्यवहार्य उपकरण सूची से हटा दिया था कि भविष्य में उसका निर्माण, क्रय, भंडारण या उपयोग नहीं किया जाएगा। ऊ.मं. ने निर्दिष्ट मानक को पूरा नहीं करने वाले ट्रांसफॉर्मर को 30 जून 2017 तक समाप्त मानने के निर्देश भी जारी (फरवरी 2017) किए। इसके अलावा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल) ने मानक रेटिंग डीटी की क्रय के लिए एक सलाह जारी की (मार्च 2017) जो आईएस: 1180 (भाग-1, 2014) में निर्दिष्ट चार सितारा (ऊर्जा दक्षता स्तर-2) के हानि के स्तर को पूरा करती थी।

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक जारी किए गए क्र.आ. की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि कंपनी के एसएंडपी विंग ने अगस्त 2017 में ₹ 45.30 करोड़ की लागत से तीन स्टार रेटिंग के 4,755 डीटी का केंद्रीय क्रय किया था। एसएंडपी विंग ने अगस्त 2017 के बाद निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करने वाले डीटी का क्रय बंद कर दिया था। हालाँकि, नमूना-जाँचित सात ईएससी ने जुलाई 2017 से मार्च 2021 के दौरान निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करने वाले 241[8] डीटी (₹ 2.76 करोड़ मूल्य) की क्रय किया था।

इस प्रकार कंपनी ने भारत सरकार और पीएफसीएल के निर्देशों और सलाह के बावजूद अपने वितरण नेटवर्क में ₹ 48.06 करोड़ की लागत के 4,996 डीटी की क्रय

---

[8] *चाईबासा: 17, चास: 30, हजारीबाग: 49, जमशेदपुर: 4, कोडरमा: 18, राँची: 106 और साहिबगंज: 17*

की और 4,739 तीन स्टार रेटिंग डीटी स्थापित किए जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी और जो ऊर्जा अक्षम थे।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि चार ईएससी (चास, कोडरमा, चाईबासा और राँची) ने एस एंड पी विंग द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार डीटी की क्रय किया था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि एस एंड पी विंग ने अगस्त 2017 के बाद निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करने वाले डीटी की क्रय नहीं किया था। इसके अलावा शेष तीन ईएससी द्वारा ऊर्जा अक्षम डीटी की क्रय पर उत्तर मौन था।

(ii) उच्च ऊर्जा हानि वाले डीटी के क्रय के कारण ऊर्जा की हानि

ऊ.मं., भारत सरकार ने विभिन्न क्षमताओं के डीटी की ऊर्जा हानि के लिए 50 और 100 प्रतिशत भार पर चार सितारा रेटिंग पर मानक अधिसूचित (दिसंबर 2016) जारी किए। निर्धारित मानदंड जनवरी 2017 से लागू किए गए थे और उन्हें का. एवं क्र. नियमावली में भी शामिल किया गया था।

एस एंड पी विंग और चार[9] ईएससी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक जारी किए गए क्र.आ. की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि कंपनी ने 50 प्रतिशत भार पर ऊर्जा हानि के साथ 2,849 चार-सितारा रेटिंग डीटी क्रय थे, जो कि निर्धारित मानदंडों की तुलना में अधिक थे। उच्च ऊर्जा नुकसान से ₹ 37.60 करोड़[10] रुपये की लागत से क्रय किये गए 8.60 करोड़ यूनिट ऊर्जा[11] की हानि होगी।

उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2022) कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई हानि उन नि.आ.सू. से संबंधित है जो का. एवं क्र. नियमावली के प्रचलन से पहले प्रकाशित गई थी और लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित हानि और औसत जीवन प्रत्याशा की गणना एकपक्षीय है। उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि का. एवं क्र. नियमावली को अपनाने के बाद नि.आ.सू. को अंतिम रूप दिया गया था, इसके बावजूद ऊर्जा अक्षम डीटी की क्रय की गई थी। इसके अलावा नुकसान की गणना 25 साल की औसत जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने अपने मूल्यह्रास अनुसूची में माना है।

---

[9] *चास, कोडरमा, चाईबासा और राँची में ईएससी।*

[10] *वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 4.37/केडब्लूएच की दर से बिजली क्रय की औसत दर की गणना।*

[11] *सीईआरसी के मानदंडों के अनुसार, दो डीटी के 25 साल के अपेक्षित जीवन को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत भार पर चलते हैं।*

5.8.3 मीटरों की खरीद

(i) मीटरों की खरीद पर अत्यधिक व्यय

का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, सीवीसी के दिशा-निर्देश कंपनी पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे। सीवीसी दिशा-निर्देश[12] निर्धारित करते हैं कि पूर्व-योग्यता मानदंड के रूप में 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के पिछले 3 वर्षों के दौरान, बोली लगाने वाले का न्यूनतम वार्षिक औसत कारोबार (एमएएटी) निविदा लागत का कम से कम 30 प्रतिशत होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो लाख सहायक उपकरण के साथ सिंगल फेज ऊर्जा मीटरों की खरीद के लिए ₹ 50.26 करोड़ की अनुमानित लागत पर निविदा लागत के 30 प्रतिशत के पूर्व-अर्हता वाले एमएएटी मानदंड के साथ एक नि.आ.सू. (अप्रैल 2016) जारी की गई थी। तत्पश्चात् ₹ 732 प्रति मीटर तथा सहायक उपकरण हेतु ₹ 1,367 प्रति मीटर की दर से मीटरों की आपूर्ति के लिए ₹ 41.95 करोड़ का क्रय आदेश जारी किए गए (सितम्बर 2016)।

आगे की जाँच से पता चला कि कंपनी ने झारखण्ड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना (जेएसबीएवाई) के तहत समान मीटरों की खरीद के लिए, सहायक उपकरण के बिना, ₹ 104.95 करोड़ की अनुमानित निविदा लागत के साथ एक नि.आ.सू. जारी (अगस्त 2017) की थी। हालाँकि, गुणवत्ता युक्त उत्पादों की आपूर्ति हेतु स्थापित, प्रतिष्ठित और वित्तीय रूप से मजबूत फर्मों की भागीदारी तक सीमित करते हुए पूर्व-योग्यता एमएएटी मानदंड ₹ 400 करोड़ (निविदा लागत का 381 प्रतिशत) तय किया गया। पाँच बोलीदाताओं[13] ने बोली में भाग लिया और अंततः बातचीत द्वारा ₹ 905 प्रति मीटर की न्यूनतम दर को स्वीकार किया गया (मई 2018)। शेष चार बोलीदाताओं ने भी (अप्रैल और मई 2018) बातचीत द्वारा तय दर पर मीटर की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि एक फर्म, जिसने पिछली बोली में ₹ 732 प्रत्येक की दर से मीटर की आपूर्ति की थी, ने अधिक एमएएटी मानदंड का मुद्दा उठाया गया किंतु कंपनी ने एमएएटी मानदंड को संशोधित नहीं किया और बातचीत द्वारा तय दर पर सभी पाँच फर्मों को 9,28,071 मीटर की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश (मई 2018 और मार्च 2019) जारी कर दिया|

---

[12] *परिपत्र दिनांक 17.12.2002 द्वारा जारी किया गया।*

[13] *(1) मैसर्स एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (2) मेसर्स जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (3) मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (4) मेसर्स लैंडिस+गीयर लिमिटेड, कोलकाता और (5)) मैसर्स सिक्योर मीटर लिमिटेड।*

जेबीवीएनएल की वित्तीय वर्ष 2017-18 की दरों की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार अप्रैल 2016 के नि.आ.सू. में तय की गई ₹ 732 प्रति मीटर की दर और एकल-फेज मीटर की दर में 1.77 प्रतिशत का वृद्धि कारक को ध्यान में रखते हुए एकल-फेज मीटर की दर ₹ 745 प्रति मीटर परिकलित की गई। अत्यधिक एमएएटी मानदंड के साथ नि.आ.सू. जारी करने के बाद भी कंपनी ने नवंबर 2017 में ₹ 732 प्रति मीटर की दर से सहायक उपकरण के साथ 82,836 मीटर क्रय थे। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो दर्शाता हो कि अप्रैल 2016 नि.आ.सू. दर पर क्रय गए मीटर खराब पाए गए थे। इस प्रकार, कंपनी ने उच्च दर पर 9,28,071 मीटरों की खरीद पर ₹ 14.85 करोड़[14] का अधिक व्यय किया।

उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2022) कि ₹ 400 करोड़ के एमएएटी को विशेष क्रय समिति द्वारा केवल प्रतिष्ठित निर्माताओं से मीटर खरीदने के लिए अनुमोदित किया गया था, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसने आगे कहा कि ₹ 905 प्रत्येक मीटर के मूल्य में अतिरिक्त मुफ्त वस्तुएं (मीटर बॉक्स, मुफ्त मीटर, एमआरआई सॉफ्टवेयर) की लागत भी शामिल है, जबकि ₹ 732 प्रति मीटर लागत में केवल मीटर का मूल्य था और इसलिए दोनों की तुलना करना उचित नहीं।

उच्च एमएएटी के संबंध में उत्तर युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अप्रैल 2016 के नि.आ.सू. के माध्यम से कम दर पर क्रय गए मीटरों के संबंध में कोई शिकायत नहीं थी, जो कम एमएएटी मानदंड के साथ क्रय किये गए थे। कंपनी ने, उच्च एमएएटी के साथ नई निविदाओं के बिना अप्रैल 2016 के नि.आ.सू. के मीटर की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं से, नवंबर 2017 में (अगस्त 2017 में उच्च एमएएटी के साथ नि.आ.सू. फ्लोटिंग के बाद) ₹ 732 प्रत्येक की दर से 82,836 मीटर का पुनः क्रय आदेश के माध्यम से क्रय किया था। इसके अलावा, अतिरिक्त मुफ्त वस्तुओं की लागत, जैसा कि विभाग द्वारा कहा गया था, एल1 बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर औचित्य के अनुसार, लगभग ₹ 43 प्रति मीटर था। यदि इस पर भी विचार किया जाए तो भी कंपनी ने ₹ 10.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया था।

(ii) उपभोक्ता मीटर की सहायक उपकरण के क्रय में अनियमितताएं

जेएसबीएवाई के लिए, मुख्यालय से मीटर क्रय किए गए थे, जबकि सहायक उपकरण जैसे सर्विस पाइप, पीवीसी इंसुलेटेड एल्युमीनियम कंडक्टर, सर्विस केबल, मीटर बोर्ड, एमसीबी, सपोर्ट वायर, पियर्सिंग कनेक्टर आदि ईएससी द्वारा क्रय गए थे।

---

[14] *₹ 905 - ₹ 745 = ₹ 160 x 9,28,071 = ₹ 14,84,91,360.*

लेखापरीक्षा ने सात नमूना-जाँचित ईएससी में सहायक उपकरण की क्रय में अनियमितताएँ देखीं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- कंपनी ने सभी ईएससी (फरवरी 2018) को जेएसबीएवाई के अंतर्गत ₹ 2,250 प्रति मीटर की अधिकतम लागत पर सहायक उपकरण खरीदने और मीटर स्थापित करने का निर्देश दिया था। यह पाया गया कि सभी सात नमूना-जाँचित ईएससी ने सहायक उपकरण की आपूर्ति और मीटर की स्थापना के लिए नामांकन के आधार पर कार्य आदेश जारी किए गए, जिसमें ₹ 50.52 करोड़ की राशि के सहायक उपकरण की लागत सम्मिलित थी।

- कार्यादेशों के अनुसार सहायक उपकरण के लिए भुगतान, वास्तविक खपत पर आधारित संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ईएसडी) द्वारा सत्यापित खपत प्रतिवेदन के आधार पर किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि सात नमूना-जाँचित ईएससी में से तीन[15] ने ईएसडी से खपत का प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना, कार्य आदेशों के आधार पर ₹ 14.28 करोड़ का भुगतान किया (अक्टूबर 2019 और मार्च 2021 के बीच) था। इस प्रकार, अधिक भुगतान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग (जुलाई 2022) नामांकन के आधार पर क्रय के संबंध में चुप था जबकि उपभोग प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना भुगतान किए जाने के संबंध में यह कहा गया कि इनमें से दो ईएससी (जमशेदपुर के अलावा) ने संबंधित जेईई, एईई और ईईई द्वारा बिल सत्यापन के बाद सहायक उपकरण के लिए भुगतान किया था। उत्तर विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि भुगतान केवल स्थापित मीटरों की संख्या के सत्यापन के बाद किया गया था न कि विभिन्न वस्तुओं जैसे मीटर बोर्ड, कनेक्शन तार, कनेक्शन पाइप, एमसीबी आदि की खपत के आधार पर।

(iii) सिस्टम मीटर और संबंधित उपकरणों का क्रय

कंपनी ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के 56 टेक-ऑफ बिंदुओं से 600 मेगावाट बिजली प्राप्त करने के लिए फीडरों में स्थापना के लिए ₹ 10.69 करोड़ की लागत से 112 सिस्टम मीटर[16] और संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति के लिए काम दिया (अगस्त 2017)| कार्यादेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार, लागत का 70 प्रतिशत का

---

[15] *ईएससी कोडरमा, हज़ारीबाग एवं जमशेदपुर.*

[16] *मीटरिंग यूनिट के साथ, मीटरिंग पैनल के साथ डेटा कनेक्टर यूनिट (DCU) और मॉडेम आदि पाँच साल के रखरखाव के साथ।*

भुगतान, सामग्री के साथ, मीटर की भंडार प्राप्ति पर और शेष 30 प्रतिशत का भुगतान सभी मीटरों के चालू होने के बाद किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने कार्य आदेश जारी करने से पहले साइट का उचित सर्वेक्षण नहीं किया था और ₹ 2.93 करोड़ मूल्य के मीटर और सामग्री डीवीसी के सब-स्टेशनों में जगह की कमी के कारण स्थापित नहीं की जा सकी थी। ये मीटर और सामग्री फरवरी 2018 में आपूर्ति के बाद से (मई 2021 तक) भंडार में पड़े हुए थे और इन्हें जिस उद्देश्य के लिए खरीदा गया था वह विफल हो गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर नहीं दिया। हालाँकि, कंपनी के महाप्रबंधक (वाणिज्यिक और राजस्व) ने जगह की कमी को मीटर न लगाने का कारण माना और बताया (जून 2022) कि सभी मीटर अन्य जगहों पर स्थापित (जून 2021) कर दिए गए थे। तथापि तथ्य यही रहा कि कंपनी (जुलाई 2022) डीवीसी के टेक-ऑफ बिंदुओं पर अपने स्वयं के मीटर आज तक स्थापित नहीं कर सकी जिसके लिए वे क्रय गए थे।

(iv) डीटी मीटर की खरीद और स्थापना

डीटी मीटरों एवं सहायक सामग्रियों की आपूर्ति साथ ही पाँच वर्षों के वार्षिक रखरखाव हेतु दो एजेंसियों को लेटर ऑफ अवार्ड (जुलाई 2017 और फरवरी 2018) जारी किया गया। इन मीटरों की स्थापना का उद्देश्य मॉडेम के माध्यम से दूरस्थ रूप से ऊर्जा रीडिंग प्राप्त करने, ऊर्जा लेखांकन एवं उच्च भार और उच्च ऊर्जा हानि वाले डीटी की पहचान के लिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि क्रय गए 18,979 डीटी मीटरों में से 11,485 सात नमूना-जाँचित ईएससी में स्थापित किए गए थे। हालाँकि सभी स्थापित मीटरों में से ऊर्जा आँकड़ा प्राप्त नहीं किया जा रहा था। नमूना-जाँचित किए गए सात ईएससी में यह देखा गया कि दिसंबर 2019 से मार्च 2021 की अवधि के लिए, 11,485 डीटी मीटर में से ₹ 4.69 करोड़ की लागत से स्थापित औसतन 3,543 डीटी मीटर (31 प्रतिशत) से ऊर्जा डेटा प्राप्त नहीं किया जा सका। यह मुख्य रूप से मीटर गायब होना, मीटर जलने, मीटर बायपास, संबंध-विच्छेद किए गए डीटी, मीटरों में खराबी आदि के कारण था। इस प्रकार, डीटी मीटरों की खरीद का उद्देश्य, अर्थात, ऊर्जा लेखांकन, उच्च ऊर्जा हानि वाले डीटी और अतिभारित डीटी की पहचान, पूरा नहीं हो सका।

उत्तर में विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि ईएससी चाईबासा ने संबंधित एजेंसी को गैर-संचारी मीटरों को ठीक करने के लिए कहा गया था, लेकिन अन्य छः नमूना-जाँचित ईएससी में की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, पर विभाग चुप था।

5.8.4 क्रय पर परिहार्य व्यय

भारत सरकार ने ईएससी, हजारीबाग के चतरा जिले में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य करने के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को अगस्त 2014 में नामांकित किया था। चूँकि, डीवीसी ने मानवबल की कमी और बिजली उत्पादन और बिजली संयंत्रों के निर्माण के अपने मुख्य कार्य में व्यस्त होने के कारण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की, जिसके फलस्वरूप कंपनी ने विभागीय रूप से काम लिया और विद्युतीकरण के लिए अगस्त 2017 में चतरा जिले के 549 गांवों का एक डीपीआर तैयार किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा शुरू में डीपीआर (अगस्त 2017) में ₹ 32.87 करोड़ के लिए किया अनुमोदित गया था, लेकिन बाद में इसे, कार्यक्षेत्र में बार-बार संशोधन के फलस्वरूप अपेक्षित सामग्री की मात्रा में भिन्नता के कारण संशोधित करते हुए ₹ 75.62 करोड़ (फरवरी 2018), ₹ 132.73 करोड़ (अक्टूबर 2018) और ₹ 93.46 करोड़[17] (अगस्त 2020) किया गया था, जैसा कि **तालिका 5.3** में दिखाया गया है।

तालिका 5.3: प्रमुख सामग्रियों की आवश्यकता में वृद्धि का विवरण

क्र.स.	सामग्री का नाम	आकलित मात्रा			
		अगस्त 2017	फरवरी 2018	अक्टुबर 2018	अगस्त 2020
1	पीएससी पोल 200 किग्रा (संख्या)	10,208	36,190	61,000	69,526
2	एसीएसआर रैबिट कंडक्टर (किमी में)	915	1,727	2,800	2,497
3	एलटी एबी केबल 3 सी X 50 वर्ग मिमी (किमी में)	455	605	1,700	1,480
4	एलटी एबी केबल 1सी X 16 वर्ग मिमी (किमी में)	0	0	300	251

पहली डीपीआर तैयार करने से पहले कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र बढ़ गया और संशोधित डीपीआर तैयार करने के लिए भी सभी क्षेत्रों/टोलों/पंचायत भवनों/स्कूलों आदि को सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि समय-समय पर संशोधित आवश्यकता के अनुसार सामग्री को टुकड़ों में क्रय किया गया। समय बीतने के साथ सामग्री की लागत में वृद्धि हुई और कंपनी ने सामग्री की क्रय पर ₹ 2.02 करोड़ का परिहार्य व्यय किया, जैसा कि **तालिका 5.4** में वर्णित है।

---

[17] *549 गाँवों से 539 गाँवों तक विद्युतीकरण के लिए चिन्हित गाँवों की संख्या में कमी के कारण डीपीआर की लागत कम हो गई।*

तालिका 5.4: अधिक व्यय का विवरण

क्र. सं.	सामग्री का नाम	क्रय विवरणी				उच्च दरों पर क्रय की गई मात्रा	दरों में अंतर (₹ में)	अतिरिक्त व्यय (₹ लाख में)
		फरवरी 2018 में आवश्यकताएँ	जिस दर पर क्रय किया गया (₹ में)	अक्टूबर 2018 में आवश्य कताएँ	जिस दर पर क्रय किया गया (₹ में)			
1	पीएससी पोल 200 किग्रा (संख्या)	36,190	2,427.84	61,000	2,516.94	24,810	89.10	22.10
2	एसीएसआर रैबिट कंडक्टर (किमी में)	1,727	34,529.04	2,800	40,426.8	1,217	5,897.76	71.78
3	एलटी एबी केबल 3 सी X 50 वर्ग मिमी (किमी में)	605	1,41,214	1,700	1,49,860	1,192	8,646.00	103.06
4	एलटी एबी केबल 1सी X 16 वर्ग मिमी (किमी में)	0	28,366	300	29,974	300	1,608.00	4.82
कुल								201.76

स्रोत: *डेटा कंपनी के रिकॉर्ड से संकलित*

इस प्रकार अपूर्ण सर्वेक्षणों के आधार पर सामग्री की टुकड़ों में क्रय के कारण कंपनी को ₹ 2.02 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

उत्तर में विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि प्रारम्भ में डी.पी.आर. प्राक्कलन के आधार पर तैयार किया गया था और बाद में नये क्षेत्रों/टोलों की पहचान एवं समावेशन, ग्रामों की भौगोलिक स्थिति एवं मार्ग अधिकार के कारण डी.पी.आर. को बदला गया। उत्तर ने पुष्टि की कि डीपीआर तैयार करने से पहले कोई उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था और इसलिए कार्य के दायरे को बार-बार संशोधित करना पड़ा, जिसके कारण अंततः परिहार्य व्यय हुआ।

5.8.5 सामग्री का परीक्षण

एसीएसआर कंडक्टरों की खरीद में परीक्षण और निरीक्षण

डब्लू एंड पी नियमावली के अनुसार, एसीएसआर कंडक्टर[18] और केबल के क्रय के मामले में, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यर्पण बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से एक परीक्षण प्रतिवेदन, निविदा के बोली के साथ बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिसके विफल होने पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाना है। इसके अलावा, निर्माता के परिसर में पूर्व-प्रेषण निरीक्षण के दौरान लंबाई, वजन, शक्ति, लचीलापन, तनाव आदि सुनिश्चित करने के लिए एसीएसआर कंडक्टरों के लिए 13 परीक्षण और केबलों के लिए सात परीक्षण किए

---

[18] *एसीएसआर: प्रबलित एल्यूमिनियम कंडक्टर*

जाने की आवश्यकता होती थी। प्रेषण-पूर्व निरीक्षण के दौरान परीक्षण किया जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त निर्माता को कच्चे माल और अन्य वस्तुओं के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन योजना (क्यूएपी) अपनाने की आवश्यकता थी, जो इसके स्रोत और परीक्षण प्रतिवेदन को दिखाती हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी के एस एंड पी विंग द्वारा केंद्रीकृत क्रय में का. एवं क्र. नियमावली के मानदंडों का पालन किया गया था जबकि, नमूना-जाँचित ईएससी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक 2,196 किलोमीटर एसीएसआर कंडक्टर, 36.50 किमी केबल और 2,639 पोल की क्रय में गुणवत्ता आश्वासन के मानदंडों का पालन नहीं किया था, जिनका मूल्य ₹ 15.02 करोड़ था। नमूना-जाँच किए गए ईएससी ने प्रस्ताव या आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ताओं से एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की परीक्षण-प्रतिवेदन भी नहीं मांगी थी। उन्होंने मुख्य रूप से दृश्य परीक्षा के आधार पर सामग्री की स्वीकृति के साथ तदर्थ तरीके से प्रेषण-पूर्व निरीक्षण किया था। उन्होंने सामग्री की लंबाई, वजन, शक्ति, लचीलापन आदि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परीक्षण भी नहीं किया और न ही उन्होंने प्रेषण-पूर्व निरीक्षणों में अपनी स्वीकृति देने से पहले क्यूएपी को अपनाना सुनिश्चित किया।

इस प्रकार स्थानीय रूप से क्रय गए एसीएसआर कंडक्टर, केबल और पोल की गुणवत्ता उनकी स्थापना से पहले सुनिश्चित नहीं की गई थी, जो संभावित रूप से वितरण नेटवर्क के कम जीवन काल, उच्च टीएंडडी नुकसान और बार-बार समग्रियों के टूटने के अलावा दुर्घटनाओं के जोखिम में वृध्दि कर सकते हैं।

ईएससी, राँची के मामले में विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया (जुलाई 2022) कि भविष्य की क्रय के लिए परीक्षण और निरीक्षण संबंधी सिफारिशों का पालन किया जाएगा। दो अन्य ईएससी (चाईबासा और कोडरमा) के मामले में यह बताया गया कि पिछले क्रय आदेशों में दिए गए मानदंडों का पालन करते हुए सामग्री की क्रय की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि दोनों ईएससी ने कंडक्टरों की खरीद के लिए मानदंडों का पालन नहीं किया था।

5.8.6 आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान

परिनिर्धारित नुकसान की कम कटौती

का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार सभी अनुबंधों में ठेकेदारों द्वारा काम में देरी हेतु अनुबंध के मूल्य के आधा प्रतिशत प्रति पखवाड़े पर, जो अनुबंध मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत रहेगा, परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) से संबधित उपवाक्य प्रदान करना

आवश्यक था। एक सहमति से तय वितरण अनुसूची के अंतर्गत आपूर्ति के मामले में, एलडी की गणना आपूर्ति के अनिष्पादित हिस्से पर की जानी थी।

संचिकाओं की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि मुख्यालय से जारी तीन क्र.आ.[19] में निर्धारित 10 प्रतिशत के स्थान पर अधिकतम पाँच प्रतिशत एलडी का प्रावधान था। इन तीनों क्र.आ. में आपूर्ति में 20 सप्ताह से अधिक की देरी हुई थी और पाँच प्रतिशत एलडी की ही कटौती हुई था। इसके परिणामस्वरूप संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से एलडी की ₹ 36.68 लाख[20] की कम कटौती हुई।

उत्तर में विभाग ने कहा (मई 2022) कि एसएंडपी, नि.आ.सू. में निर्धारित खंड के अनुसार सभी क्र.आ. में एलडी की कटौती कर रहा है, क्योंकि का. एवं क्र. नियमावली एसएंडपी द्वारा देर से प्राप्त किया गया था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि उक्त नि.आ.सू. को बीओडी द्वारा का. एवं क्र. नियमावली के अनुमोदन (मार्च 2017) के बाद (मई और अगस्त 2017) में जारी किया गया था।

5.9 वस्तु-सूची नियंत्रण में कमियाँ

5.9.1 सामग्री प्रबंधन के लिए प्रबंधन सचना प्रणाली

सामग्री प्रबंधन (एमएम) के लिए एक एमआईएस का मुख्य उद्देश्य भंडार की आवश्यकताओं, क्रय, उपलब्धता और उपयोग के बीच ताल-मेल सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों में निगरानी, योजना, डेटा का डिजिटलीकरण और वस्तु-सूची की वास्तविक समय की स्थिति सुनिश्चित करना भी है।

कंपनी के पूँजीगत व्यय के लिए एक एमआईएस जैसे की सरल समीक्षा विकसित करने हेतु मैसर्स साइबर स्विफ्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 59.40 लाख का कार्य आदेश जारी (मई 2017) किया गया था, जिसमें एक एमएम मॉड्यूल के विकास के लिए ₹ 18 लाख की राशि भी शामिल थी। एजेंसी को एक वेब और मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर, क्लाउड पर SAAS (सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर) प्रदान करने, अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और मास्टर डेटा बनाने हेतु, अनुकूलित और कार्यान्वित करना था। इस प्रकार बनाया गया, मास्टर

---

[19] *क्र.आ. संख्या 169 दिनांक 28.03.2018, क्र.आ. संख्या 22 दिनांक 25.05.2018 और क्र.आ. संख्या 19 दिनांक 25.05.2018।*

[20] *क्र.आ. नंबर 169 दिनांक 28.03.2018: ₹ 8.86 लाख; क्र.आ. नंबर 22 दिनांक 22.05.2018: ₹ 24.57 लाख; और क्र.आ. नंबर 19 दिनांक 25.05.2018: ₹ 3.25 लाख*

डेटा, को एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ़्टवेयर में एकीकृत किया जाना था, जो किसी अन्य एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन में था। शुरुआती अनुबंध की अवधि 24 महीने यानी मई 2019 तक थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एजेंसी ने एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया और मई 2019 तक कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप (टीआरडब्लू), केंद्रीय भंडार और परियोजनाओं में प्रासंगिक डेटा दर्ज किया। इसके अलावा, एमडी जेबीवीएनएल ने दिसंबर 2019 तक अनुबंध अवधि के विस्तार को मंजूरी दे दी क्योंकि बनाए गए मास्टर डेटा को वैकल्पिक ईआरपी के साथ एकीकृत नहीं किया जा सका और ईआरपी अभी तक चालू नहीं हो सका था। इसके बाद, महाप्रबंधक (आईटी) ने नवंबर 2019 में परियोजना को बंद करने की मंजूरी दे दी क्योंकि ईआरपी एमएम मॉड्यूल के दिसंबर 2019 तक लाइव होने की उम्मीद थी। एजेंसी ने ₹ 41.05 लाख की राशि का भुगतान होने के बाद नवंबर 2019 में अपनी सेवाओं को वापस ले लिया। चूंकि, अनुबंध एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर के लिए था इसलिए सामग्री प्रबंधन के लिए एमआईएस फिर से गैर-कार्यात्मक हो गया, क्योंकि एजेंसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड कंपनी को नहीं सौंपा गया था। इसके अलावा, वैकल्पिक ईआरपी प्रणाली जुलाई 2022 तक लागू नहीं की गई थी और इसलिए परियोजना के तहत बनाए गए मास्टर डेटा को भी उपयोग में नहीं लाया जा सका। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एसएंडपी विंग क्रय के समय केंद्रीय भंडार से टेलीफोन पर एकत्र की गई जानकारी के आधार पर भंडार की स्थिति को संकलित कर रहा था और बार-बार अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा को क्रयादेश वार आपूर्ति विवरण प्रदान नहीं किया गया।

इस प्रकार, कंपनी सामग्री प्रबंधन के लिए एक एमआईएस विकसित करने हेतु ₹ 41.05 लाख का व्यय करने के बाद भी वास्तविक समय सामग्री प्रबंधन सुनिश्चित करने में विफल रही।

उत्तर में विभाग ने कहा (मई 2022) कि कंपनी द्वारा ईआरपी लागू किया जाएगा, जिसके बाद वास्तविक समय पर एमआईएस उपलब्ध होगा।

हालाँकि, तथ्य यह है कि ईआरपी जुलाई 2022 तक लागू नहीं किया जा सका था और कंपनी दिसंबर 2019 से सरल समीक्षा के तहत बनाए गए डेटा बेस का उपयोग करने में विफल रही थी।

5.9.2 भंडार में मानवबल की स्थिति

भंडार के प्रभावी प्रबंधन और बेहतर आंतरिक नियंत्रण की सुविधा बनाने के लिए मानवबल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, प्रत्येक केन्द्रीय

भंडार के लिए एक भंडार अधीक्षक होगा, जिसकी सहायता के लिए एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ भंडारपाल होगा।

विभिन्न ईएससी के अंतर्गत (मार्च 2021 तक) 15 कार्यशील केन्द्रीय भंडार थे। किंतु इन 15 केन्द्रीय भंडारों में केवल एक सहायक भंडार नियंत्रक, 13 वरिष्ठ भंडारपाल तथा चार सहायक भंडारपाल थे। नमूना जाँच में, जाँच किये गए सात केन्द्रीय भंडारों में केवल दो में वरिष्ठ प्रबंधकों की पदस्थापना की गयी थी तथा शेष केन्द्रीय भंडारों का नेतृत्व अतिरिक्त प्रभार के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कंपनी ने एक नया संगठनात्मक ढांचा (अगस्त 2018) अपनाया था। किंतु केन्द्रीय भंडारों में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों की स्वीकृत संख्या परिभाषित नहीं की गई थी। यद्यपि कंपनी ने नए संगठनात्मक ढांचे के तहत सृजित पदों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था (नवंबर 2020) किंतु प्रतिवेदन प्रतीक्षित (अक्टूबर 2021 तक) था।

इस प्रकार, कम्पनी ने भंडारों के लिए पर्याप्त मानवबल सुनिश्चित नहीं किया, जो भंडारों के उचित लेखाओं को संधारित नहीं होने के मुख्य कारणों में से एक था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2022) कि नए संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप देने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

5.9.3 भंडार/टीआरडब्लू का भौतिक सत्यापन

कार्य और क्रय (का. एवं क्र.) मैनुअल वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च तक) माल और सामग्री के भौतिक सत्यापन को प्रावधानित करता है और विसंगतियां यदि कोई हो तो भंडार रजिस्टर में दर्ज किया जाना है, ताकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके|

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- नमूना जाँच में जाँच किए गए सभी सात ईएससी में, वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान केवल एक बार (वित्तीय वर्ष 2018-19) केंद्रीय भंडार और टीआरडब्ल्यू का भौतिक सत्यापन किया गया था।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के तहत खरीदी गई ₹ 97.72 लाख की लागत वाली सामग्री जैसे जीआई तार, एबी स्विच, ट्राई-वेक्टर मीटर आदि को ईएससी, चास में भौतिक सत्यापन के दौरान सम्मिलित नहीं किया गया था, क्यूंकि वे केंद्रीय भंडार के भंडार खाता में शामिल नहीं किए गए थे।

- स्क्रैप की वस्तुओं को केन्द्रीय भंडारों के भंडार बहीखातों में शामिल किया गया था लेकिन नमूना-जाँचित सात ईएससी में से किसी में भी भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया था।

विभाग ने (जुलाई 2022) दो ईएससी (राँची और कोडरमा) के संबंध में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि, लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में, स्क्रैप का भौतिक सत्यापन किया जा रहा था, और भविष्य में समय पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। हालाँकि, शेष पाँच ईएससी के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

5.9.4 वस्तु-सूची का लेखांकन

(i) भंडारण प्रभारों का गैर-पूँजीकरण

लेखा और वित्तीय संहिता के अनुसार, भंडार से जुड़े सभी आकस्मिक व्यय जैसे भंडार-कीपिंग व्यय, किराया, कुलियों को भंडार करने के लिए मजदूरी, सामग्री और भंडार गोदामों आदि को संभालने के लिए कार्य प्रभारित व्यय, वास्तविक प्रासंगिक व्यय या कार्यों के लिए जारी किए गए भंडार के मूल्य पर प्रतिशत शुल्क के रूप डेबिट किया जाना है। लेखांकन नीति में यह भी परिकल्पना की गई है कि प्रगति में पूँजीगत कार्य लागत पर किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, प्रासंगिक व्यय और ब्याज शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्यों के प्राक्कलन में सामग्री लागत का तीन प्रतिशत भंडारण शुल्क के रूप में लिया जा रहा था। हालाँकि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान लेखांकन के समय ₹ 33.35 करोड़ के भंडारण शुल्क को ₹ 1,111.55 करोड़[21] मूल्य की सामग्री, जिसे निर्गत किया गया था और पूँजीगत कार्यों पर प्रगति के रूप में खाता में लिया गया था, को मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार, कंपनी के वित्तीय विवरणों में भंडारण व्यय का एक हिस्सा पूँजीगत कार्यों पर प्रगति पर नहीं लगाया गया था और इसलिए परिसंपत्तियों के पूँजीकरण को कम दिखाया गया था और भंडारण व्यय को अधिक दिखाया गया था।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि ईएससी, राँची के खातों में सुधार किया जाएगा, जबकि दो ईएससी (कोडरमा और हजारीबाग) में भंडारण शुल्क को पूँजीकरण की लागत में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि यह उपयोग की गई वास्तविक लागत

---

[21] *ईएससी, हजारीबाग में ₹ 273.30 करोड़; ईएससी, जमशेदपुर में ₹ 130.13 करोड़; ईएससी, चास में ₹ 92.72 करोड़; ईएससी, कोडरमा में ₹ 37.94 करोड़; ईएससी, चाईबासा में ₹ 418.37 करोड़; ईएससी, साहिबगंज में ₹ 51.63 करोड़; और ईएससी, राँची में ₹ 107.46 करोड़।*

पर किया गया था। उत्तर विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि भंडारण प्रभारों सहित सभी प्रासंगिक प्रभारों को पूँजीकरण की लागत में शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) वस्तु-सूची का गलत लेखांकन

लेखा और वित्तीय-संहिता के प्रावधानों के अनुसार, सभी माँगपत्रों पर सामग्री जारी करने के लिए कार्य आदेश का विवरण और खाता शीर्ष के अलावा कार्य के प्रकृति (पूँजी या संचालन और रखरखाव) का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए।

नमूना-जाँचित सात ईएससी में भंडार इश्यू वाउचर[22] (एसआईवी) की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि छः ईएससी (राँची को छोड़कर) में संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए सामग्री निर्गत की गई थी किंतु निर्गत की गई सामग्री का मूल्य पूँजीगत कार्यों पर भारित किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान कम से कम ₹ 44.45 करोड़[23] की सामग्री ओ एंड एम कार्यों के लिए जारी की गई थी लेकिन पूँजीगत कार्यों पर भारित की गई थी। लेखाओं में सामग्री के मूल्य का गलत वर्गीकरण, कार्यादेशों के विवरण के अभाव, मांगों या एसआईवी में लेखा शीर्षों या कार्यों की संक्षिप्त विवरण नहीं होने के अतिरिक्त केंद्रीय भंडारों में कार्मिकों की कमी के कारण था।

इस प्रकार, पूँजी कार्यों के लिए सामग्री के मूल्य के गलत वर्गीकरण के कारण कंपनी के राजस्व व्यय को कम करके दिखाया गया था।

संबंधित डीजीएम ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2021 से सितंबर 2021 के बीच) कि खातों में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

(iii) वस्तु-सूची का लेखांकन नहीं करना

कार्य और क्रय (का. एवं क्र.) नियमावली के अनुसार, महीने के लिए सभी स्टोर्स के खातों को 20 तारीख को बंद किया जाना है और स्टोर्स रिसीव्ड वाउचर[24] (एसआरवी), माँग-पत्र और हस्तांतरण[25] के अंतिम बैच को 23वें दिन लेखा अनुभाग में भेजा जाना है। खातों को बंद करने पर, भंडार प्राप्तियों, निर्गत एवं शेष का सार कंपनी के वित्तीय और लेखा संहिता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर पाँच दिनों के भीतर लेखा अधिकारी को अग्रेषित किया जाना है।

---

[22] *एसआईवी माँग प्रपत्र हैं जिन पर केंद्रीय भंडार से सामग्री जारी की जाती है।*

[23] *ईएससी, हजारीबाग में ₹ 11.08 करोड़ रुपये; ईएससी, जमशेदपुर में ₹ 0.89 करोड़; ईएससी, चास में ₹ 28.05 करोड़; ईएससी, कोडरमा में ₹ 3.34 करोड़; ईएससी, चाईबासा में ₹ 0.81 करोड़ और ईएससी, साहिबगंज में ₹ 0.28 करोड़। वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित विवरण ईएससी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका।*

[24] *इसआरवी ऐसे फॉर्म होते हैं जिनमें सेंट्रल स्टोर्स द्वारा प्राप्त सामग्री का विवरण होता है।*

[25] *स्टोर्स में प्राप्त हस्तांतरित सामग्री।*

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो चयनित ईएससी (चास और कोडरमा) में ट्रांसफॉर्मर मरम्मत कार्यशालाओं (टीआरडब्ल्यू) ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान ₹ 2.94 करोड़ की निर्गत सामग्री के विरुद्ध, टीआरडब्ल्यू ने ₹ 2.46 करोड़ की सामग्री का उपयोग ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत के लिए किया जो सीधे विक्रेताओं से प्राप्त थी। हालाँकि टीआरडब्ल्यू ने मार्च 2020 तक निर्धारित प्रपत्रों में लेखा अधिकारियों को भंडार की विस्तृत स्थिति प्रस्तुत नहीं की थी। परिणामस्वरूप, ईएससी के अंतिम भंडार और व्यय को खातों में क्रमशः ₹ 48 लाख और ₹ 2.46 करोड़ कम करके दिखाया गया था।

संबंधित डीजीएम ने इस तथ्य को स्वीकार किया (मार्च 2021 और जुलाई 2021) और कहा कि खातों में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

5.9.5 वस्तु-सूची का प्रबंधन

(i) वस्तु-सूची की प्राप्ति और भंडारण

का. एवं क्र. नियमावली और लेखा और वित्तीय (ए एंड एफ) कोड वस्तु-सूची के प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए मानदंड का प्रावधान करते हैं।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित सभी सात केंद्रीय भंडारों में वस्तु-सूची प्रबंधन में कमियाँ पाईं, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- ए एंड एफ कोड के अनुसार, भंडार में प्राप्त सभी सामग्री की जाँच और गणना, वजन या माप किया जाना है। लेखापरीक्षा ने देखा कि छः केंद्रीय भंडारों (राँची को छोड़कर) में तौलने की मशीन और क्रेन उपलब्ध नहीं थे। तौलने वाली मशीनों और क्रेनों के अभाव में ये केंद्रीय भंडार आपूर्तिकर्ताओं के वजन रसीदों द्वारा समर्थित सामग्री को बिना किसी प्रति-सत्यापन की प्रणाली के स्वीकार कर रहे थे।

- ए एंड एफ कोड के अनुसार, भंडार के पदाधिकारी को सामग्री के ख़राब होने, चोरी, आग, पतन होने आदि से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की व्यवस्था करनी होती है। सभी सात नमूना-जाँचित ईएससी में सामग्री जगह की कमी के कारण खुले में पड़ी हुई पाई गई, जैसा कि **चित्र-5.1** में दिखाया गया है। यह चोरी और गुणवत्ता में गिरावट के जोखिम से भरा हुआ था।

चित्र-5.1: केंद्रीय भंडारों में अव्यवस्थित ढंग से रखी सामग्री के चित्र

केंद्रीय भंडार हजारीबाग में खुले में पड़े कंडक्टर और केबल

केंद्रीय भंडार जमशेदपुर में खुले में पड़े कंडक्टर व अन्य उपकरण

केंद्रीय भंडार चास में खुले में पड़े कंडक्टर, केबल, ट्रांसफार्मर व अन्य निर्माण सामग्री

केंद्रीय भंडार कोडरमा में खुले में पड़ा ट्रांसफार्मर

केंद्रीय भंडार चाईबासा में खुले में पड़े कंडक्टर व फेब्रिकेशन का सामान

केंद्रीय भंडार साहिबगंज में खुले में पड़े कंडक्टर, ट्रांसफार्मर व स्टील ट्यूबलर पोल

केंद्रीय भंडार राँची में खुले में पड़े केबिल

- नमूना-जाँचित किये गये सात केन्द्रीय भंडारों में से किसी में भी अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं थे। केंद्रीय भंडार, चास में आग लगने की घटना (नवंबर 2018) हुई थी,

जिससे ₹ 3.75 लाख की अनुमानित हानि हुई, और केंद्रीय भंडार, जमशेदपुर में चोरी की घटना हुई थी (जुलाई 2019), जिससे अनुमानित ₹ 2.82 लाख का नुकसान हुआ। कोडरमा के केन्द्रीय भंडार में चहारदीवारी के अभाव ने, जैसा कि **चित्र-5.2** में दिखाया गया है, सामग्री की चोरी के जोखिम से असुरक्षित कर दिया था।

चित्र 5.2: केंद्रीय भंडार, कोडरमा में चहारदीवारी एवं बाड़ के चित्र

केंद्रीय भंडार, कोडरमा, बिना चहारदीवारी और अस्थायी गेट का चित्र	***केंद्रीय भंडार, कोडरमा में कंटीले तारों की बाड़ के बिना चाहरदीवारी***

- ए एंड एफ कोड के अनुसार, एक ही सामग्री का पूरा भंडार भंडार के भीतर एक ही स्थान पर संग्रहित किया जाना चाहिए, और एक से अधिक स्थानों पर भंडारण से बचना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि चार ईएससी (हजारीबाग, जमशेदपुर, चास और कोडरमा) में केन्द्रीय भंडार परिसर के बाहर विभिन्न स्थानों पर अव्यवस्थित ढंग से बिजली के खंभे रखे गए थे, जैसा कि **चित्र 5.3** में दिखाया गया है।

चित्र 5.3: केन्द्रीय भंडार परिसर के बाहर विभिन्न स्थान पर रखे पोल

हजारीबाग में गेस्ट हाउस के पास पड़े बिजली के खंभे	***जमशेदपुर में करनडीह मंडल कार्यालय के पास पड़े बिजली के खंभे***

चास में सड़क के किनारे पड़े बिजली के खंभे	***कोडरमा में सड़क किनारे पड़े बिजली के खंभे***

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि चार ईएससी (राँची, चाईबासा, कोडरमा और हजारीबाग) में उचित शेड की कमी और गोदाम (ईएससी, कोडरमा) की अनुपलब्धता के कारण सामग्री को या तो खुले क्षेत्रों में या जिला प्रशासन का पुराना सर्किट हाउस क्षेत्र में रखा गया था। ईएससी, कोडरमा में चहारदीवारी के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रियाधीन थी।

(ii) विघटित सामग्री की स्वीकृति

सड़क मार्ग, जलमार्ग व भवन आदि के निर्माण या चौड़ीकरण के कारण उपयोगिता स्थानांतरण से संबंधित कार्य 'जमा' शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। इस तरह के काम में स्थापित सामग्री को विघटित करना शामिल है, जो कंपनी की संपत्ति है। विघटित सामग्री, प्राक्कलन में कार्यक्षेत्र के अनुसार, केंद्रीय भंडार में वापस की जानी है।

सभी सात नमूना-जाँचित ईएससी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि:

- केंद्रीय भंडार द्वारा विघटित सामग्री, जैसे कंडक्टर, ट्रांसफार्मर, खंभे आदि को विखंडन की मात्रा दिखाने वाले आकलन की प्रति को प्राप्त किये बिना स्वीकार किए गए थे। इसके कारण लेखापरीक्षा भंडारों में प्राप्त एवं प्राप्त होने वाले विघटित सामग्री की मात्रा का प्रतिसत्यापन नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि एनएचएआई ने ईएससी, कोडरमा की देखरेख में यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य[26] स्वयं किया था। हालाँकि, एनएचएआई ने ₹ 1.62 करोड़ मूल्य के रेल खंभे, कंडक्टर आदि विघटित सामग्री को केन्द्रीय भंडार (जुलाई 2021 तक) को वापस नहीं किया था भले ही काम मार्च 2020 में पूरा हो गया था।

---

[26] *ईएससी, कोडरमा में सड़क के चौड़ीकरण के कारण एनएच 31 पर मौजूदा उपयोगिताओं का स्थानांतरण।*

- दो कार्यों[27] में, ठेकेदारों ने विघटित सामग्री का एक बड़ा हिस्सा अर्थात 428 रेल पोल, 91.27 किमी एसीएसआर डॉग/रैबिट कंडक्टर, विभिन्न क्षमताओं के 28 डीटी और 7.85 किमी के एसीएसआर वीसल कंडक्टर, जिसकी कीमत ₹ 2.43 करोड़ है केंद्रीय भंडार, जमशेदपुर को वापस नहीं किया। इसके अलावा ईएससी चास में सारम में एक पावर सब-स्टेशन (पीएसएस) के निर्माण के मामले में ₹ 17.49 लाख मूल्य के 58 अनुपयोगी रेल खंभे केंद्रीय भंडार में वापस नहीं किए गए थे और कहा गया था कि वे अक्टूबर 2017 के बाद से साइट पर पड़े हुए हैं।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि 3,29,587.17 किलोग्राम वजन वाले विघटित कंडक्टर स्क्रैप लेजर में दर्ज किए गए थे, लेकिन, नमूना-जाँचित सभी सात केंद्रीय स्टोरों से, विद्युत लाइनों के रखरखाव और मजबूती के लिए फिर से जारी किए गए थे। विघटित सामग्री, जिसे फिर से जारी किया गया था, की गुणवत्ता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय भंडार में कोई तंत्र नहीं था। इसलिए निम्न कोटि के कंडक्टरों के साथ संपत्तियों के निर्माण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

- ईएससी, कोडरमा के मामले में विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2022) और कहा कि विघटित सामग्री की वापसी के लिए परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई. के साथ बार-बार पत्राचार किया गया था। ईएससी, चाईबासा के संबंध में यह कहा गया था कि खराब होने/टूटने में नए कंडक्टरों की अनुपलब्धता के कारण अच्छी स्थिति वाले विघटित कंडक्टरों के छोटे टुकड़े को फील्ड में निर्गत किया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि अन्य पुरानी सामग्री के साथ विघटित कंडक्टर को, बिना उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित किए, रखरखाव और मूल कार्यों दोनों में उन्हें स्क्रैप के रूप में पहचानने के बाद भी निर्गत किए गए थे।

(iii) सामग्री को आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना निर्गत करना

ए एंड एफ संहिता के अनुसार, सामग्री जारी करने के लिए सभी मांगों पर कार्य आदेश[28] का विवरण होना चाहिए। का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, सामग्री को प्राक्कलन और कार्य आदेश के आधार पर भंडार क्षेत्र से बाहर निर्गत किया जाना है।

---

[27] *एनएच-33 के महुलिया-बहरागोड़ा-चिरचिरा अनुभाग के लिए डिस्मैंटलिंग कार्य और ईएससी, जमशेदपुर में पटमदा अनुभाग के अंतर्गत बंदवान-काटिन-बदाभूम सड़क की 11 केवी, डीएसएस और एलटी लाइन को स्थानांतरित करना।*

[28] *प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति (कार्य के निष्पादन के लिए औपचारिक स्वीकृति) के बाद कार्य आदेश जारी किए जाते हैं।*

नमूना-जाँचित सात केंद्रीय भंडारों में भंडार निर्गमन वाउचरों (एसआईवी) की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि सामग्री को बिना प्राक्कलन और कार्यादेशों का विवरण प्राप्त किए पूँजीगत प्रकृति के कार्यों के लिए जारी किया गया था, जैसा कि **तालिका 5.5** में वर्णित है।

तालिका 5.5: प्राक्कलन और कार्य आदेश के बिना निर्गत की गई सामग्री का विवरण

क्र. स.	ईएससी का नाम	एसआईवीव की संख्या जो की प्राक्कलन और कार्य आदेशों द्वारा समर्थित नहीं है	निर्गत की गई सामग्री का मूल्य (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे
1.	हजारीबाग	175	2.39	--
2.	जमशेदपुर	249	2.11	2017-18 और 2018-19
3.	चास	215	2.63	2017-18 और 2018-19
4.	कोडरमा	86	0.80	--
5.	साहिबगंज	748	13.99	2017-18
6.	चाईबासा	23	0.25	--
7.	राँची	499	5.11	2017-18 और 2018-19
कुल		**1,995**	**27.28**	**--**

स्रोत: *कंपनी द्वारा दी गई जानकारी*

तालिका 5.5 से यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय भंडारों द्वारा 1,995 एसआईवी के विरुद्ध, ₹ 27.28 करोड़ मूल्य की सामग्री आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए बिना जारी की गई थी। आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए बिना सामग्री का निर्गमन, सामग्री के अत्यधिक निर्गमन और दुरुपयोग के जोखिम से भरा हुआ था।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2022) कि: (i) तीन ईएससी (चास, चाईबासा और कोडरमा) में अत्यावश्यक कार्यों के लिए सामग्री जारी की गई थी (ii) तथापि, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है। शेष चार ईएससी के संबंध में उत्तर मौन था।

(iv) सामग्री का अनियमित विचलन

का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, सामग्री की कमी या अनुपलब्धता के कारण, एक शीर्ष से अन्य शीर्षों में सामग्री की अदला-बदली से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए।

नमूना-जाँचित सात ईएससी में से तीन में, लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान विशिष्ट शीर्षों के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के लिए क्रय की गई सामग्रियों को दूसरे शीर्षों के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के लिए जारी की गई थी, जैसा कि **तालिका 5.6** में वर्णित है।

तालिका: 5.6: सामग्री का एक शीर्षों से दूसरे शीर्षों पर स्थानांतरण

ईएससी का नाम	शीर्ष जिसके लिए सामग्री प्राप्त की गई थी	वस्तु	यूनिट	जमा शीर्ष/डीडीयूजीजेवाई को निर्गत किया गया	प्रति यूनिट खरीद दर (₹ में)	निर्गत की गई सामग्री का मूल्य (₹ में)
जमशेदपुर	एडीपी	रेल पोल	स.	8	33,228.80	2,65,830.40
	आरएपीडी आरपी	25 केभीए डीटीआर	स.	1	49,051.00	49,051.00
	जसबे	सिंगल फेज मीटर	स.	7,700	905.00	69,68,500.00
चास	आरएपीडी आरपी	एलटी एबी केबल	कि.मी.	1	5,31,408.68	5,31,408.68
राँची	आरई	एलटी एबी केबल	कि.मी.	4.69	1,41,214.46	6,62,295.82
		एसीएसआर रैबिट कंडक्टर	कि.मी.	152.5	34,529.04	52,65,678.60
कुल						**1,37,42,764.50**

स्रोत: *कंपनी के रिकॉर्ड*

तालिका 5.6 से देखा जा सकता है कि विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों के लिए क्रय किये गए ₹ 1.37 करोड़ मूल्य की सामग्री को जमा कार्य के लिए (₹ 67.74 लाख) और एक टर्नकी ठेकेदार (₹ 69.68 लाख) को डीडीयूजीजेवाई के तहत कार्यों के लिए निर्गत (मार्च 2018 से मार्च 2020) की गई थी। हस्तांतरित सामग्री का समायोजन/प्रतिपूर्ति प्रतीक्षित थी (सितंबर 2021 तक)।

ईएससी चास के मामले में विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि सामग्री मदों को संबंधित शीर्षों में खरीद कर समायोजित किया जाएगा। शेष दो ईएससी के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

5.9.6 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत

खराब और जले हुए ट्रांसफार्मर की मरम्मत प्रत्येक ईएससी में एक, 15 ट्रांसफार्मर मरम्मती कार्यशाला (टीआरडब्ल्यू) है।

(i) ट्रांसफार्मर से तेल की प्राप्ति

का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, टीआरडब्ल्यू में मरम्मत के लिए प्राप्त ट्रांसफार्मर को एक समि ई.एस.सी. ति[29] की उपस्थिति में खोला जाना है, जिसे

[29] *समिति में जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (टीआरडब्ल्यू), असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (टीआरडब्ल्यू), जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (आपूर्ति) और रिपेयरिंग एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल हैं।*

ट्रांसफार्मर के स्क्रैप (कॉइल) और तेल स्तर का निरीक्षण करना आवश्यक है। यदि ट्रांसफार्मर का तेल 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो संबंधित कनिष्ठ प्रबंधक को या तो समिति को उचित कारण प्रस्तुत करना होगा, या तेल या कॉइल की चोरी के मामलों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। पुन: उपयोग योग्य कॉइल और तेल को वस्तु-सूची रजिस्टर में दर्ज किया जाना है, जिसमें उनके विवरण जैसे ट्रांसफार्मर की क्रम संख्या, स्थापना के स्थान, उनकी क्षमता, दोष/जलने की तिथियां और कारण, कोर और कॉइल की स्थिति, तेल का स्तर आदि शामिल है।

नमूना-जाँचित सात टीआरडब्ल्यू के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि:

- किसी भी टीआरडब्ल्यू में खराब या जले हुए ट्रांसफॉर्मर की जाँच के लिए समितियों का गठन नहीं किया गया था। पाँच टीआरडब्ल्यू[30] में, अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक मरम्मत के लिए 8,818 ट्रांसफॉर्मर प्राप्त हुए थे। लेखापरीक्षा में 13.62 लाख लीटर ट्रांसफॉर्मर तेल की कमी पाई गई, जिसका मूल्य ₹ 3.41 करोड़ ***(परिशिष्ट 5.3)*** था, जो न तो औचित्य प्रतिवेदन द्वारा समर्थित था और ना ही एफआईआर की कॉपी द्वारा। दो टीआरडब्ल्यू[31] में, 2,958 दोषपूर्ण ट्रांसफार्मरों से बरामद तेल का कोई विवरण नहीं था, जिसके कारण लेखापरीक्षा इन ट्रांसफार्मरों से बरामद तेल की मात्रा में कमी, यदि कोई हो, का पता नहीं लगा सका।

- खराब ट्रांसफॉर्मर की विस्तृत जानकारी जिसमें खराब ट्रांसफॉर्मर की क्रम संख्या, स्थापित स्थान, उनकी क्षमता, तिथियां और जलने या दोष के कारण, कोर और कॉइल की स्थिति, तेल आदि का स्तर शामिल हैं, किसी भी टीआरडब्ल्यू के वस्तु-सूची रजिस्टर में दर्ज नहीं पाया गया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2022) कि: (i) ईएससी, राँची के अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा गया है (ii) एक समिति बनाई जाएगी और (iii) ईएससी, राँची में एक वस्तु-सूची रजिस्टर बनाया जाएगा। दो अन्य ईएससी (चाईबासा और हजारीबाग) के संबंध में, यह कहा गया था कि डीटी में रिसाव आकस्मिक क्षति, ज्यादा स्पार्क, वज्रपात, आंतरिक दोष आदि के कारण हुआ था जिससे तेल की कमी हुई थी, और समितियों का गठन अधिकारियों के पदों पर रिक्तियों के कारण नहीं किया गया था। उक्त दो ईएससी के संबंध में उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि किसी भी कारण से तेल की कमी को समितियों द्वारा प्रमाणित किया जाना था, जो गठित नहीं थे।

---

[30] *हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, साहिबगंज और राँची में टीआरडब्ल्यू*

[31] *चास और चाईबासा में टीआरडब्ल्यू।*

(ii) कॉइल का अत्यधिक निर्गत होना

कंपनी द्वारा नियुक्त एजेंसियों द्वारा टीआरडब्ल्यू में खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जाती है। मरम्मत के लिए आवश्यक वाइंडिंग तार, बिगड़े ट्रांसफॉर्मर के खराब हो चुके कॉइल को बदलने के लिए, नियुक्त एजेंसी को जारी किए जाते हैं। का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर में प्रदान किए गए एचवी/एलवी कॉइल का वजन, क्षतिग्रस्त ट्रांसफॉर्मर से निकाले गए कॉइल का वास्तविक वजन होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- नमूना-जाँचित सात में से छ: टीआरडब्ल्यू ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक में खराब ट्रांसफॉर्मर से बरामद 1,49,214.67 किलोग्राम बेकार कॉइल को बदलने के लिए एजेंसियों को 2,90,185.38 किलोग्राम वाइंडिंग कॉइल जारी किए थे। इस प्रकार, ₹ 3.21 करोड़ मूल्य के 1,40,970.71 किलोग्राम वाइंडिंग कॉइल (₹ 227.50 प्रति किलोग्राम की क्रय दर पर गणना की गयी), आवश्यकताओं से अधिक जारी किए गए थे। जारी किए गए अतिरिक्त कॉइलों की वसूली प्रतीक्षित थी (सितंबर 2021 तक)। लेखापरीक्षा टीआरडब्ल्यू, कोडरमा में वाइंडिंग कॉइल के मामले में विसंगतियों, यदि कोई हो, का पता नहीं लगा सका, क्योंकि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

- का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर पर अंतिम मरम्मत की तिथि का लेबल लगाना होता है, और एजेंसी को मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर को निर्गत करने की तिथि से एक वर्ष की वारंटी प्रदान करनी होती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी मरम्मतों के मामले में नए जॉब नंबर दिए गए थे। इसलिए, लेखापरीक्षा वारंटी अवधि के भीतर कंपनी की लागत पर पुनः मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर की संख्या का पता नहीं लगा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने ईएससी, चाईबासा में एजेंसी से 4,541.59 किलोग्राम कॉइल बरामद (अगस्त 2021) किया। हालाँकि, विभाग ने शेष पाँच ईएससी (जुलाई 2022 तक) में शुरू की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, की सूचना नहीं दी थी।

5.9.7 टीआरडब्ल्यू में सुविधाओं की कमी

का. एवं क्र. नियमावली के अनुसार, सभी मरम्मत किए गए ट्रांसफॉर्मर पर, IS: 2026/1977 (भाग-I), IS 2026/1981 (भाग-III) और उसके नवीनतम संशोधन के

साथ, सभी नियमित परीक्षण[32] करने होते हैं। साथ ही, टीआरडब्ल्यू को अग्निशमन उपायों को अपनाने की जरूरत है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नमूना-जाँचित सात टीआरडब्ल्यू में से किसी के द्वारा, संबंधित परीक्षण उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण, ऊर्जा हानि के लिए परीक्षण नहीं किया जा रहा था। छः टीआरडब्ल्यू (राँची को छोड़कर) में अन्य नियमित जाँच[33] भी नहीं हो रही थी। यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक में सात नमूना-जाँचित टीआरडब्ल्यू द्वारा, 11906 मरम्मत किए गए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किए बिना, वितरण नेटवर्क में स्थापना के लिए तक जारी किए गए थे। इससे जुड़े बिजली के उपकरणों, उपकरणों को संभालने वाले कर्मियों और जनता की सुरक्षा से समझौता करने के अलावा, अतिरिक्त ऊर्जा हानि और बार-बार बिजली ख़राब होने का खतरा होता है।

- टीआरडब्ल्यू में स्क्रैप सामग्री और उपयोग के बाद निकले गए ट्रांसफॉर्मर तेल (जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है) के भंडारण के लिए जगह और उचित सुविधाओं का अभाव था। हालाँकि, टीआरडब्ल्यू, राँची में अग्निशमन यंत्रों को छोड़कर, अन्य टीआरडब्ल्यू में पर्याप्त अग्निशमन प्रणाली नहीं थी। यह देखा गया कि टीआरडब्ल्यू, चास में एक आग की घटना (सितंबर 2020) को नियंत्रित करने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था, जिसमें ₹ 2.95 लाख मूल्य के स्क्रैप और उपकरण नष्ट हो गए थे। जाँच के लिए गठित समिति ने पाया (अक्टूबर 2020) कि टीआरडब्ल्यू में अग्निशमन प्रणाली नहीं थी और उचित अग्निशमन व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश की।

विभाग ने तीन ईएससी (राँची, चाईबासा और कोडरमा) में उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण आवश्यक परीक्षण नहीं करने को स्वीकार किया (जुलाई 2022)। हालाँकि, यह कहा गया कि ईएससी, कोडरमा में एक परीक्षण मशीन स्थापित (जुलाई 2021) की गई थी। शेष चार ईएससी के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

---

[32] *रेटेड वोल्टेज पर नो-लोड लॉस, 75^0 सेल्सियस.(वाट) पर लोड लॉस, 75^0 सेल्सियस. पर इम्पीडेंस टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, हाई वोल्टेज टेस्ट, डबल वोल्टेज डबल फ्रीक्वेंसी टेस्ट, ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेस्ट का बीडीभी वैल्यू आदि।*

[33] *इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण, उच्च वोल्टेज परीक्षण, डबल वोल्टेज डबल आवृत्ति परीक्षण, ट्रांसफार्मर तेल परीक्षण का बीडीभी वैल्यू आदि।*

5.9.8 स्क्रैप का निपटान

कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने मैसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी), भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय स्टोरों और टीआरडब्ल्यू में पड़ी हुई अप्रयुक्त/अप्रयोज्य/अप्रचलित लौह और गैर-लौह धातु के निपटान के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (एए) प्रदान की (अक्टूबर 2015)। कंपनी और एमएसटीसी के बीच फरवरी 2016 में एक समझौता भी हुआ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- कंपनी ने समझौते की तिथि से लगभग तीन वर्षों तक स्क्रैप की नीलामी के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की थी। स्क्रैप दरों के निर्धारण के लिए दो बार स्थायी समिति का गठन (मार्च 2018 और जनवरी 2019) किया गया था, और बीओडी ने पुनः ई-नीलामी के माध्यम से स्क्रैप के निपटान के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (जून 2019) प्रदान किया।
- स्थायी कमेटी ने केवल टीआरडब्ल्यू के स्क्रैप आइटम के लिए आरक्षित मूल्य (जून 2019) तय किया था, लेकिन केन्द्रीय भंडार के स्क्रैप का आरक्षित मूल्य (सितंबर 2021 तक) तय नहीं किया गया था। तदनुसार, बीओडी ने केवल टीआरडब्ल्यू के स्क्रैप के लिए आरक्षित मूल्य को अनुमोदित (जून 2019) किया।
- एमएसटीसी ने ई-नीलामी के लिए दो बार (सितंबर 2019 और नवंबर 2019) बोलियां आमंत्रित कीं, लेकिन, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[34] द्वारा जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक में बेचे गए समान स्क्रैप के आरक्षित मूल्य की तुलना में आरक्षित मूल्य अधिक होने के कारण वह फलीभूत नहीं किये गए। यद्यपि एमएसटीसी ने ई-नीलामी को सफल बनाने के लिए आरक्षित कीमतों की समीक्षा का सुझाव दिया (दिसंबर 2019) था, इस संबंध में की गयी कार्रवाई प्रतीक्षित (सितंबर 2021 तक) थी ।

इस प्रकार, कंपनी की निष्क्रियता के कारण, ₹ 13.24 करोड़ के अनुमानित मूल्य के स्क्रैप, जैसा कि ईएससी द्वारा आंकलित की गई थी, चार[35] नमूना-जाँचित ईएससी के केंद्रीय भंडार और टीआरडब्ल्यू में निष्क्रिय पड़ा था। शेष तीन नमूना-जाँचित ईएससी ने स्क्रैप के मूल्य का आकलन (सितंबर 2021 तक) नहीं किया था।

---

[34] *पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड आदि।*

[35] *हजारीबाग, कोडरमा, राँची और चाईबासा के कैंद्रीय भंडार और टीआरडब्ल्यू।*

उत्तर में, एस एंड पी विंग ने, लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और आश्वासन दिया (जनवरी 2022) कि स्क्रैप की नीलामी के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा अनुशंसा संख्या 3: सामग्री प्रबंधन के लिए एमआईएस स्थापित किया जाना चाहिए और भंडार का वार्षिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5.10 सामग्री का अकुशल उपयोग

5.10.1 पी.एस.एस. में निष्क्रिय वस्तु-सूची

वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2016-17 के बीच चार ईएससी के डीजीएम द्वारा एडीपी के तहत संबंधित लाइनों के साथ नौ पावर सब-स्टेशन (पीएसएस[36]) के निर्माण को मंज़ूरी दी गई थी। इन पीएसएस का विभागीय क्रियान्वयन उसी वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ, किंतु सामग्रियों का क्रय नहीं होने के साथ-साथ वन विभाग और रेलवे से वैधानिक मंज़ूरी लंबित होने के कारण, पूरा नहीं किया (सितंबर 2021 तक) जा सका, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2016-17 के बीच ईएससी, चास और जमशेदपुर में प्रत्येक में तीन पीएसएस[37] का निर्माण स्वीकृत किया गया था। हालाँकि, कंपनी द्वारा रेलवे क्लीयरेंस प्राप्त करने में देरी, पूर्ण की गई 33 केवी लाइन को चार्ज न करने और भंडार में सामग्री जैसे ट्रांसफॉर्मर, केबल, रेल पोल, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आदि की अनुपलब्धता के कारण काम पूरा नहीं (सितंबर 2021 तक) हुआ था। आगे, इन छः पीएसएस में जून 2016 और अक्टूबर 2020 के बीच जारी की गई ₹ 4.80 करोड़ की सामग्री का उपयोग नहीं (सितंबर 2021 तक) हो रहा था।

- तांतिझरिया में पीएसएस के निर्माण के लिए केंद्रीय भंडार, हजारीबाग को आपूर्तित (अप्रैल 2019) ₹ 23.76 लाख मूल्य का पावर ट्रांसफॉर्मर, कंपनी द्वारा, वन विभाग से आवश्यक 33 केवी लाइन का निर्माण हेतु मंज़ूरी प्राप्त करने में विफल रहने के कारण, भंडार में पड़ा (सितंबर 2021) हुआ था। आगे, केंद्रीय भंडार, हजारीबाग द्वारा कार्यों के लिए जारी (नवंबर 2018 और फरवरी 2019) ₹ 9.58 लाख मूल्य की सामग्री पीएसएस परिसर में बेकार पड़ी थी।

---

[36] *ईएससी, चास: तारानारी, फुदनीडीह और पथुरिया; ईएससी हजारीबाग: तांतिझरिया में; ईएससी चाईबासा: लांडुपाड़ा और ईएससी जमशेदपुर: बलीबांध, निश्चिंतपुर, उपरपवारा और बालीगुमा में में पीएसएस।*

[37] *ईएससी चास: तारानारी, फुदनीडीह और पथुरिया में पीएसएस और ईएससी जमशेदपुर: बलीबांध, निश्चिंतपुर और बालीगुमा में।*

- ईएससी, चाईबासा में लांडुपाड़ा में पीएसएस के निर्माण के लिए ₹ 47.53 लाख की लागत से दो 5 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर क्रय गए और फरवरी 2017 के दौरान साइट पर आपूर्ति किए गए थे। हालाँकि, इन ट्रांसफार्मर का उपयोग, रेलवे लाइन के पार 33 केवी लाइन हेतु 150 मीटर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य नहीं होने के कारण नहीं हो रहा था, क्योंकि कंपनी रेलवे से मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही थी। आगे, कार्य के लिए निर्गत ₹ 62.63 लाख मूल्य की सामग्री का भी उपयोग नहीं किया गया था। आगे की जाँच से पता चला कि यह आंशिक रूप से ₹ 42,319 के विलंबित जमा (नवंबर 2019), जिसकी रेलवे द्वारा माँग (नवंबर 2017) की गई थी, के कारण था।

- पीएसएस की 11/33 केवी लाइनों के निर्माण के लिए एल्युमीनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड (एसीएसआर) डॉग और वुल्फ कंडक्टर क्रय किये गये (मार्च 2018 और सितंबर 2019) थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 11.33 करोड़ मूल्य के 929.09 किमी एसीएसआर डॉग कंडक्टर और 423.53 किमी एसीएसआर वुल्फ कंडक्टर इन चार ईएससी (मार्च 2021 तक) के केन्द्रीय भंडार में पड़े थे।

- ईएससी, जमशेदपुर में उपरपावरा पीएसएस को जारी की गई सामग्री का विवरण लेखापरीक्षा को माँग करने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

- लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नमूना-जाँचित केंद्रीय भंडारों ने जारी की गई सामग्री का कार्यवार लेखा-जोखा नहीं रखा जाता था। इसके अलावा, संबंधित प्रबंधकों और कनिष्ठ प्रबंधकों द्वारा साइट पर सामग्री का लेखा जोखा भी नहीं संधारित किया जा रहा था। केंद्रीय भंडारों द्वारा कार्य-वार खातों का लेखा जोखा नहीं संधारित करने, या प्रबंधकों और कनिष्ठ प्रबंधकों द्वारा 'अस्थल पर सामाग्री' के खातों का लेखा नहीं संधारित करने से अन्य कार्यों के लिए सामग्री के विचलन, समान कार्य के लिए सामग्री का अधिक निर्गमन, लंबी अवधि के लिए अनुपयोगी सामग्री की निगरानी के अभाव आदि का जोखिम होता है, क्योंकि कार्यों के पूरा होने में अत्यधिक देरी हुई थी।

इस प्रकार, कंपनी समय पर आवश्यक सामग्री का क्रय करने और निर्गत सामग्री का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रही, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान पीएसएस के निर्माण से संबंधित कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका और ₹ 17.56 करोड़ की सामग्री बेकार पड़ी हुई थी।

विभाग ने तीन ईएससी (चास, चाईबासा और हजारीबाग) में पीएसएस के निर्माण में देरी को स्वीकार किया (जुलाई 2022) और बताया कि इन ईएससी में पाँच पीएसएस

में से चार (मई 2022 तक) पूरे हो चुके थे। ईएससी, जमशेदपुर के शेष चार पीएसएस के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

5.10.2 आर-एपीडीआरपी के कार्य से सम्बन्धित सामग्री का अनुपयोग

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) को अनुमोदित (सितंबर 2008) किया। योजनान्तर्गत स्वीकृत लागत का 25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिया जाना था। झारखण्ड के 30 शहरों में कार्यक्रम को लागू करने के लिए, भारत सरकार ने ₹ 1,181.45 करोड़ के डीपीआर को, पाँच साल की अधिकतम अवधि के अन्दर पूरा करने के लिए, मंजूरी दी (सितंबर 2013)।

30 में से 22 शहरों में बार-बार नि.वि.दा. करने के बावजूद कार्य आवंटित नहीं किया जा सका। कंपनी ने अंततः इन 22 शहरों में विभागीय रूप से कार्यों को क्रियान्वित करने का निर्णय (दिसंबर 2015 और अप्रैल 2017) लिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर सामग्री की आवश्यक मात्रा का आकलन, अनुमोदित डीपीआर में निर्धारित मात्रा से भिन्न था। विभागीय निष्पादन के लिए, कंपनी ने डीपीआर या सर्वेक्षण में आकलित आवश्यकताओं के आधार पर केंद्रीय रूप से सामग्रियों का क्रय किया। हालाँकि, पूर्णता की लक्ष्य तिथि अगस्त 2018 थी, इसलिए कंपनी ने कार्य के दायरे पर रोक लगा दी (दिसंबर 2017)। इसके कारण खरीदी गई सामग्री का उपयोग नहीं हो सका, जैसा कि **तालिका 5.7** में वर्णित है;

तालिका 5.7: आर-एपीडीआरपी में सामग्री के उपयोग नहीं होने का विवरण

क्र. सं.	सामग्री का नाम	डीपीआर के अनुसार मात्रा	सर्वे के अनुसार मात्रा	फ्रीजिंग के अनुसार मात्रा	वास्तविक क्रय की मात्रा	अतिरिक्त मात्रा	सामग्री की दर (₹ लाख में)	अतिरिक्त व्यय (₹ लाख में)
1	एसीएसआर रैबिट कंडक्टर (किमी में)	2,020	1,382	1,529	1,864	335	0.28	93.8
2	एसीएसआर पैंथर कंडक्टर (किमी में)	445	121	85	126	41	4.26	174.66
3	एक्सएलपीई एचटी केबल 33 केवी 3x400 वर्ग मीटर (किमी में)	0	18	2	18	16	16.65	266.40
4	एक्सएलपीई एचटी केबल 11 केवी 3x400 वर्ग मीटर (किमी में)	0	52	19	52	33	12.71	419.43

क्र. सं.	सामग्री का नाम	डीपीआर के अनुसार मात्रा	सर्वे के अनुसार मात्रा	फ्रीजिंग के अनुसार मात्रा	वास्तविक क्रय की मात्रा	अतिरिक्त मात्रा	सामग्री की दर (₹ लाख में)	अतिरिक्त व्यय (₹ लाख में)
5	25 केवी डीटीआर (संख्या में)	194	221	151	201	50	0.49	24.50
6	63 केवी डीटीआर (संख्या में)	398	263	174	263	89	0.81	72.09
7	100 केवी डीटीआर (संख्या में)	726	763	645	763	118	1.03	121.54
	कुल							1,172.42

परिणामस्वरूप, जून 2016 से अगस्त 2017 के बीच क्रय की गई, ₹ 11.72 करोड़ की सामग्री का सितंबर 2021 तक चार वर्षों से अधिक समय तक उपयोग नही किया जा सका।

5.10.3 सामग्री का दुरूपयोग

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

- डीडीयूजीजेवाई के तहत, मेसर्स आईएलएंडएफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को तीन जिलों यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और साहिबगंज में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओऐ) जारी किए गए (मार्च और मई 2017)। कार्य की आवंटित लागत ₹ 624.36 करोड़ थी तथा कार्य को 24 माह के भीतर पूरा किया जाना था। लक्ष्य के अनुसार आवश्यक सामग्री और मानवबल नहीं जुटा पाने के कारण ठेकेदार काम पूरा नहीं कर सका। सामग्री की आपूर्ति सहित ₹ 101.96 करोड़ मूल्य के कार्यों के पूरा होने के बाद जनवरी 2019 में अनुबंध को रद्द कर दिया गया था। शेष कार्यों को आठ पैकेजों में विभाजित किया गया और कार्यों को नौ महीने के भीतर पूरा करने के लिए पाँच ठेकेदारों को दिया गया था (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने अनुबंध की समाप्ति (जनवरी 2019) के आठ महीने के बाद (सितंबर 2019) बर्खास्त ठेकेदार के साथ सामग्री के मिलान और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। मिलान प्रतिवेदन (सितम्बर एवं अक्टूबर 2019) के अनुसार बर्खास्त ठेकेदार से ₹ 58.45 करोड़[38] मूल्य की सामग्री नए ठेकेदारों द्वारा ली जानी थी। हालाँकि, केवल ₹ 28.46 करोड़[39] (49 प्रतिशत) मूल्य की सामग्री नए ठेकेदारों (मार्च 2021 तक) द्वारा उठाई गई थी। ₹ 29.99 करोड़ मूल्य

[38] जमशेदपुर: ₹ 16.32 करोड़, चाईबासा: ₹ 30.51 करोड़ और साहिबगंज ₹ 11.62 करोड़।

[39] जमशेदपुर: ₹ 6.76 करोड़, चाईबासा: ₹ 14.60 करोड़ और साहिबगंज: ₹ 7.10 करोड़।

की शेष सामग्री, बर्खास्तगी की तिथि से दो वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी, बर्खास्त ठेकेदार के पास थी।

आगे, तीन ईएससी में, जहाँ सामग्री नए ठेकेदारों को हस्तांतरित की गई थी, लेखापरीक्षा ने हस्तांतरित सामग्री के उपयोग की जाँच की। यह देखा गया कि ईएससी, साहिबगंज में उठाई गई ₹ 7.10 करोड़ की सामग्री में से ₹ 2.72 करोड़ की सामग्री अधिक पाई (मार्च 2021) गई। ठेकेदार को अभी भी अतिरिक्त सामग्री को कंपनी के भंडार में स्थानांतरित करना है।

इस प्रकार निम्न सामग्री प्रबंधन के कारण ₹ 32.71 करोड़ की सामग्री बिना किसी उद्देश्य के 5 से 25 माह की अवधि तक निजी ठेकेदारों के कब्जे में रही।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि, शुरू में बर्खास्त ठेकेदार (मैसर्स आईएल एंड एफएस) ईएससी चाईबासा में नए ठेकेदारों को सामग्री सौंपने को तैयार नहीं था, क्योंकि मामला न्यायाधीन था। आगे, कार्य पूर्ण करने की अवधि केवल नौ महीने होने के कारण, नए ठेकेदार केवल ₹ 14.60 करोड़ मूल्य की सामग्री का उपयोग कर सके, जिसे बर्खास्त ठेकेदार द्वारा उन्हें हस्तांतरित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कंपनी ने स्वयं बर्खास्त ठेकेदार के साथ अप्रयुक्त सामग्री के मिलान में देरी की, जिसके कारण नए ठेकेदारों को उनकी अनुबंध अवधि के भीतर सामग्री का कम हस्तांतरण हुआ। जवाब में, ईएससी, चाईबासा से संबंधित ₹ 15.91 करोड़ मूल्य की शेष सामग्री, जो दोषी ठेकेदार के कब्जे में थी, की स्थिति के संबंध में मौन था। विभाग ने अन्य दो ईएससी से संबंधित ₹ 14.08 करोड़ मूल्य की सामग्री की स्थिति भी प्रस्तुत नहीं की।

शहरी विद्युतीकरण योजना

- एकीकृत उर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत छः एलओए, 24 महीनों के भीतर काम पूरा करने के लिए, उसी ठेकेदार यानी मैसर्स आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को जारी (जुलाई 2017 और सितंबर 2017 के बीच) किए गए थे, जिसमें सामग्री की आपूर्ति के लिए तीन एलओए शामिल थे। कार्य की खराब प्रगति के कारण, इन ठेकों को भी 21 प्रतिशत की वित्तीय प्रगति के बाद, रद्द (जनवरी 2019) कर दिया गया। शेष कार्यों को दिसंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच पूरा करने के लिए पाँच ठेकेदारों को आवंटित (मार्च 2019 और जुलाई 2019 के बीच) किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 60.24 करोड़[40] मूल्य की अनुपयोगी सामग्री, अनुबंध की समाप्ति के बाद, ठेकेदार के पास पड़ी थी, और फरवरी 2020 में, यानी समाप्ति की तारीख से 12 महीने से अधिक समय के बाद हस्तांतरित की गई थी।

तीन नमूना-जाँचित ईएससी[41] के अभिलेखों की आगे की जाँच, जहाँ ₹ 36.38 करोड़ मूल्य की सामग्री का हस्तांतरण हुआ था, से पता चला कि ₹ 7.37 करोड़[42] मूल्य की हस्तांतरित सामग्री का सितंबर 2021 तक उपयोग नहीं किया गया था। इसमें नए ठेकेदारों को सामग्री के हस्तांतरण में देरी (₹ 1.37 करोड़), कार्य के दायरे में बदलाव (₹ 2.16 करोड़), आवश्यक सहायक उपकरण के बिना सामग्री की आपूर्ति (₹ 1.14 करोड़) सम्मिलित थी। ईएससी, साहिबगंज ने ₹ 2.80 करोड़ मूल्य की अप्रयुक्त सामग्री के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

इस प्रकार, ₹ 60.24 करोड़ मूल्य की सामग्री के हस्तांतरण में 12 माह का विलम्ब हुआ। इसके अलावा, तीन नमूना-जाँचित ईएससी में ₹ 7.37 करोड़ मूल्य की सामग्री अभी भी निजी ठेकेदारों (सितंबर 2021 तक) के कब्जे में थी।

संबंधित डीजीएम ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2021 से सितम्बर 2021 के मध्य) कि सामग्री के शीघ्र उपयोग हेतु मुख्यालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जायेंगे।

- आरएपीडीआरपी-बी योजना के तहत नमूना-जाँचित सात ईएससी में से छः[43] में विद्युतीकरण कार्य विभागीय रूप से क्रियान्वित किए गए थे। कार्यों के लिए, संबंधित ईएससी द्वारा आकलित आवश्यकताओं के आधार पर, एस एंड पी विंग द्वारा सामग्री का क्रय केंद्रीय रूप से किया गया था। केंद्रीय भंडार ने सामग्री प्राप्त की और इसे कार्यों के निष्पादन के लिए विद्युत आपूर्ति उप-मंडल (ईएसएसडी) के प्रबंधकों को जारी किया।

लेखापरीक्षा ने कार्यों, जिन्हें जून 2020 में समाप्त घोषित कर दिया गया था, के लिए निर्गत की गई प्रमुख सामग्री तथा कार्यों में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री की मात्रा में अंतर देखा। यह देखा गया कि केंद्रीय भंडार से कार्यों के लिए ₹ 30.81 करोड़ मूल्य के तार, पोल, केबल, मीटर एवं ट्रांसफार्मर जारी किये गये थे, लेकिन क्लोजर

---

[40] *ईएससी चाईबासा: ₹ 11.66 करोड़, धनबाद: ₹ 15.74 करोड़, दुमका: ₹ 8.12 करोड़, जमशेदपुर: ₹ 13.07 करोड़ और साहिबगंज: ₹ 11.65 करोड़।*

[41] *जमशेदपुर, चाईबासा और साहिबगंज में ईएससी।*

[42] *ईएससी चाईबासा: ₹ 1.12 करोड़, जमशेदपुर: ₹ 3.45 करोड़ एवं साहिबगंज: ₹ 2.80 करोड़।*

[43] *हजारीबाग, जमशेदपुर, चास, चाईबासा, कोडरमा और साहिबगंज में ईएससी।*

प्रतिवेदन के अनुसार, केवल 18.74 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री का उपयोग कार्यों में किया गया था। ₹ 12.07 करोड़ ***(परिशिष्ट 5.4)*** की शेष सामग्री का लेखा-जोखा न तो संबंधित प्रबंधकों द्वारा बनाया गया था और न ही सामग्री को केंद्रीय भंडारों में लौटाया गया था। ईएससी कार्यों की क्लोजर प्रतिवेदन तैयार करने से पहले या आज तक (दिसंबर 2021) अप्रयुक्त सामग्री को पुनर्प्राप्त करने में भी विफल रहे।

इस प्रकार, क्लोजर प्रतिवेदन की तुलना में ईएससी द्वारा निर्गत अतिरिक्त सामग्री की वसूली न होने के कारण ₹ 12.07 करोड़ मूल्य की सामग्री के दुरूपयोग या दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि ईएससी, साहिबगंज में संबंधित अधिकारियों से सामग्री विवरण प्राप्त करना अभी बाकी है। ईएससी, चास में, सामग्री आंशिक रूप से प्राप्त हुई थी, और शेष सामग्री संबंधित अधिकारियों के पास थी। ईएससी, कोडरमा के संबंध में यह बताया गया कि अंतिम भुगतान करने से पहले सामग्री का मिलान कर लिया गया था। ईएससी, कोडरमा के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा अवलोकन योजना क्लोजर प्रतिवेदन, सामग्री विवरणी और भंडार बहीखातों की परस्पर जाँच पर आधारित था, जो अंतिम बिलों के प्रसंस्करण के बाद तैयार/बंद किए गए थे। शेष तीन ईएससी के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा संख्या 4: कंपनी निजी ठेकेदारों या फील्ड अधिकारियों के पास पड़ी अप्रयुक्त सामग्री की शीघ्र वसूली सुनिश्चित कर सकती है।

अध्याय 6

लेखापरीक्षा कण्डिकाएँ:

6.1 बकाया और जुर्माने की राशि की वसूली न किया जाना

6.2 अव्यवहृत पुल के निर्माण पर निष्फल व्यय

6.3 निष्फल व्यय

अध्याय 6

पथ निर्माण विभाग

6.1 बकाया और जुर्माने की राशि की वसूली न किया जाना

कार्यपालक अभियंता ने संवेदक को अंतरिम भुगतान करते समय समायोजन एवं वसूली करने में इकरारनामा की शर्तों का पालन नहीं किया। सुरक्षा जमा की राशि ₹ 3.95 करोड़ को समय से पूर्व वापस कर दिया गया और ₹ 11.17 करोड़ की राशि का वसूली/समायोजन कार्य पूर्ण होने के पाँच वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं किया जा सका।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (झा.लो.नि.वि.) संहिता के अनुच्छेद 175 के अनुसार, अभियंता एवं उनके अधीनस्थ यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि अनुबंध की शर्तों को सख्ती से लागू किया जाय और इकरारनामा को अमान्य या निरस्त करने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जाय।

पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा चार सड़कों[1] के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2013 एवं जुलाई 2014 के मध्य) तथा प्रशासनिक स्वीकृति (सितम्बर 2013 तथा दिसम्बर 2014 के मध्य) क्रमशः ₹ 116.11 करोड़ तथा ₹ 127.24 करोड़ की दी गई थी। सभी कार्य चार अलग-अलग इकरारनामों के माध्यम से एक ही संवेदक को सौंपे गए (सितंबर 2013 और अप्रैल 2015 के मध्य)। कार्यपालक अभियंता (कार्य.अभि.), पथ प्रमंडल, राँची द्वारा ₹ 105.51 करोड़ के एकरारित मूल्य पर इकरारनामा निष्पादित (नवंबर 2013 और अप्रैल 2015 के बीच) किया गया जिसके कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि जनवरी 2015 और मई 2016 के मध्य थी। सभी कार्य फरवरी 2016 और जून 2016 के मध्य ₹ 88.37 करोड़ की लागत पर पूर्ण किए गए जैसा कि ***परिशिष्ट 6.1.1*** में वर्णित है। अंतिम विपत्र की मापी मई 2016 और मार्च 2017 के बीच ली गई थी जबकि अंतिम भुगतान किए गए विपत्रों की मापी फरवरी और अप्रैल 2016 के लिए गए थे। पूर्व में प्रमाणित अतिरिक्त कार्य मुख्य रूप से मिट्टी के कार्य, सब-बेस, बिटुमिनस और कंक्रीट कार्यों से संबंधित थे।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, राँची के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2018 से मार्च 2021 के बीच) तथा आगे एकत्रित की गई जानकारी (जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022) से ज्ञात होता है कि प्रमंडल काम पूरा होने के पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ₹ 11.17 करोड़ की वसूली नहीं कर सका जिसमें अधिक भुगतान

---

[1] *बिरसा चौक से तुपुदाना सड़क (बी.टी. सड़क), बिरसा राजपथ (न्यू मार्केट चौक से एच.इ.सी. गेट चौक) सड़क (बी.आर. सड़क), जस्टिस एल.पी.एन. शाहदेव चौक से बूटी मोड़ सड़क (एल.बी. सड़क) एवं नामकुम से डोरंडा सड़क (एन.डी. सड़क)*

(₹ 88.60 लाख), मूल्य समायोजन (₹ 3.40 करोड़), स्वामिस्व (₹ 1.15 करोड़) और लिक्विडेटेड डैमेज (₹ 5.74 करोड़) की राशि सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त, संवेदक को ₹ 3.95 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि को समय से पहले वापस कर दी गई थी जिसकी चर्चा आगे की गई है:

(क) अतिरिक्त मापी की अनुमति के कारण अधिक भुगतान

इकरारनामा (मानक बोली दस्तावेज) की धारा 42 के अनुसार, संवेदक को पूरे किये गये कार्य के अनुमानित मूल्य की मासिक विवरणी, पूर्व में प्रमाणित संचयी राशि को घटाकर, अभियंता को प्रस्तुत करना होगा। अभियंता 14 दिनों के अंदर संवेदक के मासिक विवरणी की जाँच करेंगे और संवेदक को भुगतान की जाने वाली राशि को प्रमाणित करेंगे।

अंतिम विपत्रों के अनुसार, चार में से तीन सड़कों का कार्य मूल्य पिछले भुगतान किए गए विपत्रों से ₹ 88.60 लाख कम था। यद्यपि अधिक भुगतान को अंतरण प्रविष्टि आदेश (अं.प्र.आ.) पास करके अंतिम विपत्र में समायोजित (जून 2017) दिखाया गया, लेकिन दिसंबर 2021 तक प्रमंडलीय खाते में समायोजन नहीं दर्शाया गया था।

(ख) अंतरिम विपत्रों से स्वामिस्व की राशि का वसूली न होना

इकरारनामा की धारा 43 के अनुसार, अग्रिम भुगतान की कटौती, प्रतिधारण और अन्य वसूली इकरारनामा के अनुसार एवं कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत स्रोत पर कर, भुगतेय राशि से समायोजित किया जाना चाहिए।

चार में से तीन सड़कों के अन्तिम विपत्र के अनुसार प्रमंडलीय उचंत शीर्ष में पड़ी ₹ 61.66 लाख की राशि सहित कुल ₹ 115.45 लाख की स्वामिस्व की राशि संवेदक से वसूली योग्य थी। प्रमंडल ने उचंत शीर्ष में पड़े सुरक्षा जमा राशि को डेबिट करते हुए केवल ₹ 53.80 लाख के लिए अं.प्र.आ. पास किया। उचंत शीर्ष में पड़ी स्वामिस्व की राशि को समायोजित करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2021 तक प्रमंडलीय खाते में राशि का समायोजन भी परिलक्षित नहीं हुआ।

(ग) मूल्य समायोजन नहीं किया जाना

इकरारनामा की धारा 47 के अनुसार, सामग्री की मूल्य दरों में वृद्धि या कमी होने पर और बिटुमेन की लागत में अंतर के लिए इकरारनामा की राशि को समायोजित किया जाएगा। मूल्य समायोजन प्रत्येक माह के दौरान निर्धारित किया जाएगा।

चार में से दो सड़कों के अंतिम विपत्रों के अनुसार, संवेदक से बिटुमेन की लागत का अंतर ₹ 1.32 करोड़ वसूली योग्य था जिसके लिए अं.प्र.आ. पारित किए गए थे लेकिन दिसंबर 2021 तक प्रमंडलीय खाते में समायोजन परिलक्षित नहीं हुआ था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा दो अन्य सड़कों में बिटुमेन और अन्य सामग्रियों के मूल्य के कम समायोजन के संबंध में इंगित किए जाने पर (जनवरी 2018 और मार्च 2019 के बीच), प्रमंडल ने ₹ 2.08 करोड़ की माँग (जुलाई 2019) बढ़ा दी। ₹ 3.40 करोड़ की राशि का समायोजन दिसंबर 2021 तक नहीं की गई थी।

(घ) लिक्विडेटेड डैमेज का अधिरोपण नहीं किया जाना

मानक बोली दस्तावेज (मा. बो. द.) की धारा 49 के अनुसार, संवेदक प्रत्येक दिन के लिए अनुबंध डेटा में बताए गए दर पर नियोक्ता को लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी) का भुगतान करेगा जो कि कार्य के पूर्णता तिथि से निर्धारित पूर्णता तिथि के बाद में है। एलडी की कुल राशि एकरारित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और नियोक्ता संवेदक के देय भुगतान से एलडी की कटौती कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार में से तीन सड़कों[2] के पूरा होने की मूल निर्धारित तिथियां जनवरी और जून 2015 के बीच थीं। इन कार्यों की अंतिम मापी जून 2016 और मार्च 2017 के बीच दर्ज की गयी थी। जबकि, प्रमंडल ने विशेष चलंत लेखा विपत्र के माध्यम से स्वीकार्य एलडी की राशि ₹ 8.30 करोड़ के विरुद्ध, एकरारित मूल्य का 10 प्रतिशत, केवल ₹ 2.56 करोड़[3] के एलडी की कटौती की गयी जो कि विपत्र मूल्य का 10 प्रतिशत है।

(ङ.) सुरक्षा जमा की अनियमित वापसी

इकरारनामा की धारा 48 के अनुसार, नियोक्ता इकरारनामा के अनुसार संवेदक को देय प्रत्येक भुगतान से सुरक्षा जमा अपने पास रखेगा। सुरक्षा जमा की आधी राशि काम के पूरा होने पर संवेदक को वापस कर दी जाती है और आधी राशि दोष दायित्व अवधि बीत जाने पर वापस की जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रमंडल ने चार सड़कों के अंतरिम भुगतान से ₹ 7.57 करोड़[4] के सुरक्षा जमा को रोक रखा लेकिन कार्य पूरा होने और अंतिम विपत्र के निपटान के पूर्व दो सड़कों के संबंध में ₹ 3.95 करोड़[5] वापस (दिसंबर 2015) कर दिए। इस प्रकार सुरक्षा जमा की समयपूर्व वापसी की सुविधा के लिए जारी किए जा रहे विरोधाभासी समापन प्रमाणपत्रों (अक्टूबर और दिसंबर 2015) से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

---

[2] *बी.टी. सड़क फरवरी 2015, बी.आर. सड़क जून 2015 एवं एन.डी. सड़क जनवरी 2015.*

[3] *बी.टी. सड़क: ₹ 3.79 करोड़ के विरुद्ध ₹ 86.22 लाख, बी.आर. सड़क: ₹ 2.04 करोड़ के विरुद्ध ₹ 23.89 लाख और एन.डी. सड़क: ₹ 2.47 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.46 करोड़*

[4] *बी.टी. सड़क: ₹ 3.03 करोड़, बी.आर. सड़क: ₹ 1.56 करोड़, एल.बी. सड़क: ₹ 1.13 करोड़ और एन.डी. सड़क: ₹ 1.85 करोड़*

[5] *बी.टी. सड़क: ₹ 3.03 करोड़ और एन.डी. सड़क: ₹ 92.44 लाख*

सुरक्षा जमा के समय से पहले वापसी ने भी प्रमंडल को अंतिम विपत्र के निपटान के समय सुरक्षा जमा से वसूलियों को समायोजित करने से रोका क्योंकि एक सड़क (बीटी रोड) में गलत अं.प्र.आ. पारित (जून 2017) किया गया था जिसमें ₹ 33.56 लाख[6] को सुरक्षा जमा से डेबिट किया गया था जबकि पूरी सुरक्षा जमा की राशि ₹ 3.03 करोड़ दिसंबर 2015 में ही वापस किए जा चुके थे।

(च) दो पूर्णता प्रमाणपत्रों के आधार पर समय वृद्धि प्रदान किया जाना

इसके अलावा, झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (झ.लो.नि.वि.) संहिता के अनुच्छेद 291 और 292 के अनुसार, यदि कोई अनुबंध विभागीय निविदा समिति (वि.नि.स.) द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो अभियंता प्रमुख (अभि.प्र.) को इकरारनामा में दिए गए समयावधि के 50 प्रतिशत तक समय विस्तार (स.वि.) देने का अधिकार है और यदि स.वि. की आवश्यकता 50 प्रतिशत से अधिक है, तो मामला विभागीय सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा जाएगा जिसके अन्य सदस्य अभि.प्र., आंतरिक वित्तीय सलाहकार और संबंधित मुख्य अभियंता (मु.अभि.) होंगे। इसके अलावा, यदि इकरारनामा को मु.अभि. के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो मु.अभि. को समायावधि के 25 प्रतिशत तक और अभि.प्र. को समयावधि के 50 प्रतिशत तक स.वि. देने का अधिकार है। इकरारनामा में दिए गए समयावधि के 50 प्रतिशत से अधिक के स.वि. को समिति के पास भेजा जाएगा।

मा.बो.द. की धारा 55 और 56 में फिर से कहा गया है कि संवेदक अभियंता से काम पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करेगा और अभियंता यह तय करेगा कि काम पूरा हो गया है। अभियंता के काम पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करने के सात दिनों के भीतर नियोक्ता साइट और कार्यों को अपने हाथ में ले लेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इकरारनामा के प्रावधानों से परे कार्य पूरा होने के प्रतिवेदन की तिथि के पांच वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद कार्य.अभि. द्वारा दो बार जारी किए गए दो विरोधाभासी समापन प्रमाणपत्रों के आधार पर स.वि. प्रदान किया गया था। इसके अलावा, झा.लो.नि.वि. संहिता के तहत प्राधिकारियों ने अपने प्रत्यायोजित शक्तियों से परे जाकर स.वि. प्रदान किया गया जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- **बीटी सड़क**

  बीटी सड़क के कार्य पूर्ण होने की मूल निर्धारित अवधि 15 महीने थी, यानी 26 फरवरी 2015 तक। कार्य.अभि. द्वारा एक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी (अक्टूबर 2015) किया गया था जिसमें समापन तिथि 14 सितंबर 2015 दर्शाई गई थी जिसके लिए

---

6 *स्वामिस्व कि राशि कि कटौती के लिए ₹ 16.53 लाख उचंत शीर्ष में पड़े ₹ 37.28 लाख को छोड़कर और ₹ 17.03 लाख का अधिक भुगतान*

अभि.प्र. द्वारा बीटी सड़क के लिए स.वि. प्रदान (जुलाई 2016) किया गया था। संवेदक ने पुनः 26 फरवरी 2016 तक स.वि. के लिए अनुरोध (सितंबर 2020) किया जिसकी क्षेत्र अभियंताओं द्वारा सिफारिश की गई थी जो दिसंबर 2021 तक अभि.प्र. के पास पड़ा हुआ था। नई पूर्णता तिथि (26 फरवरी 2016) के समर्थन में कार्य.अभि. द्वारा 24 अगस्त 2021 को यानी अंतिम बिल जमा करने के चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद एक और पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया था।

- **बीआर सड़क**

  बीआर सड़क के कार्य पूर्ण होने की मूल निर्धारित अवधि 10 महीने यानी 29 जून 2015 तक थी। कार्य.अभि. द्वारा 23 अक्टूबर 2015 को एक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें पूर्णता तिथि 30 सितंबर 2015 दर्शाई गई थी। संवेदक के अनुरोध (सितंबर 2020) पर मु.अभि. द्वारा काम पूरा होने के पांच साल बाद स.वि. प्रदान (अप्रैल 2021) किया गया था। इसके अलावा, झा.लो.नि.वि. संहिता के अनुसार यह स.वि., वि.नि.स. द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए था क्योंकि वि.नि.स. द्वारा अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया (अगस्त 2014) था। हालाँकि, 18 जून 2016 को कार्य पूरा होने की सूचना (जुलाई 2019) कार्य.अभि. द्वारा संवेदक को दी गयी थी।

- **एनडी सड़क**

  एनडी सड़क के कार्य पूर्ण होने की मूल निर्धारित अवधि 12 महीने यानी 14 जनवरी 2015 तक थी। कार्य.अभि. द्वारा 7 दिसंबर 2015 को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें 30 नवंबर 2015 की पूर्णता तिथि दर्शाई गई थी। आगे, संवेदक ने काम पूरा होने के पाँच साल बाद 30 नवंबर 2015 तक स.वि. के लिए अनुरोध (सितंबर 2020) किया जो फरवरी 2021 तक अधीक्षण अभियंता के पास पड़ा हुआ था। हालाँकि काम 22 फरवरी 2016 को पूरा हो गया था जैसा कि संवेदक को कार्य.अभि. के द्वारा सूचित (जुलाई 2019) किया गया था।

अतः अंतिम विपत्र के चार वर्षों के बाद स.वि. के लिए मनोरंजक अनुरोधों के माध्यम से, विरोधाभासी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने और शक्ति के प्रत्यायोजन से परे स.वि. की मंजूरी दिए जाने के फलस्वरूप संवेदक को अनुचित वित्तीय लाभ दिए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ₹ 5.74 करोड़ के एलडी की वसूली नहीं हुई।

इस प्रकार, पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभाग ₹ 11.17 करोड़ की वसूली/ समायोजन नहीं कर सका, जिसमें अधिक भुगतान (₹ 88.60 लाख), मूल्य समायोजन (₹ 3.40 करोड़), स्वामिस्व (₹ 1.15 करोड़) और लिक्विडेटेड डैमेज (₹ 5.74

करोड़) शामिल था। इसके विरुद्ध प्रमंडल मात्र ₹ 3.62 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि रोक रखा था। इसके अतिरिक्त, प्रमंडल द्वारा उचंत शीर्ष में पड़े ₹ 3.18 करोड़[7] की राशि को हस्तांतरित नहीं किया गया था जो पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

इन्हें इंगित किये जाने पर कार्यपालक अभियंता ने विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया तथा बताया (जनवरी 2022) कि समय वृद्धि प्रदान करने का निर्णय प्रक्रियाधीन थे तथा विभाग से निर्देश प्राप्त करने के बाद रोकी गयी राशि के संबंध में कार्रवाई की जायेगी।

तथापि, तथ्य यह है कि विभाग पाँच वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अपना बकाया वसूल नहीं कर सका क्योंकि क्षेत्र अभियंताओ ने इकरारनामा की शर्तों का पालन नहीं किया।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

6.2 अव्यवहृत पुल के निर्माण पर निष्फल व्यय

पहुँच पथ के लिए भूमि का अधिग्रहण किए बिना पुल का काम शुरू करने के परिणामस्वरूप निर्मित पुल छः साल से अधिक समय से बेकार पड़ा हुआ है और ₹ 1.24 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (झ.लो.नि.वि.) संहिता 2012 के नियम 132 के अनुसार, आकस्मिक कार्य जैसे दरारों की मरम्मत आदि के मामले को छोड़कर कोई भी निर्माण उस भूमि पर शुरू नहीं किया जाना चाहिए जो एक जिम्मेदार असैनिक अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत नहीं किया गया हो।

बुंडू-राहे रोड पर भोरोंगडीह नाला पर पहुँच पथ सहित एक उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल का निर्माण प्रशासनिक रूप से स्वीकृत (दिसंबर 2012) था और पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत (जनवरी 2013) जिसकी लागत ₹ 2.02 करोड़ था। प्राक्कलन में पहुँच-पथ के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹ 14 लाख का एकमुश्त प्रावधान भी शामिल था।

कार्यपालक अभियंता (कार्य.अभि.), पथ निर्माण प्रमंडल (प्रमंडल), राँची (ग्रामीण) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2020, जनवरी 2021 एवं अप्रैल 2021) से पता चला कि ₹ 1.73 करोड़ पुल एवं पहुँच-पथ निर्माण का कार्य के लिए एक संवेदक को प्रदान किया गया था (मार्च 2013)| पहुँच-पथ के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किए बिना दिसंबर 2013 तक पूरा किया जाना था। संवेदक ने पुल का काम

---

[7] *रोकी गई लिक्विडेटेड डैमेज ₹ 2.56 करोड़ और स्वामिस्व ₹ 61.65 लाख*

पूरा किया (मार्च 2015) और ₹ 1.24 करोड़ (मार्च 2015) का भुगतान किया गया, लेकिन भूमि का अधिग्रहण नहीं होने के कारण पहुँच-पथ का काम शुरू नहीं कर सका। संवेदक ने कार्य.अभि. से अनुबंध समाप्त करने का अनुरोध भी किया (जुलाई 2014 और जून 2017) क्योंकि समय की तय सीमा बढ़ जाने के कारण उद्धृत दरों पर आगे कार्य का निष्पादन संभव नहीं था।

आगे, लेखापरीक्षा में देखा गया कि कार्य.अभि. ने भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला भू-अर्जन अधिकारी (डी.एल.ए.ओ.), राँची को पुल निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तिथि (मार्च 2013) से एक वर्ष से अधिक के विलम्ब से प्रस्तुत किया (मई 2014)। तथापि, डी.एल.ए.ओ ने कार्य.अभि. को निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा (मई 2016)। कार्य.अभि. ने निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मई 2016) जिसके खिलाफ डी.एल.ए.ओ., राँची ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की और भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित (सितंबर 2017) की। डी.एल.ए.ओ. ने भूमि अधिग्रहण लागत के रूप में कार्य.अभि. से ₹ 31.01 लाख की माँग की (नवंबर 2017)।

चूँकि मूल प्राक्कलन में भूमि अधिग्रहण के लिए केवल ₹ 14 लाख का प्रावधान था, इसलिए कार्य.अभि. ने भूमि अधिग्रहण और शेष कार्य के लिए ₹ 31.01 लाख के प्रावधान सहित ₹ 2.37 करोड़ का संशोधित प्राक्कलन (सं.प्रा.) तैयार कर (दिसंबर 2017) अधीक्षण अभियंता (अ.अभि.), रोड सर्कल, राँची को वर्तमान अनुसूची दरों (एस.ओ.आर.) पर (₹ 74.05 लाख से ₹ 99.96 लाख तक) प्रस्तुत किया। हालाँकि, सं.प्रा. मार्च 2018 में मुख्य अभियंता (मु.अभि.), केंद्रीय निरूपण संगठन (सी.डी.ओ.), पथ निर्माण विभाग को प्रस्तुत किया गया था लेकिन इस तर्क पर अनुमोदित नहीं किया गया था कि अनुबंध लागू था। कार्य को बंद करने का प्रस्ताव अभियंता प्रमुख को, प.नि.वि. मुख्य अभियंता (संचार) द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2018) किया गया था लेकिन निर्णय प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

यद्यपि डी.एल.ए.ओ. ने कार्य.अभि. से भूमि अधिग्रहण की लागत जमा करने का अनुरोध किया (जुलाई 2018 एवं नवंबर 2018), लेकिन यह नहीं किया जा सका क्योंकि पुनरीक्षित संस्वीकृति प्रतीक्षित थी। अधिग्रहण प्रक्रिया समाप्त हो गई थी क्योंकि सितंबर 2017 में अधिसूचना जारी होने के एक वर्ष के भीतर इसे पूरा नहीं किया गया था। कार्य.अभि. ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत किया (अगस्त 2019) जिसके खिलाफ डी.एल.ए.ओ., राँची ने पुन: प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित (अगस्त 2020) की और भूमि अधिग्रहण लागत के रूप में ₹ 28.24 लाख की माँग (दिसम्बर 2020)।

लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) के इंगित करने के बाद मुख्य अभियंता, सी.डी.ओ. ने ₹ 28.24 लाख की भूमि अधिग्रहण लागत सहित ₹ 2.16 करोड़ की संशोधित तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की (मार्च 2021)। यद्यपि कार्य.अभि. ने भूमि अधिग्रहण के लिए डी.एल.ए.ओ., राँची के पास ₹ 28.24 लाख जमा (जुलाई 2021) किया, लेकिन आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया (जुलाई 2021)।

इस प्रकार पूर्वोक्त झ.लो.नि.वि. सहिता के प्रावधानों को छोड़कर, पहुँच पथ के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण किये बिना कार्य. अभि. द्वारा पुल का निर्माण शुरू करने और मु.अभि., सी.डी.ओ. द्वारा संशोधित प्राक्कलन के अनुमोदन में तीन साल से अधिक की देरी में पुल का निर्माण किया गया और मार्च 2015 में ₹ 1.24 करोड़ की लागत से पूर्ण होने के बाद भी छः वर्षों से अधिक समय तक उपयोग में नहीं लाई जा सकी। अव्यवहृत पुल का चित्र नीचे दर्शाया गया हैं:

अव्यवहृत पड़े पुल की चित्र (जनवरी 2021)

इंगित किए जाने पर (जनवरी 2021 एवं अप्रैल 2021) कार्य. अभि. ने डीएलएओ को प्रारम्भिक भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलम्ब, संशोधित प्राक्कलन के अनुमोदन में तीन वर्ष का विलम्ब एवं कार्य बंद करने में विफलता के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। आगे, कार्यपालक अभियंता का उत्तर (जुलाई 2021) मौन रहा क्योंकि पहुँच पथ के लिए भूमि अधिग्रहित किए बिना कार्य प्रारंभ करने का कार्यादेश क्यों दिया गया। तथ्य यह भी है कि आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है और मार्च 2022 तक पहुँच पथ का कार्य नहीं किया गया है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2022)।

6.3 निष्फल व्यय

मुख्य अभियंता (मु.अभि.), केंद्रीय निरूपण संगठन (सी.डी.ओ.), पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) ने प्रारंभ में भूमि अधिग्रहण के प्रावधान को मंजूरी नहीं दी थी, हालाँकि यह मूल प्राक्कलन में शामिल था। बाद में, विभागीय अभियंताओं ने संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करने और अनुमोदन करने में देरी की, जिसके कारण बक्सा नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल आठ साल से अधिक समय से पूरा नहीं हो सका, जिससे ₹ 97.04 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), झारखण्ड सरकार के आदेश (अगस्त 2012) के अनुसार, यदि किसी पुल निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, तो संबंधित जिला भू-अर्जन अधिकारी (डी.एल.ए.ओ.) से आवश्यक भूमि की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए।

एक उच्च स्तरीय (एच.एल.) पुल का निर्माण हेतु बक्सा नदी पर चौपारण-चतरा सड़क पर पहुँच पथ के साथ पथ निर्माण विभाग द्वारा ₹ 1.88 करोड़ के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत (अक्टूबर 2012) और प्रशासनिक रूप से स्वीकृत (अक्टूबर 2012) किया गया था। निर्माण कार्य जून 2014 तक कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता (कार्य. अभि.) पथ प्रमंडल (प.प्र.), चतरा द्वारा ₹ 1.81 करोड़ का अनुबन्ध (फरवरी 2013) किया गया। संवेदक द्वारा आंशिक रूप से काम[8] किया और ₹ 97.04 लाख का भुगतान (सितम्बर 2016) किया गया।

पथ प्रमंडल, चतरा के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2017 एवं सितम्बर 2021) में पाया गया कि पुल के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 9.24 लाख का प्रावधान था जो कि पहुँच पथ के निर्माण के लिए आवश्यक था। तथापि, मुख्य अभियंता (मु.अभि.), केंद्रीय निरूपण संगठन (सी.डी.ओ.), प.नि.वि., राँची ने तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय बिना कोई कारण दर्ज किए भूमि अधिग्रहण के प्रावधान को मंज़ूरी नहीं दी।

यद्ययपी पुल का कार्य प्रगति पर था, प्रमंडल द्वारा पहुँच पथ के निर्माण के लिए 0.54 एकड़ भूमि की आवश्यकता का आकलन किया गया था। कार्य.अभि. ने जिला भू-अर्जन अधिकारी (डी.एल.ए.ओ.), चतरा को भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जुलाई 2013) जिसके विरुद्ध डी.एल.ए.ओ. ने कार्य.अभि. से ₹ 46 लाख की मांग[9] की (जनवरी 2015)। संवेदक ने रैयतों द्वारा एबटमेंट (इटखोरी की तरफ) के नींव के काम के निष्पादन में बाधा के संबंध में भी सूचित किया (मई 2015 और नवंबर 2017 के बीच) क्योंकि उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

हालाँकि भूमि अधिग्रहण के लिए धन की व्यवस्था के लिए प्राक्कलन में संशोधन की आवश्यकता थी और इसके लिए डी.एल.ए.ओ. द्वारा माँग रखी गई थी (जनवरी 2015), कार्य.अभि. ने ₹ 2.35 करोड़[10] के लिए संशोधित प्राक्कलन (सं.प्रा.) मु.अभि. (सी.डी.ओ.)

---

8 *मिट्टी का काम, वलयाकार स्थान भरना, पीसीसी और आरसीसी, फिल्टर मीडिया प्रदान करना और बिछाना, एबटमेंट में बैक फिलिंग, इलास्टोमेरिक बेयरिंग की आपूर्ति, फिटिंग और फिक्सिंग और एचवायएसडी बार लगाना आदि।*

9 *मई 2018 में संशोधित किया गया और केवल ₹ 45 लाख की मांग की गई।*

10 *भूमि अधिग्रहण (₹ 45 लाख) और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी शिफ्टिंग (₹ 2.07 लाख) सहित और फिर से ₹ 2.59 करोड़ (अक्टूबर 2018) में सबस्ट्रक्चर की लागत में वृद्धि (₹ 24 लाख) को शामिल करने के बाद संशोधित किया गया*

को साढ़े तीन वर्षों के देरी के बाद, अभिलेख में जिसके कारण उपलब्ध नहीं था, प्रस्तुत किया (जून 2018)। मु.अभि. (सी.डी.ओ.) ने कार्य. अभि. को उचित माध्यम से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करने के लिए कहा (नवंबर 2018) लेकिन मु.अभि. (संचार) की सहमति की प्रतीक्षा के कारण सं.प्र. का तकनीकी स्वीकृति लंबित था (मार्च 2021)।

इस बीच, निर्माण एजेंसी के मुख्य साझेदार की मृत्यु (फरवरी 2020) हो गई और अन्य साझेदारों ने कार्य पूरा करने में असमर्थता व्यक्त की (मार्च 2020)। मुख्य अभियंता (संचार) ने कार्य. अभि. को निर्देश दिया (जनवरी 2021) कि अंतिम मापी लेकर शेष कार्य के लिए संशोधित प्राक्कलन तैयार करें। कार्य.अभि. ने ₹ 1.18 करोड़ मूल्य के कार्य के लिए अंतिम मापी (मई 2021) लिया एवं ₹ 3.28 करोड़[11] के लिए एक संशोधित प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता (अ.अभि.) अनुबंध को बंद करने और शेष कार्य के लिए एन.आई.टी. जारी करने की अनुमति देने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया (सितंबर 2021)। संशोधित प्राक्कलन को अभी तक मंजूरी दी जानी है (अप्रैल 2022)।

इस प्रकार, प्रारंभिक रूप से मुख्य अभियंता (सी.डी.ओ.) द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रावधान की स्वीकृति नहीं होने के कारण, हालाँकि मूल प्राक्कलन में शामिल किया गया था, और विभागीय अभियंताओं द्वारा सं.प्रा. की प्रस्तुति और स्वीकृति में पाँच वर्ष से अधिक की असामान्य देरी के कारण, प्रस्तावित कार्य शुरू होने के आठ साल (फरवरी 2013) से अधिक बीत जाने के बाद भी पुल अधूरा रहा (जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है) जिससे ₹ 97.04 लाख का व्यय निष्फल रहा।

बक्सा नदी पर चौपारण-चतरा मार्ग पर अधूरे पुल के चित्र 18 सितंबर 2021 को लिए गए

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मुख्य अभियंता (सी.डी.ओ.) ने कहा (मार्च 2021) कि योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किए जाने की तत्काल आवश्यकता थी एवं भूमि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर इसे प्रदान किया गया था। आगे उन्होंने कहा कि जून 2018 में प्रस्तुत संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत नहीं किया गया था क्योंकि मुख्य अभियंता (संचार) की सहमति प्राप्त नहीं हुई थी।

---

[11] *ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य ₹ 1.18 करोड़, शेष कार्य की लागत ₹ 1.63 करोड़, भूमि अधिग्रहण ₹ 45 लाख एवं विद्युत यूटिलिटी शिफ्टिंग ₹ 2.07 लाख।*

मुख्य अभियंता (सी.डी.ओ.) का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पहुँच पथ के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक था तथा भूमि अधिग्रहण के प्रावधान को छोड़कर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना क्रम में नहीं था। इसके अलावा, संशोधित प्राक्कलन के अनुमोदन में देरी से इंगित हुआ कि क्षेत्र स्तर के अधिकारियों यानी, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता (संचार) ने भूमि के अधिग्रहण और पुल को पूरा करने के लिए आवश्यक उचित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2022)।

राँची
दिनांक: 06 मई 2023

(अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 09 मई 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्टयाँ

परिशिष्ट 1.1

(कंडिका 1.2 में संदर्भित; पृष्ठ 2)

महालेखाकार झारखण्ड के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभागों तथा स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों/ कंपनियों की सूची

विभाग

क्र. सं.	विभागों के नाम
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता
2	भवन निर्माण
3	कैबिनेट निर्वाचन
4	कैबिनेट सचिवालय एवं सतर्कता
5	वाणिज्य-कर
6	पेयजल एवं स्वच्छता
7	ऊर्जा
8	उत्पाद एवं मद्यनिषेध
9	वित्त
10	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले
11	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
12	स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण
13	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
14	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
15	उद्योग
16	सूचना एवं जन-संपर्क
17	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इ-प्रशासन
18	श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास
19	विधि
20	खान एवं भूतत्व
21	पंचायती राज
22	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा
23	योजना एवं विकास
24	राजस्व, पंजीकरण एवं भूमि सुधार
25	पथ निर्माण

क्र. सं.	विभागों के नाम
26	ग्रामीण विकास
27	ग्रामीण कार्य
28	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
29	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास
30	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा मामले
31	परिवहन
32	शहरी विकास एवं आवास
33	जल संसाधन
34	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

स्वायत्त निकाय

क्र. सं.	विभाग	स्वायत्त निकाय का नाम	जिला
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामतारा
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूँटी
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ
21	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी	नामकुम, राँची
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सराय केला खरसावाँ
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पश्चिमी सिंहभूम
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहिबगंज
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद	राँची
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी	राँची
28	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय	नेतरहाट
29	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	देवघर
30	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	लातेहार
31	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	हजारीबाग
32	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	गिरिडीह
33	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	गढ़वा
34	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	राँची
35	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	जमशेदपुर
36	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	रामगढ़
37	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	चाईबासा
38	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	सिमडेगा
39	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	कोडरमा
40	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	दुमका

क्र. सं.	विभाग	स्वायत्त निकाय का नाम	जिला
41	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	गोड्डा
42	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	पाकुड़
43	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	सराय केला
44	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	लोहरदगा
45	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	बोकारो
46	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	चतरा
47	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	धनबाद
48	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	गुमला
49	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	पलामू
50	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	साहिबगंज
51	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	जामताड़ा
52	ग्रामीण विकास	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण	खूँटी
53	शिक्षा (उच्च एवं तकनीकी)	बिरला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची
54	विमानन	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राँची	राँची
55	सूचना तकनीकी	पदोन्नति के लिए झारखण्ड आवेदन संस्थान (जैप-आई टी)	राँची
56	सूचना तकनीकी	झारखण्ड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, धुर्वा, राँची	राँची
57	सामाजिक कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची
58	सूचना तकनीकी एवं इ-प्रशासन	राज्य सूचना आयोग	राँची
59	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो
61	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आदित्यपुर	जमशेदपुर
62	वन	लाख ट्रीटमेंट प्लांट, लातेहार	लातेहार
63	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, झारखण्ड	राँची
64	शिक्षा (उच्च एवं तकनीकी)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, झारखण्ड सरकार	राँची
65	वन	वन में लाख खेती फसल, डोरंडा	राँची
66	पशुपालन	बेकन फैक्ट्री, काँके, राँची	राँची
67	विधि	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राँची	राँची
68	सूचना एवं जन संपर्क	गवर्नमेंट प्रेस, राँची	राँची
69	शिक्षा	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची
70	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/ परिषद् डोरंडा, राँची	राँची
71	उद्योग	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची
72	स्वास्थ्य	निदेशक, आर. के. मिशन, टी.बी. सेनेटोरियम, तुपुदाना	राँची
73	शिक्षा	निदेशक, आर. के. मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची
74	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या समाज, कडरू, राँची	राँची
75	वन	कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड	राँची
76	वन	वन विकास प्राधिकरण	राँची

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष
1	2	3	4
	ऊर्जा क्षेत्र		
1	झारबिहार कोलियरी लिमिटेड	ऊर्जा	जून 2009
2	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	अक्टूबर 2013
3	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	अक्टूबर 2013
4	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	अक्टूबर 2013
5	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	ऊर्जा	सितम्बर 2013
6	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	ऊर्जा	सितम्बर 2008
7	पतरातू ऊर्जा लिमिटेड	ऊर्जा	अगस्त 2012
8	तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड	ऊर्जा	नवम्बर 1987
	गैर-ऊर्जा क्षेत्र		
9	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	जनवरी 2016
10	झारखण्ड राज्य पेय-पदार्थ निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल)	उत्पाद	नवम्बर 2010
11	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	जून 2010
12	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जेएसएफडीसी)	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	मार्च 2002
13	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संरचना विकास एवं क्रय निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	मई 2013
14	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल)	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	मार्च 2002
15	आदित्यपुर इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण क्लस्टर लिमिटेड	उद्योग	नवम्बर 2016
16	अटल बिहारी वाजपेयी नवोन्मेष प्रयोगशाला	उद्योग	दिसम्बर 2018
17	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	उद्योग	सितम्बर 2016
18	झारखण्ड रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	जुलाई 2018
19	झारखण्ड सिल्क वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	अगस्त 2006
20	झारखण्ड राज्य उद्योगिक संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	दिसम्बर 2004
21	झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड	सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-प्रशासन	जनवरी 2017
22	झारखण्ड चलचित्र विकास निगम लिमिटेड	सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-प्रशासन	सितम्बर 2016
23	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी)	खान एवं भूतत्व	मई 2002

क्र. सं.	एसपीएसई का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष
24	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा-वर्ग कल्याण	मार्च 2012
25	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा मामले	मार्च 2002
26	राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	परिवहन	सितम्बर 2016
27	वृहत राँची विकास एजेंसी	शहरी विकास एवं आवास	जनवरी 2003
28	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	दिसम्बर 2015
29	झारखण्ड शहरी संरचना विकास कंपनी लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	नवम्बर 2013
30	झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	सितम्बर 2016
31	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम लिमिटेड	जल संसाधन	मार्च 2002

परिशिष्ट 2.1

(कंडिका 2.4.7 में संदर्भित; पृष्ठ 60)

नमूना-जाँचित शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के दौरान जल उपयोक्ता शुल्क की मांग एवं संग्रहण का विवरण

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकायों	वित्तीय वर्ष	कुल मांग	कुल संग्रहण	परि. एवं अनु. लागत	संग्रहण का परि. एवं अनु. लागत के साथ प्रतिशत
			(₹ लाख में)			
1.	बासुकीनाथ नगर पंचायत	2016-17	28.12	7.72	13.87	55.7
		2017-18	28.19	6.59	13.87	47.5
		2018-19	29.59	7.6	41.17	18.5
		2019-20	30.48	5.1	48.16	10.6
		2020-21	34.24	2.36	17.42	13.5
		कुल	**150.62**	**29.37**	**134.49**	**21.8**
2.	देवघर नगर निगम	2016-17	74.34	17.59	अनुपलब्ध	
		2017-18	114.96	20.11	अनुपलब्ध	
		2018-19	162.41	41.78	अनुपलब्ध	
		2019-20	199.37	38.21	416.78	9.2
		2020-21	251.98	67.42	416.78	16.2
		कुल	**803.06**	**185.11**	**833.56**	**22.2**
3.	धनबाद नगर निगम	2016-17	1,930.79	449.96	617.43	72.9
		2017-18	2,182.25	423.27	1,189.91	35.6
		2018-19	2,453.33	500.24	1,509.23	33.1
		2019-20	2,438.28	495	1,300	38.1
		2020-21	5,154.41	369.17	1,700	21.7
		कुल	**14,159.1**	**2,237.64**	**6,316.57**	**35.4**
4.	गोड्डा नगर परिषद्	2016-17	136.38	14.24	37.38	38.1
		2017-18	139.28	6.76	37.38	18.1
		2018-19	149.46	3.91	37.38	10.5
		2019-20	163.41	2.92	37.38	7.8
		2020-21	179.07	2.15	37.38	5.8
		कुल	**767.6**	**29.98**	**186.9**	**16.0**
5.	हुसैनाबाद नगर पंचायत	2016-17	16.19	1.27	0.73	174.0
		2017-18	22.41	3.26	1.15	283.5
		2018-19	26.7	1.02	1.18	86.4
		2019-20	33.26	3.08	2.11	146.0
		2020-21	37.75	1.49	4.39	33.9
		कुल	**136.31**	**10.12**	**9.56**	**105.9**
6.	खूँटी नगर पंचायत	2016-17	49.61	4.92	अनुपलब्ध	
		2017-18	58.81	10.79	8.42	128.1
		2018-19	63.25	10.84	2.76	392.8
		2019-20	68.28	11.2	1.91	586.4
		2020-21	73.56	9.69	अनुपलब्ध	
		कुल	**313.51**	**47.44**	**13.09**	**362.4**

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकायों	वित्तीय वर्ष	कुल मांग	कुल संग्रहण	परि. एवं अनु. लागत	संग्रहण का परि. एवं अनु. लागत के साथ प्रतिशत
			(₹ लाख में)			
7.	मेदिनीनगर नगर निगम	2016-17	287.06	25.71	0.35	7345.7
		2017-18	315.68	27.94	3.55	787.0
		2018-19	343.09	30.36	11	276.0
		2019-20	373.17	25.13	अनुपलब्ध	
		2020-21	412.58	25.78	अनुपलब्ध	
		कुल	**1,731.58**	**134.92**	**14.9**	**905.5**
8.	फुसरो नगर परिषद्	2016-17	61.36	7.75	6.01	129.0
		2017-18	62.07	7.35	19.86	37.0
		2018-19	63.4	4.19	18.34	22.8
		2019-20	68.17	5.86	6.96	84.2
		2020-21	71.5	3.95	3.78	104.5
		कुल	**326.5**	**29.1**	**54.95**	**53.0**
9.	राँची नगर निगम	2016-17	6,177.78	389.02	अनुपलब्ध	
		2017-18	6,721.19	414.67	अनुपलब्ध	
		2018-19	7,091.56	436.18	अनुपलब्ध	
		2019-20	7,222.38	436.4	140.9	309.7
		2020-21	7,098.41	190.04	अनुपलब्ध	
		कुल	**34,311.3**	**1,866.31**	**140.9**	**1324.6**
10.	सिमडेगा नगर परिषद्	2016-17	67.64	26	31.86	81.6
		2017-18	78.26	5.34	31.86	16.8
		2018-19	86.17	5.23	31.86	16.4
		2019-20	91.63	9.34	31.86	29.3
		2020-21	81.4	4.78	31.86	15.0
		कुल	**405.1**	**50.69**	**159.3**	**31.8**
कुल योग			**53,104.66**	**4,620.68**	**7,864.22**	

स्रोत: *नमूना-जाँचित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त आँकड़े*

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.1 में संदर्भित; पृष्ठ 70)

मल एवं जल निकास परियोजना के तहत क्रियान्वित किए जाने वाले घटक

क्र. सं.	घटक	कुल लागत (₹ करोड़ में)	अभ्युक्ति
1	सीवर के पाइप की आपूर्ति एवं बिछाने, सड़क की मरम्मत, मैनहोल का निर्माण, गृह सेवा संपर्क का निर्माण, आदि (मुख्य ट्रंक लाइन का 11.74 किमी और नेटवर्क लाइन का 268 किमी)	177.86	वस्तु दर अनुबंध
2	आधुनिक तकनीक पर आधारित 37 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की डिजाइनिंग, आपूर्ति, निर्माण, रचना, शुरू करना	42.00	टर्नकी आधार पर
3	एसटीपी का पाँच साल का रखरखाव एवं परिचालन	4.21	टर्नकी आधार पर
4	10.2 एमएलडी क्षमता के सीवेज पंपिंग स्टेशन (एसपीएस) की डिजाइनिंग, आपूर्ति, निर्माण, रचना, शुरू करना	5.80	टर्नकी आधार पर
5	एसपीएस का पाँच साल का रखरखाव एवं परिचालन	0.28	टर्नकी आधार पर
6	वर्षा जल नालियों का निर्माण (207 कि.मी.)	120.38	वस्तु दर अनुबंध
7	वर्षा जल पाइप का निर्माण	1.65	वस्तु दर अनुबंध
8.	पुलिया निर्माण	7.07	वस्तु दर अनुबंध
	कुल	**359.25**	

परिशिष्ट 3.2

(कंडिका 3.2.3.2 एवं 3.2.3.3 में संदर्भित; पृष्ठ 86 एवं पृष्ठ 90)

संविदा समाप्त होने के बाद संवेदक से कम वसूली की गणना

				(राशि ₹ में)
संवेदक के साथ इकरारनामा का मूल्य				3,59,25,00,465
संवेदक द्वारा किए गए कार्य का कुल मूल्य (अनुबंध की समाप्ति तक)				84,00,09,835
अधूरे काम का मूल्य				2,75,24,90,630
आरएमसी के पास उपलब्ध संवेदक की कुल जमानत राशि				21,92,89,729
(i) प्रारंभिक निष्पादन सुरक्षा (बीजी)		3,02,00,000 14,94,25,023		
(ii) वास्तव में बिलों से काटे गए सुरक्षा जमा		3,96,64,706		
संवेदक को दिया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम		53,88,75,070		53,88,75,070
बिलों से वसूल किया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम (मूल राशि)		17,98,00,000		17,98,00,000
अनुबंध की समाप्ति के समय वसूली के लिए मोबिलाइजेशन की शेष राशि (मूलधन)।		35,90,75,070		35,90,75,070
दोषपूर्ण कार्य के लिए कटौती की जाने वाली राशि		61,41,398		61,41,398
आरएमसी द्वारा की गई कम वसूली के लिए गणना				
जेएमएएम, 2012 के प्रावधानों के आधार पर			इकरारनामा के प्रावधानों के आधार पर	
कार्य पूरा करने के लिए संवेदक से वसूलनीय अतिरिक्त लागत (गैर-निष्पादित कार्य का 20 प्रतिशत)	55,04,98,126	55,04,98,126(ए)	जब्त किए जाने योग्य प्रारंभिक निष्पादन सुरक्षा (अनुबंध मूल्य का 2 प्रतिशत)	7,18,50,000(जी)
जब्त किए जाने योग्य जमानत राशि (i) प्रारंभिक निष्पादन सुरक्षा (5 प्रतिशत) (ii) विपत्रों से किए जाने वाले सुरक्षा जमा की कटौती (निष्पादित कार्य के मूल्य का 5 प्रतिशत)	 17,96,25,023 4,20,00,491	22,16,25,514(बी)	विपत्रों से कटौती की गई जब्त किए जाने योग्य जमानत राशि (निष्पादित कार्य के मूल्य का 3 प्रतिशत)	2,52,00,295(एच)
मोबिलाइजेशन अग्रिम की शेष राशि (मूलधन), संविदा की समाप्ति के समय वसूली किए जाने के लिए		35,90,75,070(सी)	संविदा की समाप्ति के समय वसूली के लिए मोबिलाइजेशन की शेष राशि (मूलधन)।	35,90,75,070(आई)
दोषपूर्ण कार्य के लिए कटौती की जाने वाली राशि		61,41,398(डी)	दोषपूर्ण कार्य के लिए कटौती की जाने वाली राशि	61,41,398(जे)

				(राशि ₹ में)
समाप्ति के समय कुल वसूली योग्य राशि (ए+बी+सी+डी)		113,73,40,108(ई)	समाप्ति के समय कुल वसूली योग्य राशि (जी+एच+आइ+जे**)**	46,22,66,763(के)
आरएमसी द्वारा वसूल की गई वास्तविक राशि (i) बीजी को जब्त करके (ii) बिलों से सुरक्षा जमा द्वारा	 35,96,25,023 3,96,64,706	39,92,89,729(एफ)	आरएमसी द्वारा वसूल की गई वास्तविक राशि (i) बीजी को जब्त करके (35,96,25,023) (ii) बिलों से सुरक्षा जमा द्वारा (3,96,64,706)	39,92,89,729(एल)
जेएमएएम, 2012 के प्रावधानों के आधार पर कम वसूली की राशि	(इ - एफ)	**73,80,50,379**	**एकरारनामा के प्रावधानों के आधार पर कम वसूली की राशि (के -एल)**	**6,29,77,034**

परिशिष्ट 3.3

(कंडिका 3.2.3.4(i) में संदर्भित; पृष्ठ 93)

नए संवेदक के लिए मैसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा अनुशंसित मूल्य विभाजन के आधार पर संरेखण एवं रूपांकन हेतु घटक-वार राशि

क्र.सं.	घटक	उप-घटक	कुल लागत में से घटक प्रतिशत	कार्यकलाप प्रतिशत	कार्यकलाप राशि (₹ में)	संरेखण एवं रूपांकन के लिए संवेदक को देय राशि (₹ में)
	टर्नकी आधार पर एसटीपी की कुल लागत				42,00,00,000	---
अ	**सिविल कार्य** (70 *प्रतिशत*)				29,40,00,000	---
1	मुख्य पम्पिंग स्टेशन		12%	---	3,52,80,000	---
		हाइड्रोलिक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति	---	5%	17,64,000	---
		संरचनात्मक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति	---	5%	17,64,000	---
2	प्राथमिक उपचार इकाई		13%	---	3,82,00,000	---
		हाइड्रोलिक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति	---	5%	19,11,000	---
		संरचनात्मक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति	---	5%	19,11,000	---
3.	एसबीआर बेसिन		35%		10,29,00,000	---
		हाइड्रोलिक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	51,45,000	51,45,000
		संरचनात्मक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	51,45,000	51,45,000
4	सी.सी.टी		4%		1,17,60,000	---
		हाइड्रोलिक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	5,88,000	---
		संरचनात्मक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	5,88,000	---
5	टोनर रूम के साथ क्लोरीन रूम		4%		1,17,60,000	---
		हाइड्रोलिक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	5,88,000	---
		संरचनात्मक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	5,88,000	---
6	गाद पंप कक्ष		4%		1,17,60,000	---
		हाइड्रोलिक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	5,88,000	---
		संरचनात्मक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	5,88,000	---

क्र.सं.	घटक	उप-घटक	कुल लागत में से घटक प्रतिशत	कार्यकलाप प्रतिशत	कार्यकलाप राशि (₹ में)	संरेखण एवं रूपांकन के लिए संवेदक को देय राशि (₹ में)
7	गाद सम्प		3%		88,20,000	---
		हाइड्रोलिक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	4,41,000	---
		संरचनात्मक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	4,41,000	---
8	सेन्ट्रफ्यूज हाउस		4%		1,17,60,000	---
		हाइड्रोलिक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	5,88,000	---
		संरचनात्मक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	5,88,000	---
9	ब्लोअर रूम / एमसीसी/पीएलसी/प्रशासनिक ब्लाक		15%		4,41,00,000	---
		हाइड्रोलिक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	22,00,500	---
		संरचनात्मक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	22,00,500	---
10	एच टी सबस्टेशन क्षेत्र		2%		58,80,000	---
11	डीजी क्षेत्र		1%		29,40,000	---
12	सुरक्षा केबिन		1%		29,40,000	---
13	आतंरिक सड़के, कंपाउंड वाल और साईट का विकास		2%		58,80,000	---
		संरचनात्मक संरेखण एवं रूपांकन की स्वीकृति		5%	2,94,000	---
ब	यांत्रिक कार्य (15 *प्रतिशत)*				6,30,00,000	---
स	**विद्युत् एवं उपकरण कार्य** (10 *प्रतिशत*)				4,20,00,000	---
द	**परीक्षण एवं प्रवर्तन** (5 *प्रतिशत*)				2,10,00,000	---
					कुल	**1,02,90,000**

परिशिष्ट 4.1

(कंडिका 4.5 में संदर्भित, पृष्ठ 120)

तीन संस्थाओं द्वारा जाँच (अनुमोदन) का विवरण

संस्था का नाम/ जाँच का वर्ष	प्रतिवेदन का विवरण
आईआईटी, मुंबई (अक्टूबर 2015)	<u>1.घटक: भूमिगत सीवरेज सिस्टम का हाइड्रोलिक संरेखण एवं रूपांकन</u> • <u>रूपांकन</u> जीवन: 30 वर्ष (2018 आधार वर्ष, 2033 मध्यवर्ती वर्ष, 2048 अंतिम वर्ष) • <u>शिखर सीवेज उत्पादन:</u> आधार वर्ष के लिए 15.03 एमएलडी मध्यवर्ती वर्ष के लिए 18.35 एमएलडी अंतिम वर्ष के लिए 22.15 एमएलडी[1] • <u>सीवर लाइन:</u> 18,985 मीटर (300 मिमी पाइप का 17254 मीटर और 450 मिमी पाइप का 1731 मीटर), मैनहोल की संख्या: 651 <u>निष्कर्ष:</u> नदी के दोनों ओर 250 मीटर की चौड़ाई के लिए, नदी के किनारे उत्पन्न सीवेज को पूरा करने के लिए सीवरेज प्रणाली की योजना और रूपांकन किया गया है।
	2. घटक: नदी के अनुप्रस्थ काट का हाइड्रोलिक रूपांकन एवं संरेखण • नदी खंड - 25 वर्षों के वापसी चक्र के लिए रूपांकन किया गया निर्वहन (शहरी खंड): • चेनेज 0 मी और 2180 मी के बीच : वास्तविक- 30.07 to 32.94 मी^{3}/सेकंड, रूपांकन किया गया-34.95 से 45.16 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई -3.0 मी, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल -15.45 मी^{2} • चेनेज 2180 मी और 2769 मी के बीच : वास्तविक- 32.94 से 34.53 मी^{3}/सेकंड के बीच, रूपांकन किया गया-41.33 से 44.15 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई-3.0 मी, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल -15.45 मी^{2} • चेनेज 2769 मी और 4068 मी के बीच : वास्तविक- 34.53 से 41.21 मी^{3}/सेकंड के बीच, रूपांकन किया गया-41.86 से 44.15 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई-3.0मी से 4मी, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल -15.45 मी^{2} से 21.38 मी^{2} • चेनेज 4068 मी और 6440 मी के बीच : वास्तविक- 41.21 से 54.34 मी^{3}/सेकंड, रूपांकन किया गया-41.86 से 55.69 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई-4.0 से 6.0 मी , क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल -21.38 मी^{2} से 30.50 मी^{2} • चेनेज 6440 मी और 7818 मी के बीच : वास्तविक- 54.34 से 59.22 मी^{3}/सेकंड के बीच, रूपांकन किया गया-55.69 से 60.39 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई-6.0 मी से 7.0 मी, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल -28.88 मी^{2} से 30.50 मी^{2} • चेनेज 7818 मी और 10400 मी के बीच : वास्तविक- 59.22 से 64.11 मी^{3}/सेकंड के बीच, रूपांकन किया गया-60.39 से 79.96 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई- 7.0 मी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल -28.88 मी^{2} से 33.25 मी^{2}

[1] *छः प्रवेशिकाओं से बहता सीवेज: 7.46 एमएलडी; नदी के किनारे के घरों द्वारा उत्पादित सीवेज (नदी के दोनों ओर 250 मीटर): 12.97 एमएलडी; और 33 शौचालय खंडों द्वारा उत्पादित सीवेज: 1.72 एमएलडी*

संस्था का नाम/ जाँच का वर्ष	प्रतिवेदन का विवरण
	<u>निष्कर्ष:</u> वर्तमान खंड अपवाह के गुणांक[2] 0.29 और 25 वर्ष की वापसी चक्र की वर्षा के लिए सुरक्षित है।
	1. <u>घटक: उच्च मार्ग</u> 2. <u>निष्कर्ष: उच्च मार्ग को प्रचलित रूपांकन कोड के अनुसार रूपांकन किया गया है।</u>
बीआईटी, मेसरा (जनवरी 2016)	1. घटक: 8 एसटीपी का संरेखण एवं रूपांकन अपनी प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन में एसटीपी (पीएसटी, फाइटोरिड बेड, संग्रह टैंक इत्यादि) के रूपांकन पर टिप्पणियां उठाईं लेकिन अंतिम पुनरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की गई।
एनआईटी, जमशेदपुर (दिसंबर 2016 और नवंबर 2017 के बीच)	1. <u>घटक:</u> नदी के संशोधित क्रॉस सेक्शन का रूपांकन चेनेज 1,900 मीटर और 2,040 मीटर के बीच संशोधित खंड का रूपांकन: लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया चेनेज 2,040 मीटर और 2,180 मीटर के बीच संशोधित खंड का रूपांकन: 50 वर्ष के वापसी चक्र के लिए नदी खंड- रूपांकन किया गया निर्वहन (शहरी खंड): • निर्वहन (चेनेज 2,050 मीटर): वास्तविक- 65 मी^{3}/सेकंड, रूपांकन किया गया- 182.36 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई-13.50 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल-46.81 मी^{2} • निर्वहन (चेनेज 2,100 मीटर): वास्तविक-65 मी^{3}/सेकंड, रूपांकन किया गया - 77.96 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई-4.5 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल-23.18 मी^{2} • निर्वहन (चेनेज 2,130 मीटर): वास्तविक-65 मी^{3}/सेकंड, रूपांकन किया गया -83.54 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई-5.0 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल-24.50 मी^{2} • निर्वहन (चेनेज 2,180 मीटर): वास्तविक-65 मी^{3}/सेकंड, रूपांकन किया गया-194.24 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई-14.5 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल-49.43 मी^{2} <u>घटक</u>: हरमू नदी के तट को मजबूत करने के लिए संशोधित खंड का रूपांकन (चेनेज 2,769 मीटर- 10,400 मीटर के बीच) 50 वर्ष के वापसी चक्र के लिए नदी खंड-रूपांकन किया गया निर्वहन (शहरी खंड): • चेनेज 2,769 मीटर और 4,068 मीटर के बीच: वास्तविक 64.99 मी^{3}/सेकंड, रूपांकन किया गया -65.07 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई- 3 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल - 20.01 मी^{2} • चेनेज 4,068 मीटर और 6,440 मीटर के बीच: वास्तविक 102 मी^{3}/सेकंड, रूपांकन किया गया -102.01 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई- 4मी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल - 27.11 मी^{2} • चेनेज 6,440 मीटर और 7,818 मीटर के बीच: वास्तविक -118 मी^{3}/सेकंड, रूपांकन किया गया -118.02 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई- 6 मी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल - 40.00 मी^{2}

[2] *सीपीएचइइओ संहिता के कंडिका 3.9.1 के अनुसार, जल निकासी क्षेत्र की विशेषताएँ यथा अभेद्यता; स्थलाकृति, अवसाद सहित: पानी बिंदु, जल निकासी बेसिन का आकार; और वर्षा की अवधि, कुल वर्षा का अंश जो सीवर तक पहुँचेगा निर्धारित करती हैं। यह अंश अपप्रवाह के गुणांक के रूप में जाना जाता है।*

संस्था का नाम/ जाँच का वर्ष	प्रतिवेदन का विवरण
	• चेनेज 7,818 मीटर और 10,400 मीटर के बीच: वास्तविक-137 मी^{3}/सेकंड, रूपांकन किया गया -137.10 मी^{3}/सेकंड, मार्ग की चौड़ाई-7.0 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल- 49.19 मी^{2}
	1. <u>घटक:</u> प्रवेशिकाओं का रूपांकन • 14 प्रवेशिकाओं में से (संशोधित अनुमानों में), केवल 1, 2, 3 और 4 और 1ए प्रवेशिकाओं का अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध था। <u>प्रवेशिका का निर्वहन:</u> प्रवेशिका 1- 34.34 मी^{3}/सेकंड, प्रवेशिका 1ए-5.2 मी^{3}/सेकंड, प्रवेशिका 2- 15.87 मी^{3}/सेकंड, प्रवेशिका 3-5.66 मी^{3}/सेकंड और प्रवेशिका 4- 5.5 मी^{3}/सेकंड <u>प्रवेशिका में निर्वहन का वेग</u>: प्रवेशिका 1- 3.6 मीटर/सेकंड, प्रवेशिका 1ए -5.2 मीटर/सेकंड, प्रवेशिका 2- 2.116 मीटर/सेकंड, प्रवेशिका 3-0.761 मीटर/सेकंड और प्रवेशिका 4- 0.739 मीटर/सेकंड <u>अनुशंसा</u>: सीवरलाइन का आयाम: प्रवेशिका 1 और 1ए के बीच एनपी3 पाइप तथा एसटीपी: 750 मिमी

परिशिष्ट 4.2

(केस स्टडी- 4.2 तथा तालिका 4.4 (कंडिका 4.5.2 और कंडिका 4.5.3.1) में संदर्भित, पृष्ठ 124 एवं पृष्ठ 127)

प्रवेशिकाओं 1 तथा 1ए के लिए एसटीपी की क्षमता की गणना और 14 प्रमुख प्रवेशिकाओं के माध्यम से उत्पन्न शिखर सीवेज (नोट-1)

क्रम संख्या	विवरणी	14 प्रमुख प्रवेशिकाओं के माध्यम से उत्पन्न सीवेज	प्रवेशिका 1 और 1ए के माध्यम से उत्पन्न सीवेज
1.	जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी में)	14.31	4.3
2.	राँची का कुल शहरी क्षेत्र (वर्ग किमी में)	175.12	175.12
3.	जलग्रहण क्षेत्र / रांची का कुल शहरी क्षेत्र (क्रम संख्या 1/क्रम संख्या 2)	0.081715	0.024555
4.	राँची की अनुमानित जनसंख्या (मध्यवर्ती वर्ष 2033) (नोट-2)	14,95,998	14,95,998
5.	जनसंख्या कवरेज[3] (प्रवेशिका) (क्रम संख्या 3 x क्रम संख्या 4) (नोट -3)	1,22,246	36,734
6.	प्रति व्यक्ति पानी का उपयोग (लीटर में) (नोट-4)	135	135
7.	उत्पन्न अपशिष्ट जल (लीटर में) (क्रम संख्या 6 x 80 प्रतिशत) (नोट-5)	108	108
8.	औसत सीवेज निर्वहन (लीटर में) (क्रम संख्या 5 x क्रम संख्या 7)	1,32,02,575	39,67,230
9.	औसत सीवेज निर्वहन (एमएलडी में) (क्रम संख्या 8/10,00,000)	13.20	3.96
10.	शिखर सीवेज डिस्चार्ज (एमएलडी में) (क्रम संख्या 8 x 2)	26.40	7.92
11.	अनुशंसित एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)	-	4

नोट 1: आईआईटी मुंबई ने जनसंख्या, पानी की खपत और सीवेज उत्पादन का आकलन करने के लिए जलग्रहण क्षेत्र और जनसंख्या आधारित (जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि के अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि) पद्धति को अपनाया। लेखापरीक्षा ने सीवेज उत्पादन की गणना के लिए समान पद्धति का पालन किया।

नोट 2: जनसंख्या प्रक्षेपण 'अंकगणितीय वृद्धि' और 'वृद्धिशील वृद्धि' विधियों का उपयोग करके किया जाता है। इस मामले में, अनुमानित आबादी पर पहुँचने के लिए इन तरीकों का औसत इस्तेमाल किया गया था। 1951 से 2011 (पिछली जनगणना) की जनसंख्या वृद्धि उपलब्ध है और इस वृद्धि पैटर्न का उपयोग 2011 से 2048 तक जनसंख्या की वृद्धिशील और अंकगणितीय वृद्धि पर पहुंचने के लिए किया गया था। अंतिम अनुमान डेटा पर पहुँचने के लिए इन आंकड़ों को औसत किया गया था। इस पद्धति का उपयोग आईआईटी, मुंबई द्वारा किया गया था। सलाहकार द्वारा डीपीआर तैयार करने के लिए इस पूर्वानुमान डेटा का उपयोग किया गया है।

नोट 3: अनुमानित जनसंख्या कवरेज (प्रवेशिका) की गणना आनुपातिक जनसंख्या (कुल जलग्रहण क्षेत्र, प्रवेशिका को कवर करते हुए /राँची के कुल क्षेत्र) के रूप में की गई थी। यह आईआईटी, मुंबई द्वारा गणना की गई तर्ज पर है।

[3] *प्रवेशिका के जलग्रहण क्षेत्र में रहने वाली तथा सीवेज उत्पादन में योगदान देने वाली आबादी।*

क्रम संख्या	विवरणी	14 प्रमुख प्रवेशिकाओं के माध्यम से उत्पन्न सीवेज	प्रवेशिका 1 और 1ए के माध्यम से उत्पन्न सीवेज
नोट 4: झारखण्ड सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकाय के लिए जल आपूर्ति तथा सीवरेज एवं स्वच्छता जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा स्तर बेंचमार्क के रूप में 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता को अधिसूचित (अगस्त 2011) किया। यह आँकड़ा आईआईटी, मुंबई द्वारा पानी की आवश्यकता का आकलन करने के लिए लिया गया था। लेखापरीक्षा ने उसी पद्धति का पालन किया।			
नोट 5: झारखण्ड सरकार ने सभी श.स्था.नि. के लिए जल आपूर्ति तथा सीवरेज एवं स्वच्छता जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा स्तर बेंचमार्क के रूप में सीवेज उत्पादन के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता का 80 प्रतिशत अधिसूचित (अगस्त 2011) किया। यह आँकड़ा आईआईटी, मुंबई द्वारा सीवेज उत्पादन का आकलन करने के लिए लिया गया था। लेखापरीक्षा ने उसी पद्धति का पालन किया।			

परिशिष्ट 4.3

(कंडिका 4.6.5 में संदर्भित, पृष्ठ 147)

निष्पादन तथा परिचालन चरणों की दरों एवं संवेदकों को किए गए भुगतानों के बीच अंतर

डीपीआर दर (निष्पादन चरण)					डीपीआर दर (परिचालन चरण)				कुल अधिकता
संक्षिप्त	मद संख्या	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या/प्रस्तुत प्रतिवेदन	दर (₹)	मान (₹)	मद संख्या	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या/प्रस्तुत प्रतिवेदन	दर (₹)	मान (₹)	मान (₹)
		1	2	3	4	5	6	7	(3-7)
हवा की गुणवत्ता	220	80	7,500	6,00,000	225	80	1,500	1,20,000	4,80,000
स्टैक उत्सर्जन	221	500	2,500	12,50,000	226	500	500	2,50,000	10,00,000
शोर स्तर	222	100	1,000	1,00,000	227	100	200	20,000	80,000
पानी और अपशिष्ट जल की गुणवत्ता	223	40	2,500	1,00,000	228	40	500	20,000	80,000
पर्यावरण विवरण तैयार करना	224	3	8,000	24,000	229	3	2,000	6,000	18,000
कुल (निष्पादन चरण)				20,74,000	कुल (परिचालन चरण)			4,16,000	16,58,000
9.97 प्रतिशत जोड़ें (संवेदक लाभ)				2,06,777.80	9.97 प्रतिशत जोड़ें (संवेदक लाभ)			41,475.20	1,65,302.60
कुल (निष्पादन चरण के लिए संवेदक को किया गया भुगतान)				2280777.80	कुल (परिचालन चरण के लिए संवेदक को किया गया भुगतान)			4,57,475.20	18,23,302.60

परिशिष्ट 4.4

(कंडिका 4.6.6 में संदर्भित, पृष्ठ 150)

हरमू नदी के तट पर वृक्षारोपण कार्यों का विवरण मापी पुस्त संख्या, चालू खाता संख्या तथा मापी की तारीख

प्रजातियों के प्रकार	पौधे लगाए जाने की मात्रा	दर (₹)	मापी पुस्त संख्या 7/ चालू खाता 5	मापी पुस्त संख्या 8/ चालू खाता 6	मापी पुस्त संख्या 10/ चालू खाता 11	मापी पुस्त संख्या 10 / चालू खाता 12	मापी पुस्त संख्या 11 / चालू खाता 14	मापी पुस्त संख्या / चालू खाता 18	मापी पुस्त संख्या / चालू खाता 19	19वें चालू खाता तक कुल	मान (₹)	29वें चालू खाता तक कार्यान्वित	कुल (29 तथा अंतिम विपत्र)	मान (₹)
			08.03.2016	26.03.2016	21.09.2016	25.10.2016	03.03.2017	06.09.2017	07.10.2017				30.10.2018	
नारियल के पेड़	360	900	90	270	0	0	0	0	0	360	3,24,000	0	360	3,24,000
मिमुसोप्स एलेंगी (मौलश्री)	604	800	0	0	0	81	25	150	98	354	2,83,200	245	599	4,79,200
कैसिया फिस्टुला (अमलतास)	550	600	0	0	0	0	0	150	100	250	1,50,000	295	545	3,27,000
डेलोनिक्स रेजिया (लाल/पीला गुलमोहर)	600	600	0	0	250	76	30	200	0	556	3,33,600	41	597	3,58,200
बिगोनिया मेगापोटामिका (रियो ग्रैंड ट्रम्पेट फूल)	300	600	0	0	25	14	20	130	50	239	1,43,400	59	298	1,78,800
सेडरेला तूना (तून)	450	600	0	0	0	11	20	140	60	231	1,38,600	214	445	2,67,000
अल्स्टोनिया स्कॉलरिस (चटवन)	700	650	0	0	0	17	25	50	65	157	1,02,050	540	697	4,53,050
अरेका पाम	100	800	0	0	15	20	35	0	0	70	56,000	26	96	76,800
फिशटेल पाम	100	800	0	0	20	23	35	0	0	78	62,400	20	98	78,400
लार्जस्ट्रोमिया स्पीसीओसा (जारुल) (झाड़ियाँ)	400	750	0	0	14	64	41	0	0	119	89,250	279	398	2,98,500

प्रजातियों के प्रकार	पौधे लगाए जाने की मात्रा	दर (₹)	मापी पुस्त संख्या 7/ चालू खाता 5	मापी पुस्त संख्या 8/ चालू खाता 6	मापी पुस्त संख्या 10/ चालू खाता 11	मापी पुस्त संख्या 10 / चालू खाता 12	मापी पुस्त संख्या 11 / चालू खाता 14	मापी पुस्त संख्या / चालू खाता 18	मापी पुस्त संख्या / चालू खाता 19	19वें चालू खाता तक कुल	मान (₹)	29वें चालू खाता तक कार्यान्वित	कुल (29 तथा अंतिम विपत्र)	मान (₹)
डोंबिया वालिचही (झाड़ियाँ)	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	196	98,000
चीनी बॉक्स (मुर्रया एक्सोटिका) (झाड़ियाँ)	150	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	147	88,200
यूफोरबिया पुल्चरिमा (झाड़ियाँ)	150	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	148	1,18,400
उप-योग	**4,664**									**2414**	**16,82,500**	**2,210**	**4,624**	**31,45,850**
ऊपरी स्तर पर वृक्षारोपण (छेद खोदना)	4,664	90.9								2,414	2,19,433		4,624	4,20,322
बाँस के ट्री गार्ड	4,664	1,087								2,414	26,24,018		4,624	50,26,288
										कुल	45,25,951			85,92,460
									जोड़े 9.97 प्रतिशत		4,51,237			8,56,668.26
										कुल	**49,77,188**			**94,49,128.26**

परिशिष्ट 4.5

(कंडिका 4.6.6 में संदर्भित, पृष्ठ 150)

हरमू नदी के तट पर तुलनात्मक वनों की कटाई (वर्ष 2009 और 2022 के बीच) का विवरण

कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व (वर्ष 2009 एवं 2015 के चित्र)	कार्य प्रारंभ होने के बाद (वर्ष 2016, 2017 एवं 2018)	कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात (वर्ष 2021)
गंगानगर और करमटोली के बीच		
कड़रु के पास		

ओवरब्रिज के पास, मेन रोड, रांची

अमरावती पुल के पास, चुटिया

स्वर्णरेखा नदी के साथ मिलन स्थल, नामकुम के साथ

परिशिष्ट 5.1

(कंडिका 5.1 में संदर्भित; पृष्ठ 162)

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान प्रमुख सामग्री के क्रय का विवरण

(₹ करोड़ में)

सामग्री का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	क्रय की गई मात्रा	कुल राशि	क्रय की गई मात्रा	कुल राशि	क्रय की गई मात्रा	कुल राशि	क्रय की गई मात्रा	कुल राशि
ट्रांसफार्मर (संख्या में)	8,958	103.46	7,579	75.87	1,233	27.87	1,933	25.72
केबल और कंडक्टर (किमी में)	12,465	99.61	4,542	31.31	2,768	22.41	15	2.66
मीटर (संख्या में)	67,280	79.00	8,26,351	74.78	6,881	8.60	0	0
पोल (संख्या में)	99,663	47.30	93,224	30.18	13,338	16.45	39,970	8.83
उप-योग		**329.37**		**212.14**		**75.33**		**37.21**
कुल योग		**654.05**						

स्रोत: *कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना*

परिशिष्ट 5.2

(कंडिका 5.2 में संदर्भित; पृष्ठ 162)

संगठनात्मक चार्ट (जेबीवीएनएल)

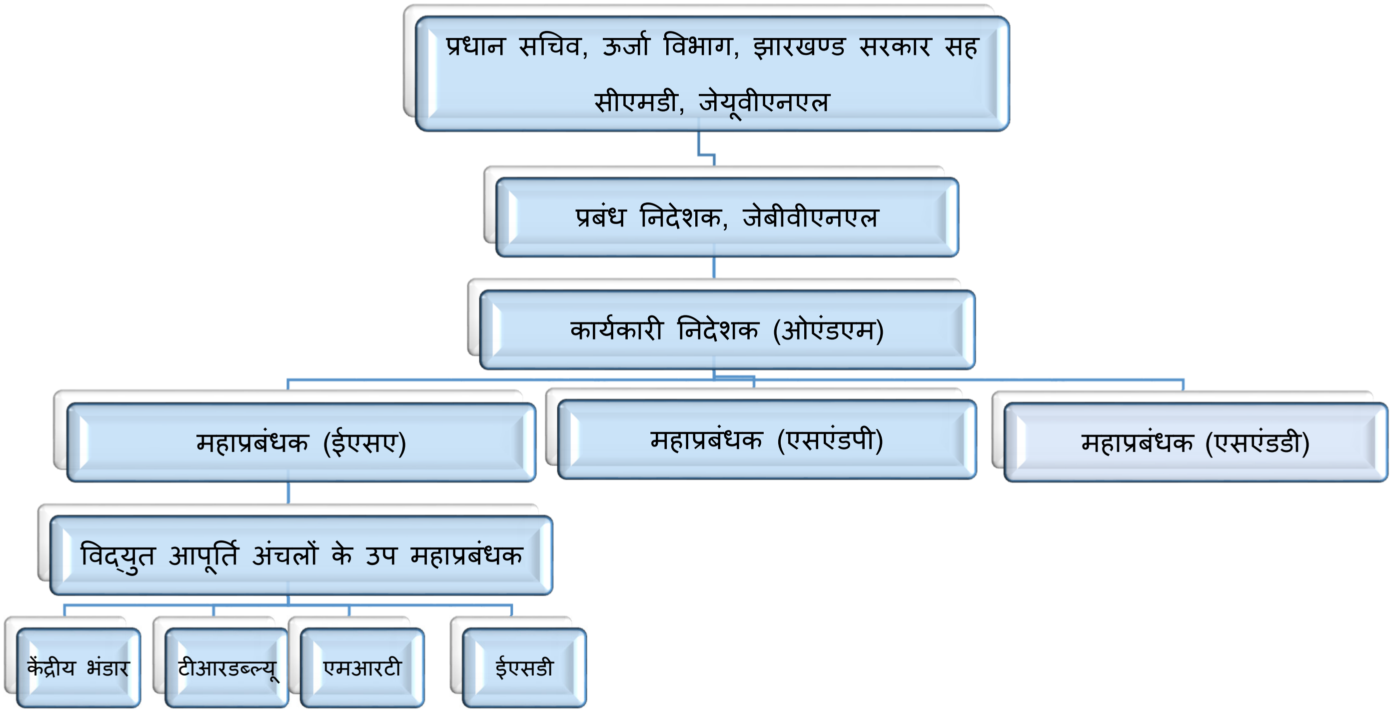

परिशिष्ट 5.3

(कंडिका संख्या 5.9.6(i) में संदर्भित; पृष्ठ 193)

ट्रांसफॉर्मर-तेल की कम वसूली को दर्शाने वाली विवरणी

वित्तीय वर्ष	मरम्मत किए गए ट्रांसफार्मरों की संख्या	क्षमता (लीटर में)	क्षमता का 90 प्रतिशत (लीटर में)	प्राप्त तेल (लीटर में)	कम पुनर्प्राप्ति (लीटर में)	निकाले गए तेल की औसत दर (₹ में)	कम प्राप्त ट्रांसफॉर्मर-तेल का मूल्य (₹ में)
ईएससी, कोडरमा							
2017-18	125	28,786	25,907.40	8,869	17,038.40	25	4,25,960
2018-19	167	39,162	35,245.80	9,749	25,496.80	25	6,37,420
2019-20	222	52,352	47,116.80	13,031	34,085.80	25	8,52,145
2020-21	167	37,654	33,888.60	11,749	22,139.60	25	5,53,490
उप-योग	681				98,760.60		24,69,015
ईएससी, साहिबगंज							
2017-18	188	43,390	39,051.00	11,371	27,680.00	25	6,92,000
2018-19	116	27,264	24,537.60	7,535	17,002.60	25	4,25,065
2019-20	120	28,858	25,972.20	7,230	18,742.20	25	4,68,555
2020-21	130	30,816	27,734.40	10,377	17,357.40	25	4,33,935
उप-योग	554				80,782.20		20,19,555
ईएससी, राँची							
2017-18	607	1,43,476	1,29,128.40	35,105	94,023.40	25	23,50,585
2018-19	740	1,72,846	1,55,561.40	28,955	1,26,606.40	25	31,65,160
2019-20	686	1,62,622	1,46,359.80	35,295	1,11,064.80	25	27,76,620
2020-21	777	1,82,376	1,64,138.40	43,215	1,20,923.40	25	30,23,085
उप-योग	2,810				4,52,618.00		1,13,15,450
ईएससी, हजारीबाग							
2017-18	520	1,24,324	1,11,891.60	21,640	90,251.60	25	22,56,290
2018-19	557	1,33,850	12,04,650.00	5,050	1,15,415.00	25	28,85,375
2019-20	514	1,23,994	1,11,594.60	35,953	75,641.60	25	18,91,040
2020-21	423	98,942	8,90,47.80	35,574	53,473.80	25	13,36,845
उप-योग	2,014				3,34,782.00		83,69,550
ईएससी, जमशेदपुर							
2017-18	807	1,91,872	1,72,684.80	67,971	1,04,713.80	25	26,17,845
2018-19	724	1,70,617	1,53,555.30	41,885	1,11,670.30	25	27,91,758
2019-20	594	1,36,377	1,22,739.30	35,810	86,929.30	25	21,73,233
2020-21	634	1,41,754	1,27,578.60	35,420	92,158.60	25	23,03,965
	2,759				3,95,472.00		98,86,800
उप-योग	8,818				13,62,414.80		
कुल योग							**3,40,60,370**

स्रोत: *टीआरडब्ल्यू के अभिलेखों से संकलित*

परिशिष्ट 5.4

(कंडिका संख्या 5.10.3 में संदर्भित; पृष्ठ 203)

आरएपीडीआरपी-बी योजना के तहत छः दिखाने वाला ईएससी से जारी अतिरिक्त मात्रा दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

सामग्री का नाम	केंद्रीय भंडार से जारी मात्रा	समापन प्रतिवेदन के अनुसार क्रियान्वित मात्रा	केंद्रीय भंडार से जारी अतिरिक्त मात्रा	सामग्री की दर प्रति किमी/सं.	जारी की गई अतिरिक्त सामग्री का कुल मूल्य
एसीएसआर रैबिट कंडक्टर (किमी)	592.259	476.154	116.105	28,083.94	32,60,685.85
एसीएसआर डॉग कंडक्टर (किमी)	593.363	389.83	203.533	74,340	1,51,30,643.22
वुल्फ कंडक्टर (किमी)	55.36	17.44	37.92	1,07,950.87	40,93,496.99
एसीएसआर पैंथर कंडक्टर (किमी)	9.088	5.1	3.988	4,26,235.91	16,99,828.81
एबी एक्सएलपीई केबल 3सी*185 वर्ग मिमी (किमी)	27.259	13.45	13.809	7,18,675.48	99,24,189.70
एबी केबल 3सी*50 वर्ग मिमी (किमी)	59.162	46.67	12.492	1,41,214.46	17,64,051.03
एबी केबल 3सी*35 वर्ग मिमी (किमी)	26.707	22.14	4.567	69,779.48	3,18,682.89
एलटी एबी केबल 3सी*95 (किमी)	283.376	232.83	50.546	2,50,209.19	1,26,47,073.72
एलटी एबी केबल 1सी*35 (किमी)	36.121	0	36.121	80,688.35	29,14,543.89
पीएससी पोल 8/9 मीटर (संख्या)	11,058	2,831	8,227	2,427.84	1,99,73,839.68
स्टील ट्यूबलर पोल	637	14	623	18,424.67	1,14,78,569.41
सिंगल फेज मीटर	26,554	12,937	13,617	2,099.005	2,85,82,151.09
थ्री फेज मीटर	1,477	1025	452	7,987.7	36,10,440.40
25 केवीए डीटीआर	11	10	1	49,057.18	49,057.18
63 केवीए डीटीआर	16	15	1	80,603.23	80,603.23
100 केवीए डीटीआर	195	150	45	1,03,522.52	46,58,513.40
200 केवीए डीटीआर	33	30	3	1,74,751	5,24,253.00
कुल					**12,07,10,623.49**

परिशिष्ट 6.1.1

(कंडिका 6.1 में संदर्भित; पृष्ठ 205)

अ: प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा निर्णय का विवरण

(₹ लाख में)

पथ का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		निविदा निर्णय	
	तिथि	राशि	तिथि	राशि	तिथि	राशि
बिरसा चौक से तुपुदाना चौक	19.10.2013	5,416.58	23.03.2013	4,302.67	26.09.2013	3,786.10
बिरसा राजपथ (न्यू मार्केट चौक से एचइसी गेट चौक)	14.08.2014	2,026.11	06.05.2014	2,026.11	26.08.2014	2,038.10
जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक से बूटी मोड़	26.12.2014	2,243.83	15.07.2014	2,243.83	09.04.2015	2,253.97
नामकुम से डोरंडा	05.09.2013	3,037.89	28.06.2013	3,037.89	29.11.2013	2,473.42
कुल		**12,724.41**		**11,610.50**		**10,551.59**

ब: इकरारनामों एवं अंतिम विपत्रों का विवरण

(₹ लाख में)

पथ का नाम (इकरारनामा संख्या)	इकरारनामों का विवरण				अंतिम विपत्र	
	तिथि	राशि	पूर्णता की नियोजित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	संख्या	राशि
बिरसा चौक से तुपुदाना चौक (82/13-14)	26/11/2013	3,786.10	25/02/2015	26/02/2016	18वाँ तथा अंतिम	3,662.19
बिरसा राजपथ (न्यू मार्केट चौक से एचइसी गेट चौक) (25/14-15)	30/08/2014	2,038.10	29/06/2015	18/06/2016	9वाँ तथा अंतिम	1,661.61
जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक से बूटी मोड़ (5/15-16)	20/04/2015	2,253.97	26/05/2016	07/04/2016	6ठा तथा अंतिम	1,226.14
नामकुम से डोरंडा (97/13-14)	15/01/2014	2,473.42	14/01/2015	22/02/2016	15वाँ तथा अंतिम	2,286.83
कुल		**10,551.59**				**8,836.77**

झारखण्ड सरकार - वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

©भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi